खण्ड-385, अंक-1
गुरूवार, 20 फाल्गुन, शक संवत् 1909
(10 मार्च, 1988 ई0)

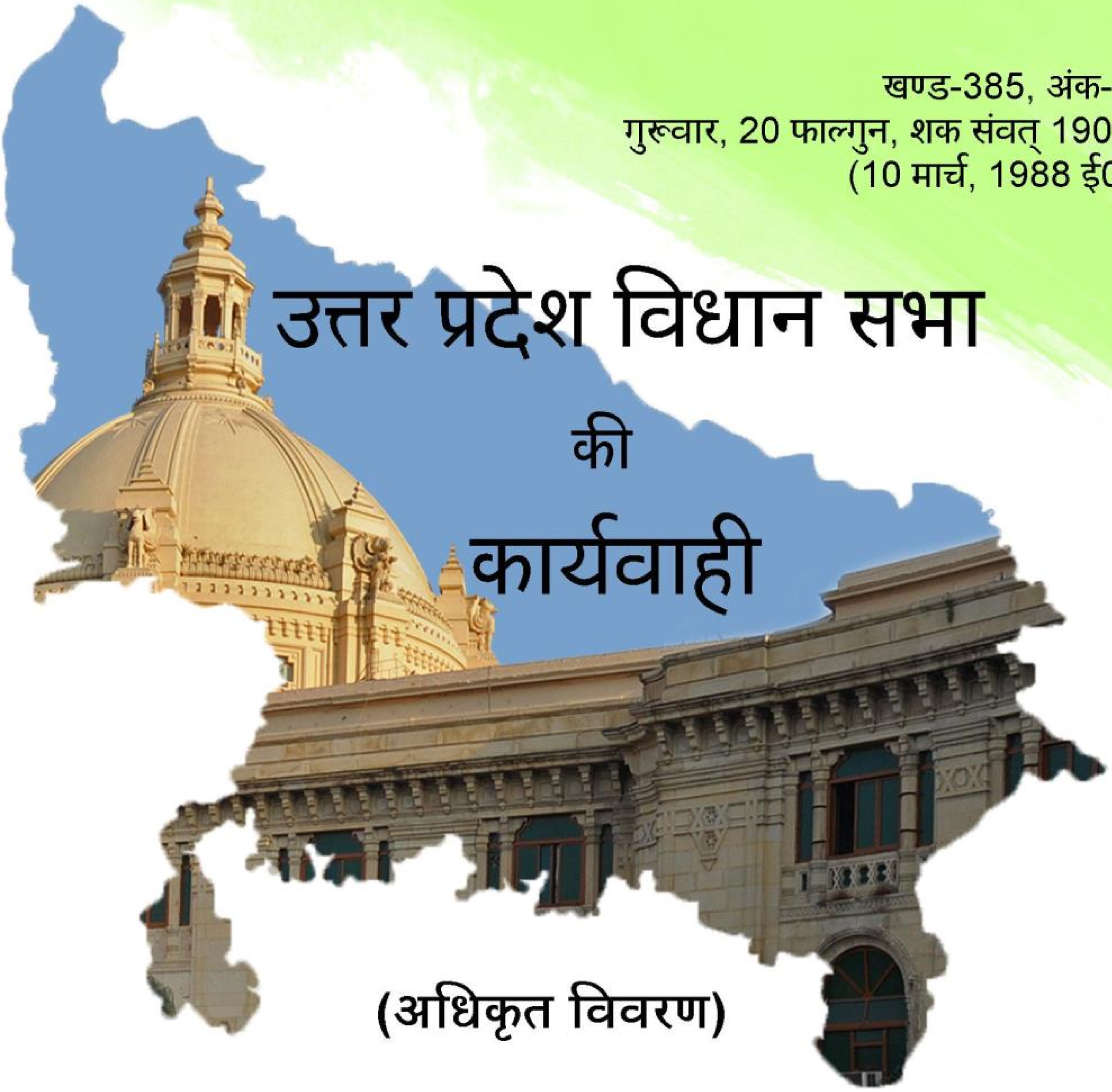

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 385 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
राज्यपाल, मंत्रिपरिषद् तथा नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी, अधिष्ठाता मंडल ..	क-घ
उपस्थित सदस्य ..	1-2
प्रश्नोत्तर ..	3-94
जनपद लखनऊ के सरकारी मिट्टी के तेल के लाइसेन्सों को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	94-95
जनपद मेरठ के मोहल्ला बंगमबाग में पुलिस कांसटेबिल द्वारा नागरिकों की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	95
जनपद बस्ती की तहसील डुमरियागंज में जल निगम द्वारा हैंड पम्पों को लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	95-96
आगरा जनपद में नीलगायों से फसलों को हानि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	96
हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय के अधिकारी कर्मचारियों के शासन तथा महासंघ के मध्य समझौता न होने से कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	96-97
मिर्जापुर जनपद में चल रही बाल विकास परियोजना में धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	97
जनपद फैजाबाद में गन्ना क्रय की असंतोषजनक व्यवस्था के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	97-98
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं ..	98-99
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (छियालिसवां संशोधन) नियमावली, 1987 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	99
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (सैंतालिसवां संशोधन) नियमावली 1987 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	99
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (छत्तीसवां संशोधन) नियमावली, 1986 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चौवालिसवां संशोधन) नियमावली, 1987 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	99-100
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (अड़तीसवां संशोधन) नियमावली, 1986 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	100
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों को भवन निर्माण एवं वाहन क्रय हेतु अग्रिम) (संशोधन) नियमावली, 1987 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	100

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र 1988-89 (भाग प्रथम एवं द्वितीय) (सदन के पटल पर रखा गया) ..	100
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (1987-88) का पच्चीसवां प्रतिवेदन (सदन में प्रस्तुत किया गया) ..	100-101
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (1987-88) का छब्बीसवां प्रतिवेदन (सदन में प्रस्तुत किया गया) ..	101
डुमरियागंज क्षेत्र (बस्ती) उत्तरांचल में एक सहकारी चीनी मिल की स्थापना किये जाने विषयक याचिका (उपस्थित की गई) ..	101
कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (जारी) ..	101-114
वित्तीय वर्ष 1988-89 पर सामान्य चर्चा (जारी) ..	115
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (जारी) ..	115-118
वित्तीय वर्ष 1988-89 पर सामान्य चर्चा (जारी) ..	119-121
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	121-163
वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) अनुदान संख्या-33, चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या-36, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) अनुदान संख्या-37, चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत) ..	163-205
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	205
दिनांक 25 फरवरी, 1988 के महानगर वाराणसी में नगर महापालिका द्वारा बेनियाबाग के गरीब दुकानदारों को अतिक्रमण के नाम पर हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	205-208
ग्राम बेहटा, जय सिंह, थाना तहजोई, जिला मुरादाबाद में श्री सुरेश पाल सिंह की पुलिस द्वारा की गई पिटाई से मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	208-209
तिथियां ..	211-215

विधान सभा

राज्यपाल

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ

मंत्रि-परिषद्

1--श्री वीर बहादुर सिंह, मुख्य मन्त्री	..	सामान्य प्रशासन, प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रोद्योग, पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान, पर्वतीय विकास, नागरिक उड्डयन, सार्वजनिक निर्माण, वित्त, न्याय, गन्ना विकास, पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य, राष्ट्रीय एकीकरण, सूचना, पूर्ण धर्मस्व, सिंचाई, खाद्य तथा रसद, आबकारी एवं मद्य निषेध, उद्योग, पशुधन, जेल एवं राजनैतिक पेंशन, नियोजन, ऊर्जा परिवहन ।
2--श्री बल्देव सिंह आर्य	..	वन मन्त्री ।
3--श्री लोकपति त्रिपाठी	..	जनस्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री ।
4--श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी	..	हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री ।
5--श्री नरेन्द्र सिंह	..	कृषि मन्त्री ।
6--श्री श्याम सूरत उपाध्याय	..	ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मन्त्री ।
7--श्री अरुण कुमार सिंह (सदस्य, विधान परिषद्)	..	सहकारिता मन्त्री ।
8--श्री सिब्ते रजी (सदस्य, विधान परिषद्)	..	शिक्षा एवं मुस्लिम वक्फ मन्त्री ।
9--श्री गोपीनाथ दीक्षित	..	गृह मन्त्री ।
10--श्री अम्मार रिजवी (सदस्य विधान परिषद्)	..	संसदीय कार्य एवं राजस्व मन्त्री ।
11--सैयद सईदुल हसन	..	श्रम मन्त्री ।

राज्य मन्त्री

1--श्री हुकुम सिंह	..	संसदीय कार्य, खाद्य एवं रसद, पशुधन मन्त्री ।
2--श्रीमती पद्मा सेठ	..	नगर विकास, जलपूर्ति एवं नगर भूमि, आवास मन्त्री ।
3--श्री शिव बालक पासी	..	कृषि मन्त्री ।
4--श्री ओम प्रकाश रिछारिया	..	वित्त तथा नियोजन मन्त्री ।

5—श्री गौरी शंकर .. राजस्व मन्त्री ।

6—श्री मानपाल सिंह .. खाद्य तथा रसद मन्त्री ।

7—श्री प्रमोद कुमार तिवारी .. ऊर्जा तथा पर्यटन मन्त्री ।

8—श्री राम औतार दीक्षित .. पर्वतीय विकास, सहकारिता मन्त्री ।

9—श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान .. गृह, न्याय, जेल मंत्री ।

10—श्री चेतराम गंगवार .. प्राविधिक शिक्षा, बीस सूत्रीय कार्यक्रम, युवक कल्याण, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, क्षेत्रीय विकास, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मन्त्री ।

11—श्री राम नरेश शुक्ल .. सामान्य प्रशासन, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा, राजनैतिक पेंशन मन्त्री ।

12—श्री सीताराम निषाद .. मत्स्य, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण मन्त्री ।

13—कु0 सरस्वती अम्माल (सदस्य, विधान परिषद्) .. श्रम, हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री ।

14—श्री संकटा प्रसाद शास्त्री .. शिक्षा मन्त्री ।

15—श्री प्रवीण कुमार शर्मा .. उच्च शिक्षा मन्त्री ।

16—श्रीमती दीपा (सदस्य, विधान परिषद्) .. पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान, विज्ञान एवं प्रोद्योग, सांस्कृतिक कार्य, सूचना मन्त्री ।

17—श्री राम नाथ मुन्शी .. आबकारी, गन्ना विकास, परिवहन मन्त्री ।

उप मन्त्री

श्रीमती प्रेमीला बछवार मेहरा .. पर्यटन, प्रोटो काल मन्त्री ।

नेता विरोधी दल

श्री सत्यपाल सिंह

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री नियाज हसन

उपाध्यक्ष

श्री त्रिलोक चन्द्र

सचिव

श्री भाल चन्द्र शुक्ल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अधिष्ठाता मण्डल

1--श्रीमती कमला साहनी, सदस्य, विधान सभा (बस्ती)

2--डॉक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल, सदस्य, विधान सभा (आगरा)

3--श्री खान गुफरान जाहिदी, सदस्य, विधान सभा (फतेहपुर)

4--श्री जयदीप सिंह बरार, सदस्य, विधान सभा (बरेली)

5--श्री भगवती सिंह विशारद, सदस्य, विधान सभा (उन्नाव)

6--श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा (उन्नाव)

7--श्री बेनी प्रसाद वर्मा, सदस्य, विधान सभा (बाराबंकी)

8--कुंवर रेवती रमण सिंह, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद)

9--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा (सीतापुर)

10--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल, सदस्य, विधान सभा (गढ़वाल)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 10 मार्च, 1988

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे--

अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री (मेरठ)
अमिताभ लवानियां, श्री (आगरा)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अवनीश कुमार सिंह, श्री (बदायूं)
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री (बुलन्दशहर)
औसान सिंह, श्री (इटावा)
कमलेश कुमार पाठक, श्री (इटावा)
किरन पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
कुशल पाल सिंह, श्री (मथुरा)
गजराज सिंह, श्री (गाजियाबाद)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
चन्द्रभान मौर्य, श्री (आगरा)
जगवीर सिंह, श्री (अलीगढ़)
जमुना प्रसाद बोस, श्री (बांदा)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जोहरी लाल त्रिवेदी, श्री (कानपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
दीप चन्द्र सोनकर, श्री (जौनपुर)
दूधनाथ, श्री (जौनपुर)
नंगा राम, श्री (खीरी)
नरेन्द्र सिंह, कुंवर (सहारनपुर)
नरेश पाल सिंह यादव, श्री (बदायूं)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
पशुपति नाथ, मेहरोत्रा, श्री (कानपुर)
पुष्पा देवी, श्रीमती (बदायूं)
प्रभुदयाल, प्रधान (मेरठ)
फरीद महफूज किदवई, श्री (बाराबंकी)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री (फर्रुखाबाद)
भगौती सिंह, श्री (लखनऊ)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
मानवेन्द्र सिंह कुंवर (झांसी)
मुस्तमन्द अली खां, श्री (मथुरा)
मैनेजर सिंह, श्री (बलिया)
योगेन्द्र कुमार, श्री (बदायूं)
रणजीत, श्री (देवरिया)
राजीव कुमार सिंह, श्री (बाराबंकी)
राजेन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
राम गोविन्द चौधरी, श्री (बलिया)
राम नरेश यादव, श्री (मैनपुरी)
लक्ष्मी नारायण श्री (मथुरा)
लालता प्रसाद निषाद, चौधरी (गाजीपुर)
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री (बलिया)
विजय लक्ष्मी, श्रीमती (बलिया)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सोन, श्री (आगरा)
शारदा प्रसाद बिन्द श्री (वाराणसी)
शौनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू श्री (गोरखपुर)

शूरवीर सिंह सजवाण, श्री (टेहरीगढ़वाल)
संजय सिंह, डाक्टर (सुल्तानपुर)
सलावत हुसैन, श्री (गाजियाबाद)
सत्य प्रकाश विकल, श्री (आगरा)
समरपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सोताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (रायबरेली)
सैयद सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
हर नारायण सिंह, श्री (रायबरेली)
हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)
हरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फर नगर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, दिनांक 10 मार्च, 1988 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना में की गई व्यवस्था

**1--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले कौन-कौन से हैं और उन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना के भीतर उद्योग युक्त बनाये जाने के लिए राज्य सरकार क्या उपाय कर रही है ।

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)--

प्रदेश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की श्रेणीवार सूची संलग्न है ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के भीतर इन जिलों को उद्योग युक्त बनाये जाने के लिये राज्य सरकार द्वारा पूंजी अनुदान, बिक्रीकर छूट, पायनियर प्रेस्टिज इकाई उपादान, योजना प्रोजेक्ट के लिये वित्तीय सहायता निर्मित शेड्स विद्युत् रिबेट, विद्युत् उपादान, भवन निर्माण सामग्री पर प्रथम पांच वर्षों के लिये चुंगी कर से छूट, जनरेटिंग सेट सब्सिडी, मार्जिनमनी की सुविधा आदि दी जा रही है । पायनियर एवं प्रेस्टिज इकाई योजना के अन्तर्गत ऐसे जनपदों में तहसील स्तर पर जहां क्रमशः एक करोड़ रुपये अथवा 25 करोड़ रुपये से अधिक का उद्योग न लगा हो वहां पर यदि कोई उद्यमी एक करोड़ रुपये अथवा 25 करोड़ रुपये की लागत से पहली इकाई स्थापित करता है तो उसकी स्थाई पूंजी निवेश का 15 प्रतिशत भाग राज्य सरकार द्वारा उपादान के रूप में अनुमन्य किया जा रहा है । इस प्रकार राज्य सरकार औद्योगिक रूप से पिछड़े जनपदों को, उद्योग युक्त बनाये जाने हेतु सतत प्रयत्नशील है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 211पर)

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का मैं आभारी हूं कि आज उत्तर मिल गया है । मैं मान्यवर, उनके उत्तर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि 57 जिले 'ए' 'बी' 'सी' तीनों को मिलाकर सबसे पिछड़े घोषित किये गये हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खेद इस बात का है कि 57 जिले पिछड़े हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो तीन श्रेणियां बनाई गयी हैं, इनको बनाने का मानक क्या है और इनमें जो सब्सिडी दी जाती है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितनी दी जाती है और केन्द्र सरकार द्वारा कितनी दी जाती है और इसका मानक क्या है, कितनी लागत तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिसके आधार पर सब्सिडी दी जाती है और इन तीनों श्रेणियों को बनाने का क्या आधार है ?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, जो जनपद ज्यादा पिछड़े हुए हैं, उनकी संख्या 15 है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

श्रेणी के आधार पर बतावें ?

श्री राम औतार दीक्षित--

श्रेणी का आधार यह है कि जहां ज्यादा उद्योग नहीं लगे हुए हैं और जहां औद्योगिक प्वाइन्ट आफ व्यू से उद्योग ज्याद डेवलप करना चाहते हैं, उसी हिसाब से श्रेणियां बनाई गयी हैं। इसमें 'ए' श्रेणी में 15 जिले, 'बी' श्रेणी में 27 जिले और 'सी' श्रेणी में 15 जिले हैं। इनमें सबसे पिछड़े जिले हैं बांदा, जालौन, हमीरपुर, जौनपुर, फतेहपुर, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, चमौली, उत्तरकाशी, सुल्तानपुर, कानपुर (देहात), अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल और देहरादून।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, उत्तर पूरा नहीं दिया। इसका मानक क्या है? कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने पर आप 'ए' 'बी', और 'सी' श्रेणी मानते हैं। इसका मानक क्या है और यह कब तैयार किया गया है?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, मैंने माननीय सदस्य को बताया कि जो सर्वाधिक पिछड़े हैं। पिछड़ेपन का मापदण्ड केवल यह है कि जहां पर उद्योग नहीं हैं या उद्योगों की सर्वाधिक कमी है, उन्हें पिछड़ा मानते हैं, इस प्रकार क्रमबद्ध किया गया है।

श्री सरदार सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहूंगा कि जो जिले पिछड़े भी हैं और जहां किन्हीं कारणों से धुंवादार उद्योग भी नहीं लग सकते, जैसे मथुरा, अलीगढ़, एटा, आगरा, ऐसे जिलों के बारे में शासन की क्या नीति है?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने मथुरा का नाम लिया और कहा कि मथुरा उद्योग के मामले में पिछड़ा हुआ है। मान्यवर, मथुरा में इतनी बड़ी रिफाइनरी लगी हुई है, शायद उससे बड़ा उद्योग तो उत्तर प्रदेश में कहीं लगा ही नहीं हुआ है।

श्री नरेन्द्र देव--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि तहसील स्तर पर भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की कोई योजना विचाराधीन है? मान्यवर, मिर्जापुर और चुनार तहसील यह दोनों औद्योगिक रूप से पूरी तरह से पिछड़ी हुई हैं। क्या इन्हें आंशिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित करके, लाभ देने की कृपा करेंगे?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, जहां तक मिर्जापुर का प्रश्न है, मिर्जापुर में 100 करोड़ रु0 की सीमेंट फैक्ट्री लगी हुई है, बिजली का बीस हजार करोड़ रु0 का प्रोजेक्ट लगा हुआ है।

श्री नरेन्द्र देव--

मान्यवर, मैं मिर्जापुर तहसील की बात कह रहा हूं, मिर्जापुर तहसील में कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं लगी हुई है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, पिछड़े क्षेत्रों के मानक तय किये गये हैं पिछड़े जिले, सर्वाधिक पिछड़े जिले, और अर्द्ध विकसित जिले--यह तीन श्रेणियां विभक्त की गयी

हैं । इन तीन श्रेणियों के अन्तर्गत, मानकों के अन्तर्गत, जो जिले आते हैं उन जिलों में आप सुविधायें देते हैं, 15 प्रतिशत उपादान के रूप में देंगे, बिक्री कर में छूट देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

उत्तर प्रदेश में उद्योगों की लगातार क्रमबद्धता बनी रहे, इसमें क्या भूमि उपलब्ध कराने में, ऐसी भूमि, जो कृषि योग्य न हो, वरीयता प्रदान करेंगे इसके अतिरिक्त जो जिले, सरकार की नीति के कारण, उपेक्षित कर दिये गये हैं, जैसे आगरा जनपद ताज के प्रदूषण के कारण उद्योग विहीन बना है, इनमें फिर से उद्योगों को लगाने के लिये राहतें प्रदान करेंगे ?

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, राहतें तो हम सभी को प्रदान कर रहे हैं । ए0 बी0 सी0 यह तीन कैटेगिरियां हैं, इन सब में राहतें प्रदान कर रहे हैं ।

श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उद्योग शून्य जनपद और पिछड़े जनपदों में क्या अन्तर है ? उद्योग शून्य और पिछड़े जिलों में दी जा रही सुविधाओं में क्या अन्तर है ?

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, जो जनपद सर्वाधिक पिछड़े हैं वह उद्योग शून्य जिले कहे जाते हैं ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, उद्योग रहित क्षेत्र घोषित करने का काम केन्द्र सरकार करती है । क्या उसकी समिति एक रिपोर्ट देती है जिसके आधार पर उद्योग रहित क्षेत्र घोषित किये जाते हैं ? आपने पिछड़े हुए क्षेत्रों को बी0 श्रेणी में रखा है । बी0 श्रेणी तय करने के क्या आधार हैं ? मान्यवर, अगर एक तहसील में एक उद्योग लग गया तो पूरे जिले को 'बी' श्रेणी में मान लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिये । क्या माननीय मंत्री जी तहसील स्तर पर और ब्लाक स्तर पर उद्योग रहित क्षेत्र घोषित करते हुए उद्योगों को लगाने की घोषणा करेंगे ?

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, तहसील स्तर पर पिछड़ा घोषित करना फिलहाल अभी कन्सीडरेशन में नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, प्रश्न के सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसी के के बारे में नीति सम्बन्धी एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि ए, बी, सी, श्रेणियों का वर्गीकरण आज से बहुत पहले वर्ष 1971–82 में किया गया था । यह वर्गीकरण उस समय के उद्योगों की स्थिति, पूंजीनिवेश आदि को देखकर किया

गया था। लेकिन आज अलग-अलग जिलों में उद्योगों का विकास हुआ है और मेरी यह सही जानकारी है कि सुल्तानपुर जिले को 'ए' श्रेणी में रखा गया है, यहाँ पर उद्योगीकरण का स्तर पहले की अपेक्षा बहुत ऊंचा हो चुका है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की आज की जो स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुये क्या सरकार इस वर्गीकरण को फिर से करने पर विचार करेगी ?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, माननीय सदस्य का कथन बिल्कुल सत्य है कि यह वर्गीकरण सन् 1971-82 में किया गया था। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सन् 1982 में हमने इसको पुनः कन्सीडर किया और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि आवश्यकता पड़ेगी, तो हम इनका पुनरीक्षण फिर करेंगे।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनपदों में किस पालिसी के तहत तरक्की हुई है। फैजाबाद मंडल में सुल्तानपुर और गोण्डा दोनों ही जिले आते हैं। सुल्तानपुर में तो काफी कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट हो चुका है और वहाँ कारखाने भी काफी लग चुके हैं, परन्तु गोण्डा बिलकुल पिछड़ा हुआ है तो क्या गोन्डा में भी कारखाने वगैरह लगाने का कष्ट करेंगे ?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, गोण्डा में 100 करोड़ रु0 का आई0 टी0 आई0 प्रोजेक्ट लगा हुआ है और माननीय सदस्य उसको पिछड़ा कह रहे हैं।

श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ जिले को किस श्रेणी में रखा गया है और वहां पर जो एक उद्योग लगा हुआ है, उसकी हालत आज अच्छी नहीं है। तो, क्या उसकी हालत को सुधारने के लिये आप क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री राम औतर दीक्षित--

मान्यवर, प्रतापगढ़ जिले को "बी" श्रेणी में रखा गया है और जिस उद्योग की बात माननीय सदस्य ने की है, उसकी हालत को सुधारने के लिए सरकार इस सन्दर्भ में विचार कर रही है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के महानगरों को छोड़कर तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर सुल्तानपुर से भी ज्यादा उद्योग हैं। दूसरी बात जैसी की माननीय गुप्त जी ने वर्गीकरण की कही, तो क्या सरकार इस वर्गीकरण को फिर से करने पर विचार करेगी ?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है। मैंने पहले ही यह बात कही है कि सन् 1971-82 में इस वर्गीकरण को किया गया था और सन् 1982 में इसका पुनरीक्षण किया गया है। यदि आवश्यकता पड़ेगी, तो इसका पुनरीक्षण फिर किया जायगा।

श्री अध्यक्ष--

अध्यक्ष खुद ही महरूम हैं । प्रतापगढ़ का नाम तो आप लोगों ने सुन ही लिया है । जितना आप लोग चिन्तित हैं उतना मैं भी हूं ।

(हंसी)

श्री अचल सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि "ए" श्रेणी के जो जनपद हैं उनमें उद्योग लगाने हेतु 25 परसेन्ट की सब्सिडी दी जाती थी, जो अब 31 मार्च से बन्द होनी है । क्या सरकार उसे आगे भी जारी रखने की कृपा करेगी ?

श्री राम औतर दीक्षित--

अभी 31 मार्च तक इस पर कोई विचार नहीं है ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

श्रीमन्, अभी आपने फरमाया कि जितनी आप को चिन्ता है, उतनी ही मुझे भी है । मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा । जब इतना गम्भीर विषय इस आदरणीय सदन में चल रहा है तो कृपा करके आप माननीय मंत्री जी को निर्देश दें कि जो प्रश्न पूछा जाय, उसी का उत्तर दिया जाय, इधर-उधर निकलने का वह प्रयास न करें । मान्यवर, आप भी जानते हैं और माननीय मंत्री जी भी जानते हैं कि ताजमहल के कारण आगरा में उद्योग आज तक नहीं लगाये गये । आजादी के बाद आज तक एक तरफ तो उद्योग नहीं लगाये गये तो दूसरी तरफ जो पहले उद्योग थे, उन्हें भी समाप्त कर दिया गया । इसकी गम्भीरता को देखते हुए, आगरा जनपद जो शून्य उद्योग वाला जनपद है, वहां पर इलेक्ट्रानिक उद्योग लगाने की योजना बनायेंगे ?

श्री राम औतर दीक्षित--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पहले जो यह कहा कि मैं दांये-बांये निकलने का प्रयास कर रहा हूं, मैं बांये-बांये निकलने का प्रयास नहीं कर रहा हूं । माननीय अध्यक्ष जी, आप मूल प्रश्न को देखने का कष्ट करें । जनरल पालिसी पर प्रश्न किया गया था, कोई जिलेवार प्रश्न तो किया नहीं गया था । माननीय सदस्य अगर आगरा जनपद के बारे में जानना चाहते हैं तो वह मेरे कक्ष में आ जायें, मैं उन्हें बता दूंगा ।

स्वास्थ्य निदेशालय में वर्ष 1987-88 में लिपिक पद पर हुई नियुक्ति में अपनायी गई प्रक्रिया

**2--श्री अनुग्रह नारायण सिंह एवं श्री गोपाल दास यादव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा वर्ष 1987-88 में कितने तदर्थ लिपिकों की नियुक्ति की गई और उनके नियुक्ति का औचित्य तथा प्रक्रिया क्या रही ?

श्री लोकपति त्रिपाठी (जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री)--

कोई नियुक्ति नहीं हुई, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोपाल दास यादव--

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जब भी कोई प्रश्न आता है, तो कह देते हैं कि "प्रश्न नहीं उठता"। अखबारों के माध्यम से जनता को मालूम है कि बिना शासनादेश के, मंत्री जी के आदेश भी गये थे, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जनपद में ही महिला अस्पताल में टी0 बी0 अस्पताल में कनिष्ठ लिपिक की नियुक्ति की गई है, मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि कोई नियुक्ति नहीं हुई है, मैं जानना चाहता हूं कि अगर कनिष्ठ लिपिक की नियुक्ति हुई है तो क्या माननीय मंत्री जी विधान सभा में जो उत्तर आया है, उसके लिये इस्तीफा देंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, आप देख लें, प्रश्न यह है कि, "क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा वर्ष 1987-88 में कितने तदर्थ लिपिकों की नियुक्ति की गई और उनके नियुक्ति का औचित्य तथा प्रक्रिया क्या रही ?" इसके उत्तर में मैंने कहा है कि स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा कोई नियुक्ति नहीं की गई, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता। माननीय यादव जी, इलाहाबाद के टी0 बी0 अस्पताल की नियुक्ति की जो बात है, यह प्रश्न कर लें, उत्तर दे दिया जायगा। इलाहाबाद के विषय में कोई डायरेक्टरी मेरे पास नहीं है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बड़े सुन्दर ढंग से स्वास्थ्य निदेशालय की बात की। एडीशनल डायरेक्टर, इलाहाबाद, स्वास्थ्य निदेशालय के अन्तर्गत आते हैं या नहीं ? यदि हां, तो उन्होंने जो नियुक्तियां की हैं, उनके सम्बन्ध में विशेषाधिकार स्वीकार करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

हर मण्डलीय अपर निदेशक अपने यहां नियुक्ति करने के लिये, शासनादेश के अनुसार, स्वतंत्र हैं। उसकी एक प्रक्रिया बनी हुई है कि उनको एक चयन समिति गठित करनी होगी मण्डल की सम्पूर्ण नियुक्तियों के लिए, जिसके अध्यक्ष अपर निदेशक, मण्डल होंगे। उससे स्वास्थ्य निदेशालय का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री गोपाल दास यादव--

स्वास्थ्य निदेशालय ही पूरे उत्तर प्रदेश के जनपदों को डील करता है। इलाहाबाद में, जहां अस्पताल में दवाई की सुविधा नहीं है, भोजन की सुविधा नहीं है, वहां अतिरिक्त स्टाफ है जो कि स्टेट कैडर से वेतन ले रहा है। उसके बाद भी स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा कनिष्ठ लिपिक की 5-5, 6-6 नियुक्तियां हुई हैं, इस प्रकार पूरे प्रदेश में 300 नियुक्तियां हुई हैं।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न क्या है ?

श्री गोपाल दास यादव--

मैं पूछना चाहता हूं कि स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा बिना शासनादेश के, बिना आदेश के, जो नियुक्तियां की गई हैं, क्या उनको निरस्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मैंने पहले ही कहा कि वर्ष 1987-88 में स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा कोई भी नियुक्ति नहीं की गई है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि अपर निदेशक, इलाहाबाद स्वास्थ्य निदेशालय के अन्तर्गत आते हैं या नहीं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, इसका उत्तर तो मैंने दे दिया है कि हर अपर निदेशक मण्डल में नियुक्तियां करने के लिये शासनादेश के अनुसार सक्षम अधिकारी हैं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

कृषि उत्पादन मंडियों में लगी बैरियरों के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी

*1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि मण्डी शुल्क वसूलने के लिए कृषि उत्पादन मंडियों में लगे बैरियरों को समाप्त कर सरकार किसी वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वैकल्पिक व्यवस्था की रूपरेखा क्या है तथा इसे कब तक लागू किया जायेगा ।

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

मंडियों पर लगे बैरियरों के विषय में अध्ययन कर रिपोर्ट देने हेतु मंडी परिषद् द्वारा एक समिति गठित की गयी है, जिसकी रिपोर्ट पर अभी परिषद् द्वारा विचार अपेक्षित है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो कमेटी गठित की गयी थी, यह कब गठित की गयी थी और यह कमेटी बैरियर के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जो शिकायतें थीं उसके बारे में या और भी जो बहुत सी कठिनाइयां थीं जैसे की बहुसूत्रीय टैक्स । इसके साथ ही साथ क्रेता-विक्रेता दोनों से जो टैक्स लिया जाता है, जो स्टेशनरी सप्लाई करते हैं उनसे भी टैक्स लिया जाता है और किसानों के हितों की उपेक्षा हो रही है । क्या इन सब मामलों के सन्दर्भ में विचार करने के लिये यह कमेटी बनायी गयी थी ? कमेटी की रिपोर्ट क्या आ गयी है ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट का सारांश क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

यह कमेटी 24 जून, 1987 को गठित की गयी थी । इस कमेटी की रिपोर्ट आ गयी है और वह परिषद् के विचाराधीन है । जब तक परिषद् द्वारा उस पर विचार नहीं हो जाता है तब तक उसके विषय में जानकारी कराना उचित नहीं होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने जो प्रश्न किया था वह एक बिन्दु के बारे में था किन्तु अभी जो मैंने मामले दर्शाये हैं, क्या उन सभी बिन्दुओं के बारे में भी कमेटी विचार कर रही है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मैं इस सदन में इसका उत्तर पहले दे चुका हूं कि बैरियर्स में कठिनाई होती थी किसानों को और व्यापारियों को उसको दूर करने के लिए कदम उठाये गये हैं। जैसे कि पहले खड़खड़े से या साइकिल से माल लोग लाते थे और उसको चेक किया जाता था, अब उसके लिए यह कर दिया गया है कि किसानों के माल को बैरियर पर चेक नहीं किया जायेगा और जो दूसरा प्रश्न है उसके बारे में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बैरियर्स हटाये जाने के बारे में विचार किया गया है क्योंकि इससे कठिनाई होती थी और शिकायतें बहुत आयीं और इसीलिए यह कमेटी बनायी गयी उस कमेटी ने इन तमाम बातों पर और बिन्दुओं पर विचार करके अपनी रिपोर्ट दी है उसमें जरूर इन बिन्दुओं पर भी विचार किया गया होगा।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बैरियर के कारण से जो कठिनाई आयी उसको दूर करने के लिए कमेटी आपने गठित कर दी। अब आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि कमेटी की संस्तुतियों पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा और किसानों के हितों की रक्षा और क्रेता व विक्रेता की कठिनाइयों को आप कब तक दूर करा देंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मैंने अभी निवेदन किया कि समिति की रिपोर्ट परिषद् के विचाराधीन है और इस पर शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा यह मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कमेटी के गठन के समय क्या शिकायतें थीं शासन के पास, जिनके कारण यह कमेटी गठित करनी पड़ी ? यदि जिन बिन्दुओं की ओर माननीय राजेन्द्र जी ने इंगित किया है क्रेता और विक्रेता की समस्या की ओर, उन बिन्दुओं पर विचार करने के लिए यदि यह कमेटी सन्दर्भित नहीं है तो क्या उन बिन्दुओं पर विचार करने के लिए आप पुनः उन बिन्दुओं को कमेटी को रिफर करने का कष्ट करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बैरियर पर किसानों को और व्यापारियों को कठिनाई होती थी। इसी पर बैरियर हटाने की बात सोची गयी है। इसलिए सारे मसले समिति के सुपुर्द किये गये हैं और वह सारे पहलुओं पर विचार करके ही अपनी रिपोर्ट देगी, ऐसा मेरी समझ में आता है।

श्री शारदा नन्द अंचल--

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि समस्त कृषकों को जो बात यहां की गयी है तो वर्ष 1987-88 में सूखे की स्थिति को देखते हुए सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार ने जो अनुदान दिया था उसमें से वहां पर कितना धन खर्च हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

यह कोई बात नहीं हुई, इसका प्रश्न से क्या वास्ता ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मंत्री जी से केवल दो बात जानना चाहता हूं एक तो जब माननीय मंत्री जी उसके विकास की वैकल्पिक रूप-रेखा के बारे में उस कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए या यूं कहिए कि शासन की मंशा को समाचार-पत्र बता सकते हैं तो इसी रूप-रेखा को सदन में छुपाने और न बताने के क्या कारण हैं यह तो आपने अच्छा किया कि बैरियर पर जो परेशानी होती और बिक्री कर ले लिया जाता था, वह परेशानी दूर हुयी लेकिन उसके साथ-साथ किसानों के अन्य हितों को ध्यान में रखते हुए और भी बहुत सी समस्यायें हैं, जिन बातों का हमने उल्लेख किया है और उससे किसानों को लाभ नहीं पहुंच रहा है, तो क्या माननीय मंत्री जी इन कठिनाइयों को दूर करने के विषय में भी कोई व्यवस्था करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैंने पहले भी निवेदन किया कि बैरियर्स पर जो कठिनाई आती थीं, उसके बारे में एक कमेटी बनायी गयी है और उसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसे परिषद् में विचारार्थ भेजा गया है और परिषद् जब उस पर विचार कर लेगा तो इसे लागू करा दिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर माननीय मंत्री जी नहीं दे रहे हैं, जो सूचना यह अखबारों के जरिये बाहर दे सकते हैं तो सदन में इसे क्यों छिपा रहे हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, इसमें माननीय गुप्ता जी जो आरोपित करने की बात कह रहे हैं, मैं तो किसानों, व्यापारियों और जनता के हितों की, सभी के हितों की बात कह रहा हूं । वह अवसर आने दीजिये हम उस सम्बन्ध में भी विचार करके आपको अवगत करायेंगे और अगर माननीय गुप्ता जी के पास इस सम्बन्ध में कोई सुझाव हैं तो वह हमें भेज देंगे और उस पर हम विचार कर लेंगे ।

*2--डाक्टर दिनेश जौहरी--

[6वें मंगलवार में नियम 29(4) के ता0 प्र0 सं0 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

[गुरुवार, दिनांक 10 मार्च, 1988 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

भयंकर सूखे के कारण प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों को मुफ्त खाद एवं बीज दिया जाना

*1--श्री सरदार सिंह--

क्या सरकार ने प्रदेश में भयंकर सूखे की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में लघु एवं सीमान्त कृषकों की रबी की फसल के लिए मुफ्त खाद एवं बीज उपलब्ध कराया है ? यदि हां, तो इस नीति की रूप-रेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

सूखा राहत कार्यों हेतु प्राप्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 55 सूखा घोषित जनपदों में, रबी 87-88 में, लघु एवं सीमान्त कृषकों को 25 तथा 33/1/3 प्रतिशत की दर से समस्त उर्वरकों (एन0 पी0 के0) पर अनुदान अनुमान्य किया गया है जिसकी अधिकतम सीमा आनुपातिक आधार पर रु0 40 प्रति हैक्टर है ।

श्री सरदार सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने इस बाढ़ और सूखे के सम्बन्ध में कितना धन आपको दिया और इस अनुदान में से आप अब तक कितना रुपया बांट चुके हैं और कितने किसान-परिवार आपको इस सुविधा/अनुदान से लाभान्वित हो चुके हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

यह मान्यवर, बाढ़ और सूखा से राहत में किसानों के लिए जो अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ है, वह 21 करोड़ और 75 लाख रु0 है और जहां तक लाभान्वित किसानों की संख्या का सवाल है, वह 12 लाख से अधिक है और आज तक जितना व्यय हुआ है, उसकी सूचना जो आज की मेरे पास है वह 8 करोड़ रु0 की है ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहूंगा कि यह जो छूट लघु और सीमान्त कृषकों को दी गयी है, वह केवल एन0पी0 खाद के इस्तेमाल करने वालों को दी गयी है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और भी उर्वरक किसान इस्तेमाल करते हैं तो प्रत्येक उर्वरक के प्रयोग पर यह छूट क्यों नहीं प्रदान की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, पहले यह छूट अन्य दो प्रकार की खादों पर दी जा चुकी थी, यह शेष रह गयी थी, अब इस पर भी छूट दे दी गयी है । इस प्रकार से अब यह हर उर्वरक के इस्तेमाल पर छूट हो गयी ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, जब केन्द्र सरकार ने इस सूखे और बाढ़ से सम्बन्धित राहत कार्यों के लिए 21 करोड़ 75 लाख रु0 दिए और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि अब तक केवल इस मद में 8 करोड़ रु0 ही खर्च किए गये हैं मैं जानना चाहता हूं कि इन 13 करोड़ रुपये का उपभोग न करने का कारण क्या था और यह भी बताया गया है कि 15 फरवरी तक ही छूट की तारीख थी, तो इन 13 करोड़ रुपये को सूखे की स्थिति को देखते हुये किन मदों में खर्च करने जा रहे हैं, क्या वापस करने जा रहे हैं या इसको गन्ना किसानों को देने जा रहे हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, जो सहायता प्राप्त हुई है, उसका पूरा उपयोग किया जायेगा । कोई भी धनराशि केन्द्र को वापस नहीं की जायेगी । विचार किया जा रहा है कि किस तरह से किसानों की ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके, उसके लिये यह भी सोचा जा रहा है कि सहकारिता विभाग द्वारा जो ऋण दिया जाता है, उनके सापेक्ष में लघु और सीमान्त कृषकों के खाते में वह पैसा जमा कर दिया जाये । अगर और कोई सुझाव हो तो

माननीय सदस्य मेरे चेम्बर में मिल लेंगे और जो सुझाव वह देंगे वह उनका सुझाव पूरा होगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

कृपया माननीय मंत्री जी यह जानकारी देंगे कि जो छूट दी है, वह केवल उन किसानों को दी है जिन्होंने खाद साधन सहकारी समिति के माध्यम से , एग्रो के माध्यम से कृषि विभाग से लगे हुये जो गोदाम हैं, से ली है और क्या जो और लघु और सीमान्त कृषक हैं, जिन्होंने इन तीन जगहों से खाद नहीं उठायी है क्या उनको भी यह छूट दी जायेगी आप को जो आदेश गया है, वह समय के बाद गया है, जब किसान अपनी फसल बो चुका है, उसके बाद यह आदेश गये हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप इन सब मामलों की जांच करायेंगे ? अभी भी छूट साधन सहकारी समिति और एग्रो के माध्यम से किसानों को नहीं पहुंची है ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, यह निश्चित किया गया था कि जो खाद पर हमने अनुदान दिया है, सहकारी समितियों द्वारा, एग्रो के माध्यम से और कृषि विभाग के जो गोदाम हैं उनसे जिन लोगों ने खाद उठायी है, उन्हीं को यह छूट दी गयी है और जो वर्मा जी ने प्रश्न किया है कि जिन लोगों ने इनके माध्यम से खाद नहीं ली है या जिन्होंने खाद ली ही नहीं है, उनको किस तरह से सहायता दी जायेगी, तो मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों ने साधन सहकारी समिति के माध्यम से या एग्रो के माध्यम से या कृषि विभाग के गोदाम से खाद ली है, उन्हीं को यह सुविधा उपलब्ध होगी ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि यह छूट कृषकों तक नहीं पहुंची है और इसको अधिकारियों ने खा लिया है, क्या शासन इसकी जांच करायेगा और जिन लोगों को छूट नहीं मिली है ? उनको छूट दिलायेंगे ?

श्री राम शरण दास--

मान्यवर, मंत्री जी साफ-साफ बतावें । यह बतावें कि यह जो 13 करोड़ रुपय है, जो बचा है, 8 करोड़ तो जैसे-तैसे खा गये तो इन 13 करोड़ रुपयों को खाने की क्या योजना है, स्पष्ट कर दें ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, यह जो 8 करोड़ रुपये हैं, जैसा कि मैंने बताया इनको किसानों में वितरित किया गया है और कोई शिकायत नहीं आयी है, अगर माननीय सरदार सिंह के पास कोई शिकायत आयी हो या कोई जानकारी हो या किसी माननीय सदस्य के पास शिकायत हो तो वह उसकी जानकारी हमें करा देंगे । मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि...

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, इस पर चर्चा करा दें ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

अगर किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कोई शिकायत प्राप्त होगी, तो उसकी जांच करायेंगे और उस पर कार्यवाही की जायेगी ।

(प्रश्न संख्या 2 पुकारे जाने पर कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

वे कह रहे हैं कि अगर आपके पास सूचना हो तो उस पर गौर किया जायेगा । (व्यवधान) राजा जी, इस प्रश्न पर सारा समय समाप्त हो जायेगा । मंत्री जी, आप बैठें ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं । माननीय राम शरण दास जी ने कहा कि 8 करोड़ रुपया सरकार ने खा लिया और 13 करोड़ के लिए हम क्या करना चाहते हैं । मान्यवर, मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि एक-एक पैसे का सही उपयोग किया जायेगा और किसी तरह से भी पैसे का दुरुपयोग नहीं होने दिया जायेगा । यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्य पाल सिंह)--

मान्यवर, मंत्री जी ने सूखे से प्रभावित किसानों के सम्बन्ध में राहत देने की बात कही । सारे प्रदेश में 90 लाख सीमान्त और लघु किसान हैं और आपने 12 लाख किसानों को यह सहायता दी है वह सहायता किसानों को नहीं मिल पा रही है क्योंकि आपने छूट देने का प्राविधान किया है । इससे वह लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है । तो किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने की नीयत से क्या आप छूट देने के बजाय खाद की कीमत को भी कम करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, खाद की कीमत कम करना, यह एक दूसरा प्रश्न है, यह जो छूट मिली है, यह जो पैसा हमें मिला है वह लघु और सीमान्त कृषकों के लिए मिला है । इसलिए सामान्य कृषकों को नहीं दे सकते ।

श्री सत्य पाल सिंह--

मैं सीमान्त और लघु कृषकों के लिये ही कह रहा हूं । इसमें अभी आप 12 लाख को ही दे पाये हैं । मैं कह रहा हूं कि सभी को यह लाभ पहुंचे इसलिये आप बजाय छूट देने के खाद की कीमत कम करेंगे जिससे सभी लघु और सीमान्त कृषक लाभान्वित हो सकें ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, यह जो छूट थी वह सभी किसानों के लिये थी । छूट की सुविधा केवल लघु और सीमान्त कृषकों के लिये थी जो लोग गये उनको वह सुविधा मिली । बाकी लोग वहां नहीं पहुंचे । (व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, यह सवाल स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष--

आप देखें, कितना समय हो गया है ।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें । (प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, पुकारे जाने तथा सम्बन्धित सदस्यों के अनुपस्थित होने पर कई सदस्य पूर्व प्रश्न के सम्बन्ध में ही एक साथ बोलते रहे ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, उसमें आप चर्चा करा दीजिये ।

श्री सत्यपाल सिंह--

कोई प्रश्न हम नहीं कर रहे हैं बल्कि आप से अनुरोध कर रहे हैं कि यह विषय गम्भीर है इसलिए इस पर आधे घंटे की चर्चा आप स्वीकार कर लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप नियम 49 के अन्तर्गत लिखकर दे दें, मैं उसे देख लूंगा ।

वाराणसी में मास्टर प्लान तैयार करने हेतु ग्राम एवं नगर नियोजक कार्यालय की स्थापना की अवधि

*2--श्री शतरुद्र प्रकाश (अनुपस्थित)--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि शासन द्वारा वाराणसी में मास्टर प्लान तैयार करने के लिये स्वीकृत ग्राम्य एवं नगर नियोजक कार्यालय ने कब से कब तक कार्य किया और क्या यह सच है कि 1963 के पूर्व वाराणसी में मास्टर प्लान बनाने के लिये ग्राम्य एवं नगर नियोजक कार्यालय नहीं था ? यदि हां, तो 1961-63 तक का मास्टर प्लान किसने तैयार किया ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)--

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अन्तर्गत वाराणसी में अधीनस्थ खंड ने मार्च 1964 से जून, 1970 तक की अवधि में वाराणसी महायोजना को तैयार किया था ।

जी हां ।

वर्ष 1961 से 1963 तक मास्टर प्लान तैयार करने से संबंधित कार्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के लखनऊ स्थित मुख्यालय द्वारा किया गया था ।

एक्वायर्ड इम्यून डेफोसेन्सी सिन्ड्रोम नामक बीमारी से रोक-थाम हेतु सरकारी अस्पतालों एवं ब्लड बैंकों का एहतियाती निदेश दिया जाना

*3--श्री जयदीप सिंह बरार (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एक्वायर्ड इम्यून डेफोसेन्सी सिन्ड्रोम नामक भयानक बीमारी जिसे एड्स के नाम से जाना जाता भारतवर्ष में

स्थानों पर मरीजों में पाई जा चुकी है तथा इस बीमारी के फैलने के दो कारण, अस्पतालों में मरीजों का इस बीमारी से इनफेक्टेड खून चढ़ाने तथा दूषित इन्जेक्शन की सुइयों के प्रयोग हैं ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी अस्पतालों में तथा ब्लड बैंकों में एकत्रित किये जाने वाले खून का शत प्रतिशत परीक्षण करवाने के निर्देश देने का कष्ट करेंगे ताकि उपचारित किये जा रहे व्यक्तियों को अकारण ही इस बीमारी का शिकार होने से बचाया जा सके ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां ।

वस्तुतः इस बीमारी का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफीशेंसी सिन्ड्रोम है, जिसके अन्य के अतिरिक्त प्रश्न में उल्लिखित दोनों कारण भी हैं ।

आवश्यक निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को जारी किए जा चुके हैं ।

इन्दिरा नगर कालोनी के मध्य पड़ने वाले अन्य हाउसिंग सोसायटी के भवनों भूखन्डों का आवास विकास परिषद् द्वारा विकास हेतु लिया जाना

(प्रश्न संख्या 4 पुकारे जाने पर तथा संबंधित सदस्य के अनुपस्थित रहने पर)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, इसमें रुचि है ।

*4--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल (अनुपस्थित) --

क्या नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में इन्दिरा नगर डी0 ब्लाक में पिकनिक स्पाट रोड पर स्थित द्वारिकापुरी नामक हाउसिंग सोसाइटी के भूखंडों/आवासों का विकास, आवास विकास परिषद् द्वारा किया गया है ? यदि हां तो कन-किन शर्तों और किस दर पर ? क्या उसी भांति इन्दिरा नगर कालोनी के मध्य पड़ने वाली अन्य हाउसिंग सोसाइटी के भूखंडों तथा प्राइवेट मकानों का विकास भी आवास विकास परिषद् द्वारा किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जी हां ।

विकास कार्यों से सम्बन्धित अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर कर तथा परिषद् द्वारा निर्धारित विकास शुल्क जमा करके समिति ने परिषद् की सेवाओं का लाभ लिया है । 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर उक्त समिति से जमा कराकर विकास कार्य किये गये ।

जी हां । यदि आवास एवं विकास परिषद् की सामान्य नीति के अनुसार योजना के मध्य पड़ने वाली अन्य सहकारी समितियां भी उसी भांति परिषद् से अनुरोध करेंगी और परिषद् की शर्तों को पूरा करेंगी वह निर्धारित मूल भी जमा करेंगी, तब उस स्थिति में परिषद् ऐसी समितियों को विकास कार्यों का लाभ देने पर विचार करेगी ।

समितियों द्वारा अनुरोध करने व निर्धारित समस्त शर्तों को पूरा करने तथा आवास परिषद् द्वारा प्रचलित मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित विकास शुल्क जमा करने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

साइक्रेट्रिक नर्सिंग प्रशिक्षण के वर्तमान सत्र के छात्रों को छात्रवृत्ति न दिये जाने के संबंध में

*5--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि साइक्रेट्रिक नर्सिंग प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है ? यदि हां, तो चालू प्रशिक्षण जो जनवरी, 1988 को समाप्त हो रहा है, के छात्रों को छात्रवृत्ति न दिये जाने का क्या कारण है और उक्त छात्रवृत्ति कब तक दे दी जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

प्रकरण विचाराधीन है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि साइक्रेट्रिक नर्सिंग के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति न दिये जाने का क्या कारण है और कब तक वह दे दी जायेगी ? मंत्री जी ने बताया कि यह विचाराधीन है । तो मैं जानना चाहता हूं कि यह कब तक विचाराधीन रहेगा और कब तक इस पर निर्णय दे दिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, जो चीज विचाराधीन है उस पर निर्णय शीघ्र होगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करेंगे कि यह कब तक विचाराधीन रहेगा क्योंकि इसकी अवधि जनवरी, 1988 को समाप्त हो गई है तो कब तक इसकी घोषणा कर देंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, नर्सेज का यह कैडर समाप्त हो गया है और इसको पुनः स्थापित किया गया है । शासन का जो प्रकरण होता है उसमें ट्रेनिंग पीरियड में जो छात्रवृत्ति महिला नर्सेज को दी जाती है चूंकि हर नर्सेज को दी जाती है तो इनको भी दी जायेगी । आदेश देने में थोड़ा समय लगता है ।

प्रदेश में लगभग चार सौ होम्योपैथिक चिकित्सकों के स्थान रिक्त होने से जनता को हो रही परेशानी

*6--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में लगभग 400 होम्योपैथिक चिकित्सकों के स्थान रिक्त पड़े हैं और चिकित्सालयों में जनता को देखने व दवाई देने वाला कोई नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? नये डाक्टरों की भर्ती न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं, केवल 290 पद रिक्त हैं । रिक्त पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग को अभियाचन भेजा जा चुका है । प्रशिक्षित कम्पाउण्डरों द्वारा औषधि वितरण की सम्प्रति व्यवस्था कर दी गई है ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि होम्योपैथिक चिकित्सालयों में 290 डाक्टर नहीं हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जगहें कब से रिक्त हैं और यह लोक सेवा आयोग को अधियाचन कब भेजा गया है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

मान्यवर, अधियाचन 1986 में गया है उन्होंने विज्ञापन भी निकाल दिया है और चयन प्रक्रिया शीघ्र फाइनल कर रहे हैं ?

श्री अशोक बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गत कई वर्षों से इन पदों पर चयन नहीं हो पाया है। चूंकि प्रक्रिया काफी लम्बी है इसलिये इन स्थानों पर जिला स्तर पर जिलाधिकारियों को नियुक्ति करने का अधिकार देने की कृपा करेंगे ? ताकि तत्काल स्थानों को भरा जा सके ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

मान्यवर, गजेटेड आफिसरों की भर्ती के लिए जो प्रक्रिया है उसी के अनुसार यह चलेगा ?

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति बहुत ही सस्ती पद्धति है। अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि पूरे प्रदेश में करीब 400 स्थान रिक्त हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि सी0पी0एम0टी0 में जो सीट नहीं भरी गई हैं जो वहां नहीं स्थान प्राप्त कर पाये हैं उनको इसमें देने की कृपा करेंगे ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

प्रश्न समझ में नहीं आया दोहरा दें।

श्री गोपाल दास यादव—

सी0 पी0 एम0 टी0 के जो छात्र योग्यता नहीं प्राप्त कर पाये हैं उनको होम्योपैथी में देने की कृपा करेंगे ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

श्रीमन्, तदर्थ नियुक्ति उनकी होती है जो डिग्री प्राप्त होते हैं।

जनपद इलाहाबाद (नगर) के कतिपय कस्बों के नजूल भूमि के पट्टेदारों के द्वारा पट्टे के नवीनीकरण हेतु दिये गये आवेदन-पत्रों पर कृत कार्यवाही

*7—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या राजस्व मंत्री यह बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद के सिविल लाइन्स अशोक नगर, जार्ज टाउन, टगोर टाउन, के कितने लोगों के नजूल भूमि के पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है तथा कितने लोगों ने पट्टे के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है ? उस पर क्या कार्यवाही की गई है तथा शेष भूमि पर शासन की क्या योजना है और वह कब तक कार्यान्वित हो जायेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

इलाहाबाद नगर में केवल सिविल लाइन्स क्षेत्र में 298 नजूल भूखण्डों के पट्टे पूर्णतया समाप्त हो गये हैं। अशोक नगर, जार्ज टाउन व टैगोर टाउन क्षेत्र में नजूल भूमि के पट्टों की अवधि समाप्त नहीं हुई है।

सिविल लाइन्स क्षेत्र के समाप्त 298 नजूल भूखण्डों में से केवल 250 पूर्व पट्टेदारों ने अथवा उनके वारिशों ने नये पट्टे के लिये आवेदन-पत्र दिया है और 4 पट्टेदारों ने समय की मांग की है। इस सम्बन्ध में दिनांक 14 जनवरी, 1987 को हुये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। इसके फलस्वरूप प्रश्नगत भूखण्डों पर किसी योजना के कार्यान्वयन का प्रस्ताव नहीं है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, इलाहाबाद के सिविल लाइन्स क्षेत्र में 298 पट्टे जो लगभग 1700 एकड़ के हैं वह समाप्त हो गये हैं। दिनांक 14 जनवरी, 1987 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि इनका विनियमतीकरण किया जाये और अब मार्च, 1988 हो रहा है और अभी तक विनियमतीकरण नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है और उसके अनुसार क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो यह कार्यवाही कब तक पूर्ण करा दी जायेगी?

श्रीमती पद्मा सेठ--

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि पूरी जमीन की लिस्ट दे दी जाये लेकिन अभी तक 250 पूर्व पट्टेदारों के आवेदन-पत्र आये हैं और 4 पट्टेदारों ने समय की मांग की है, 44 से आवेदन-पत्र नहीं मिले हैं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

14 जनवरी, 1987 से अब तक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार क्या कार्यवाही की गई है, यह बता दें?

श्रीमती पद्मा सेठ--

कार्यवाही हो रही है, जल्दी से जल्दी कार्यवाही पूरी करेंगे।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

निर्णय के अनुसार क्या कार्यवाही कर रही हैं और क्या कार्यवाही की है, यह बतायें?

श्रीमती पद्मा सेठ--

बहुत शीघ्र ही कार्यवाही हो रही है।

श्री सुखपाल पाण्डे--

मान्यवर, शीघ्र कार्यवाही करने का उत्तर दे दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कोई समय निश्चित करेंगी कि कब तक कार्यवाही पूरी हो जायेगी? वह चाहती हैं कि पट्टे अपने शुभचिंतकों और अपने दल के लोगों को कर दें इसलिये विलम्ब कर रही हैं और तब तक उनकी सरकार नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष--!

उत्तर दे दिया है कि शीघ्र कार्यवाही करा देगी ।

श्री सुख पाल पाण्डे--

शीघ्र कार्यवाही करा देंगी लेकिन एक साल से ज्यादा हो गया है कि मान्यवर, वह कोई निश्चित तारीख की घोषणा करें अन्यथा उनकी सरकार तब तक नहीं रहेगी ?

श्री अध्यक्ष--

उनकी सरकार नहीं रहेगी तो आपकी सरकार जब आयेगी तो आप तुरन्त करा दीजिएगा ।

लखनऊ नगर के रिक्शा चालकों हेतु आवासों की व्यवस्था

*8--श्री मित्र सेन--

क्या प्रदेश सरकार को जानकारी है कि लखनऊ नगर में प्रदेश के कोने-कोने से आये हुये हजारों रिक्शा चालक कड़ाके की सर्दी तथा खराब मौसम में भी पेड़ की छाया के सहारे अपनी रातें गुजारते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्शा चालकों को सिर छिपाने हेतु कोई व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

ऐसे रिक्शा चालकों की सही संख्या नहीं बताई जा सकती और न कभी ऐसा कोई सर्वेक्षण ही किया गया है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा चारबाग टैक्सी स्टैन्ड पर रैन बसेरा का निर्माण कराया जा चुका है ।

श्री मित्रसेन--

मन्त्री जी ने रैनबसेरा की बात कही है, रैनबसेरा तो बहुत होंगे, पर रिक्शा चालक के लिये तो एक ही है और उसमें सब आते भी नहीं हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि निर्बल वर्ग के लिये बहुत योजनायें चलती हैं और लखनऊ में 10 हजार रिक्शा चालक हैं, अतः क्या इनका सर्वेक्षण कराकर कि लखनऊ में कितने रिक्शा चालक हैं, जिनके पास कहीं पर सिर छिपाने की जगह नहीं है, उनके रहने के लिये और ठहरने के लिये रात में कहीं जगह नहीं है, मन्त्री जी कोई ऐसी योजना बनायेंगी जिसके अन्तर्गत इनके रहने का कोई समुचित व्यवस्था हो सके ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, रिक्शा चालक का तो यहां पर न सर्वेक्षण हुआ है और न हो सकता है, क्योंकि ये दिन को आते हैं और रात को चले जाते हैं, आस-पास के गांवों में और यह बहुत भारी तादाद में हैं । इनके लिये एक रैनबसेरा बनाया जा चुका है और अभी दूसरे का कोई प्रपोजल नहीं आया है । आयेगा तो जरूर हम उसके लिये सोचेंगे ।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

यह हर एक महानगर की समस्या है । हजारों रिक्शा चालकों के रिक्शे खड़े होने के लिये कहीं कोई जगह नहीं है--रिक्शा-स्टैंड नहीं है, जिससे वह रिक्शों के साथ

स्वयं भी विश्राम कर लें और ठंड तथा पानी से बच जायें, तो क्या हर महानगर में रिक्शा-चालकों की संख्या के अनुसार ऐसे रिक्शा-स्टैंड जहां पर वे रिक्शा खड़ा कर सकें और विश्राम कर सकें, सरकार बनवाने की कृपा करेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

इस पर विचार अवश्य कर लिया जायेगा ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मंत्राणी जी ने यह कहा कि सर्वेक्षण नहीं कराया जा सकता है । रिक्शा-चालक के अलावा तमाम दूसरे मजदूर इस तरह के हैं जैसे बीड़ी मजदूर हैं, जिसके लिये सरकार की ओर से ऐसी स्कीमें चलाई गई हैं, जिससे उनको मकान रहने के लिये प्राप्त हो सके । तो यह कहना कि रिक्शा-चालकों का सर्वेक्षण नहीं हो सकता है सरकार का अपनी जिम्मेवारी से भागना है । रिक्शा-चालकों के रिक्शा के लाइसेंस महानगर की ओर से बनाये जाते हैं तो उसी को सर्वेक्षण का आधार मानकर उनके लिये क्या सरकार मकान बनवाने की कृपा करेगी ? यह गांधी जी की सरकार है और मान्यवर, आपके ऊपर भी उनकी फोटो लगी हुई है...

श्री अध्यक्ष--

आप अपना प्रश्न कीजिए ?

श्री मुहम्मद आजम खां--

गांधी जी ने जब मजदूरों के लिये कहा था तो खासकर रिक्शा-चालकों के लिये कहा था, जब डांडी मार्च हो रहा था....

श्री अध्यक्ष--

अब आप अपना प्रश्न कर लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

महात्मा गांधी की भावनाओं को ध्यान में रखकर क्या इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि....

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न संख्या 9 ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

जो सरकार का आइडियल है मैं उसको रख रहा हूं, वह देश का आइडियल है और हमारा आइडियल है ।

मान्यवर, जवाब तो दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, मित्रसेन जी का प्रश्न है वह प्रश्न करें ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, इसमें स्पष्ट प्रश्न यह है कि विभिन्न नगरों में रिक्शा-चालक हैं, वह प्रदेश के विभिन्न नगरों में से या ग्रामीण अंचलों से या दूसरे अंचल से आते हैं। खास-तौर से जिन्हें लखनऊ में लाइसेंस मिला है उसकी संख्या नगरपालिका, महापालिका में होगी, तो इस आधार पर कि इनका कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है उसी को सर्वेक्षण मानकर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में या दूरस्थ क्षेत्रों में रिक्शा-चालकों की जान की सुरक्षा के लिये उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिये उनके लिये कोई रहने की जगह बनाने पर विचार करेंगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

यह बहुत अच्छा सुझाव है इस पर विचार किया जायेगा ।

कृषि मंडी समिति हेतु भवन बनाने के लिये भूमि अधिग्रहीत के सम्बन्ध में कस्बा रामपुर मनीहारन, जिला सहारनपुर का प्रार्थना-पत्र

*9--श्री राम शरण दास--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 27 फरवरी, 1986 कस्बा रामपुर मनीहारन, जिला सहारनपुर के निवासियों के प्रार्थना-पत्र सहित, जो कृषि मण्डी समिति के लिये अधिग्रहीत की गयी भूमि को अधिग्रहीत न किये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे और उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां ।

उक्त पत्र में नवीन कृषि उत्पादन मंडी समिति के लिये अधिग्रहीत की गई भूमि में से कुछ खसरा नम्बरों को आबादी के आधार पर छोड़ने की संस्तुति की गयी है परन्तु भूमि के अधिग्रहण के समय वहाँ पर आबादी नहीं थी । अधिग्रहीत की गयी भूमि का मण्डी समिति को कब्जा भी प्राप्त हो गया है । अतः भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894 के प्राविधानों के अनुसार भूमि को छोड़ना सम्भव नहीं है ।

श्री राम शरण दास--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा मान्यवर, इसमें मुझे आपसे भी एक निवेदन करना है इसमें बहुत बड़ा घपला है इसलिए आप मुझे दो-तीन सवाल पूछने का अवसर दे दें, तो अच्छा होगा । मान्यवर, माननीय मन्त्री जी से पहले जो कृषि मन्त्री यशपाल जी थे इनका और लोकल अधिकारियों का समझौता हुआ और एक दस्तावेज लिखा गया और उस पर दस्तखत भी हुए, तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जो मन्त्री जी का और लोकल लोगों का एग्रीमेंट भी हुआ था वह क्या था ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जिस एग्रीमेंट का जिक्र माननीय राम शरण दास जी ने किया है उसकी जानकारी आज की तारीख में मुझे नहीं है ।

श्री रामशरण दास—

मान्यवर, यह मामला ऐसा है कि जब मैं परिषद् का सदस्य था तब भी मैंने इस मामले को वहां उठाया था। मान्यवर, इसमें मेहरबानी आप खुद करें क्योंकि इनसे तो हमें कोई उम्मीद है नहीं। यह मेरे घर के पास का मामला है आप मेरे साथ चलें विधान सभा का जो नक्शा है इसके दरवाजों में घूम सकते हैं लेकिन जो मण्डी समिति बनी है उसमें 32 घेराव हैं, जिन अधिकारियों को मान्यवर, पैसा मिल गया, जिसने अधिकारियों को पैसा दे दिया उसके खेत को छोड़ दिया गया और जिसने पैसा नहीं दिया उसका पूरा खेत ले लिया गया, 32 मोड़ इसमें हैं। भूरे लाल जो सेक्रेट्री जो थे उन्होंने इसमें जांच की थी लेकिन इस मामले को दबा दिया गया जिस तरह से इस मामले को दबाया गया है यह बहुत ही गलत बात है। आप कांग्रेस के तीन आदमियों को भेजकर इसको दिखवा लें। मंडी समिति के घेराव को देखें तो इस तरह की दूसरी बिल्डिंग संसार में कहीं नहीं मिलेगी तो इसकी जांच करा लें। जिनकी जमीन ली गई है उनको जमीन दिलवा दें। इसमें मान्यवर, बहुत ही घपला हुआ है।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

अधिग्रहण की कार्यवाही 1982 में हो गई उस समय कब्जे ले लिये गये।

जो मैंने बताया है वह जो मेरे पास जानकारी है उसके आधार पर बताया है, जैसा कि सम्मानित सदस्य रामशरण दास जी कह रहे हैं अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है तो उसको मैं दिखवा लूंगा। किसी को परेशान करने की कोई मंशा हमारी नहीं है।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, एग्रीमेंट देख लें और अगर उसमें ऐसी कोई बात है तो जमीन को छोड़ने की कृपा करेंगे ?

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि आबादी के आधार पर जमीन छोड़ने की संस्तुति की गयी थी लेकिन आबादी नहीं थी तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो यह बताया कि आबादी नहीं थी तो यह रिपोर्ट देने वाली एजेंसी कौन है ? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आबादी वहां थी या नहीं इसका पता करने के लिये वहां पर वोटर-लिस्ट होगी या मकान नंबर होंगे जिससे पता किया जा सकता है कि वहां आबादी थी या नहीं है। क्या आप इस आधार पर जांच कराके नागरिकों को भूमि छोड़ने का आश्वासन देंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, यह कार्यवाही 1979 में शुरू हुई, जो मेरे पास जानकारी है, उस समय मकान नहीं रहे होंगे। अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू हुयी तो उसके बाद इन्क्रोचमेंट किया गया होगा। 1982 में इसकी अधिसूचना हो गयी थी।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैंने पूछा था कि यह जांच किस आधार पर करायी गयी, जांच अधिकारी कौन था ? दूसरी बात मैंने पूछी है कि क्या जांच में इस बात को भी

समाहित किया गया कि वहां पर वोटर-लिस्ट या मकान नंबर थे। अगर इन बातों को जांच में समाहित नहीं किया गया तो जांच अपूर्ण है और क्या जांच पुनः करायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया जिस समय अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू हुयी उस समय मकान वगैरह नहीं थे उसके बाद लोगों ने इन्क्रोचमेंट किया होगा।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैंने यह कहा था कि आपने जांच किस एजेंसी से करायी है और क्या जांच में यह बिन्दु समाहित किये गये हैं कि मकान नं0 थे, वोटर लिस्ट में निवासियों के नाम थे, भाग संख्या आदि सब होंगे, तो क्या इस आधार पर जांच करायेंगे ? जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि इन्क्रोचमेंट हुआ होगा तो संभावना का यहां पर प्रश्न ही नहीं उठता है।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, इसमें संभावना का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। जिस समय अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू हुयी, मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक उस भूमि पर उस समय कोई मकान नहीं था। उसके बाद लोगों ने मकान बनाये हैं। इसका नोटीफिकेशन 1982 में हो गया है। लिहाजा अब इसको वापस करने की कोई सम्भावना नहीं है। अगर हमारे पूर्व कृषि मंत्री जी ने कोई एग्रीमेंट किया है और वह यहां पर है तो उसको दिखवा लेंगे अगर कोई गुंजाइश निकलती है तो जरूर मदद करेंगे।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव

*10--श्री राजेन्द्र शर्मा--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों तथा बुद्धिजीवियों की मांग को देखते हुये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब तक बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र शर्मा--

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना है कि प्रदेश को भौगोलिक व जलवायु के दृष्टिकोण से विभिन्न जोन्स में बांटा गया है और विभिन्न विश्वविद्यालय स्थापित किये गये हैं। पश्चिमी अंचल की भौगोलिक और जलवायु की जो स्थिति है पंतनगर विश्वविद्यालय की खोज वहां पर लागू नहीं होती तो किसानों के हित को देखते हुये, प्रदेश के विकास को देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी इस पर पुनः विचार करेंगे और मेरठ के अंदर एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने पर विचार करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, ऐसा है उत्तर प्रदेश जलवायु के हिसाब से 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं और यहां पर 3 कृषि विश्वविद्यालय हैं : मेरठ पंतनगर विश्वविद्यालय के क्षेत्र में है। मेरठ डिवीजन में मोदीपुरम में एक शोध केन्द्र है जिससे वहां के किसानों की जरूरतें पूरी होती हैं। वर्तमान में वहां पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ मंडल, आगरा मंडल, बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल की पैदावार पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुकाबले प्रति हेक्टेयर ज्यादा है। इसको मद्देनजर रखते हुये कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा अन्न पैदा हो सके, पश्चिम में खेती की उपयोगिता को देखते हुये क्या वहां पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने पर विचार करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि की जानकारी देने के लिये पर्याप्त सुविधा है और रिसर्च सेन्टर्स हैं। वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कृषि की जानकारी हेतु जिस प्रकार से दूसरे मंडलों में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं उसी तरह से लखनऊ मंडल में कोई कृषि विश्वविद्यालय खोलने पर विचार करेंगे ? यहां जमीन भी उपलब्ध है और हमने लिखकर भी दिया है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न दूसरे मंडल का है।

श्री राजेन्द्र शर्मा--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि दौराला तक जो पंतनगर का कैम्पस लगाया गया है वह वहां की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है। तो क्या इन चीजों को देखते हुये बी0 बी0 कालेज, बड़ौत तथा के0 बी0 कालेज, माछरा को शिक्षा के क्षेत्र में और दौराला को अनुसंधान के क्षेत्र में मान्यता देने का कष्ट करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, दौराला में अनुसंधान कार्य पूरी तरह से हो रहा है। अगर उसको स्ट्रेन करने के लिये आप कोई सुझाव हों तो दे दें। उसे मैं और दिखवा लूंगा।

गोरखपुर के सहजनवां कस्बे में पेयजल की आपूर्ति हेतु योजना

*11--श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में सहजनवां नामक स्थान पर पेय जल की आपूर्ति के लिए कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो दिनांक 26-1-88 तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जनपद गोरखपुर के तहसील गोरखपुर सदर के अन्तर्गत सहजनवां ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना अनुमानित लागत रु0 3.70 लाख का प्राक्कलन वर्ष 1972-73 में विरचित किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत 3 ग्राम अर्थात् केशवपुर, पिपरा एवं लुचई सम्मिलित थे। परन्तु सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण शासन की नीति के अनुसार पाइप के स्थान पर इंडिया मार्क-2 हैण्ड पम्प द्वारा पेयजल व्यवस्था की गई है। इन ग्रामों में क्रमशः 2, 5 व 2 इंडिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीया मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि वर्ष 1972-73 में 3.70 लाख का प्राक्कलन तैयार किया गया था लेकिन आज 14 वर्ष के अन्तराल में भी उस योजना को लागू न होने का क्या कारण है? दूसरी बात मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय सहजनवां तहसील का हेडक्वार्टर है और वहां की आबादी 25 हजार से ऊपर है फिर भी इस योजना को लागू करने में क्या दिक्कत है और कब तक लागू कर दिया जायेगा?

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, जैसा कि उत्तर में मैंने कहा कि संसाधन सीमित है इसलिये यह योजना लागू नहीं हो सकी और हमने गांवों में शासन की नीति के अनुसार कुछ हैंड पम्प लगाकर पानी की व्यवस्था करी हुई है। उसमें से केशवपुर में 2 हैन्ड पम्प, पिपरा में 5 हैंडपम्प और लुचई में 2 हैंडपम्प लगाये गये हैं।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सहजनवां तहसील हेडक्वार्टर है और वहां की आबादी 25 हजार से ऊपर है और उसे टाउन एरिया बनाने के लिए जिलाधिकारी ने प्रस्तावित किया है, तो इस योजना को कब तक लागू कर दिया जायेगा?

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, टाउन एरिया के लिए प्रस्ताव आया है उसको देखा जा रहा है जब टाउन एरिया बन जायेगा तो इसको लागू कर दिया जायेगा।

जनपद बलिया के किसानों द्वारा ली गई खादों पर छूट न दिये जाने के कारण

*12--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय एवं श्री मैनेजर सिंह (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के किसानों द्वारा गत वर्ष जो खाद ली गयी थी उसकी सब्सिडी (छूट) अभी तक नहीं दी गयी? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

गत वित्तीय वर्ष में कोई छूट (सब्सीडी) खाद पर नहीं दी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

*13--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

प्रदेश में कैट स्केन चिकित्सालय सुविधा के अभाव में प्रति वर्ष हजारों लोगों की मृत्यु

*14--श्री हर्ष वर्धन (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि मस्तिष्क विकार के निदान हेतु 'कैट स्केन' चिकित्सीय सुविधा प्रदेश में उपलब्ध न होने के कारण प्रति वर्ष हजारों व्यक्तियों की उपचार के अभाव में मृत्यु हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार कैट स्केन चिकित्सीय सुविधा की व्यवस्था अविलम्ब उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

यह कहना सही नहीं है कि कैट स्केन चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण प्रति वर्ष हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है । कैट स्केन एक डायग्नोस्टिक सुविधा है जो मस्तिष्क का कुछ ही बीमारियों जैसे ब्रेन ट्यूमर, ब्लड क्लाट, सेरीब्रल हेमरेज में सहायक होती है । सरकार द्वारा कैट स्केन की सुविधा प्रदेश के के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में उपलब्ध करायी जा चुकी है ।

कृषि विभाग के श्रेणी दो के चौवालिस अधिकारियों की श्रेणी एक में पदोन्नति में हुई लापरवाही

*15--श्री विष्णु देव--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 3-8-86 को प्रदेश में श्रेणी 2 के 44 अधिकारियों की पदोन्नति श्रेणी-1 में की गयी है और उन अधिकारियों की भी पदोन्नति कर दी गयी है जिनके विरुद्ध कई जनपदों में भ्रष्टाचार, अनियमितता, अधिकार दुरुपयोग आदि की शिकायतें हैं और कतिपय शिकायतें सत्यापित भी हो गयी है और जांच लम्बित है ? यदि हां, तो वे अधिकारी कौन हैं ? क्या शासन पुनर्विचार करके उन्हे रिवर्ट करने एवं आहरण वितरण अधिकार से च्युत करने पर विचार कर रहा है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां । दिनांक 3 अगस्त, 1986 को श्रेणी-2 के 44 अधिकारियों की पदोन्नतियां उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-1 सेक्शन "बी" में की गयी । इन अधिकारियों की पदोन्नति विभागीय चयन समिति की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में की गयी । नियमानुसार केवल शिकायतों के आधार पर किसी की पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती । पदोन्नति के समय सी0 सी0 ए0 नियमों के अन्तर्गत चल रही कार्यवाही का ध्यान रखा जाता है । पदोन्नति के समय केवल एक अधिकारी श्री के0 पी0 सिंह के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में निर्णय नहीं लिया जा सका था किन्तु उन्हें चयन समिति की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में श्रेणी-1 में पदोन्नत किया गया था जो दिनांक 31 दिसम्बर 1986 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं । इसके अतिरिक्त दो अधिकारी सर्वश्री ए0 पी0 श्रीवास्तव एवं आत्मा राम के विरुद्ध शिकायतें थी । इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का निर्णय क्रमशः दिनांक 17 जून, 1987 एवं दिनांक 7 अक्तूबर, 1987 को लिया गया । श्री श्रीवास्तव

के विरुद्ध चल रही अनुशासनिक कार्यवाही में शासन के आदेश दिनांक 28 सितम्बर, 1987 द्वारा उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए सवेतन बहाल किया गया । श्री आत्माराम के मामले में जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

श्री विष्णु देव--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि क्या जिन 44 अधिकारियों की प्रोन्नति की गयी है उसमें आत्माराम भी हैं जिनको प्रमोशन के पहले प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी थी, यदि हां तो इस तथ्य को छिपाकर उनका प्रमोशन कैसे किया गया ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि आत्मा राम के मामले में अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी है जैसे ही जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी, हम आपको अवगत करा देंगे और उस पर निर्णय लिया जायेगा ।

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय प्रश्नकर्ता जी ने स्पष्ट प्रश्न पूछा था कि एक सम्बन्ध में जिनमें प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी थी उसके बावजूद उसको मद्देनजर न रखते हुये प्रोन्नति दे दी गयी । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रश्नकर्ता के सन्देह को ध्यान में रखते हुये कि इन प्रोन्नतियों में गम्भीर भ्रष्टाचार बरता गया, इन पूर्ण प्रोन्नतियों की निष्पक्ष जांच कराने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

अगर कोई तथ्य माननीय सदस्य अवगत करा देंगे, जानकारी दे देंगे, तो जरूर जांच करा लेंगे ।

श्री शारदा नन्द अंचल--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि आत्माराम के विरुद्ध जांच चल रही है, मैं जानना चाहता हूं नम्बर एक-आत्मा राम के विरुद्ध कितने शिकायती-पत्र मिले हैं । दूसरी बात यह है कि कब तक वह निश्चित समय होगा जिस दिन शिकायत पर जांच की कार्यवाही पूरी हो जायगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैंने कहा कि जांच चल रही है, जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जायगी, वैसे ही उसको जल्दी कराने के लिये कह देंगे । हम उसको जल्दी कराने के लिये कह देंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि देने के बाद यह काम हुआ है, इसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे और यह जो अवैधानिक पदोन्नति की गयी, क्या इसको निरस्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

गोरखपुर मेडिकल कालेज की पी0 जी0 डिप्लोमा कोर्स का कोटा न एलाट करने की दशा में निजी व्यय पर कोर्स कर रहे छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाना

*16--डाक्टर बंगाली सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल कालेज, गोरखपुर को पी0 जी0/डिप्लोमा कोर्स का कोटा इस वर्ष के लिये निदेशक स्वास्थ्य द्वारा आवंटित नहीं किया गया है और इस कारण पी0 जी0/डिप्लोमा के लिये चुने गये छात्रों को पाठ्यक्रम से वंचित होना पड़ा है ? क्या कुछ छात्र अपने खर्चे पर पी0 जी0/डिप्लोमा कर रहे हैं ? क्या इन छात्रों को अन्य मेडिकल कालेज के छात्रों की तरह स्टाईपेन्ड देने पर अविलम्ब विचार करेंगे और उक्त मेडिकल कालेज का कोटा निर्धारित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

प्रदेश के समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों में पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिये सीटों की संख्या शासन द्वारा पहले से निर्धारित है। निदेशक को इन सीटों की संख्या में किसी परिवर्तन या वृद्धि करने का अधिकार नहीं है। अतः निदेशक द्वारा मेडिकल कालेज, गोरखपुर के लिये इस वर्ष के कोटे का आवंटन एवं अन्य प्रासंगिक प्रश्न नहीं उठता है। मेडिकल कालेज गोरखपुर के लिये शासन द्वारा निर्धारित पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की संख्या में प्रवेश दिये जाने के अतिरिक्त कतिपय अभ्यर्थियों ने माननीय न्यायालय के आदेशों से पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिये हैं जिनके लिये छात्रवृत्ति का प्राविधान नहीं है।

उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट प्रशिक्षण केन्द्र की संख्या

*17--श्री राज किशोर सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट प्रशिक्षण केन्द्र कितने हैं और किन-किन जिलों में हैं ? क्या इन केन्द्रों को सरकारी सहायता के रूप में अनुदान निकट भविष्य में शासन प्रदान करने पर विचार कर रहा है और इन केन्द्रों में कार्यरत अध्यापकों का वेतनमान पुनरीक्षित करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

उत्तर प्रदेश में फार्मेसिस्ट प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या छः है। इनमें से एक-एक जौनपुर, चमोली, मेरठ तथा गाजियाबाद में एवं दो वाराणसी में हैं। इन्हें अनावर्तक अनुदान भारतीय चिकित्सा परिषद् से प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृत किया जाता है। चालू वर्ष मे ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक शासन को प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त सभी केन्द्र प्राइवेट संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं। इन संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों के वेतनमान शासन द्वारा निर्धारित नहीं हैं इसलिये इनके वेतनमान पुनरीक्षित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

*18—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[6वें सोमवार में ता0 प्र0 सं0 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

चयन समिति में प्रतिनिधित्व पाने के लिए अतिरिक्त निदेशक शिक्षा प्रशिक्षण के पद पर किसी आरक्षित अनुसूचित जाति के अधिकारी की नियुक्ति

*19—श्री राम सागर तथा श्री चेत राम—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे किसी अनु0 जाति अथवा जनजाति या पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी को अति0 निदेशक शिक्षा प्रशिक्षण में नियुक्त करते हुए उसे अधिष्ठान देने की कृपा करेंगे जिनसे कि चयन समितियों के लिए एक उक्त वर्ग का स्थायी सदस्य मिल सके एवं बनाई जाने वाली चयन समितियों में उसका सक्रिय सहयोग रह सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के कार्यालय में अपर निदेशक के दो पद हैं जो प्रोफेसर स्तर के शिक्षकों द्वारा विकल्प देने के पश्चात् भरे गये हैं । अतः इन्हें किसी वर्ग विशेष से भरा जाना उचित नहीं है ।

जहां तक चयन समितियों में अनुसूचित जाति के सदस्य के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है उनमें नियमानुसार इस समुदाय के सदस्य को यथा सम्भव प्रतिनिधित्व दिया जाता है तथा भविष्य में भी दिया जाता रहेगा ।

प्रदेश के आलू उत्पादकों को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य पाने हेतु प्रदेश से बाहर अन्य प्रदेश के बाजारों में ले जाने की अनुमति

*20—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आलू उत्पादकों (कृषकों) के उत्पादनों को अच्छी कीमत प्रदान कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों के कृषि मण्डियों में (अन्तर प्रदेशीय बाजार) जैसे बिलासपुर, मध्य प्रदेश, पूना, बम्बई, महाराष्ट्र, जमशेदपुर, टाटानगर, बिहार, भिलाई एवं कलकत्ता शहरों में उत्तर प्रदेश के किसानों की आलू बेचने एवं उसके ले जाने तथा उनके भेजने हेतु अन्य प्रदेशों की सरकारों से कोई समझौता किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बताना चाहेगी कि ऐसा समझौता किन-किन राज्यों से प्रस्तावित है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

लखनऊ में विकास प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही टिकैत राय हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत भवनों को दो मंजिल का बनाया जाना

1—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा टिकैतराय हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत बनने वाले तथा वर्ष 86 में एलाट हो चुके एम0 आई0 जी0 हायर परचेज हाउस के भवन मात्र भूतल के ही बनवाये जायेंगे अथवा भविष्य में भूतल के ऊपर भी एक मंजिल लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बनवा कर उसे अन्य किसी को एलाट किये जाने का प्राविधान रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश जल निगम की अधीक्षण अभियन्ता प्रकल्प के सरकारी कार्यों का विवरण

2—श्री त्रिभुवन प्रसाद—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के प्रथम गुरूवार के अता0 प्र0 सं0 94 के उत्तर के क्रम में क्या नगर विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता (प्रकल्प) द्वारा कौन सा तकनीकी कार्य अथवा किन तकनीकी कर्मचारियों का अधिष्ठान कार्य देखा जाता है ? यदि कोई तकनीकी कार्य नहीं देखा जाता है, तो क्या यह कार्य किसी प्रशासनिक अधिकारी से कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

अधीक्षण अभियन्ता (प्रकल्प) द्वारा वर्तमान में उत्तर प्रदेश जल निगम का कोई तकनीकी कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि जल निगम के लिपिक वर्ग कार्य प्रभारी अधिष्ठान एवं मस्टर रोल के कर्मचारियों का अधिष्ठान कार्य लिखा जा रहा है ।

जल निगम एक स्वायत्तशासी संस्था है । वह यह कार्य किसी प्रशासनिक अधिकारी से कराना आवश्यक नहीं समझता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा इसे आवश्यक नहीं समझा गया ।

विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद् की भांति उत्तर प्रदेश जल निगम में भी प्रशासनिक अधिकारी को अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य

3—श्री त्रिभुवन प्रसाद—

क्या नगर विकास मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उनके अधीनस्थ विकास प्रा0 एवं आवास विकास परिषद् संस्थाओं में, जहां कि समस्त कार्य तकनीकी ही है, का अधिष्ठान

एवं अन्य शिकायतों तथा सेवा मामले प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ही देखे जाते हैं ? यदि हां, तो जल निगम में यह कार्य अभिन्ताओं से क्यों सम्पादित कराये जाते हैं ? क्या आवास एवं विकास परिषद् एवं विकास प्राधिकरण की ही भांति तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामले प्रशासनिक अधिकारियों से ही कराये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

मुख्यालय स्तर पर प्रायः प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा देखे जाते हैं ।

अभियन्ताओं द्वारा यह कार्य सुचारु रूप से चलाये जाने के कारण जल निगम ने यह कार्य प्रशासनिक अधिकारियों से कराये जाने की आवश्यकता नहीं समझी है ।

जी नहीं । जल निगम इसे आवश्यक नहीं समझता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जल निगम, उत्तर प्रदेश आवास परिषद् एवं प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरण भिन्न-भिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत गठित किये गये हैं तथा इनके उद्देश्य एवं कार्य की प्रकृति में भी भिन्नता है अतः जल निगम ने अपने यहां उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् तथा विकास प्राधिकरण की कार्मिक प्रबन्ध की प्रणाली अपनाये जाने की आवश्यकता नहीं समझी है ।

शाहजहांपुर नगर के बहादुरगंज में उपमंडी घोषित करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

4--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर नगर में बहादुरगंज को उपमण्डी स्थल घोषित किए जाने के बारे में प्रश्नकर्ता का कोई मांग पत्र 8 अक्तूबर, 1987 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन उन्हें मिला ? यदि हां, तो उपमण्डी स्थल घोषित किए जाने के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां ।

वर्तमान में बहादुरगंज को उपमण्डी स्थल घोषित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

लखनऊ नगर के बलरामपुर अस्पताल में रैन बसेरा विषयक पत्र पर कार्यवाही

5--श्री शारदा प्रताप--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का बलरामपुर अस्पताल में रैन बसेरा बनाने के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 29 अक्तूबर, 1986 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में कम से कम चार रैन बसेरा कब तक निर्मित करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में रैन बसेरा बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29 अक्तूबर, 1985 प्राप्त हुआ था। उपर्युक्त अस्पताल में तीन रैन बसेरा पहले ही से विद्यमान है, जिनको उपयोग में लाया जा रहा है। एक और रैन बसेरे का निर्माण आवश्यक परिव्यय फिलहाल उपलब्ध न होने के कारण सम्भव नहीं है।

निर्वाचन क्षेत्र सरोजनीनगर लखनऊ के अन्तर्गत वर्ष 1986 में कतिपय ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति

6--श्री शारदा प्रताप--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम हरौनी, बेहटा, फतेहगंज एवं चन्द्रावल में वर्ष 1986-87 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलकर डाक्टरों की तैनाती एवं अन्य चिकित्सा सामग्री तथा दवाइयां उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सरोजनीनगर, लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम फतेहगंज हरौनी एवं चन्द्रावल में वर्ष 1985-86 में एवं बेहटा में वर्ष 1986-87 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी थी और यहां पर चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति भी हुई थी। जिनमें से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चन्द्रावल एवं बेहटा के चिकित्साधिकारियों के पदोन्नति पर स्थानान्तरण हो गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहगंज एवं हरौनी में चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं और उन्हें दवाइयां एवं अन्य चिकित्सा सामग्री उपलब्ध है।

वर्तमान सहकारी वर्ष में आगरा मन्डल से प्रदेश स्तर पर स्थानान्तरित सहकारी पर्यवेक्षक

7--श्री कुशल पाल सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस सहकारी वर्ष में आगरा मंडल के अन्तर्गत उ0 प्र0 स्तर तथा मंडलीय स्तर से कोई सहकारी पर्यवेक्षकों के स्थानान्तरण किये गये थे ? यदि हां, तो उनमें से कितनों को कार्यभार मुक्त कर दिया गया, कितने कार्यभार से मुक्त होने शेष हैं ? उनको अभी तक कार्यमुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)--

जी हां। आगरा मंडल के अन्तर्गत उ0 प्र0 स्तर से किसी भी सहकारी पर्यवेक्षक का स्थानान्तरण नहीं किया गया। मन्डल स्तर से 58 पर्यवेक्षकों का स्थानान्तरण प्रश्नगत वर्ष में किया गया है। इनमें से 31 पर्यवेक्षकों को कार्यमुक्त किया जा चुका है तथा शेष 27 पर्यवेक्षकों को अभी कार्यमुक्त नहीं किया गया है।

सूखा राहत एवं खाद बीज वितरण के कार्य में संलग्न होने के कारण अभी उक्त 27 पर्यवेक्षकों को कार्यमुक्त नहीं किया गया है ।

तहसील मांट, जिला मथुरा में कतिपय गांवों में लगाये गये राजकीय नलकूपों के पानी के पूर्व परीक्षण में की गई लापरवाही

8--श्री कुशल पाल सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मांट क्षेत्र जनपद मथुरा में लोहई सामौली, राधेरा, एदलगढ़ी पेयजल योजना में पहले लगाये गये ट्यूबवेलों के पानी का परीक्षण कराया गया था ? यदि हां, तो इन खारी व वायु पैदा करने वाले पानी के ट्यूबवेलों पर सरकारी धन का दुरुपयोग कर पूरा कराने का क्या औचित्य था ? क्या यह सही है कि इन पेयजल योजनाओं में उसी गांव में एक-एक ट्यूबवेल पुन: लगाये गये हैं जिनका पानी मीठा है ? यदि हां, तो खारे पानी के ट्यूबवेलों पर किये गये धन के दुरुपयोग करने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जनपद मथुरा में लोहई भालई पेयजल योजना के अन्तर्गत नलकूप बनाया गया है । नलकूप निर्माण के समय इस नलकूप के पानी का परीक्षण आगरा जल संस्थान, आगरा से कराया गया था एवं उचित गुणता का पानी प्राप्त होने पर ही नलकूप 1984 में चालू किया गया था । जनपद मथुरा में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर नलकूप का पानी बाद में खारा हो जाता है । इस नलकूप के साथ भी यही स्थिति सामने आयी । इस योजना पर एक नलकूप और बनवाया जा चुका है जिसका पानी मीठा है । इस नलकूप नं0 2 को 11/87 में चालू कर दिया गया है ।

अभिलेखानुसार राधेरा नाम की कोई योजना नहीं है । संभवत: राधेरा से तात्पर्य रान्हेरा ग्राम समूह पेयजल योजना से है । रान्हेरा योजना के अन्तर्गत एक नलकूप का निर्माण 1984 में कराया गया था । इस योजना के अन्तर्गत द्वितीय नलकूप का निर्माण कराया गया है, परन्तु यह अभी चालू नहीं है । दोनों नलकूपों का पानी ठीक है । टेटी गांव पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्राम समौली में नलकूप का निर्माण 1984 में कराया गया था जिसका पानी खारा हो गया है और इस योजना में एक और नलकूप बनाया जा चुका है, जिसका पानी मीठा है । एदलगढ़ी सुल्तानपट्टी ग्राम समूह पेयजल योजना के ग्राम सुल्तानपट्टी का नगला है जिसमें एक नलकूप 1984 में बनाया गया है जिससे पेयजल आपूर्ति की जा रही है ।

उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि नलकूपों के निर्माण का कार्य तभी किया गया जबकि उसका पानी परीक्षण कराने से उचित गुणता का पाया गया । अत: सरकारी धन के दुरुपयोग अथवा अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील मांट, जनपद मथुरा के भदनवारा में विश्व बैंक द्वारा स्थापित किये जा रहे सहकारी गोदाम के निर्माण में विलम्ब

9--श्री कुशल पाल सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी में है कि प्रश्नकर्ता ने उन्हें दिनांक 29 जून, 1987 को एक प्रार्थना-पत्र भदनवार, तहसील मांट, जनपद मथुरा में विश्व बैंक द्वारा निर्मित किये जा रहे सहकारी गोदाम को दो वर्ष से ज्यादा समय में भी पूरा न कराने के बारे

में दिया था ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब शुरू किया गया और कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? क्या यह सही है कि उक्त गोदाम की दीवारें आंधी से गिर गई थीं ? यदि हां, तो क्या ऐसी कमजोर इमारत बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शक्ति नगर, लखनऊ में नगर महापालिका द्वारा सड़कों को पक्का किया जाना

10--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका का विस्तार हो जाने के फलस्वरूप शक्ति नगर नगरपालिका सीमा के भीतर आ गया है और वहां की छोटी-छोटी गलियों को पक्का करके विकास के कार्य किये गये ? यदि हां, तो फिर उक्त मोहल्ले के पुराने मुख्य मार्ग को कब तक पक्का बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पदमा सेठ--

जी हां । प्रश्नगत क्षेत्र फरवरी, 1987 में लखनऊ नगर महापालिका के क्षेत्र में आया है ।

प्रश्नगत क्षेत्र की गलियों में महापालिका द्वारा कोई खड़न्जा नहीं लगाया गया है । प्रश्नगत क्षेत्र गलियों का भूमि प्राइवेट लोगों की होने के कारण जब तक उसका हस्तान्तरण महापालिका को न कर दिया जाय, उस समय तक कोई विकास कार्य किया जाना सम्भव नहीं है ।

मेसर्स शरद शीत गृह एन्ड आइस फैक्टरी आशापुर कस्बा टांडा, फैजाबाद के वर्ष 1981 से लाइसेन्स का नवीनीकरण न होना

11--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार को जानकारी है कि मेसर्स शरद शीत गृह एन्ड आइस फैक्टरी आशापुर, कस्बा टान्डा जनपद फैजाबाद के लाइसेन्स का नवीनीकरण वर्ष 1981 से नहीं हुआ है और उसके बावजूद उक्त शीत गृह में आलू का भन्डारण किया जाता है ? यदि हां, तो इस बारे में पूरे तथ्यों और अब तक की कुछ कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखने में शासन को क्या कठिनाई है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मेसर्स शरद शीत गृह एन्ड आइस फैक्ट्री आशापुर, कस्बा-टान्डा, जनपद फैजाबाद का लाइसेन्स वर्ष 1987 तक नवीनीकृत है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

निदेशक कृषि विपणन के आदेश संख्या 5043 दिनांक 5 जनवरी, 1987 को निरस्त किए जाने के सम्बन्ध में जानकारी

12--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि विपणन निदेशक/राज्य कृषि विपणन अधिकारी के आदेश सं0 5043/प्र0 अ0, 21, 3, 81/86, 87 दिनांक 5 जनवरी

1987 को निरस्त करने विषयक माननीय कृषि मंत्री उ0 प्र0 को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23 जून, 1987 मिल गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है और उस आदेश को निरस्त करने में शासन को क्या कठिनाई है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां ।

निदेशक मन्डी से विस्तृत आख्या अपेक्षित है ।

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि मण्डी परिषद् में तीन साल से लगातार सेवारत कर्मचारियों का स्थायीकरण

13-श्री कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी परिषद् में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें तीन वर्ष से ज्यादा कार्य करते हुए हो गये हैं और उन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों तथा उन्हें कब तक स्थायी किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद इलाहाबाद के तहसील करछना के ग्राम देहली भगेसर साधन सहकारी समिति इन्चार्ज श्री अम्बिका तिवारी द्वारा लाखों रुपये का गबन एवं पद का दुरुपयोग

14--श्री कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि तहसील करछना, जिला इलाहाबाद में ग्राम देहली भगेसर साधन सहकारी समिति का चार्ज अम्बिका तिवारी के पास था और उन्होंने लाखों रुपये का घोटाला एवं गबन किया है तथा उन्होंने अपने पुत्र को साधन समिति अन्तहिया एवं साधन सहकारी समिति पुरैनी में विक्रेता के पद पर नियुक्त करा लिया है एवं चीनी को चोर बाजारी में विक्रय कर देता है ? क्या मंत्री जी जांच करायेंगे और उनके तथा वहां के अधिकारियों को जिसकी सीधी जिम्मेदारी है, उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी नहीं ।

तहसील करछना, जिला इलाहाबाद में देहली भगेसर साधन सहकारी समिति नहीं है, अपितु किसान सेवा सहकारी समिति लि0, देहली भगेसर नाम की समिति है । श्री अम्बिका प्रसाद तिवारी के पास समिति का चार्ज नहीं था । श्री तिवारी द्वारा किए गए [illegible]ले एवं गबन का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है ।

श्री अम्बिका प्रसाद तिवारी के पुत्र श्री छविनाथ तिवारी साधन सहकारी समिति लि0, पुरैनी में दिनांक 15 दिसम्बर, 1983 से 31 दिसम्बर, 1985 तक विक्रेता के पद पर कार्यरत रहे । इनकी नियुक्ति प्रशासकीय बैठक के निर्णयानुसार इनके अनुभव

को देखते हुए की गई थी। इनके विरुद्ध चीनी की चोर बाजारी का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

जांच कराने पर यह ज्ञात हुआ कि चीनी की चोर बाजारी का केस अगस्त, 85 में अन्तहिया सामन सहकारी समिति लि0, में हुआ था, जिसमें दोषी पाये गए सचिव श्री बद्री विशाल शुक्ल एवं सहायक विकास अधिकारी (सह0) करछना श्री हीरा राम पाण्डेय के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा दी गई है। श्री बद्री विशाल शुक्ल को निलम्बित कर दिया गया है।

जनपद मुरादाबाद में अगेती आलू के मद में स्वीकृत पांच लाख सत्तर हजार रुपये का जिला उद्यान अधिकारी द्वारा दुरुपयोग

15—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद के सूखा राहत कार्यों के लिए स्वीकृत धनराशि में एक मद कृषि निवेश अगेती आलू की भी थी जो 5 लाख 70 हजार रुपये की थी ? क्या इस धनराशि का जिला उद्यान अधिकारी द्वारा दुरुपयोग किये जाने सम्बन्धी अनियमितता की शिकायत के एक पत्र दिनांक 1 अक्तूबर, 1987 द्वारा जिलाधिकारी से की गयी ? क्या यह सही है कि जनपद के 19 विकास खंडों में से केवल दो विकास खंडों, गजरौला और अमरोहा में ही अनुदान वितरित किया गया ? यदि हां, तो सरकार दोषी उद्यान अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जनपद मुरादाबाद के लिए आलू की अगेती फसल हेतु 7 लाख 20 हजार रुपये की धनराशि शासन से स्वीकृत की गयी।

व्यवस्था सुधारने के सम्बन्ध में एक पत्र 9 अक्तूबर, 1987 जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ।

यह सही नहीं है कि 19 विकास खंडों में से केवल 2 में ही अनुदान वितरित किया गया। मुरादाबाद जनपद के 13 विकास खंडों के 1398 कृषकों को अनुदान वितरित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जमुना प्रसाद मदन गोपाल राइस मिल्स बिलसंड़ा, जिला पीलीभीत को कृषि उत्पादन मंडी, उत्पादन समिति द्वारा मंडी शुल्क की वापसी कार्यवाही

16—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जमुना प्रसाद मदन गोपाल राइस मिल्स, बिलसंडा, जिला पीलीभीत को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मंडी शुल्क वापस करने सम्बन्धी उपरोक्त व्यक्तियों का कोई मांग-पत्र प्रश्नकर्त्ता के उपरिपत्र के साथ निदेशक कृषि उत्पादन मंडी समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सितम्बर, 1987 के पहले पखवारे में मिला ? यदि हां, तो क्या शुल्क वापस किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक वापस कर दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

जी नहीं ।

मंडी परिषद् निदेशक द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

सहायक निरीक्षक हिलौली कृषि बीज भंडार के सहायक निरीक्षक के विरुद्ध शिकायत की जानकारी

17—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के हिलौली कृषि बीज भंडार के सहायक निरीक्षक को अक्तूबर, नवम्बर, 1987 में उप निदेशक कृषि उन्नाव द्वारा निलम्बित कर दिया गया था ? यदि हां, तो आरोप क्या थे ? क्या इन्हीं कर्मचारी के विरुद्ध मौरावां थाने में भ्रष्टाचार का मुकदमा वर्ष 1985–86 में पंजीकृत हुआ था ? क्या इन्हीं सहायक निरीक्षक के विरुद्ध प्रश्नकर्ता ने माननीय मंत्री से मिलकर एक शिकायती–पत्र माह अगस्त, 1987 में दिया था ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या राज्य मंत्री कृषि को भी माह अगस्त, 1987 में एक शिकायती–पत्र उक्त अधिकारी के विरुद्ध दिया गया था ? यदि हां, तो इस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

आरोप निम्नलिखित थे :

(1) दिनांक 20 अक्तूबर, 1987 से ड्यूटी से फरार हो जाना ।

(2) फरार होने के फलस्वरूप रबी अभियान के समय बीज/उर्वरक वितरण का कार्य अवरुद्ध हो जाना ।

जी हां ।

जी हां । उस पर जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश कृषि निदेशक को दिनांक 2 सितम्बर, 1987 को भेज दिये गये । निदेशक से आख्या अपेक्षित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी में विकास खंडवार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं का स्थायीकरण

18—श्री राज किशोर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में विकास खंडवार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वर्तमान समय में कितनी स्वास्थ्य निरीक्षिकायें कार्यरत हैं और उनमें से किन–किन की सेवायें स्थायी कर दी गयी हैं और अभी किन–किन का स्थायीकरण होना शेष रह गया है ? क्या वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग में ऐसी भी स्वास्थ्य निरीक्षिकायें हैं जिनका सेवाकाल लगभग बीस वर्ष हो चुका है किन्तु वे अभी तक स्थायी नहीं की गयीं हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में कार्यरत प्रोफेसरों में अनुसूचित जाति का कोटा

19--श्री मित्रसेन--

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोशियेट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद पर कितने व्यक्ति कार्यरत हैं तथा उनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों का क्या प्रतिशत है ? क्या यह सरकार द्वारा निर्धारित कोटे के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में प्रोफेसर, एसोशियेट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत व्यक्तियों की संख्या एवं प्रतिशत निम्न-लिखित तालिका में उनके सम्मुख अंकित है :

क्रम-संख्या	पद का नाम	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों की संख्या	
			संख्या	प्रतिशत
1	प्रोफेसर	14	शून्य	शून्य
2	एसोशियेट प्रोफेसर	51	2	3.84
3	असिस्टेंट प्रोफेसर	109	1	0.99

जी नहीं ।

उक्त पदों हेतु निर्धारित अर्हता एवं पात्रता रखने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों का उपलब्ध न होना ।

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को उन महत्वपूर्ण विषयों में ही प्रवेश दिये जाने का कारण

20--श्री मित्रसेन--

क्या कृषि मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में अनुसूचित/जनजाति के छात्र अभ्यर्थियों को समान रूप से सभी ग्यारह विषयों में प्रवेश न देकर मात्र एक या दो अमहत्वपूर्ण विषयों में ही प्रवेश दिया जाता है जैसा कि सत्र 1985-86 एवं 1986-87 में किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज फैजाबाद के वित्तीय वर्ष 1986-87 में प्रदेश एवं केन्द्र सरकार से मिलने वाली सहायता एवं उसका उपयोग

21--श्री मित्रसेन--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक वि0 वि0, कुमारगंज, फैजाबाद का वित्तीय वर्ष 1986-87 के कुल बजट की धनराशि क्या थी और प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकार का अलग-अलग वित्तीय पोषण क्या था ? क्या वित्तीय स्वीकृति की सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो अवशेष धनराशि क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

विश्वविद्यालय की प्रबन्ध परिषद् द्वारा अनुमोदित कुल धनराशि रु0 557.48 लाख मात्र थी । प्रदेश सरकार एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा क्रमशः रु0 350.28 लाख मात्र तथा रुपये 1,25,70,503.00 मात्र का वित्तीय पोषण किया गया था ।

जी नहीं ।

राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि में से रुपये 2,07,908.00 मात्र तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा स्वीकृत धनराशि में से रु0 17,24,500 अवशेष रहा । विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 212 पर ।)

22--श्री मित्रसेन--

[विश्वविद्यालय के दैनिक प्रशासन से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।]

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के कार्य एवं संयंत्र विभाग पादप प्रजनन एवं अनुवांशिकी तथा कीट विज्ञान की स्थापना की अवधि एवं उसमें कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या

23--श्री मित्रसेन--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद में कार्यरत कार्य एवं संयंत्र विभाग पादप प्रजनन एवं अनुवांशिकी अनुभाग उद्यान विभाग तथा कीट विज्ञान विभाग की स्थापना कब-कब हुयी थी तथा प्रत्येक विभाग व अनुभाग में कितने-कितने मजदूर कितने समय से कार्यरत हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद में कार्यरत कार्य एवं संयंत्र विभाग, पादप प्रजनन एवं अनुवांशिकी विभाग उद्यान विभाग तथा कीट विज्ञान विभाग की स्थापना की तिथि उनमें कार्यरत मजदूरों की संख्या तथा उनकी कार्यावधि निम्नलिखित तालिका में उनके सम्मुख अंकित हैं :--

विभाग का नाम	स्थापना की तिथि	मजदूरों की संख्या	अवधि
1	2	3	4
कार्य एवं संयंत्र विभाग	वर्ष 1977-78	5	जून, 1981 से 1
			जून, 1984 से 1
			दिसम्बर, 1984 से 1
			जनवरी, 1987 से 2
			योग .. 5
पादप प्रजनन एवं अनुवांशिकी विभाग	अक्टूबर, 1978	शून्य	..
उद्यान विभाग	तदेव	तदेव	..
कीट विज्ञान विभाग	तदेव	तदेव	..

श्री बच्ची लाल सिंह पुत्र चुन्नी लाल, ग्राम कंठीपुर, विकास खंड चित्रकूट, जिला बांदा द्वारा सेवा अभियन्ता बांदा के विरुद्ध भेजी गई शिकायत

24--श्री राम सजीवन--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री बच्ची लाल सिंह पुत्र श्री चुन्नी लाल, ग्राम कंठीपुर, ब्लाक चित्रकूट, जिला बांदा ने जिलाधिकारी बांदा को 1 जून, 1987 को प्रार्थना-पत्र भेजकर शिकायत की है कि निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत पम्पिंग सेट एवं सहायक सामग्री की पूर्ति में सेवा अभियन्ता एग्रो बांदा द्वारा मनमानी धांधली एवं अनियमितताएं की गई हैं ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही न करने एवं प्रार्थी को राहत न पहुंचाने के क्या कारण हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र में अंकित शिकायतों की जांच परियोजना अधिकारी (कृषि) बांदा द्वारा कराई जा रही है । जांच प्रगति पर है । जांच आख्या प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

25—श्री राम सजीवन—

[दिनांक 7 मार्च, 1988 को अता0 प्र0 सं0 136 द्वारा उत्तरित ।]

राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में पैथालाजी के प्रवक्ता के विरुद्ध कराई गई जांच

26—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में लेक्चरर पैथालाजी हकीम बदरुद्दीन की साजिश से चार छात्रों को सर्जरी विषय में अनुत्तीर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में निदेशक/आयुर्वेद/यूनानी सेवायें उ0 प्र0, लखनऊ को अर्द्ध शासकीय-पत्र संख्या 1343, दिनांक 9 फरवरी, 1987 द्वारा जांच का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो जांचोपरान्त उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

जांच कुलपति, कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से कराई जा रही है । जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के डिमान्सट्रेटर मुआलेजात द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र लिये जाने के संदर्भ में कराई गई जांच

27—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में डिमान्सट्रेटर मुआलेजात के पद पर कार्यरत हकीम साद उस्मानी द्वारा अपने विषय के साथ-साथ पैथालाजी विषय के अध्यापन का जाली प्रमाण-पत्र लिया गया था जिसकी जांच रिपोर्ट निदेशक आयुर्वेद/यूनानी सेवायें उ0प्र0, लखनऊ के अर्ध शासकीय पत्र संख्या 2889/शिक्षा, दिनांक 29 अप्रैल, 1986 द्वारा सरकार को प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में हकीम साद उस्मानी के विरुद्ध शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

हकीम साद उस्मानी राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में डिमान्सट्रेटर मुआलेजात के पद पर ही कार्य कर रहे हैं । इनके द्वारा जो जाली प्रमाण-पत्र अन्य विषय के बारे में लिया गया था उसका इनको लाभ नहीं दिया गया है । जाली प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये इनको प्रतिकूल प्रविष्टि देकर दण्डित किया गया है ।

28—श्री महेन्द्र भाटी—

[दिनांक 31 दिसम्बर, 1987 को अता0 प्र0 सं0 57 द्वारा उत्तरित ।]

सेक्टर एल, अलीगंज कालोनी में नगर महापालिका द्वारा नाली आदि साफ कराने के सम्बन्ध में

29--श्री फरीद महफूज किदवई--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर एल, अलीगंज में निर्मित भवनों का हाउस रेन्ट नगर महापालिका लखनऊ द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त कालोनी नगर महापालिका द्वारा अधिग्रहीत कर ली गई है ? यदि हां, तो उक्त कालोनी की सड़क तथा नाली की सफाई तथा मरम्मत न कराये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी उक्त व्यवस्था शीघ्र सुचारु रूप से चालू कराने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जी नहीं ।

केवल सामान्य कर वसूल किया जाता है ।

जी नहीं ।

केवल नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने का कार्य महापालिका को सौंपा गया है ।

नियमित सफाई कर्मचारी होने के कारण दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी रखकर रोटेशन से सफाई कराई जाती है । नाली की मरम्मत का कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है ।

सड़कों की मरम्मत का कार्य निम्नवत् हो सका है :--

1--सेक्टर एल में, एल-4 के एल- कुर्सी रोड तक सड़क का सुधार कार्य ।

2--सेक्टर एल में 80 फिट सड़क का सुधार कार्य ।

3--सेक्टर एल में एल-5/8 से एल-5/18 तक तथा एल-5/49 से एल-5/4/68 तक सड़क का सुधार कार्य ।

महापालिका अपने सीमित आर्थिक संसाधनों से व्यवस्था कराती है और धन उपलब्ध होने पर कराती रहेगी ।

माधुरी कुण्ड फार्म मथुरा का मंत्री द्वारा निरीक्षण तथा सुधार की जानकारी

30--श्री सरदार सिंह--

क्या कृषि मंत्री को जानकारी में है कि उन्होंने जनवरी 1988 के द्वितीय सप्ताह में मथुरा जनपद के माधुरी कुण्ड फार्म का निरीक्षण किया था और उसमें अनेक कमियां पाई थीं तथा उन्हें सुधारने के आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये थे ? यदि हां, तो वर्ष 1988-89 में कौन-कौन से सुधार प्रस्तावित हैं और उनमें कितने धन का प्राविधान है ? क्या शासन इस फार्म को एक आदर्श कृषि फार्म बनाने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो इसे आदर्श फार्म बनाने में कितने वर्ष लगेंगे और कितनी अनुमानित लागत लगेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

जंगल की सफाई, सिंचाई की पक्की नालियां तथा फार्म तक पक्की सड़क बनाने का कार्य प्रस्तावित है । धन की व्यवस्था चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा स्वयं की जायेगी ।

फार्म को विकसित करने की कार्यवाही चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा की जा रही है ।

विश्वविद्यालय द्वारा इसका आगणन किया जा रहा है ।

राजाजी पुरम एल0 डब्लू0 एल0 योजना के अन्तर्गत कतिपय भवन के आवंटन में धांधली

31—श्री फजलुल बारी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रजिस्ट्रेशन संख्या एल0 डब्लू0 एल0 562(6) के विरुद्ध भवन संख्या 2971, राजाजी पुरम का परिषद् के कार्यालय ज्ञाप संख्या 10267/स0 प्र0 शा0 प्र0, दिनांक 13 सितम्बर, 1983 द्वारा निरस्त कर दिया गया था तथा पुनः भवन संख्या ई0 2948 लाटरी द्वारा आवंटित किया गया ? यदि हां, तो परिषद् के पत्र संख्या ई0 2632/स0 पं0 सं0 प्र0, दिनांक 10 फरवरी, 1984 द्वारा यह सूचित किया जाना कि रजिस्ट्रेशन संख्या एल0 डब्लू0 एल0 562 (6) के विरुद्ध पहले ही से भवन संख्या सी0 2971 आवंटित है, का क्या औचित्य है ? क्या सरकार पूर्व में आवंटित संख्या सी 2971 या बाद में आवंटित भवन संख्या 2948 में से कोई भी भवन देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

चूंकि भवन संख्या सी-2971 के आवंटन निरस्तीकरण आदेश दिनांक 13 सितम्बर, 1983 की प्रविष्टि आवास परिषद के अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटिवश नहीं हो पाई थी जिसके कारण आवास परिषद् अभिलेखों में उक्त भवन रजिस्ट्रेशन संख्या एल0 डब्लू0 एल0 562 (6) के विरुद्ध आवंटित होना पाया गया । अतः आवंटी को तदनुसार सूचित किया गया ।

भवन संख्या सी-2971 या भवन संख्या 2948 में से कोई भवन आवंटित किया जाना सम्भव नहीं है ।

क्योंकि आवंटी भवन संख्या सी-2971 नहीं लेना चाहता था और 2948 के लिए उसने सहमति नहीं दी । अतः उक्त दोनों भवनों का आवंटन अन्य व्यक्तियों के नाम किया जा चुका है और इनमें से कोई भवन वर्तमान में रिक्त नहीं है ।

वर्ष 1977-78 में सहकारी पर्यवेक्षकों को फरवरी, 1983 में सेवा से अलग करने का मामला

32—श्री पूरन सिंह फर्त्या—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद अल्मोड़ा में सन् 1977-78 से कार्यरत सहकारी पर्यवेक्षकों को फरवरी 1983 तक कार्य लेने के पश्चात सन् 1982 से सेवा मुक्त कर दिया गया है और ऐसे नवयुवकों की संख्या बाईस है ?

क्या विभाग मानवता के आधार पर उक्त नवयुवकों को सहकारिता विभाग में निकलने वाली समकक्ष सेवाओं में अथवा उनके पुराने पदों पर ही नियमित नियुक्तियों के आदेश प्रदान करेगा ? यदि हां, तो नियुक्ति कब तक मिल जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

अल्मोड़ा जनपद में तीन-तीन माह के लिए एक-एक दिन का व्यवधान देकर स्थानीय व्यवस्था में उप निबन्धक एवं अध्यक्ष, क्षेत्रीय कमेटी सहकारी संघ प्राधिकारी, कुमायूं मण्डल, नैनीताल द्वारा 22 सहकारी पर्यवेक्षकों की नियुक्तियां तदर्थ आधार पर दिनांक 20 दिसम्बर, 1982 तक के लिये की गयी थी। पर्यवेक्षकों की नियमित नियुक्ति के लिये उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल, लखनऊ से चयन कराया गया, किन्तु उक्त पर्यवेक्षकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के लखनऊ बेंच में याचिका संख्या-5359/82 दायर की दी गयी जिस पर दिनांक 5 नवम्बर, 1982 को स्थगन आदेश जारी होने के कारण सेवा मण्डल द्वारा चयन परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में किसी की नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के कतिपय नगरमहापालिका के कर्मचारियों को सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान

33--श्री महेन्द्र भाटी--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में कितनी ऐसी नगरपालिकायें हैं जिनके कर्मचारियों के सामूहिक बीमा योजना के दावे (सेवा निवृत्त या मृत्यु उपरान्त) शासन को भेजे जा चुके हैं तथा उनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ? क्या मंत्री जी दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे तथा उपरोक्त दावों का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

आठ नगरपालिकाएं। इनके 40 दावों में से 23 दावे भुगतान हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम, लखनऊ को अग्रसारित किये जा चुके हैं तथा शेष दावे पूर्ण सूचना के अभाव में अनिस्तारित हैं जिसके लिए कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

23 दावों का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम को करना है तथा शेष दावों का भुगतान कराने की कार्यवाही सम्बन्धित नगरपालिकाओं/जिलाधिकारी से वांछित सूचना प्राप्त होने पर की जायेगी।

नोहझील कस्बे तहसील मांट जिला मथुरा में भूमि विकास बैंक की शाखा खोलने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

34--श्री कुशलपाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 21 मार्च, 1986 को मांट तहसील के नोहझील कस्बे में भूमि विकास बैंक की शाखा स्थापित करने के बारे में प्रार्थना-पत्र दिया था जिससे कि इस क्षेत्र के किसानों को सुविधा मिल सके ? यदि हां तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी हां । भूमि विकास बैंक की एक नई शाखा लोहझील कस्बे में खोलने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बम्बई को भेजा गया है, जो उनके विचाराधीन है । अनुमति मिलने के बाद ही नई शाखा खोली जा सकती है ।

35--श्री कुशलपाल सिंह--

[दिनांक 18 जून, 1987 को ता0 प्र0 सं0 16 द्वारा उत्तरित]

जनपद मथुरा के गोविन्दनगर सहकारी आवासीय समिति लिमि0 के कतिपय प्लाटों को वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा आहरित किये जाने के सम्बन्ध में

36--श्री कुशलपाल सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद में गोविन्द नगर सहकारी आवासीय समिति लि0, मथुरा द्वारा अपने सदस्यों को आवंटित सेक्टर एफ के प्लाटों को एक तरफा वगैर सदस्यों को सूचित किये मथुरा, वृन्दावन विकास प्राधिकरण ने ले लिया है तथा कुछ निर्माण भी अवैध रूप से तुड़वा दिये हैं ? यदि हां, तो किस आदेश के अन्तर्गत और क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

मथुरा जनपद में गोविन्द नगर सहकारी आवासीय समिति लि0, मथुरा के पक्ष में अधिगृहीत भूमि में से रिक्त 164.40 एकड़ भूमि मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा को हस्तांतरित की गई है जिसमें गोविन्दनगर के सेक्टर 'एफ' की भूमि भी शामिल है । प्राधिकरण द्वारा किसी निर्माण को अवैध रूप से नहीं तुड़वाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् में व्याप्त कतिपय भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 2 सितम्बर, 1985 के सम्बन्ध में जानकारी

37--श्री अशोक बाजपेयी--

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार मनमानी तथा पक्षपात पूर्ण कार्यवाहियों से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2 सितम्बर, 1985 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उन मामलों पर सरकार द्वारा अब तक क्या प्रभावी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां ।

इन शिकायतों की जांच सी0 आई0 डी0 से करायी गई, जांच रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है ।

लखनऊ जनपद के ग्रामीण अंचलों में स्थित विभिन्न राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों की तैनाती के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 11 फरवरी, 1987 के बारे में जानकारी

38--श्री शारदा प्रताप--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के ग्रामीण अंचलों में स्थित विभिन्न राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में डाक्टरों की तैनाती के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र दिनांक 11 फरवरी, 1987 तक शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां। कथित शिकायती-पत्र में लखनऊ जनपद के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, भदोई, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, दखिना शेखपुर तथा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सतपन में चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती के बारे में था। इन तीनों चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारियों की नियमित व्यवस्था कर दी गयी है।

लखनऊ नगर के बलरामपुर अस्पताल में लगे विद्युत् जनरेटरों के बारे में विस्तृत जानकारी

39--श्री शारदा प्रताप--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में विद्युत् आकस्मिक व्यवस्था हेतु कितने जनरेटर कितने हार्स पावर के कब-कब स्थापित किये गये तथा उनमें से कितने चल रहे हैं कितने बन्द पड़े हैं। उक्त जनरेटरों की मरम्मत हेतु पिछले 3 वर्षों में कितना धन स्वीकृत हुआ तथा स्वीकृत धनराशियों के अनुसार मरम्मत कार्य किन-किन एजेन्सियों (फर्मों) से कराया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में 20 कि0 वा0 का एक जनरेटर वर्ष 1975 में स्थापित किया गया था जो चालू हालत में है। इसकी मरम्मत हेतु कभी भी कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

बलिया जनपद में कतिपय विकास खण्डों में वित्तीय वर्ष 1987 तक चिकित्सालयों में रिक्त पदों तथा पूरा किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

40--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के सीयर नगरा व रतनपुरा विकास खण्डों में वर्ष 1987 तक कितने चिकित्सालयों में कितने-कितने विभिन्न स्तरीय पद रिक्त हैं तथा उन्हें कब तक पूरा कर दिये जाने की योजना है ? क्या सरकार तत्काल तदर्थ नियुक्तियां कर सभी स्थानों की पूर्ति करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

बलिया जनपद के इन तीनों विकास खण्डों में दिसम्बर, 1987 तक रिक्तियों की स्थिति निम्नवत् थी :—

पद	सोयर	नगरा	रतनपुरा
(क) एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी	2	3	2
(ख) आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी	1	3	×
(ग) होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी	1	1	×

अन्य किसी श्रेणी के कोई पद रिक्त नहीं हैं। बलिया जनपद में तैनाती हेतु 32 एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों को नियुक्ति के आदेश नवम्बर, 1987 में दिये गये हैं जिनके कार्यभार ग्रहण करने से स्थिति में सुधार आयेगा। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के पद पर तदर्थ नियुक्ति हेतु साक्षात्कार किया जा चुका है। होम्योपैथी के रिक्त पदों को भरने पर विचार किया जा रहा है।

लखनऊ के गणेशगंज में स्थित खुदा बक्स कालोनी की मरम्मत के सम्बन्ध में शिकायत

41—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कालोनी हाता खुदा बख्श पुराना गनेश गंज, लखनऊ की बाहरी मरम्मत किस सन् में की गयी थी? उसके बाद इतने समय तक मरम्मत न किये जाने के क्या कारण हैं? इसके लिए कौन दोषी है? इसकी मरम्मत कब तक करा दी जायेगी?

श्रीमती पद्मा सेठ—

वर्ष 1981-82 में की गई थी।

प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार आवंटियों को अब स्वयं मरम्मत कराना है और इसके लिए प्रति वर्ष दो माह के किराये की धनराशि से छूट दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

42—श्री विष्णु देव—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

43—श्री विष्णु देव—

[4थे गुरुवार के लिए स्थगित।]

तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, एटा के विरुद्ध उप निदेशक, कृषि, आगरा मंडल की रिपोर्ट के विपरीत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत

44--श्री विष्णु देव--

विधान सभा की कार्यवाही दिनांक 19 मार्च, 1979 के अता0 प्रश्न संख्या 48 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन जि0 कृ0 अ0, एटा (श्री आत्माराम) के विरुद्ध उप कृषि निदेशक, आगरा द्वारा जांचोपरान्त यह संस्तुति की गयी थी कि मु0/31-700 रुपया की वसूली के साथ कथित अधिकारी को निलम्बित कर दिया जाये ? यदि हां, तो क्या उस अधिकारी को निलम्बित न करके पदोन्नत कर दिया गया है ? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

उप कृषि निदेशक, आगरा द्वारा इस प्रकरण में जांच की गयी । जांच आख्या में धनराशि की वसूली अथवा निलम्बन की कोई संस्तुति नहीं की गयी थी । जांच आख्या दिनांक 6 सितम्बर, 1979 तथा अनुवर्ती आख्या दिनांक 18 नवम्बर, 1981 में 1 जनवरी, 1977 से 31 मई, 1977 तक सरकारी क्वार्टर के उपयोग करने तथा जनवरी, 1977 से मई, 1977 तक बिजली व्यय के रूप में कुल रुपये 75 की धनराशि की वसूली की संस्तुति की गयी थी । इसके अतिरिक्त मूंग के बीज की खरीदारी में क्रय नियमों का पालन न करने के सम्बन्ध उन्हें चेतावनी अथवा प्रतिकूल प्रविष्टि देने की संस्तुति की गयी थी । प्रश्नगत मामले में विचारोपरान्त शासनादेश सं0 2397/12-1, दिनांक 3 जुलाई, 1982 द्वारा श्री आत्माराम से सरकारी क्वार्टर से उपयोग में हुई शासकीय क्षति रुपये 75 की वसूली के आदेश पारित करते हुए प्रकरण को समाप्त किया गया ।

चयन समिति की संस्तुति पर इन्हें दिनांक 3 अगस्त, 1986 को पदोन्नत कर दिया गया है ।

सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखना जनहित में न होगा ।

तत्कालीन भूमि संरक्षण अधिकारी, एटा के विरुद्ध 13 सूत्री आरोप व चार सूत्री आरोप की जांच रिपोर्ट

45--श्री विष्णु देव--

विधान सभा की कार्यवाही दिनांक 2 मार्च, 1981 के अता0 प्रश्न संख्या 33 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन भूमि संरक्षण अधिकारी, एटा (श्री आत्माराम) के विरुद्ध 13 सूत्रीय आरोप दिनांक 27 सितम्बर, 1980 एवं 4 सूत्रीय आरोप दिनांक 3 अक्तूबर, 1978 के अनुसार जांच पूर्ण करा ली गयी ? यदि हां, तो वे दोनों जांच रिपोर्ट क्या हैं और क्या निलम्बन आहरण-वितरण अधिकार से च्युत करने के बजाय कथित अधिकारी को प्रोन्नत कर दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां ।

13 सूत्रीय आरोप दिनांक 27 सितम्बर, 1980 पर आयुक्त एवं प्रशासक रामगंगा कमान्ड परियोजना से प्राप्त अपर कृषि निदेशक, राम गंगा कमान्ड की जांच रिपोर्ट के

परिपेक्ष्य में कृषि निदेशक के आदेश संख्या 2662, दिनांक 11 नवम्बर, 1985 द्वारा भर्त्सनात्मक प्रतिकूल प्रविष्टि उनकी चरित्र पंजिका में अंकित करने के आदेश पारित किए गये ।

4 सूत्रीय आरोप दिनांक 3 अक्तूबर, 1978 पर जांच उप कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण) आगरा से करायी गयी तथा जांच रिपोर्ट पर विचारोपरान्त शासनादेश संख्या 2397/12-1, दिनांक 3 जुलाई, 1982 द्वारा सरकारी क्वार्टर के उपयोगिता में हुई क्षति रुपये 75 की वसूली श्री आत्मा राम से कराने के साथ प्रकरण समाप्त किया गया ।

श्री आत्माराम की श्रेणी 1 में प्रोन्नति 3 अगस्त, 1986 को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के परिपेक्ष्य में शासन द्वारा की गयी ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ब्लाक दिशेइवरगंज, बहराइच के नियमित रूप से ड्यूटी पर न रहने से जनता को हो रही असुविधा की शिकायत

46--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ब्लाक दिशेइवरगंज जिला बहराइच में डाक्टर नियमित रूप से नहीं रहते हैं जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट आयी है तथा मरीजों को समय पर चिकित्सा न मिल पाने के कारण परेशानी होती है ? यदि हां, तो मरीजों की गम्भीर समस्याओं को देखते हुए डाक्टर को नियमित रूप से उपस्थित रहने के लिए सचेत करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि वहां पर तैनात चिकित्सा (ब्लाक दिशेइवरगंज जिला बहराइच) अपने मूल निवास लखनऊ से आते-जाते हैं जिससे नागरिकों को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जांच कराकर दोषी चिकित्सक के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

हाथरस सहकारी क्रय-विक्रय समिति, जनपद अलीगढ़ में शीतगृह के निर्माण में विलम्ब होने के कारण हो रही हानि

47--कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस सहकारी क्रय विक्रय समिति, जनपद अलीगढ़ द्वारा वर्ष 1977 में शीतगृह का निर्माण आरम्भ कराया गया था ? यदि हां, तो यह शीतगृह अब तक न चालू किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मन्त्री जी को यह भी जानकारी है कि उक्त शीतगृह का निर्माण ऋण लेकर कराया गया था ? यदि हां, तो यह शीतगृह चालू न होने के कारण कितनी हानि हो रही है ? इसमें कौन-कौन दोषी हैं ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

हाथरस सहकारी क्रय-विक्रय समिति जनपद अलीगढ़ के शीतगृह का निर्माण वर्ष 1979-80 में प्रारम्भ हुआ और यह शीतगृह मार्च, 1986 में संचालित किया गया ।

वर्ष 1986 में 9,000 कुन्तल व वर्ष 1987 में 36,000 कुन्तल आलू का भण्डारण किया गया । चूंकि शीतगृह चालू है और उसमें भण्डारण भी किया जा रहा है, अतः शीतगृह न चालू होने के कारण हानि होने एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

पेयजल योजना के अन्तर्गत चल रहे प्रदेश से हैण्ड पम्प में धांधली की शिकायत एवं नीति बदलने का सुझाव

48--कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामों में जो पेयजल के लिये हैण्ड पाइप लगाये जा रहे हैं उनमें व्यापक धांधली को देखते हुये क्या इस सरकारी आदेश को ग्राम विकास मन्त्री जी बदलेंगे और विधायकों की संस्तुति पर ही स्थानों का चयन करने हेतु आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत हैण्ड पम्प लगाने हेतु स्थल चयन सम्बन्धित ग्राम प्रधान की सहमति से किया जाता है । "व्यापक धांधली" की बात सत्य नहीं है ।

माननीय विधायकों की संस्तुति पर स्थानों का चयन करना व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता । जहां ग्राम प्रधान का निर्णय विवादग्रस्त हो उन मामलों में परगनाधिकारी अथवा अन्य किसी उपयुक्त अधिकारी से स्थल निरीक्षण कराकर हैण्ड पम्प लगाने का स्थान निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे जा रहे हैं ।

श्री छेदी लाल, निवासी ग्राम अर्जुनपुर, ब्लाक भीटी, जनपद फैजाबाद का जिला अधिकारी फैजाबाद को भेजा गया शिकायती-पत्र

49--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री छेदी लाल निवासी ग्राम अर्जुनपुर ब्लाक भीटी जनपद फैजाबाद का साधन सहकारी समिति, मिझौड़ा के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 3-11-87 के साथ जिलाधिकारी, फैजाबाद को मिल गया है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी से करायी गयी और जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी हां ।

जांच श्री चन्द्रभान मिश्र, सहकारी निरीक्षक वर्ग-2, जनपद फैजाबाद से कराई गई । जांच रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन सचिव द्वारा गलत ऋण वितरण अभिलेखों में दिखाया जाना प्रकाश में आया ।

50--श्री पूरन सिंह माहरा--

[4थे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 71 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

51--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री मैनेजर सिंह--

[दिनांक 16-7-87 को ता0 प्र0 सं0 7 द्वारा उत्तरित ।]

कृषि विभाग में व्याप्त कतिपय भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री विष्णु देव, विधायक के पत्र दिनांक 5 जनवरी, 1988 के पत्र के सम्बन्ध में जानकारी

52--श्री मैनेजर सिंह--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से सम्बन्धित श्री विष्णु देव गुप्त, विधायक का शिकायती-पत्र माह जनवरी, 1988 में प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं और उक्त के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां।

प्रश्न में संदर्भित पत्र जो दिनांक 5 जनवरी, 1988 का है, श्री शारदा नन्द अंचल, सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 2 फरवरी, 1988 के साथ प्राप्त हुआ है। मुख्य शिकायतें श्री आत्मा राम के जिला कृषि अधिकारी एटा, भूमि संरक्षण अधिकारी, एटा एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, मथुरा की हैसियत से तैनाती की अवधि में की गयी वित्तीय अनियमितता, अधिकार का दुरूपयोग एवं भ्रष्टाचार के विषय में विधान सभा में पूछे गये विभिन्न प्रश्नों में कार्यवाही को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन से सम्बन्धित हैं। प्रश्नगत मामले में जांच करा कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश कृषि निदेशक को दिये जा चुके हैं।

53--श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में वर्ष 1986 में उपजाई गयी सब्जियों के बारे में विस्तृत जानकारी

54--श्री मित्रसेन--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1986 में नरेन्द्र देव कृषि एवं प्राद्योगिक वि0 वि0 कुमारगंज फैजाबाद में कितनी-कितनी तथा किस-किस प्रकार की सब्जी का उत्पादन किया गया एवं उसका विक्रय मूल्य प्रति माह क्या था ? बिक्री करने की क्या नीति अपनाई गयी तथा उत्पादित सब्जी की प्रति माह उपलब्ध धनराशि क्या है और किस खाते में कब-कब वह धनराशि जमा की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में वर्ष 1986 में कितनी-कितनी सब्जी तथा किस-किस प्रकार का उत्पादन किया गया एवं उसका प्रतिमाह विक्रय मूल्य का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न† है। विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में लगे हुए बाजारों एवं हाटों में जिस दर पर सब्जी बिक रही थी उसी दर पर विश्वविद्यालय द्वारा उत्पादित सब्जी को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पर बिक्री की गई। विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में विश्वविद्यालय के खाता संख्या सी0 ए0 (1)/एस0 एफ0-1441 में सब्जी से प्राप्त धनराशि जमा की

†छापा नहीं गया।

गई। उत्पादित सब्जी से प्रति माह उपलब्ध धनराशि तथा जमा की गई धनराशि का विवरण परिशिष्ट (ख) पर संलग्न है। प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी कृषि फार्मों में कार्य करने वाले मजदूरों की दैनिक मजदूरी की जानकारी

55--श्री मित्रसेन--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी कृषि फार्मों पर लगातार कई वर्षों से काम करने वाले मजदूरों की दैनिक मजदूरी क्या है और क्या वह शासन द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

सरकारी कृषि फार्मों पर दैनिक श्रमिकों की मजदूरी निम्न प्रकार है :

(1) पूर्वी, मध्य, बुन्देलखण्ड एवं पर्वतीय सम्भाग के जिलों में 11.50 रु0 प्रतिदिन या मासिक भुगतान की दशा में 299 रु0 प्रतिमाह।

(2) पश्चिमी सम्भाग के जिलों में 12.50 रु0 प्रतिदिन या मासिक भुगतान की दशा में 325 रु0 प्रतिमाह है।

जी हां।

उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम उपकेन्द्र, फैजाबाद द्वारा वर्ष 1981-82 में गोभी बीज उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत कतिपय कृषकों द्वारा दिये गये बीजों का अब तक भुगतान न किये जाने के बारे में शिकायत

56--श्री मित्रसेन--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम उपकेन्द्र, फैजाबाद द्वारा वर्ष 1981-82 में गोभी का बीज उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषक श्री वन बहादुर सिंह, ग्राम व पोस्ट पिठिला, फैजाबाद ने दिनांक 30 जुलाई, 1982 रसीद संख्या 14334/143 77.500 कि0 ग्राम श्री आद्या प्रसाद सिंह, ग्राम डोमियारा पोस्ट पिठिला, फैजाबाद में दिनांक 10 अगस्त, 1982 रसीद संख्या 14343/143 72.00 कि0 ग्रा0 और राम किशोर चौरसिया ग्राम पलेयु खुर्द, पो0 हरिगटनगंज, जिला फैजाबाद ने दिनांक 28 जून, 1982 रसीद संख्या 14303/143 द्वारा 132 कि0 ग्रा0 बीज उपरोक्त उप केन्द्रों पर दिया है जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो उपरोक्त काश्तकारों को भुगतान न किए जाने का कारण क्या है और भविष्य में उन्हें कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह -

जी हां।

कृषकों से गोभी के बीज का उत्पादन कन्साइन्मेन्ट के आधार पर कराया गया था। नियमानुसार बीजों के मानकों के अनुरूप होने पर ही बीज उत्पादकों को भुगतान किये जाने का प्राविधान है। उक्त बीज प्रमाणित न होकर सत्यापित था, विधानित बीज मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया जिसकी सूचना कृषकों को सत्यापन्तर्गत दे दी गई थी।

†छापा नहीं गया।

उत्पादकों को उत्पादन में हुई खर्च की पूर्ति हेतु 3,000 रु0 प्रति कुन्टल की दर से भुगतान हेतु आदेश निगम द्वारा किये जा चुके हैं।

कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के वरिष्ठ विभागाध्यक्ष द्वारा चयन समिति की सदस्यता हेतु कुलाधिपति को दिये गये प्रार्थना-पत्र की जानकारी

57--श्री मित्रसेन--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि एवं प्रो0 विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम, 1958 चैप्टर 13 में इस बात का प्राविधान है कि अध्यापकों के टीचिंग/रिसर्च/इक्सटेंशन के समस्त पद जिनका वेतन 1250 रु0 से ऊपर है, की चयन समिति में विभागाध्यक्ष का एक सदस्य के रूप में होना अनिवार्य है ? क्या कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के वरिष्ठ विभागाध्यक्ष प्रो0 ए0 एस0 दारसी ने इस विषय में कोई आवेदन-पत्र कुलाधिपति एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों को दिया था ? इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां।

जी हां।

आवेदन-पत्र में दर्शाये गये तथ्य बलहीन पाये गये। अतः उसे निरस्त कर दिया गया।

डाक्टर एस0 के0 नागर, एस0 एम0 ओ0, जिला चिकित्सालय, मरादाबाद के विरुद्ध प्रश्नकर्ता की शिकायत पर हुई जांच के संबंध में जानकारी

58--हाजी मोहम्मद हयात--

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 25-8-87 को प्रश्नकर्ता द्वारा एक शिकायती-पत्र डा0 एस0 के0 नागर, एस0 एम0 ओ0, जिला चिकित्सालय, मुरादाबाद के विरुद्ध दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त शिकायती-पत्र की जांच श्री डी0 के0 नन्दा, अपर निदेशक, मुरादाबाद मन्डल, मुरादाबाद द्वारा दिनांक 23-11-87 को की गई थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि श्री नागर के विरुद्ध लगाये गये आरोप जांच के उपरान्त सही पाये गये थे ? यदि हां, तो शासन द्वारा उक्त मामले में डा0 नागर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां।

प्रश्नकर्ता द्वारा डा0 एस0 के0 नागर, एस0 एम0 ओ0, जिला चिकित्सालय, मुरादाबाद के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र दिनांक 25-8-87 प्राप्त हुआ था। इस पत्र में चिकित्सालय में इस डाक्टर द्वारा पर्चा न बनाने की शिकायत थी। इस आरोप की जांच अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मुरादाबाद मन्डल द्वारा करायी गयी। डा0 नागर ने इस आरोप का खण्डन किया है। फिर भी डा0 नागर को जन प्रतिनिधियों के प्रति सद्व्यवहार करने के लिये सचेत कर दिया गया है।

बछरावां विकास खण्ड, जिला रायबरेली में हुए जिप्सम घोटाला कांड की जांच रिपोर्ट

59—श्री विष्णुदेव—

विधान सभा की कार्यवाही दिनांक 14-2-83 के अतारांकित प्रश्न संख्या 37 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जब प्राप्त आख्याओं में विशेष गम्भीर शिकायतें सत्यापित हैं, तो कथित अधिकारी को प्रोन्नत किये जाने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, हरदोई के विरुद्ध हुई जांच आख्या के अनुसार की गई कार्यवाही की जानकारी

60—श्री विष्णु देव—

विधान सभा की कार्यवाही दिनांक 15-9-80 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के सम्बन्ध में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि संबंधित अधिकारी तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, हरदोई (श्री आत्माराम) के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच में प्रथमदृष्टया सिद्ध आरोपों के सम्बन्ध में सी0 सी0 ए0 नियमों के अन्तर्गत आनुशासनिक कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

विभागीय कार्यवाही में शासनादेश संख्या 4669/12-1, दिनांक 3-7-82 द्वारा श्री आत्माराम को चेतावनी (चरित्र पंजिका में रखते हुए) देकर मामले को समाप्त कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तत्कालीन जिला भूमि संरक्षण अधिकारी श्री आत्मा राम, जिला एटा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

61—श्री विष्णु देव—

विधान सभा की कार्यवाही दिनांक 2-3-81 के अतारांकित प्रश्न संख्या 33 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें पत्र दिनांक 28-8-85, 30-8-85, 2-9-85, 3-9-85 एवं 5-9-85 के साथ नेता, शिक्षक दल, विधान परिषद् उ0 प्र0, लखनऊ का पत्र दिनांक 4-9-85 प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लिखित तथ्यों के आधार पर निलम्बन या आहरण वितरण अधिकार से च्युत करने की मांग की गई है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त पत्रों पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां । प्रश्नगत मामले में कृषि निदेशक को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने और परिणाम से शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये गये थे, जिसके परिप्रेक्ष्य

में कृषि निदेशक की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिसमें कृषि निदेशक ने कहा है कि माननीय विधायकों के पत्रों में केवल उन्हीं बातों को दोहराया गया है जिनकी जांच पूर्व में पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने अवगत कराया है कि श्री आत्मा राम के हरदोई कार्यकाल के समस्त शिकायती प्रकरण शासन के पत्रांक 2397/12-1, दिनांक 3-7-82 में परिनिहित आदेशानुसार समाप्त किए जा चुके हैं। श्री आत्मा राम के जिला कृषि अधिकारी एटा के कार्यकाल के शिकायती प्रकरण पर सरकारी क्वार्टर के उपयोग में हुई शासकीय क्षति 75 रुपये की वसूली के साथ समाप्त किए जाने के आदेश शासन के पत्रांक 2397/12-1, दिनांक 3-7-82 में दिये गये आदेशानुसार श्री आत्मा राम से 75 रुपये की वसूली पूर्ण कर ली गई है। श्री राम के जिला कृषि अधिकारी, हरदोई के कार्यकाल को उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के विचारोपरान्त आदेश संख्या 4669/12-1, दिनांक 3-7-82 द्वारा चेतावनी देते हुए प्रकरण को समाप्त कर दिया गया। श्री राम के भूमि संरक्षण अधिकारी, एटा के कार्यकाल के शिकायती प्रकरण में कृषि निदेशक के आदेश संख्या डी0 ए0 सी0 2662/सी0सी0 125-80, दिनांक 11-11-85 द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। प्रश्नगत मामले का पुनः परीक्षण कराया जा रहा है।

आजाद सहकारी आवास समिति लिमि0, बरेली द्वारा आवास भू-खंडों का नक्शा व प्लान बिना पास कराये ही समिति में सदस्यों के नाम रजिस्ट्री करने की शिकायत

62--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या सरकार को जानकारी है कि आजाद सहकारी आवास समिति लि0, बरेली के सचिव द्वारा भू-खंडों का नक्शा व प्लान बरेली विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराये बिना अपने सदस्यों के नाम बैनामें व रजिस्ट्री कराके उनके साथ भारी धोखा किया गया है ? यदि हां, तो दोषी सचिव के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

आजाद सहकारी आवास समिति लि0, बरेली के सचिव के द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 1986 को समिति की भूमि का भू-विन्यास मानचित्र बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली में प्रस्तुत किया गया था। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा जब काफी लम्बी अवधि तक समिति की भूमि का भू-विन्यास मानचित्र पास करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया तब समिति के सचिव ने समिति के 116 सदस्यों के विक्रय विलेख 23 जुलाई, 1986 को सब रजिस्ट्रार, बरेली के समक्ष निबन्धन हेतु अभिलेख प्रस्तुत किये थे। समिति के सचिव द्वारा प्रस्तुत किये गये इन अभिलेखों पर जिला निबन्धक, बरेली के आदेश, दिनांक 23 जुलाई, 1986 द्वारा समस्त कार्यवाही स्थगित कर दी गयी है।

सचिव ने त्यागपत्र दे दिया था जिसको समिति के प्रशासक ने स्वीकार कर लिया और दिनांक 11 मई, 1987 से समिति के सचिव की सेवायें समाप्त हो गयी।

नगर महापालिका में कार्यरत विद्युत जमादारों को साइकिल भत्ता न दिया जाना

63--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि बरेली महापालिका में कार्यरत विद्युत अनुभाग के जमादारों को साइकिल भत्ता नहीं दिया जाता है ? क्या मन्त्री उक्त जमादारों को साइकिल भत्ता दिलाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

नगर महापालिका बरेली, में विद्युत् विभाग के जमादारों को साइकिल भत्ता नहीं दिया जाता है । वेतन आयोग (स्थानीय निकाय) वर्ष 1979-80 की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में साइकिल भत्ता हेतु जारी शासनादेश में अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को सम्मिलित करना उचित न होगा ।

कृषि एवं सिंचाई उपयोग में आने वाले यन्त्रों पर चुंगी से छूट दिये जाने के आदेशों का सीतापुर नगरपालिका द्वारा अवहेलना

64--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कृषि यन्त्र चुंगी के मुक्त होने के बाद भी नगरपालिका, सीतापुर द्वारा सिंचाई कार्य हेतु उपयोग में आने वाले पम्पिंग सेटों पर भारी चुंगी वसूल किये जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

शासन द्वारा चुंगीकर से मुक्त घोषित कृषि यन्त्रों में पम्पिंग सेट सम्मिलित नहीं है । तदनुसार पम्पिंग सेट चुंगी कर से मुक्त नहीं है । नगरपालिका सीतापुर की चुंगी कर अनुसूची के अनुसार पम्पिंग सेट पर रु0 7.50 पै0 प्रति कुन्तल की दर से चुंगी देय है ।

जिला कृषि अधिकारी, फैजाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 10 अक्तूबर, 1987 के सम्बन्ध में जानकारी

65--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हे प्रश्नकर्ता द्वारा जिला कृषि अधिकारी, फैजाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र दिनांक 10 अक्तूबर, 1987 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन मिला ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या थीं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां । दिनांक 8 अक्तूबर, 1987 का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ । प्रमुख शिकायतें निम्नवत् थी :--

1--राजकीय कृषि बीज भंडार, कुमारगंज के श्री ओम सिंह, सहायक कृषि निरीक्षक के नाम लगभग 60,000 रुपये की फर्जी ट्रांसपोर्टिंग बिल बनाकर पैसा निकाला ।

2--1986-87 में किसी सहायक निरीक्षक (सीड स्टोर इन्चार्ज) को यात्रा भत्ता तथा पहले दारी नहीं दी गयी ।

3--किसान सहायकों के लिये बोर्ड बनवाने में 70,000 रुपये का कमीशन लिया ।

4--जिला कृषि अधिकारी श्री के0 के0 सिंह तथा श्री नन्हकू सिंह की सांठ-गांठ के कारण नाना प्रकार की अनियमिततायें की गई ।

कथित शिकायतों की जांच करायी जा रही है ।

राज्य सचिवालय के कर्मचारियों को दवा दिये जाने की मूल्य सीमा के संबंध में आदेश

66—राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि शासन ने ऐसा कोई आदेश किया है कि विधान भवन सचिवालय डिस्पेंसरी (एलोपैथिक) में कर्मचारियों को 100 रु0 से अधिक की पर्ची पर दवा न दी जाय ? यदि हां, तो इस आदेश का क्या औचित्य है और यह आदेश किस दिनांक से लागू किया गया ? क्या मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की दिनांक 8 फरवरी, 1986 को हुई टंकण परीक्षा में की गई धांधली

67—श्री राज किशोर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के विभिन्न अनुभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का टंकण परीक्षा दिनांक 8 फरवरी, 1986 को ली गई थी ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन अभ्यर्थी सम्मिलित हुए ? यह भी कृपया बतायेंगे कि उक्त परीक्षा के फलस्वरूप क्या अभ्यर्थियों को सेवा में नियमित करते समय वरीयता हेतु नियुक्ति तिथि को आधार माना गया था ? यदि हां, तो शेष अभ्यर्थियों को सेवा में नियमित किए जाने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

सूची संलग्न है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 213 पर) ।

नगरपालिका, अकबरपुर, फैजाबाद द्वारा फर्जी कम्पनी से लाखों रुपये बल्ब एवं ट्यूब की खरीद की शिकायत पर कार्यवाही

68—श्री अकबर हुसेन बाबर—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका, अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में बिजली के बल्ब और ट्यूब आदि की एक फर्जी कम्पनी से खरीद में लाखों रुपये की घोटाले की शिकायत गत वर्ष हुई है ? वर्ष 1987 में वह खरीद किस कम्पनी से की गई है ? अब तक इस सम्बन्ध में किस अधिकारी द्वारा जांच कराई गई है ? जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्रीमती पदमा सेठ--

जी हां ।

यह खरीद मेसर्स कलकत्ता इलेक्ट्रानिक एजेन्सी कालीगंज, लखनऊ से न्यूनतम निविदा के आधार पर की गई है । उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान, फैजाबाद से जांच कराई जा रही है । जांच का परिणाम प्रतीक्षित है ।

यू0 पी0 एग्रो कारपोरेशन के तालकटोरा रोड वर्कशाप लखनऊ के भू0 पू0 मोल्डर स्व0 श्री फकीरे लाल के कतिपय देयों का भुगतान उनकी पत्नी को न किये जाने के संबंध में

69--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 एग्रो कारपोरेशन के कृषि वर्कशाप तालकटोरा रोड, लखनऊ में मोल्डर के पद पर कार्यरत श्री फकीरे लाल का स्वर्गवास दिनांक 20 दिसम्बर, 1984 को हो गया था किन्तु उनकी पत्नी श्रीमती भगवान देई को अभी तक उनके अवशेष देयों का भुगतान नहीं किया गया है और न तो उन्हें नियमानुसार सेवा में लिया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? उनके अवशेष देयों का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा और उनकी पत्नी श्रीमती भगवान देई को कब तक सेवा में ले लिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां ।

स्वर्गीय श्री फकीरे लाल के अवशेषों का भुगतान उनके वास्तविक एवं विधिक उत्तराधिकारियों अथवा ऐसे भुगतान प्राप्त करने हेतु स्वर्गीय श्री फकीरे लाल द्वारा नामित व्यक्ति को किया जाना है । स्वर्गीय श्री फकीरे लाल ने अपने ग्रेच्युटी के भुगतान को अपनी मृत्यु के उपरान्त प्राप्त करने हेतु श्रीमती श्यामा देवी को अपनी पत्नी दर्शाते हुये नामिनेशन फार्म में नामित किया था जबकि उक्त भुगतान हेतु श्रीमती भगवान देई ने अपने को स्वर्गीय श्री फकीरे लाल की पत्नी बताते हुए उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है तथा भुगतान हेतु क्लेम किया है । यू0 पी0 एग्रो कार्यालय में ग्रेच्युटी भुगतान हेतु जो प्रपत्र स्वर्गीय श्री फकीरे लाल द्वारा नामित श्रीमती श्यामा देवी को भुगतान के लिए क्लेम फार्म भेजे गये थे, उन्हें श्रीमती भगवान देई ने प्राप्त कर लिया और सूचित किया कि रजिस्ट्री मृतक श्यामा देवी की है जो अब नहीं है । इस प्रकार स्वर्गीय श्री फकीरे लाल द्वारा नामित पत्नी एवं क्लेम करने वाली पत्नी में विसंगति प्रकाश में आ जाने के कारण जिलाधिकारी लखनऊ से स्वर्गीय श्री फकीरे लाल की वास्तविक पत्नी एवं उत्तराधिकारी की पुष्टि करायी जा रही है । तत्पश्चात् ही वास्तविक एवं विधिक उत्तराधिकारी को भुगतान किया जा सकेगा ।

अतः जब तक स्वर्गीय श्री फकीरे लाल के वास्तविक उत्तराधिकारी की पुष्टि नहीं हो जाती है, तब तक उनके अवशेषों का भुगतान करना सम्भव नहीं है और न ही उनको सेवा में लिए जाने का प्रश्न ही उठता है । इस प्रकार कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

संयुक्त कृषि निदेशक श्री दिग्पाल सिंह की अनियमित रूप से हुई पदोन्नतियां

70--श्री राम आसरे--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लगभग 10 वर्ष पूर्व कृषि विभाग में श्रेणी-2 में संविलीन अधिकारी श्री दिग्पाल सिंह को अनियमित रूप से बाद में श्रेणी प्रथम में पदोन्नति कर उसी को आधार लेकर जुलाई, 1986 में संयुक्त कृषि निदेशक अनियमित रूप से बना दिया गया है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी नहीं । श्री दिग्पाल सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र मुजफ्फराबाद, सहारनपुर के पद पर कार्यरत थे । उक्त केन्द्र पी0 आर0 आई0 के अधीन था । केन्द्र साज-सज्जा के साथ कृषि विभाग में संविलीन हुआ । अन्वेषणालय के अस्थायी तथा कृषि विभाग के अस्थायी कर्मचारियों के मध्य ज्येष्ठता लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के दिनांक से निर्धारित करने का निर्णय लिया गया । श्री सिंह का अनुमोदन लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 6 अप्रैल, 1963 द्वारा किया गया था । प्रधानाचार्य भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र मुजफ्फराबाद, सहारनपुर का पद कृषि सेवा श्रेणी -2 सेक्शन "बी" के कैडर में रखा गया । कृषि सेवा श्रेणी-2 सेक्शन "बी" के अन्तर्गत चयन आयोग के पत्र दिनांक 10 अप्रैल, 1963 द्वारा किया गया । इसके पूर्व आयोग द्वारा चयन 11 फरवरी, 1963 के पत्र द्वारा किया गया था । अतः आयोग के चयन दिनांक 11 फरवरी, 1963 के द्वारा चुने गए अन्तिम व्यक्ति के नीचे तथा आयोग के पत्र दिनांक 10 अप्रैल, 1963 द्वारा चुने गए प्रथम व्यक्ति के ऊपर श्री सिंह को रखकर ज्येष्ठता निर्धारित की गई । उक्त के सम्बन्ध में आयोग का भी परामर्श प्राप्त किया गया तथा आयोग ने अपनी सहमति दी । इसी आधार पर श्री सिंह की श्रेणी-1 में प्रोन्नति की गई । श्रेणी-1 की ज्येष्ठता के आधार पर श्री सिंह की संयुक्त कृषि निदेशक के पद पर वर्ष 1986 में प्रोन्नति की गई ।

संग्रह व्यय की धनराशि को 029 भू-राजस्व खण्ड एवं अन्य प्राप्तियों को उगाही नामक शीर्षक में जमा न करने की शिकायत

71--श्री शकीलुर्रहमान बर्क--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के अर्द्ध शा0 पत्र संख्या 28/11-10-69 सी-2-376 राजस्व-7, दि0 9 अक्तूबर, 1974 के अन्तर्गत संग्रह व्यय राज्य सरकार को प्राप्त है ? यदि हां, तो इसे 029 भू-राजस्व खंड अन्य प्राप्तियों को नयी सेवाओं के भुगतान को उगाही नामक शीर्षक में जमा क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

सन्दर्भित पत्र में प्रदत्त रीति से वेतन एवं अन्य व्यय राजकीय बजट से नहीं किया जाता और न ही सहकारी संग्रह योजना के कर्मचारी राजकीय कर्मचारी हैं समस्त योजना सहकारी संग्रह कोष नियमावली के अनुसार संचालित है और तदनुसार संग्रह व्यय सहकारी संग्रह कोष में जमा किया जाता है जिसके परिचालन का अधिकार जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, को प्रदत्त है । संग्रह कोष नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित अंशदान राजकीय कोषागार में जमा होना है । जमा का लेखा शीर्षक निर्धारित कर दिया गया है और अब इस धनराशि को जमा कर दिया जायेगा ।

जल निगम के निदेशक मंडल द्वारा आशुलिपिक ग्रेड-2 के पदोन्नति के निर्णय का अभी तक पालन न होने की शिकायत

72--श्री सरदार सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम निदेशक मंडल द्वारा मुख्यालय के चार मुख्य अभियन्ता स्तर-2 के साथ सम्बद्ध आशुलिपिक ग्रेड-2 वेतनमान रु0 620-1100 के पदों को निजी सचिव वेतनमान 775-1360+60 में उच्चीकृत किये जाने का निर्णय अपनी 79वीं बैठक के मद संख्या 79-15-01 द्वारा लिया था एवं उन पदों के विरुद्ध चयन भी हुआ था ? यदि हां, तो तैनाती के आदेश अभी तक क्यों नहीं निर्गत हुए ? निदेशक मंडल की 43वीं बैठक के मद संख्या 43-23-09 द्वारा मिनिस्ट्रीयल अधिष्ठान के पदों के सृजन का अधिकार अध्यक्ष, जल निगम को सर्वसम्मति से प्रदान किये जाने के बावजूद इस मामले को शासन को संदर्भित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या अध्यक्ष, जल निगम को अनुमति प्राप्त कर पदोन्नति आदेश निर्गत किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जी हां, यह निर्णय निदेशक मंडल की 79वीं बैठक की मद संख्या 79.05.01 में लिया गया था। शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में जल निगम द्वारा चयन भी किया गया था।

शासन द्वारा उक्त पदों के उच्चीकरण की स्वीकृति प्रदान न किये जाने के कारण अभी तक इन पदों पर तैनाती नहीं हो पाई है।

निदेशक मण्डल की 43वीं बैठक के मद संख्या 43.23.09 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव विशेष के सन्दर्भ में ही अध्यक्ष, जल निगम को पद सृजन के बारे में अधिकार प्रदान किया गया था। यह अधिकार भविष्य के सभी पद सृजन के प्रस्तावों पर लागू नहीं है। शासन द्वारा नये पदों के सृजन पर लगाई गई रोक के कारण जल निगम द्वारा उपर्युक्त पद सृजन सम्बन्धी प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये गये थे।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन द्वारा पदों के उच्चीकरण का औचित्य नहीं पाया गया।

महानगर लखनऊ योजना के अन्तर्गत 152-बी की सेक्टर ए की भवनों के पीछे छोड़ी गई भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नये सिरे से निर्माण कार्य कराये जाने का मामला

73--श्री सरदार सिंह तथा श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महानगर लखनऊ योजना के अन्तर्गत 152-बी, सेक्टर ए, मकान में पीछे लान के लिये छोड़ी गयी जगह में दूसरा नया निर्माण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शा पास करा कर कराया गया है ? यदि हां, तो नक्शा किस दिनांक को पास कराया गया ? यदि नहीं, तो क्या अनधिकृत निर्माणकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

प्रश्नगत दूसरा निर्माण बिना नक्शा पास कराये किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की गयी है ।

जीवन रक्षक दवाओं में मिलावट की वर्ष 1986-87 व 1987-88 में पकड़ी गयी घटनाओं की संख्या

74--श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जीवन रक्षक दवाओं में मिलावट को प्रभावी ढंग से रोकने की कोई नीति सरकार के पास है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बताना चाहेगी कि वित्तीय वर्ष 1986-87, 1987-88 में अब तक कितनी मिलावट की घटनायें पकड़ी गईं और कितनों को सजा दी गई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बुलन्दशहर में स्याना नगरपालिका में मजवेखाने के लिये सड़क के अभाव में कुरेशा, बादरी परिवारों को व्यापार करने में कठिनाई

75--श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्याना नगरपालिका, जनपद बुलन्दशहर में मजवेखाने हेतु सड़क नहीं होने के कारण कुरेशा बादरी के परिवारों को प्रतिदिन व्यापार करने में विशेष कठिनाई होती है ? यदि हां, तो उपरोक्त सड़क का निर्माण कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

मजवेखाने हेतु कच्ची सड़क बनी हुई है जिसके ठीक हालत में होने के कारण कुरेशा, बादरी के परिवारों को व्यापार करने में कठिनाई की सम्भावना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

76--श्री सुरेन्द्रसिंह (गाजीपुर)--

[5वें मंगलवार में अता० प्र० सं० 121 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार), गोरखपुर से साथ सम्बद्ध आशुलिपिक की हुई अनियमित पदोन्नति के सम्बन्ध में शिकायतें

77--श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार), गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के आशुलिपिक, जिनकी पदोन्नति वेतनमान रु० 515-860 में की गयी थी, को शर्तों को पूरा न करते हुए भी उच्च वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है ? यदि

हो, तो किस आधार पर तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता हेतु जिम्मेवार व्यक्ति के प्रति शासन क्या कार्यवाही करेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

संयुक्त कृषि निदेशक के कार्यालय के आशुलिपिक श्री रघुराज सिंह द्वारा कृषि निदेशक (मुख्यालय प्रशासन) को दिये गये प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में जानकारी

78--श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि (श्री रघुराज सिंह) आशुलिपिक, कार्यालय, संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार), गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा कोई आवेदन-पत्र दिनांक 3 सितम्बर, 1987 को कृषि निदेशक, (मुख्य प्रशासन अनु0), लखनऊ को दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

ग्राम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उप केन्द्र सुभाड़ी केन्द्र जखोली जनपद टेहरी गढ़वाल में कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता श्री शोभा चन्द्र को जनपद के करीब स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सूचना

79--श्री राम शरण दास--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री शोभा चन्द्र, प्रा0 स्वा0 कार्यकर्ता, मलेरिया पिछले 14 वर्षों से भी अधिक पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत है तथा इस समय जनपद टेहरी गढ़वाल के केन्द्र जखोली के उप केन्द्र सुभाड़ी पर प्रा0 स्वा0 कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है ? क्या मंत्री जी उक्त गरीब अल्प वेतन भोगी कर्मचारी पर दया कर उसे मैदानी क्षेत्र के जनपद सहारनपुर में स्थानान्तरित कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आगरा के नगरपालिका फिरोजाबाद में सफाई उपकरणों के अभाव को देखते हुये थ्रीव्हील ट्राली की व्यवस्था की मांग

80--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, फिरोजाबाद जनपद आगरा में सफाई उपकरणों के अभाव और टूटे सफाई उपकरणों आदि की मरम्मत की उचित व्यवस्था न होने के कारण भैंसा गाड़ियों के स्थान पर थ्रीव्हीलर मय ट्राली के व्यवस्था करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

नगरपालिका, फिरोजाबाद द्वारा कुछ थ्रीव्हीलर्स क्रय करने हेतु नगरपालिका 1 प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो शासन के विचाराधीन है ।

81—श्री कनक सिंह—

[दिनांक 8 मार्च, 1988 को अता0 प्र0 सं0 170 द्वारा उत्तरित ।]

जनपद मेरठ के ग्रामीण अस्पतालों को व्यवस्थित रूप से चलाने हेतु स्टाफ को वहीं रहने देने की मांग

82—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जनपद के ग्रामीण अस्पतालों को सुव्यवस्थित चलाने के लिये डाक्टर व नर्सों को वहीं रहने का कोई उपाय सरकार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मेरठ जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ऐसे अस्पताल, जहां पर आवासीय सुविधा राजकीय अथवा किराये पर उपलब्ध है, चिकित्सा अधिकारी अपने मुख्यालय पर निवास करते हैं । ग्रामीण अस्पतालों में नर्स का पद सृजित नहीं है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में जो नये प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं उनमें आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है ।

उपनिदेशक (निर्माण), मण्डी परिषद्, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध नवम्बर, 1987 में निदेशक, मण्डी परिषद से की गई शिकायत के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की जानकारी

83—श्री कनक सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप निदेशक (निर्माण), मण्डी परिषद्, मुजफ्फरनगर द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितता करने के सम्बन्ध में कोई शिकायत माह नवम्बर, 1987 में मण्डी निदेशक को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध की गई अनियमितताओं तथा आर्थिक घोटाले व भ्रष्ट आचरण की शिकायत की जांच की गई ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

माह नवम्बर में समाचार-पत्र की एक कटिंग प्राप्त हुई थी जिसकी जांच संयुक्त निदेशक (निर्माण), मंडी परिषद द्वारा की गई । समाचार-पत्र में उल्लिखित आरोप साक्ष्य के अभाव में सिद्ध नहीं हुये ।

गोविन्द नगर सहकारी गृह निर्माण समिति लिमि0, मथुरा द्वारा सोसायटी के कार्य हेतु खरीदा गया ट्रक

84—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोविन्दनगर सह0 गृह निर्माण समिति लि0, मथुरा ने सोसाइटी कार्य के लिए कोई ट्रक खरीदा है ? यदि हां, तो किस वर्ष में और उसका नम्बर क्या है ? इस ट्रक पर प्रतिवर्ष अब तक कितना व्यय किया जाता रहा है तथा प्रति वर्ष इस ट्रक से अब तक कितने की आमदनी समिति को हुई ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जी हां ।

समिति ने ट्रक वर्ष 1981 में खरीदा है तथा उस ट्रक का रजिस्ट्रेशन संख्या यू० एस० ओ०-9613 है ।

उक्त समिति के सचिव द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ट्रक पर समिति को प्रतिवर्ष होने वाले आय तथा व्यय का विवरण निम्नवत् है :—

वर्ष	आय	व्यय
1981-82	57,229·14	46,156·59
1982-83	40,647·65	25,926·49
1983-84	57,674·60	54,886·39
1984-85	24,926·50	21,585·40
1985-86	25,052·00	9,500·00
1986-87	24,900·00	9,125·00
योग ..	2,30,429·89	1,67,179·87

मथुरा जनपद में द्वितीय वर्ष 1985-86 व 1986-87 में आरम्भ की गई पेयजल योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी

85—श्री कुशल पाल सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में वर्ष 1985-86 व 1986-87 में कितनी पेयजल योजनाओं पर कार्य शुरू किया गया और कितनी योजनाओं को टन्डर में दिये गये समय के अन्तर्गत पूरा किया गया ? क्या यह सही है कि कोई भी योजना समय के अन्तर्गत पूरी नहीं की गई ? यदि हां, तो निर्धारित समय के अन्तर्गत टंकियों को पूरा न कराने वाले ठेकेदारों के खिलाफ विभाग ने कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

मथुरा जनपद में वर्ष 1985-86 व 1986-87 में क्रमशः 19 तथा 28 उच्च जलाशयों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया जिसमें से क्रमशः 12 तथा 10 जलाशयों का निर्माण अनुबन्ध में दिये गये समय/ स्वीकृत समय वृद्धि के अन्तर्गत पूरा किया गया ।

जी नहीं ।

2 टंकियों से सम्बन्धित ठेकेदारों का अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया है, 5 टंकियों से सम्बन्धित ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । शेष मामलों पर गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही की जायगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवास विकास परिषद् द्वारा निर्मित भवनों में विधायकों के लिए आरक्षण कोटा का प्रतिशत

86--श्री मोहम्मद रिजवानुल हक--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायकों के लिये आवास विकास की हर योजना में चार प्रतिशत कोटा आरक्षित किया गया है ? यदि हां, तो जिगर कालोनी आवास विकास योजना, मुरादाबाद में कितने विधायकों को मकान आवंटित किये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रश्नकर्ता विधायक को जिगर कालोनी योजना, मुरादाबाद में उच्च आय वर्ग का मकान प्रश्नकर्ता के पंजीकरण संख्या एम0 आर0 डी0 (एच0-362) (आई)/79 के आधार पर सेल्फ फाईनेन्सिंग पर ही आवंटित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

आवास एवं विकास परिषद् की स्वयं वित्त योजना को छोड़कर अन्य प्रत्येक श्रेणी की सम्पत्तियों में नियमानुसार आरक्षण का प्राविधान है । विधायकों के 4 प्रतिशत के आरक्षण में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विधायक, संसद सदस्य तथा ऐसे भूतपूर्व विधायक, जिनकी धनराशि विधायक आवास समिति में जमा है, शामिल हैं ।

जिगर बिहार कालोनी, मुरादाबाद में एक विधायक को स्वयं वित्त पोषित योजना में पंजीकरण के विरुद्ध एक भवन आवंटित किया गया ।

जी नहीं ।

क्योंकि प्रश्नकर्ता माननीय विधायक उच्च आय वर्ग के भवन हेतु पंजीकृत हैं और उच्च वर्ग के पंजीकरण के विपरीत स्वयं वित्त पोषित योजना का भवन नियमानुसार आवंटित नहीं किया जा सकता है ।

श्री जगदेव यादव की पत्नी की धोखे से नसबन्दी किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत

87--श्री राम सजीवन--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री जगदेव यादव, ग्राम व पोस्ट पहाड़ी, जिला बांदा ने 12 अक्तूबर, 1987 को मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा और जिलाधिकारी, बांदा आदि को प्रार्थना-पत्र भेजकर शिकायत की है कि उनकी पत्नी मुलिया को, फोड़े के आपरेशन के बहाने, नसबन्दी कर दी गयी है ? यदि हां, तो गलत ढंग से अपात्र महिला को धोखेबाजी से नसबन्दी करने के लिए कौन-कौन लोग दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां ।

शिकायती-पत्र के आधार पर जांच की गई । जांच के उपरान्त यह पाया गया कि श्रीमती मुलिया ने स्वेच्छा से नसबन्दी आपरेशन कराया था, अतः किसी के दोषी होने तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड पिलाना, मेरठ के ग्राम ढिकौली को टाउन एरिया बनाये जाने की योजना

88--श्री रिछपाल सिंह बंसल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के विकास खण्ड पिलाना के ग्राम ढिकोली को टाउन एरिया बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक टाउन एरिया घोषित कर दिया जाएगा ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

ग्राम ढिकोली को टाउन एरिया बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम भगोट, जिला मेरठ में राजकीय अस्पताल बनाये जाने का मामला

89--श्री रिछपाल सिंह बंसल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के गांव भागोट में राजकीय अस्पताल का भवन बनना स्वीकृत हुआ ? यदि हां, तो अब तक भवन न बनने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं ।

मेरठ जनपद के खेकड़ा कस्बा को नगर पालिका बनाने का प्रस्ताव

90--श्री रिछपाल सिंह बंसल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के कस्बा खेकड़ा को नगर पालिका बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कस्बा खेकड़ा कब तक नगरपालिका बन जायेगा ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जी हां ।

गुणावगुण के आधार पर इस मामले में शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा ।

इलाहाबाद नगरमहापालिका के 720 दिन लगातार सेवा करने वाले कर्मचारियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 1987 के बारे में जानकारी

91--श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 1987 इलाहाबाद नगरमहापालिका के कर्मचारी नेताओं के संलग्न पत्र के साथ, जिसमें 720 दिनों तक निरंतर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमित करने की मांग की गयी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जी हां, माननीय सदस्य का इस विषय पर एक पत्र दिनांक 1 जनवरी, 1988 प्राप्त हुआ है ।

प्रदेश की समस्त नगर महापालिकाओं में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के विनियमितीकरण हेतु पदों के सृजन सम्बन्धी सामान्य प्रश्न शासन के विचाराधीन हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नेहरू जन्म शताब्दी वर्ष में उनके जन्म एवं कर्म भूमि इलाहाबाद के कतिपय व्यवस्था में सुधार हेतु धन की मांग के सम्बन्ध में दिये गये पत्र

92--श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेहरू जन्म शताब्दी वर्ष में माननीय नेहरू जी की जन्म और कर्मभूमि इलाहाबाद में सड़क, सीवर पेयजल पूर्ति की सुचारू व्यवस्था हेतु पर्याप्त धन देने सम्बन्धी मांग पत्र 31 दिसम्बर, 1987 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जी हां । माननीय सदस्य का एक ऐसा पत्र शासन को प्राप्त हुआ है । इलाहाबाद नगर में सीवर योजना पेय जल आपूर्ति हेतु विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत कार्य कराया जाना प्रस्तावित है मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत विभिन्न बस्तियों में नाली, सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज स्नानगृह निर्माण आदि कार्य भी कराया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1982 से घोषित नगर महापालिका बरेली मेरठ व गोरखपुर के कर्मचारियों के लिए पेन्शन नियम लागू न किया जाना

93--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1982 से बरेली, मेरठ एवं गोरखपुर महानगरपालिका घोषित किए जाने के बाद किन कारणों से अब तक इन महापालिकाओं के कर्मचारियों के लिए पेन्शन नियम लागू नहीं किए गए हैं ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

इन महापालिकाओं द्वारा बनाई गई पेन्शन नियमावलियों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है और वे शासन के विचाराधीन हैं ।

पेन्शन नियमावलियों को लागू करने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ।

पंजाबी मार्केट बरेली की ऊपरी मंजिल की दुकानों की खिड़कियां गवर्नमेन्ट इन्टर कालेज की ओर न खोले जाने के सम्बन्ध में

94--डाक्टर दिनेश जौहरी--

प्रथम सत्र 1986 के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित तारा0 प्रश्न संख्या 15 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंजाबी मार्केट बरेली

में ऊपरी मंजिल पर क्रेताओं के हित में दूकानें बनाने और इनमें दरवाजे या खिड़की गवर्नमेन्ट इन्टर कालेज की ओर न खोले जाने के सम्बन्ध में अनुमति देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जी नहीं ।

अनुमति नहीं दी जा सकती । चूंकि नगर महापालिका बरेली द्वारा पंजाबी मार्केट बरेली की जो दुकाने बेची गई हैं उनके विक्रय अनुबन्ध के अन्तर्गत ऊपरी मंजिल पर दुकाने बनाने का अधिकार आवंटी को नहीं दिया गया है ।

प्रदेश स्तर के समस्त नगरपालिका एवं नगर महापालिकाओं के राजस्व निरीक्षकों के पदों का केन्द्रीयकरण एवं उनका स्थानान्तरण

95--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिकाओं एवं नगर महापालिकाओं में कार्यरत राजस्व निरीक्षकों के पद सेन्ट्रलाइज कर दिये हैं ? यदि हां, तो अन्य पदों की भांति एक पालिका में तीन वर्ष एवं एक जनपद में पांच वर्ष से अधिक कार्य कर रहे राजस्व निरीक्षकों का स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है ? क्या नगर विकास मंत्री जनहित में निश्चित अवधि पूरी किये हुये राजस्व निरीक्षकों को स्थानान्तरण होने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जी, हां ।

राजस्व निरीक्षकों के पद शासकीय विज्ञप्ति संख्या-410/11-4-80-113-ई0 ओ0-86, दिनांक 3 मई, 1983 द्वारा सेन्ट्रालाइज्ड किये गये थे । उक्त विज्ञप्ति के विरुद्ध नगर महापालिका इलाहाबाद कर्मचारी संघ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये जाने के कारण स्थानान्तरण नहीं किये जा सके ।

स्थानान्तरण सत्र में स्थानान्तरण पर विचार करना प्रस्तावित है ।

बरेली जनपद के कतिपय स्वास्थ्य केन्द्रों पर पाइप लाइन डालने व बिजली के फिटिंग के कार्य के ठेकेदार के बिलों एवं जमानत राशि की वापसी का मामला

96--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि मेसर्स अराफाक हुसैन को वर्ष 1983-84 में बरेली जनपद के टुनवना शीशगढ़ सिरौली स्वास्थ्य केन्द्रों पर आर्डर नवम्बर 6/83-84 के माध्यम से पाइप लाइन डालने व बिजली फिटिंग का ठेका दिया गया था किन्तु किन्ही कारणों से फर्म द्वारा 80 प्रतिशत ही काम कराया गया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी ठेकेदार के द्वारा किये गये काम व जमानत राशि का भुगतान करने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मेसर्स अशफाक हुसैन को ठेका दिया गया उनके द्वारा लगभग 50 प्रतिशत कार्य सम्पादित किया गया । ठेकेदार ने न तो कार्य पूर्ण किया और न ही कार्य छोड़ देने की नोटिस दी । उनके द्वारा किया गया अपूर्ण कार्य अनुपयोगी है । उन्हें कार्य का रनिंग भुगतान करने का प्राविधान संविदा पत्र में नहीं था । इन कारणों से भुगतान का प्रश्न अपरिपक्व है ।

जनपद बाराबंकी के टाउन एरिया जैदपुर में पच्चीस शैय्याओं वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने विषयक

97--श्री राम पाल वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कस्बा व टाउन एरिया जैदपुर जनपद बाराबंकी में तथा उसके पास के गांवों को मिलाकर वहां की आबादी को दृष्टिगत रखते हुये उस क्षेत्र का सर्वेक्षण कर जिला परिषद् के जर्जर चिकित्सालय का प्रान्तीयकरण करके प्रथम श्रेणी का पच्चीस शैय्याओं वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वित्तीय वर्ष 1988-89 या 1989-90 में खोलकर नागरिकों को आधुनिक सरकारी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जैदपुर में एक राजकीय महिला चिकित्सालय तथा उसके आस-पास 8 कि0 मी0 की परिधि में 6 उपकेन्द्र कार्यरत हैं और निकट भविष्य में उक्त क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरख को जिला योजनान्तर्गत उच्चीकृत करने की संभावना है । अतएव सम्प्रति जैदपुर के प्रश्नगत अस्पताल के प्रान्तीयकरण का प्रश्न अपरिपक्व है ।

प्रदेश के विभिन्न शहरों से मांस मछली आदि से होने वाले प्रदूषण और गन्दगी को रोकने की योजना की मांग

98--श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के विभिन्न शहरों में मांस, मछली की मंडियों से फैलने वाले प्रदूषण एवं गन्दगी को रोकने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी मंडियों को शहर के किसी किनारे पर स्थापित करने का निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन द्वारा स्थानीय निकायों (शहरों) में सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रशासकों को निर्देश दिये जा चुके हैं ।

आवास विकास परिषद् की इन्दिरा नगर कालोनी के कतिपय सेक्टरों के मकानों को खाली करने के सम्बन्ध में शासन का विचार

99--श्री सुखपाल पाण्डे--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के पहले मंगल के तारा0 प्र0 सं0 3 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश

आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ की इन्दिरा नगर कालोनी के सेक्टर 1, 2, 3 व 4 के आवास पुराने आवंटियों द्वारा खाली कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने आवासों का कब्जा परिषद् को मिल गया है ? यदि नहीं, तो आवास खाली कराने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और क्या क्र0 सं0 23, 24, 46, 47, 48 व 49 पर अंकित आवास खाली कराने हेतु मुकदमा दायर कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं ।

अभी किसी भवन का कब्जा परिषद् को वापस प्राप्त नहीं हुआ है ।

इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के सेक्टर 1, 2, 3, 4 के भवनों के जिन आवंटियों से बकाया धनराशि की वसूली नहीं हो पाई थी, उनके विरुद्ध निम्नांकित कार्यवाही अमल में लायी गई है :

(1) बकाया की वसूली हेतु विधिवत नोटिस जारी की गई ।

(2) जिन आवंटियों द्वारा बकाया की धनराशि फिर भी जमा नहीं की गई उनके आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिये गये ।

(3) कुछ मामलों में पब्लिक प्रिमेजेज रेण्ट रिकवरी एंड डेमेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत आवास खाली कराने हेतु वाद दायर किये गये हैं ।

तथा जिन आवंटियों द्वारा बकाया धनराशि तथा कटौती की धनराशि जमा करके आवंटन एवं पंजीकरण पुर्नजीवित करा लिए गये हैं, उनके विरुद्ध अब नियमानुसार किसी कार्यवाही का औचित्य नहीं है ।

इनमें से केवल क्रम संख्या–46 पर अंकित भवन संख्या–डी0 2251 व क्रम संख्या–48 पर अंकित भवन संख्या–डी0 2280 के आवंटी से आवास खाली करने हेतु उनके विरुद्ध वाद दायर कर दिया गया है । वाद अभी विचाराधीन है ।

शेष पर मुकदमा दायर नहीं किया गया है क्योंकि क्रम संख्या–23 पर अंकित भवन संख्या–सी0 1683 के आवंटी द्वारा भवन के मूल्य के विरुद्ध बकाया धनराशि का भुगतान करके आवंटन पुर्नजीवित कराया जा चुका है । अतः मुकदमा दायर किया जाना सम्भव नहीं है । क्रम संख्या–24 पर अंकित भवन संख्या–सी0 2260 के आवंटी द्वारा भवन के कुल मूल्य का भुगतान करके तथा भवन का आवंटन पुर्नजीवित कराके रजिस्ट्री अपने नाम से करायी जा चुकी है । अतः मुकदमा दायर करने का कोई औचित्य नहीं है ।

क्रम संख्या 47 पर अंकित भवन संख्या–डी0 2273 के आवंटी द्वारा अध्यावधिक भुगतान कराके पंजीकरण/आवंटन पुर्नजीवित करा लिया गया है । अतः वाद दायर किया जाना सम्भव नहीं है । क्रम संख्या–49 पर अंकित भवन संख्या–डी0 2315 के आवंटी बकाया धनराशि में से अधिकतर धनराशि परिषद् खाते में जमा कर चुके हैं और उन पर फरवरी, 1988 तक मात्र 1,905 रु0 बकाया रह गई है, जिसकी वसूली हेतु नोटिस जारी की जा चुकी है । इतनी कम धनराशि बकाया होने पर मुकदमा दायर करना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ में कार्यरत स्टाफ में आरक्षित जातियों के कोटा के सम्बन्ध में जानकारी

100—श्री चेतराम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ में कितने प्रवक्ता/(तदर्थ प्रवक्ता), रीडर एवं प्रोफेसर के पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग का आरक्षण कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में 120 प्रवक्ता, 85 रीडर तथा 59 प्रोफेसर के पद हैं ।

जी नहीं ।

क्योंकि शासन द्वारा अधिग्रहण के पूर्व किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ विश्वविद्यालय के अधीन था तथा विश्वविद्यालय के अधिनियमों/परिनियमों में शैक्षणिक पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये किसी प्रकार का आरक्षण दिये जाने का प्राविधान नहीं है ।

अधिग्रहण के उपरान्त शैक्षिक पदों पर चयन के लिए आरक्षण के प्रश्न पर विचार करने एवं संस्तुति देने हेतु माननीय मंत्री, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है ।

प्रदेश के समस्त एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में कार्यरत चिकित्सीय स्टाफ में आरक्षित जाति का कोटा पूरा होने की जानकारी

101—श्री चेतराम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विभिन्न एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में प्रवक्ता/तदर्थ प्रवक्ता, रीडर एवं प्रोफेसर के कितने पद हैं ? क्या इन पदों पर आरक्षित अभ्यर्थियों का कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो उपर्युक्त पदों पर आरक्षित कोटा पूर्ण करने के शासन द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रदेश के छः एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में प्रवक्ता के 370, रीडर के 215 एवं प्रोफेसर के 144 पद हैं ।

जी नहीं ।

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में शैक्षिक पदों पर चयन के लिए आरक्षण के प्रश्न पर विचार करने एवं संस्तुति देने हेतु माननीय मंत्री, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है ।

निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी (सेवायें) तथा निदेशक होम्योपैथिक उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1984 से 1987 के मध्य कतिपय नियुक्तियों में सेवायोजन कार्यालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन से नाम न मंगाये जाने के कारणों की जानकारी

102--श्री देव कुमार यादव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984 में निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी (सेवायें) उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा विज्ञापित 1056 चिकित्साधिकारी आयुर्वेदिक एवं यूनानी के पद तथा वर्ष 1987 में 1400 पद, निदेशक होम्योपैथिक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा 250 होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद वर्ष 1985 में तथा होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के डिमान्सट्रेटर्स के 21 पद वर्ष 1987 में किस आधार पर व्यवसायिक एवं प्रबन्धकीय सेवायोजन कार्यालय, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, लखनऊ को अधिसूचित नहीं किये गये जबकि अधिनियम 1959 तथा वर्तमान राज्यादेशों के अनुसार ऐसी रिक्तियां उपरोक्त सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित की जानी चाहिए थीं ? क्या वर्ष 1984 एवं 1987 में इस प्रकरण पर सेवायोजन विभाग द्वारा आपत्ति उठायी गयी थी ? यदि हां, तो नियमों का पालन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

कथित पद कथित ऐक्ट की परिधि में नहीं आते हैं ।

नगर पालिका, गुरसराय जिला झांसी के कतिपय मोहल्ले में पाइप लाइन बिछाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र के सम्बन्ध में जानकारी

103--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का झांसी जिले की नगरपालिका, गुरसराय में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सभी मोहल्लों में पाइप लाइन बिछाने विषयक पत्र दिनांक 17 मई, 1986 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि गुरसराय के सभी मोहल्लों तक पाइप लाइन कब तक बिछवा दी जायेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जी हां ।

उक्त पत्र प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है ।

धनाभाव के कारण फिलहाल पाइप लाइन डालना सम्भव नहीं है ।

ग्राम रानापुरा जिला झांसी में बनी पानी की टंकी द्वारा कार्य न किये जाने के कारणों की जानकारी

104--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले के रानापुरा ग्राम में पानी की टंकी कब बनी थी और उससे आज तक सम्बन्धित ग्रामों की पेय जल

आपूर्ति न करने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी ग्राम रानापुरा की पानी टंकी से जुड़े ग्रामों को पेयजल आपूर्ति टंकी से किया जाना सुनिश्चित कराने के आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

ग्राम रानापुरा में पानी की टंकी का निर्माण वर्ष 1983 में पूर्ण कराकर चालू कर दी गयी थी । तदोपरान्त इस टंकी से सम्बन्धित रानापुरा एव तुर्क लछूरा ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ की गयी परन्तु रानापुरा ग्राम के पास आसामाजिक तत्वों द्वारा पाइप लाइन में बार-बार तोड़-फोड़ करने के कारण ग्रामों की पेयजल आपूर्ति बाधित होती रही । इस परिस्थिति में झांसी जल संस्थान ने पूरी लाइन में पानी की आपूर्ति बंद कर दी जिसमें पानी का अपव्यय रोका जा सके ।

ग्राम रानापुरा की पानी की टंकी से जुड़े ग्रामों (रानापुरा एवं तुर्क लछूरा) में जल आपूर्ति करने हेतु झांसी जल संस्थान को निर्देश दिये जा रहे हैं ।

झांसी जनपद की तहसील मोंठ के ग्राम खिल्ली की पानी की टंकी को भरने के सम्बन्ध में

105--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले की मोंठ तहसील में ग्राम खिल्ली की पानी की टंकी पांच किलोमीटर दूर स्थित पूंछ पम्प हाउस से न भरी जाकर दस किलोमीटर दूर मोंठ पम्प हाउस से भरी जाने का क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मोंठ से खिल्ली पानी की टंकी क्या नियमित भर जाती है और पेयजल आपूर्ति करती है ? यदि नहीं, तो क्या खिल्ली की टंकी को भरे जाने हेतु पूंछ पम्प हाउस से जोड़ने के आदेश करेंगे ताकि खिल्ली सहित अन्य ग्रामों जो इस टंकी से जुड़े हैं, की पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

योजना के मूल प्रस्तावों के अनुसार ग्राम की टंकी लगभग पांच किलोमीटर दूर भुजौद ग्राम में नलकूप से भरी जानी प्रस्तावित थी, किन्तु केन्द्रीय भू-सर्वेक्षण संगठन के सुझाव पर प्रस्तावित स्थान पर नलकूप के सफल न होने की संभावना से उनके सुझाव पर मोंठ के निकट ग्राम बमरौली में नलकूप बना कर टंकी को भरने की व्यवस्था की गयी ।

खिल्ली स्थित पानी की टंकी को मोंठ से नहीं बल्कि ग्राम बमरौली के नलकूप से भरा जाता है, परन्तु जल संस्थान, झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार इस समय खिल्ली टंकी में जाने वाली पाइप लाइन में मरम्मत के कारण पानी की टंकी नहीं भरी जा रही है । यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम खिल्ली में उपभोक्ताओं द्वारा जल संयोजन नहीं लिए गये हैं । खिल्ली ग्राम के सार्वजनिक जल स्तम्भ को उक्त नलकूप से सीधे जलापूर्ति की जा रही है ।

उल्लिखित ग्राम समूहों की रचना, निर्मित कार्यों की क्षमता एवं तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है ।

इन्दिरा नगर कालोनी लखनऊ के सेक्टर 7 के भवन संख्या 400 का निर्माण स्वीकृत नक्शे के विपरीत होने की शिकायत

106--श्री फजलुल बारी--

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि सी0 400 सेक्टर 7 इंदिरा नगर, लखनऊ के लिए आवास एवं विकास परिषद् में स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो सरकार इस अनियमितता के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जी हां ।

अनधिकृत निर्माण को गिराये जाने हेतु भवन आवंटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिलौली जनपद उन्नाव के आवासीय क्वार्टरों के निर्माण में अनियमितता

107--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के ब्लाक पी0 एच0 सी0 हिलौली के आवासीय क्वार्टरों के निर्माण में घटिया सामग्री, मानक से कम सीमेन्ट क प्रयोग व छोटी साईज की ईंटों का प्रयोग हुआ है ? क्या इसी प्रकार पुरवा पी0 एच0 सी0 के आवासीय क्वार्टरों के निर्माण में घपला हुआ है और घटिया ईंटें छोटी व द्वितीय श्रेणी की प्रयुक्त हुई हैं ? क्या दोनों भवनों में प्रयुक्त घटिया सामग्री के सम्बन्ध म प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र 29 अक्तूबर, 1987 मंत्री जी को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

प्रश्नगत शिकायती-पत्र दिनांक 28 अक्तूबर, 1987 प्राप्त हुआ था । शिकायतों के सम्बन्ध में जांच हेतु मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ को निर्देश दिये जा चुके हैं । जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा बिना जिला अधिकारी की संस्तुति के भूमि अर्जित करने का मामला

108--श्री हरशरन सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ विकास प्राधिकरण ने जो भूमि अर्जन की है उसमें जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति करायी गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जी नहीं ।

भूमि अर्जन अधिनियम में धारा 17 के प्राविधानों सहित धारा 4 व 6 की विज्ञप्तियां जारी करने हेतु शासन स्वयं सक्षम है ।

परगनाधिकारियों के कृषि उप मंडी समिति का कार्य देखने के लिये मानदेय दिये जाने का मामला

109—श्री धनराज यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में टाउन एरियाज के कृषि उप मण्डी समिति के चुनाव न होने के कारण इनके प्रभारी का उत्तरदायित्व तहसील में परगनाधिकारीगण के ऊपर है और जहां विनियमित क्षेत्र है उनका भी कार्य परगनाधिकारी ही देखते हैं ? क्या इस अतिरिक्त कार्य को देखने हेतु प्रश्नगत संस्थाओं से परगनाधिकारियों को कुछ मानदेय दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना-कितना रुपया दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परगनाधिकारीगण राज्य के पूर्णकालिक अधिकारी हैं तथा मंडी समिति का कार्य भी उनके लिये शासन द्वारा निर्धारित कार्य में सम्मिलित है ।

साधन सहकारी समिति, पिपरासा, विकास खंड, पडरौना, जिला देवरिया से 2,000 रुपये का फर्जी लोन जारी होने का मामला

110—श्री विष्णु देव—

क्या सहकारिता मन्त्री को ज्ञात है कि श्री नवजादिक मिश्र पुत्र अयोध्या मिश्र, निवासी साकिन मठिया नरईपुर के नाम साधन सहकारी समिति, पिपरासा, विकास खंड पडरौना जिला देवरिया द्वारा फर्जी तौर पर लगभग 2,000 रु0 का लोन लेना दिखाया गया है ? क्या यह सत्य है कि सम्बन्धित व्यक्ति समिति का मेम्बर भी नहीं है और न ही उसने लोन हेतु कभी आवेदन ही किया न लोन फार्म पर सदस्य का वास्तविक फोटो ही है ? क्या इसके विरोध में ए0 आर0, देवरिया को पत्र दिनांक 17 जून, 1985, 27 जून, 1985 भी प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो मन्त्री जी वस्तुस्थिति की जांच कराकर फर्जी लोन से सम्बन्धित व्यक्ति के परिवार को मुक्त करायेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां ।

जी नहीं । सम्बन्धित व्यक्ति समिति के मेम्बर थे । लोन फार्म में फोटो नहीं होती । पत्र दिनांक 12 जून, 1985 प्रेषित किया गया था ।

जी हां । जांच कराई गई । वर्तमान में श्री मिश्र के ऊपर विवादित धनराशि मु0 2,000 रु0 नहीं दिखायी जा रही है ।

जनपद बलिया में अप्रैल, 1987 तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की योजना

111--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जनपद में 1981 की जनगणना के अनुसार कुल कितने गांव हैं और उसमें कुल कितने गांवों में अप्रैल, 1987 तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है और शेष गांवों म कब तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने की योजना है ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

बलिया जनपद में वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 1920 आबाद ग्राम हैं जिसमें से 1118 समस्याग्रस्त ग्राम हैं ।

अप्रैल, 1987 तक 1107 समस्याग्रस्त एवं 185 असमस्याग्रस्त ग्रामों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है ।

शासन की नीति के अनुसार अभी समस्याग्रस्त ग्रामों को प्राथमिकता दी जा रही है । अवशेष समस्याग्रस्त ग्रामों में इस वित्तीय वर्ष में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है ।

बरेली महापालिका के टेन्चिग ग्राउन्ड में नागरिकों की शर्तों के मुताबिक पूर्ण विकसित भूमि एवं बिजली की उपलब्धता

112--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि बरेली महापालिका के ट्रेन्चिग ग्राउन्ड में जिन नागरिकों को भूमि खरीद कर भवनों का निर्माण कराया है उन्हें शर्तों के अनुसार वह भूमि पूर्ण विकसित करके नहीं दी गई है एवं घरों के लिए बिजली उपलब्ध नहीं कराई गई है जिससे उन्हें बहुत असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस क्षेत्र में डोमेस्टिक लाइट की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु महापालिका बरेली को निर्देशित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

नगर महापालिका बरेली द्वारा ट्रेन्चिग ग्राउन्ड पीलीभीत रोड बरेली पर जो भूमि नागरिकों को दी गई वह विकसित करके आवंटित की गई है । डोमेस्टिक लाइट उपलब्ध कराना राज्य विद्युत परिषद् को 2,50,000 रुपये की धनराशि दिनांक 24 अप्रैल, 1987 को दी जा चुकी है । निजी कनेक्शन को प्राप्त करना गृह स्वामी का कार्य है ।

स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत बेसिक हेल्थ वर्कर्स को उनकी पदोन्नति के अवसर उपलब्ध न होना

113--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत बेसिक हेल्थ वर्कर्स को उनको सेवाकाल के आधार पर कोई पदोन्नति का अवसर नहीं दिया गया एवं जनवरी, 1971 के बाद की अवधि में किसी का स्थायीकरण भी नहीं किया गया एवं इन पर बहुधन्धी स्वास्थ्य योजना लागू न होते हुए भी सारे परिवार कल्याण के काम लिये जाते हैं एवं नसबन्दी की लक्ष्य पूर्ति पूरी न होने पर सेवा समाप्ति एवं आर्थिक उत्पीड़न

किया जाता है किन्तु परिवार कल्याण कर्मचारियों की भांति वेतनमान नहीं मिलता ? यदि हां, तो इस असंगतियों के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी बेसिक हेल्थ कर्मचारियों की उत्पीड़न रोकने एवं उन्हें परिवार कल्याण कर्मचारियों के समान वेतन देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

बेसिक हेल्थ वर्कर्स बहुधन्धी कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत कार्यकर्ता की श्रेणी में समायोजित हैं और कार्यकर्ता श्रेणी में समायोजित अन्य कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान भी उन्हें स्वीकृत किया गया गया है । अन्य बहुधन्धी कार्यकर्ताओं की ही भांति इन कर्मचारियों को परिवार कल्याण कार्यक्रम आवंटित किया गया है । इन कर्मचारियों को प्रोन्नति एवं पदों का स्थायीकरण नियमानुसार किया गया है । किसी कर्मचारी का उत्पीड़न नहीं किया जाता । आवंटित कार्य में शिथिलता या प्रमाद की स्थिति में नियमतः विभागीय कार्यवाही की जाती है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली नगर महापालिका द्वारा चुंगी चोरी को न रोके जाने के सम्बन्ध में धरना एवं ज्ञापन

114--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 5-2-87 को बरेली नगर महापालिका द्वारा चुंगी चोरी न रोक पाने के विरोध में युवा उद्योग व्यापार मण्डल की ओर से विरोध स्वरूप महापालिका पर धरना रखा गया था एवं एक ज्ञापन महापालिका प्रशासक को दिया गया था ? यदि हां, तो ज्ञापन में किन बातों की शिकायत की गई थी ? क्या ज्ञापन में दिये गये बिन्दुओं की जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

दिनांक 5 फरवरी, 1987 को युवा व्यापार मण्डल ने नगर महापालिका पर धरना रक्खा था तथा एक ज्ञापन भी दिया था ।

उक्त ज्ञापन में कहा गया था कि व्यापारी के माल की चुंगी रसीद व्यापारी के नाम न काट कर ट्रान्सपोर्टर के नाम काटी जाती है कि जिस कारण ट्रान्सपोर्टर अपनी रसीद पर मनमानी चुंगी वसूल करता है । व्यापारी के पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि उसके द्वारा दी गई चुंगी वास्तव में जमा होती है । इससे व्यापारियों का शोषण होता है, अतः वसूली गई चुंगी की रसीद व्यापारी को दी जाय ।

जी नहीं, क्यों कि चुंगी पहले भी सही ली जाती थी । फिर भी वार्ता उपरान्त उपरोक्त मांग मान ली गई तथा जो पहले सभी बिल्टियों को इकजाई करके चुंगी रसीद जारी की जाती थी, वह पृथक-पृथक बिल्टी वार जारी की जाने लगी ।

बरेली नगर महापालिका में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाये जाने का विचार

115--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगर महापालिका में कितने सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या वे नगर महापालिका की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के अनुरूप हैं ? महानगर की सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये सफाई कर्मचारियों

की संख्या को आवश्यकतानुसार वृद्धि के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 में नगरपालिका बरेली द्वारा कर्मचारियों की कितनी नियुक्ति की गई है ? क्या उसकी नामवार सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

नगर महापालिका बरेली में 1357 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

महापालिका बरेली की सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु सफाई कर्मचारियों के 460 पदों के सृजन सम्बन्धी नगर महापालिका बरेली का प्रस्ताव शासन में प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है ।

नगर महापालिका बरेली में वर्ष 1985-86 में 27 तथा वर्ष 1986-87 में 22 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जिनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ सं0 214 पर।)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड द्वारा कम्पाउण्डर की नियुक्ति के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना

116--श्री राम जनम--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड द्वारा चयनित होम्योपैथिक कम्पाउण्डर का परीक्षाफल माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद भी घोषित करके प्रवेश हेतु निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त परीक्षाफल को निरस्त करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

माननीय उच्च न्यायालय, द्वारा पारित स्थगनादेश दिनांक 25 जनवरी, 1988 के अनुपालन में प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्त कार्यवाही स्थगित कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के रजिस्ट्रार का कार्यकाल बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

117--श्री राम जनम--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के रजिस्ट्रार को पूर्ण रूप से शारीरिक अक्षमता के बाद भी उनका कार्यकाल शासन की नीति के विपरीत बढ़ाये जाने का क्या कारण है । क्या उनका कार्यकाल शारीरिक अक्षमता के कारण समाप्त किया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के रजिस्ट्रार का पद सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आता है । अतएव उन पर राजकीय सेवा के अधिकारियों के नियम लागू नहीं होते ।

होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड की नियमावली के नियम 29 के अन्तर्गत सेवा-निवृत्ति की आयु सामान्यतः 58 वर्ष निर्धारित है जिसके पश्चात् 60 वर्ष की आयु तक शासन के पूर्णानुमोदन से सेवावृद्धि स्वीकृत की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड द्वारा संविधान की धारा 14 व 16 की अवहेलना

118--श्री राम जनम--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड ने संविधान की धारा 14 एवं 16 को नजरन्दाज करते हुए होम्योपैथिक कम्पाउन्डर में हाई स्कूल से उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार का मौका नहीं दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगनादेश दिनांक 25 जनवरी, 1988 के अनुपालन में प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्त कार्यवाही स्थगित कर दी गई है ।

सहकारिता विभाग में संग्रह योजना व अनुभाग की स्थापना एवं उसमें कार्यरत कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित करने का प्रश्न

119--श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग में संग्रह योजना व अनुभाग की स्थापना किस वर्ष की गयी तथा इस अनुभाग में कार्यरत कर्मचारियों को विभाग द्वारा राज्य कर्मचारी घोषित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

सहकारी अंतिदेयों की वसूली हेतु सहकारी संग्रह योजना सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 1962 में प्रारम्भ की गई । सहकारिता विभाग में संग्रह अनुभाग की स्थापना नहीं हुई ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मेरठ व गाजियाबाद में विकास खण्ड खेकड़ा के कतिपय गांवों के कुओं का जलस्तर काफी घट जाने से उत्पन्न समस्या

120--श्री रिछपाल सिंह बंसल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ व गाजियाबाद में विकास खण्ड, खेकड़ा के गांव डोलवा स्टाल डगरपुर, मवीकला भगौट भेड़ा में और

गाजियाबाद के चीरोड़ी, सरोली, मानोली में जल स्तर नीचे चले जाने के कारण कुओं में पानी सूख गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त ग्रामों में पानी की टंकी बनाने का कष्ट करेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

वर्षा कम होने के कारण कुओं का जल स्तर कम हो गया है ।

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार पाइप/टंकी द्वारा पेयजल व्यवस्था केवल उन्हीं समस्याग्रस्त ग्रामों में की जा रही है जिनमें इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प सफल नहीं है । अथवा उनका जल पीने योग्य नहीं है । जनपद मेरठ के प्रश्नगत ग्रामों में ग्राम रटौल ही समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची में है जिसमें तीन हैण्ड पम्प विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत लगाये गये हैं । जनपद मेरठ के प्रश्नगत शेष ग्रामों में से ग्राम डोलचा, मंडापुर तथा भगोट में हरिजन बस्ती कार्यक्रम में एक-एक हैण्ड पम्प लगाया गया है । जनपद गाजियाबाद के तीनों ग्रामों में से कोई भी ग्राम समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची में नहीं है, परन्तु अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत चिरोड़ी में 3, गनौली में 4 व सिरौली में 2 इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं ।

ग्राम पो0 खोरमा कन्हौली देवरिया में खाद की कतिपय अवैध कि दूकानों की शिकायतें

121—श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)—

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम व पो0 खोरमा कन्हौली देवरिया में खाद की कुछ अवैध दुकाने हैं जो बिना लाइसेन्स के खाद की बिक्री कर रही हैं ? यदि नहीं, तो वहां पर खाद की बिक्री हेतु कितने व्यक्तियों को लाइसेन्स किस आधार पर दिया गया है उनकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं ।

देवरिया जनपद के ग्राम–खोरमा कन्हौली में निम्नलिखित चार व्यक्तियों को उर्वरक विक्रय हेतु पंजीकरण प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है :—

(1) श्री अभय प्रताप सिंह, प्रो0 लक्ष्मी खाद भण्डार ।

(2) श्री कनक प्रसाद, प्रो0 दुर्गा खाद भण्डार ।

(3) श्री जगरोशन प्रसाद, रामेश्वर प्रसाद ।

(4) श्री गोपाल प्रसाद पुत्र श्री राम बिलास ।

इन व्यक्तियों को उर्वरक समन्वय समिति के निर्णय के अनुसार पंजीकरण प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है ।

साधन सहकारी समिति खजनी, जनपद गोरखपुर द्वारा जनवरी, 1986 के बाद छूट की खादी का वितरण

122—श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, साधन सहकारी समिति लि0 खजनी, जनपद गोरखपुर द्वारा जनवरी 1986 के बाद अब तक कितनी छूट की

खादें कितने-कितने किसानों को दी गयी हैं उसकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

सचिव, साधन-सहकारी समिति लि0, खजनी, जनपद गोरखपुर द्वारा जनवरी 1986 के बाद अब तक 167 किसानों को रु0 62682.75 की छूट की खाद दी गयी है। इनकी सूची किसी भी कार्यालय दिवस में मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है।

स्टेट वेयर हाउसिंग, देवरिया के कतिपय कर्मचारियों द्वारा स्थानान्तरण के बाद भी कार्य-भार न ग्रहण करने की शिकायत

123--श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट वेयर हाउसिंग, देवरिया के कितने कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार किया गया था ? क्या यह सही है कि स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना कर अभी तक वे कर्मचारी अपना-अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किये हैं ? क्या मंत्री जी आदेश अवहेलना के आरोप में इन कर्मचारियों को निलम्बित करने की कार्यवाही करेंगे ? ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार देवरिया केन्द्र के छः कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया था।

जी नहीं। देवरिया केन्द्र के पांच कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जा चुका है तथा उनके द्वारा अपने गन्तव्य स्थानों पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। एक कर्मचारी के पास गोदामों का चार्ज था जो चार्ज होने के पश्चात् ही कार्यमुक्त हो सकेगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चार बजे के बाद डाक्टरों का उपलब्ध न होना

124--श्री रिछपाल सिंह बंसल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 4 बजे के बाद डाक्टरों के रहने का प्राविधान है ? यदि हां, तो जनपद गाजियाबाद में वि0 ख0 लोनी के कस्बा लोनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टर के न रहने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बाह्य विभाग के समय के अतिरिक्त किसी एक चिकित्साधिकारी के ड्यूटी पर रहने का प्राविधान है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लोनी पर बाह्य विभाग के समय के पश्चात् एक चिकित्साधिकारी सायंकाल तक ड्यूटी पर रहते हैं तदुपरान्त बुलाने पर (आन काल) उपलब्ध रहते हैं।

जनपद मथुरा के पारसौली गांव में पेयजल योजना के सम्बन्ध में जानकारी

125—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पारसौली, गांव, जनपद मथुरा में कोई पेयजल की योजना शुरू करने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो पेयजल योजना कब तक शुरू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस ग्राम में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में 2 इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं ।

ग्राम सभा शेरपुर कला को टाउन एरिया बनाये जाने के प्रस्ताव का कार्यान्वयन न होना

126—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत तहसील पूरनपुर के ग्राम शेरपुर कला की आबादी दस हजार से अधिक है । क्या मन्त्री, नगर विकास को ज्ञात है कि दिनांक 16 अक्तूबर, 1984 को तत्कालीन हाकिम परगना, पूरनपुर की मौजूदगी में गांव सभा शेरपुर कला ने प्रस्ताव पास करके गांव सभा को टाउन एरिया घोषित करने की मांग की थी ? क्या जिलाधिकारी, पीलीभीत ने अपनी संस्तुति के साथ उपरोक्त प्रस्ताव शासन को भेजा था ? यदि हां, तो उपरोक्त ग्राम को टाउन एरिया घोषित करने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार ग्राम शेरपुर कला की आबादी 9809 है ।

जी हां ।

जी हां ।

टाउन एरिया सृजन के लिए निर्धारित मानक पूरा न करने के कारण ग्राम शेरपुर कला को टाउन एरिया घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया ।

127—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

[5वें सोमवार में अता० प्र० सं० 72 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

अग्रवाल कोल्ड स्टोरेज, मंगारी बाजार, वाराणसी के मालिक द्वारा किसानों की क्षतिपूर्ति

128—श्री राज किशोर सिंह—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के विकास क्षेत्र पिण्डरा में ग्राम मंगारी बाजार स्थित अग्रवाल कोल्ड स्टोरेज के मालिक श्री मुरारी लाल

अग्रवाल ने विगत सीजन में किसानों के जमा आलू के सड़ जाने की क्षति पूर्ति पूरी तरह से सभी किसानों को कर दी है ? यदि हां, तो कब और किस हिसाब से ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो कब तक सभी किसानों को क्षतिपूर्ति का पूरा भुगतान करा दिया जायगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

अग्रवाल कोल्ड स्टोरेज, मंगारी बाजार, वाराणसी के स्वामी ने विगत सीजन में, किसानों के जमा आलू के सड़ जाने की क्षतिपूर्ति अधिकांश किसानों को आपसी समझौते के आधार पर माल के बदले माल एवं किराये में नगद छूट देकर की है । कृषकों से प्रतिकर क्लेम के 14 मामले सरकार को प्राप्त हुये थे, जिनकी जांच कराई गई और पाया गया कि 5 कृषकों का कोई आलू अवशेष नहीं था, 3 कृषकों ने उक्त शीतगृह में भण्डारण ही नहीं किया था तथा शेष 6 कृषकों को हुई क्षति के सापेक्ष धनराशि का आकलन नियमानुसार जिलाधिकारी द्वारा किया गया जिसके अनुसार शीतगृह स्वामी द्वारा भुगतान दिनांक 10-10-86 से 14-11-86 तक किया जा चुका है ।

अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग-3 के पदों पर वर्ष 1985 में हुई लिखित परीक्षा का फल घोषित न किये जाने की जानकारी

129--श्री राज किशोर सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के अन्तर्गत अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग-3 के पदों के चयन हेतु दिसम्बर, 1985 में लिखित परीक्षा हुई है ? यदि हां, तो उसका परीक्षाफल कब घोषित किया जायेगा और उक्त पदों पर कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां परीक्षा दिसम्बर, 1985 में हुई थी और परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है एवं परीक्षा में सफल 731 अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी की जा चुकी है ।

कृषि सेवा श्रेणी-2 में विभिन्न वर्ग की रिक्त पदों की संख्या एवं उनके भरने की प्रक्रिया

130--श्री राज किशोर सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में कृषि सेवा श्रेणी-2 (सेक्शन-सी) के रसायन, वनस्पति एवं कृषि रक्षा में अलग-अलग कुल कितने पद कितने दिनों से रिक्त हैं ? क्या प्रोन्नति द्वारा रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-2 सेक्शन "सी" रसायन शाखा में वर्तमान में कोई पद रिक्त नहीं है किन्तु उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-2 के वनस्पति तथा कृषि रक्षा शाखा में क्रमशः 6 एवं 20 पद रिक्त हैं । वनस्पति शाखा की उक्त रिक्तियां अगस्त, 1983 से नवम्बर, 1985 तथा कृषि रक्षा शाखा की उक्त रिक्तियां अप्रैल, 1979 से नवम्बर, 1987 के मध्य विभिन्न तिथियों की हैं ।

न्यायालय के आदेशों के कारण पदोन्नतियों में कुछ जटिलताएं उत्पन्न हो गई हैं। इनका निराकरण कर पदोन्नति हेतु यथा समय कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

131--श्री मित्र सेन--

[दिनांक 25-2-88 को अतारांकित प्रश्न संख्या 6 द्वारा उत्तरित।]

चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय के छटनी शुदा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की संख्या एवं उनका वेतन निर्धारण

132--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानिदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय में कितने ऐसे तृतीय श्रेणी छटनी शुदा कर्मचारी हैं जिनका वेतन निर्धारण कर दिया गया है, किन्तु उनके अवशेष का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

केवल एक कर्मचारी। अवशेष के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

133--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

[दिनांक 9-7-87 को अतारांकित प्रश्न संख्या 59 द्वारा उत्तरित।]

बलिया नगर में स्वीकृत पेयजल सम्पूर्ति योजना को समयबद्धता से पूरा किये जाने की जानकारी

134--श्री मैनेजर सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बलिया नगर के लिये स्वीकृत पेयजल सम्पूर्ति योजना को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

स्वीकृत पेयजल योजना के अन्तर्गत 5 नलकूप, एक उच्च जलाशय तथा पाइप लाइन चालू की जा चुकी है किन्तु शेष कार्य वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

135--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[4 मई गुरुवार के लिए स्थगित।]

वर्ष 1986-87 में आजमगढ़ नगर के क्षयरोग चिकित्सालय को दी गई दवाओं की संख्या

136--श्री विष्णु देव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के आजमगढ़ नगर क्षय चिकित्सालय में वर्ष 1986-87 कुल कितनी दवायें कौन-कौन सी दी गयी तथा उससे कितने रोगी लाभान्वित हुये ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

आजमगढ़ जनपद के आजमगढ़ नगर क्षय चिकित्सालय में वर्ष 1986-87 में निम्नलिखित दवायें दी गयीं :--

क्रम-संख्या	दवा का नाम	मात्रा
1	आइसोनियाजाइड (100 मि0 ग्रा0)	5,45,000 गोली
2	आइसोनियाजाइड (300 मि0 ग्रा0)	6,20,000 गोली
3	थियासिटाजोन (50 मि0 ग्रा0)	25,000 गोली
4	स्ट्रेप्टोमाइसिन इन्जेक्शन (1 ग्राम)	6,000 बायल
5	आइसोनियाजाइड+थियासिटाजोन	15,60,000 गोली
6	स्ट्रेप्टोमाइसिन इन्जेक्शन (·75 ग्राम)	60,196 बायल
7	काम्ब्यूटाल (800 मि0 ग्रा0)	75,000 गोली
8	काम्ब्यूटाल (200 मि0 ग्रा0)	50,000 गोली
9	इथम्बूटाल (400 मि0 ग्रा0)	61,100 गोली
10	रिफामेसिन (150 मि0 ग्रा0)	38,000 कैप्सूल
11	रिफामेसिन (450 मि0 ग्रा0)	18,310 कैप्सूल

उक्त दवाओं से कुल 6,997 क्षय रोगी लाभान्वित हुये ।

साधन सहकारी समिति, हिलौली, जिला उन्नाव के प्रशासक द्वारा फर्जी टी0 ए0 बिल का भुगतान प्राप्त करना

137--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1986 में उन्नाव जिले की ब्लाक हिलौली की साधन सहकारी समिति, पारा ने सहकारिता मंत्री जी के आगमन का एक कार्यक्रम बनाकर हजारों रुपये का व्यय किया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि समिति के प्रशासक ने भी टी0 ए0 बिल मंत्री जी के कथित कार्यक्रम की तैयारी के नाम पर लिये हैं ? यदि हां, तो क्या प्रशासक के टी0 ए0 बिलों के भुगतान की व्यवस्था सहकारी निगमों में है ? यदि नहीं, तो ऐसा किस आधार पर किया गया ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

वर्ष 1986 में साधन सहकारी समिति लि0, पारा के नव निर्मित ग्रामीण गोदाम भवन के उद्घाटन की तारीख दो बार माननीय सहकारिता मंत्री जी से मिलकर समिति के प्रशासक ने तय की जिसकी व्यवस्था हेतु मु0 3760.43 हुआ था ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला कृषि अधिकारी, जालौन के विरुद्ध कतिपय आरोपों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3 सितम्बर, 1987 के बारे में जानकारी

138--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि अधिकारी, जालौन (श्री भुवनेश्वर चौधरी द्वारा) के विरुद्ध आरोपों से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का संलग्नक सहित शिकायती पत्र दिनांक 3 सितम्बर, 1987 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो संलग्नक में लगे प्रमुख आरोपों की जांच करायी गयी ? यदि जांच करायी गयी, तो जांच निष्कर्ष क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

श्री भुवनेश्वर चौधरी नाम का कोई अधिकारी जिला कृषि अधिकारी, जालौन के पद पर कभी कार्यरत नहीं रहा है । श्री भुनेश्वर प्रसाद, जिला कृषि अधिकारी, जालौन के पद पर दिनांक 3 सितम्बर, 1987 को कार्यरत थे, जिनके विरुद्ध उक्त शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ।

जांच अभी कराई जा रही है ।

अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

जनपद फर्रुखाबाद में हैन्ड पम्पों के बोरिंग के पूर्व भू-गर्भ सर्वेक्षण न कराये जाने के कारण

139--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 जल निगम द्वारा जनपद फर्रुखाबाद में हैन्ड पम्पों के निर्माण में कम बोरिंग होने से बालू या खारा पानी मिला है ? यदि हां, तो भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन से सर्वेक्षण क्यों नहीं कराया गया ? असफल बोरिंग की क्या उक्त विभाग से तकनीकी जांच करवाई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पदमा सेठ--

ऐसा कोई मामला शासन की जानकारी में नहीं है ।

कोई आवश्यकता नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता । आवश्यकता नहीं ।

जनपद उन्नाव के कतिपय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कर्मचारियों का परिवार कल्याण कार्यक्रम के अभाव में वेतन रोकने के सम्बन्ध में

140--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है और इसके लिये किसी प्रकार का कोई दबाव जनता या कर्मचारियों

पर नहीं डाला जा रहा है ? यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग एवं नवाबगंज के कर्मचारियों का उत्पीड़न करने हेतु जनपद उन्नाव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसनगंज के कर्मचारियों को इसी कारण माह नवम्बर, दिसम्बर, 1987 तथा जनवरी, 1988 का वेतन भुगतान क्यों नहीं किया गया ? इनके वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां, जनता के लिये यह कार्यक्रम स्वैच्छिक कार्यक्रम है, किन्तु यह विभागीय कर्मचारियों के कर्तव्यों में सम्मिलित है। जनपद उन्नाव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसनगंज एवं नवाबगंज के कर्मचारियों का वेतन उन्हें आवंटित अनेक दायित्वों का निर्वाह न करने के कारण रोका गया था। रोके गये वेतन के भुगतान करने के आदेश कर दिये गये हैं।

श्री चुन्ना प्रसाद, प्रधान, ग्राम सभा लूक, ब्लाक नरैनी, बांदा का पेयजल सम्भरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र सहित शिकायती-पत्र

141--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र श्री चुन्ना प्रसाद, प्रधान, ग्राम सभा लूक, ब्लाक नरैनी, जनपद बांदा के पत्र के साथ दिनांक 13 नवम्बर, 1986 पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? मौजूदा समय में गांव की आबादी क्या है तथा आबादी को देखते हुए कितने हैन्ड पम्पों एवं कुओं की पेयजल संकट निवारण हेतु आवश्यकता है तथा पहले से लगे सरकारी हैन्ड पम्प कितने खराब एवं कितनों में खारा पानी निकलता है।

श्रीमती पद्मा सेठ--

जी हां।

चार इंडिया मार्क-2 हैन्ड पम्प लगा दिये गये हैं।

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार गांव की जनसंख्या 495 है जो कि वर्ष 1988 के लिए लगभग 700 अनुमानित है। इस प्रकार निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गांव में तीन हैन्ड पम्प आवश्यक है जो लगाये जा चुके हैं। हरिजन कार्यक्रम के अन्तर्गत एक अतिरिक्त हैन्ड पम्प भी लगाया गया है समस्त हैन्ड पम्प चालू हालत में तथा उनका पानी पीने हेतु उपयुक्त है।

स्याना, बुलन्दशहर में नई मंडी के निर्माण का प्रस्ताव मंडी परिषद् मुख्यालय को प्राप्त होने के बाद भी निर्माण के कारण की जानकारी

142--श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रशासन, बुलन्दशहर की ओर से स्याना में नई मन्डी के निर्माण का प्रस्ताव मंडी परिषद् को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त चयनित स्थल पर मंडी का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां।

मंडी निदेशक द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है।

जनपद बुलन्दशहर में सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों हेतु आवास सुविधा का मामला

143--श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र के हजारों मजदूरों के आवास की सुविधा हेतु आवास विकास परिषद् द्वारा एम0 आई0 जी0 एवं एल0 आई0 जी0 की आवास कालोनी के निर्माण की योजना स्वीकृत करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री पद्मा सेठ--

फिलहाल जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद क्षेत्र के लिये उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा आवासीय योजना कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, गड़ेर, जनपद देवरिया को उच्चीकृत कराया जाना

144--श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, गड़ेर, जनपद देवरिया को उच्चीकृत करने हेतु उपलब्ध कराये धन की अवधि समाप्त होने पर अवधि बढ़ाने हेतु देवरिया के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा एक पत्र लिखाकर सचिव, स्वास्थ्य विभाग से यह अनुरोध किया गया था कि इसकी अवधि बढ़ा दी जाय जिससे कि निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा सके ? यदि हां, तो क्या उसकी अवधि बढ़ा दी गयी ? यदि हां, तो निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां ।

जी हां । यह अवधि 30 जून, 1988 तक बढ़ा दी गई है ।

कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परिवार स्वास्थ्य सहायक तथा परिवार कल्याण कार्यकत्रियों के पदों को स्थायी किये जाने विषयक कार्यवाही

145--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक तथा परिवार कल्याण कार्यकत्रियों के 66 प्रतिशत पदों को स्थायी करने के सम्बन्ध में वित्त मन्त्रालय द्वारा प्रस्ताव मांगे जाने की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए एक पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 22 सितम्बर, 1987 को स्वास्थ्य सचिव, उत्तर प्रदेश के पास भेजा है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां ।

उक्त पत्र, दिनांक 22 सितम्बर, 1987 शासन को प्राप्त होने से बहुत पहले ही परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक, परिवार कल्याण कार्यकर्त्री तथा विभिन्न श्रेणी के अन्य पदों के 66 प्रतिशत अस्थायी पदों के स्थायीकरण का प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जा चुका था,

किन्तु कतिपय अपरिहार्य सूचनाओं के अभाव में अभी तक इन्हें स्थायी किया जाना सम्भव नहीं हो सका है ।

दिसम्बर 1986 के शासनादेशों के मुताबिक परिवार कल्याण के कतिपय संवर्गों के स्थायी किये जाने की जानकारी

146--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि परिवार कल्याण के किन-किन संवर्गों के पदों को 66 प्रतिशत स्थायी किए जाने के शासनादेश दिसम्बर, 85 में निर्गत किए जा चुके हैं ? स्वास्थ्य सहायक संवर्ग की अब तक उपेक्षा किए जाने के क्या कारण हैं और इस उपेक्षा किए जाने के लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत चिकित्सा अधिकारी, लिपिक वर्गीय कर्मचारी, सांख्यकीय सवर्ग के कर्मचारी, पी0 एच0 एन0, प्रशिक्षण केन्द्रों के इन्स्ट्रक्टर, स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि संवर्गों के 66 प्रतिशत पदों के स्थायीकरण के आदेश शासनादेश दिनांक 16 दिसम्बर, 1985 में जारी किये गये थे, किन्तु स्वास्थ्य सहायक तथा विभिन्न श्रेणी के अन्य पदों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचनाओं आदि के अभाव में उन्हें स्थायी किया जाना अभी सम्भव नहीं हो सका है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रभारी अधिकारी, नगर पालिका कोसी कलां, मथुरा द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 1987 को निलम्बित किये गये फार्मासिस्ट का मामला

147--श्री सरदार सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री की जानकारी में है कि प्रभारी अधिकारी नगरपालिका कोसी कलां (मथुरा) ने अभद्रता एवं अनियमितताओं के कारण दिनांक 11 अगस्त, 1987 को एक अस्थायी एवं अप्रशिक्षित फार्मासिस्ट को निलम्बित किया था ? यदि हां, तो बिना जांच प्रक्रिया अपनाये उक्त फार्मासिस्ट को बहाल करने के क्या कारण थे ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जी हां ।

जांच प्रक्रिया अपनाने के बाद ही उक्त फार्मसिस्ट को बहाल किया गया है ।

फिरोजाबाद नगर पालिका आगरा में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी एक भूत पूर्व विधायक श्री राम चन्द्र पालीवाल की स्मृति में स्मारक बनाने का मामला

148--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद की नगर पालिका ने देश के महान स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी भूतपूर्व विधायक श्री रामचन्द्र जी पालीवाल की स्मृति में फिरोजाबाद क्या पालीवाल स्मारक लाइब्रेरी और अतिथि गृह बनाने का निर्णय लिया और भूमि सुरक्षित कर निर्माण की आधार शिला रखी गयी ? यदि हां, तो श्री पालीवाल स्मारक भवन को अब तक निर्मित न कराने का क्या कारण है ? क्या सरकार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी निधि को अक्षुण्ण बनाये रखने को श्री पालीवाल स्मारक को शीघ्र धन प्रदान करेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जी हां ।

नगरपालिका की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण श्री पालीवाल स्मारक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण न हो सका ।

श्री पालीवाल स्मारक लाइब्रेरी व अतिथि गृह का निर्माण कराने का निर्णय नगरपालिका द्वारा स्वयं लिया गया था अस्तु शासन द्वारा धन उपलब्ध कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री जितवाह पुत्र राम दयाल हरिजन निवासी भवई तरांव तहसील कर्वी जिला बांदा द्वारा जिला प्रशासन को भेजा गया प्रार्थना-पत्र

149--श्री राम सजीवन--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जितवाह पुत्र श्री राम दयाल हरिजन निवासी भवई तरांव तहसील कर्वी जिला बांदा ने 2 मई, 1986 को जिला सहायक निबन्धक सहकारिता बांदा तथा जिलाधिकारी बांदा को एक शिकायती-पत्र भेजकर प्रार्थना की थी कि उसके कर्ज को सबसिडी दिलाई जाय तथा पम्पिंग सेट चोरी चले जाने की क्षतिपूर्ति की जाय ? यदि हां, तो काफी किश्तें अदा करने के बावजूद उसका कर्ज माफ करने में क्या कठिनाई है ? क्या कर्ज माफ करने की कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

दिनांक 20 मई, 1985 को एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था । कर्ज माफ करने का कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

देहरादून जनपद को देहरादून नगरपालिका की नजूल भूमि का वितरण

150--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून में नगरपालिका देहरादून की सीमा में नजूल भूमि कितनी है ? क्या नजूल भूमि का कोई रजिस्टर है ? यदि है, तो नवीनतम रजिस्टर कब बनाया गया था ? क्या मुख्य मन्त्री यह भी बताने की

कृपा करेंगे कि कितनी नजूल भूमि ऐसी है जिनकी लीज अवधि समाप्त हो गयी है तथा अवधि समाप्त वाली नजूल भूमि पर अब कौन काबिज है ? क्या कुछ भूमि ऐसी है जिसे लीज के दौरान ही लीज होल्डर्स ने बेच दिया था ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जनपद देहरादून में नगरपालिका की सभा में नजूल भूमि का क्षेत्रफल 910 बीघा 11 बिस्वा 15 बिसवांसी है ।

जी हां, प्रारम्भ से ही नजूल रजिस्टर बने हैं, जो अब भी उपयोग में हैं ।

केवल 19 नजूल भूखण्ड ऐसे हैं जिनकी 90 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है और उन भूखण्डों में से 12 भूखण्डों के पूर्व पट्टेदार या उनके उत्तराधिकारी तथा 7 नजूल भूखण्डों पर वे लोग काबिज हैं जिन्होंने नजूल सम्पत्ति क्रय की है ।

लीज के दौरान कुछ लीज होल्डर्स ने नजूल भूमि पर बनी सम्पत्ति का क्रय विक्रय किया है । कुछ लीज पट्टों में यह प्राविधान है कि भूमि का विक्रय पूर्व अनुमति लेकर किया जा सकता है व कुछ पट्टों में यह प्राविधान है कि विक्रय के उपरान्त सूचना दी जाय कुछ पट्टों में इन शर्तों का उल्लंघन करते हुये भूमि का क्रय विक्रय किया गया है। ऐसे मामलों में शासनादेश दिनांक 16 अक्तूबर, 1986 के दिये गये निर्देशों के अनुसार वर्तमान काबिजों को नोटिस दिये जा रहे हैं, जिसके अनुसार उनमें बाजार दर/नजराना की मांग की जा रही है । ऐसे क्रय विक्रय पर रोक लगाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से क्रेता विक्रेताओं को सचेत किया जा चुका है कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये नजूल सम्पत्ति का क्रय विक्रय न करें । साथ ही सब-रजिस्ट्रार देहरादून को भी निर्देश दिये गये कि वे सक्षम अधिकारी की अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रस्तुत किये गये बिना किसी भी नजूल सम्पत्ति की रजिस्ट्री न करें ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकास खण्ड लोनी के कतिपय गांवों के किसानों की ली गयी भूमि एवं उसका मुआवजा

151--श्री रिछपाल सिंह बंसल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड लोनी के किन-किन गांवों की जमीन का गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण किया गया है और उन गांवों के लोगों को क्या-क्या सुविधायें दी जायेंगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड, लोनी के जिन गांवों की जमीन का गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण किया गया है उनके नाम निम्नवत् हैं :

(1) टीला शहबाजपुर,
(2) ब्रह्मपुर उर्फ भोपुरा,
(3) डूण्डाहेड़ा,
(4) करहेड़ा,
(5) नवई,
(6) परसौन्डा,
(7) सिद्दीकनगर,

(8) सिहानी,
(9) मिर्जापुर,
(10) जटवाड़ा कला,
(11) महमनराय उर्फ कोट,
(12) नासिरपुर,
(13) बौझ',
(14) घूकना,
(15) कैला ।

इन गांवों में खड़न्जा, रोशनी, सुलभ शौचालय तथा जल स्टैन्ड पोस्ट की सुविधायें दी जायेंगी :

जनपद गाजियाबाद के शहीदनगर बृजबिहार सेक्टर 8 राजेन्द्रनगर चिकम्बरपुर में पानी एवं बिजली की व्यवस्था

152—श्री विछपाल सिंह बंसल—

क्या नगर विकास मन्त्री जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत शहीदनगर बृजबिहार सेक्टर 8 राजेन्द्र नगर चिकम्बरपुर में पानी, बिजली व खड़न्जा की व्यवस्था कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

बृजबिहार कालोनी व राजेन्द्र नगर कालोनी में पानी बिजली व सड़कों की सुविधायें उपलब्ध हैं । मेटल रोड उपलब्ध होने के कारण वहां खड़न्जे का प्रश्न नहीं उठता ।

शहीदनगर में पानी की लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है । पथ प्रकाश की व्यवस्था वहां है तथा खड़न्जे का निर्माण कराया जा चुका है ।

चिकम्बरपुर विकसित कालोनी नहीं है, अतः वहां जल की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । प्रकाश व्यवस्था हेतु नगरपालिका द्वारा विद्युत परिषद् से सम्पर्क किया जा रहा है । जहां तक खड़न्जा निर्माण का प्रश्न है, नगरपालिका द्वारा 6560·72 वर्ग मीटर तारकोल की सड़क का निर्माण कराया जा चुका है । 107·00 वर्ग मीटर सड़क बननी शेष है । धन उपलब्ध होने पर नगरपालिका इस कार्य को करायगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी देय पर प्राप्त संग्रह व्यय का लेखा शीर्षक भू—राजस्व खण्ड में न जमा करने के सम्बन्ध में शिकायत

153—श्री हरेन्द्र सिंह तथा श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी कुर्क अमीनों द्वारा वसूल किये गये सहकारी देय पर प्राप्त संग्रह व्यय सचिव राजस्व परिषद् के आदेश संख्या 20663—31163/2-संग्रह 114/71, दिनांक 20 जून, 1975 के अनुसार राज्य सरकार की प्राप्ति है ? यदि हां, तो क्या इसे उक्त शासनादेशों के अनुसार राज्य सरकार के लेखा शीर्षक 029 भू—राजस्व खण्ड अन्य प्राप्तियां (5) की गई सेवाओं के लिये भुगतान की उगाही के अन्तर्गत जमा कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है और अब तक

किस खाते के अन्तर्गत उक्त संग्रह व्यय जमा किया जाता रहा है ? क्या सरकार तत्काल शासन के आदेश संख्या 20663–31163/2 संग्रह–114/71, दिनांक 20 जून, 1975 का पालन करायेगी ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 92 एवं उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमावली के अध्याय 22 के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मालगुजारी की बकाया की वसूली, तत्समय प्रचलित विधि द्वारा व्यवस्थित रीति से एवं जिला सहायक निबन्धकों द्वारा स्वतः उक्त अधिनियम की धारा 71 के अधीन दिये गये अभिनिर्णय एवं धारा 67 अथवा धारा 68, धारा 91 अथवा धारा 74 अथवा धारा 97 अथवा धारा 98 के अधीन पारित आदेश के आधार पर सम्बन्धित व्यक्तियों की सम्पत्ति को कुर्की और विक्रय द्वारा अथवा बिना कुर्की के विक्रय द्वारा, की जाती है । उपर्युक्त वसूली कार्य हेतु जिला सहायक निबन्धक के अधीन संग्रह स्टाफ एवं सहकारी कुर्क अमीनों की नियुक्ति की जाती है जिनके वेतन आदि पर होने वाले व्यय का भुगतान करने के लिए जिला सहायक निबन्धक उत्तरदायी हैं । उक्त व्यय को वहन करने हेतु शासन से कोई बजट प्राप्त नहीं होता । अस्तु संग्रह व्यय कुर्क अमीन सेलरी एकाउन्ट खाते में जमा किया जाता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

मान्यवर, मेरा प्रश्नों के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

जनपद लखनऊ के सरकारी मिट्टी के तेल के लाइसेन्सों को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

पहले नियम 301 ले लूं । नियम 301 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 7 सूचनायें स्वीकार की गयी । (1) माननीय सुन्दर लाल, (2) माननीय अजीत सिंह सेठी, (3) माननीय मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ साहब, (4) माननीय रघुवर दयाल वर्मा, (5) माननीय सुखपाल पाण्डे, (6) माननीय यदुनाथ सिंह, (7) माननीय अवधेश प्रसाद ।

इन सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जायें ।

(सदन की सहमति से यह सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

*श्री सुन्दर लाल—

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । लखनऊ जनपद के सरकारी मिट्टी तेल के फुटकर विक्रेताओं का लाइसेन्स शुल्क दिसम्बर, 1987 तक का जमा था और अधिनियम के तहत लाइसेन्स नवीनीकरण की धनराशि नवम्बर माह में जमा करने की व्यवस्था है । परन्तु यदि किसी उचित कारणवश कोई लाइसेन्सधारी नवम्बर माह में नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं कर पाता है तो विलम्ब शुल्क के साथ आगामी तिथियों में उक्त शुल्क जमा करने की कोई व्यवस्था नियमों में नहीं की गई है । जिसके कारण लगभग 25–30 लाइसेन्सधारकों के लाइसेन्स निरस्त कर दिये गये हैं इसलिये उनके सामने जीवन यापन

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

की गम्भीर समस्या पैदा हो गई है क्योंकि उनकी रोजी रोटी का साधन समाप्त हो गया है ।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि प्रश्नगत मामले में पुनर्विचार कर नियमों में संशोधन कर नवीनीकरण की धनराशि जमा कराकर लाइसेन्स बहाल कराने की कृपा करें ताकि उनकी रोजी-रोटी की समस्या का समाधान हो सके ।]

जनपद मेरठ के मोहल्ला बेगमबाग में पुलिस कान्स्टेबिल द्वारा नागरिकों की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजीत सिंह सेठी--

[मान्यवर, आप द्वारा मैं प्रशासन का ध्यान मेरठ में पुलिस कान्स्टेबिल द्वारा बारात पर गोली चलाई जाना उससे दो व्यक्तियों का स्थल पर ही मर जाना, प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

घटना इस प्रकार है कि दिनांक 26 फरवरी, 1988 को मेरठ के बेगमबाग मुहल्ला में स्थित खटिकपुरा के निवासी श्री लालदास की लड़की की शादी थी । प्रातःकाल ही बेगमबाग चौकी के कान्स्टेबिल कर्मवीर ने बारात वाले घर पर अपनी बन्दूक द्वारा अन्धाधुन्ध गोलियां चलानी शुरू कर दी । फलस्वरूप दो व्यक्ति प्रथम श्रीमती कोला तथा श्री रमेश जो की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । अन्य तीन व्यक्ति श्रीमती शोला देवी, प्रदीप तथा बनवारी, गम्भीर रूप से घायल हुये । अस्पताल में भर्ती किये गये तथा भगदड़ में अन्य व्यक्तियों को भी चोटें आयीं ।

मुल्जिम कान्स्टेबिल कर्मवीर को पकड़ लिया धारा 302 के अन्तर्गत खटीक मोहल्ले के अन्दर बड़ा रोष है उनके मनों में बड़ा भारी सत्य है कि पुलिस वर्ग अपने कान्स्टेबिल को बचाना चाहते हैं । प्रथम उनका कहना है कि पुलिस वालों की ओर से आवाज आई कर्मवीर पागल है । द्वितीय चश्मदीद गवाह को पुलिस वालों ने पकड़ लिया तथा थाने से जाकर पिटाई की । काफी प्रदर्शन के बाद उसको छोड़ा गया ।

मेरा आपसे अनुरोध है कि आप शासन को निर्देश दें :--

1--दोषी कान्स्टेबिल दण्डित किया जाय ।

2--मरने वालों के करीबी रिश्तेदारों को बीस-बीस हजार रुपये का मुआवजा दिया जाय (अभी दस-दस हजार रुपया दिया गया है ।)

3--गम्भीर घायल व्यक्ति जो अस्पताल में दाखिल हुए हैं उनको पांच-पांच हजार रुपया दिया जाय ।

4--खटिक मुहल्ले के निवासियों को सुरक्षा प्रदान की जाय]

जनपद बस्ती की तहसील डुमरियागंज में जल निगम द्वारा हैन्ड पम्पों को लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

[महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से बस्ती जनपद की डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत जल निगम द्वारा लगाये जा रहे मार्क 2 के हैन्ड पम्पों के सम्बन्ध में अनुरोध करना

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

चाहता हूं कि चयनित ग्रामों की सूची में अब भी सैकड़ों गांवों में नल नहीं लगाये गये और द्वितीय चरण में जिन गांवों में नल लगने थे उनका भी लगाना जल निगम विभाग ने बन्द कर दिया है। पूछने पर बताया जाता है कि सरकार ने रोक लगा दी है। उसका नतीजा यह हुआ है कि जो गांव आबादी में छोटे हैं, उनमें प्रथम व द्वितीय चरणों में नलों की संख्या अधिक हो गयी है और उसी के मुकाबले बहुत से ऐसे गांव पड़े हुए हैं जिनकी संख्या 2000-4000 और 10000 तक है और उसमें केवल एक दो नल ही लगा है जिससे लोगों में रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय विषय को सदन के संज्ञान में ला कर मांग करता हूं कि तत्काल इसकी जांच करायी जाय और जो गांव रह गये हैं, उनको तत्काल नल लगाकर पूरा किया जाय और जिन ग्रामों में द्वितीय चरण में नल लगाना बाकी है उन्हें भी तत्काल लगाया जाय।]

आगरा जनपद में नील गायों से फसलों की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

[मान्यवर, माननीय सदन के संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को लाते हुए अनुरोध है कि जनपद आगरा की तहसीलों फिरोजाबाद, आगरा सदर, फटोहाबाद वाह खेरागढ़, विरावली और एत्माद्दपुर में नीलगायों पहाड़ियों के बढ़ते प्रकोप और वन विभाग के अन्तर्गत आरक्षित जगहों में संरक्षित नील गायों ने काश्तकारों की खड़ी फसल चर-चर बरबाद कर दी है। किसानों के पीटने पर जंगल में दौड़कर सुरक्षित हो जाती है। नीलगायों के 100-100 के झुन्ड एक साथ खेतों में खड़ी फसल को खाने को दौड़ पड़ते हैं जिससे उनके इस हमले से सैकड़ो खेतों में खड़ी फसल चौपट हो जाती है किसान बेचारा डंडा लिए दौड़ता रहता है तब तक वह फसल को खा जाती हैं। नीलगायों के इस प्रकार के प्रकोप से सैकड़ों किसानों की फसल बरबाद हो गयी है।

नील गायों को भगाने के लिए टोपी दार बंदूकों के लाइसेन्स दिये जाने आवश्यक हैं। बंदूक के आहट पर ही वह भागती हैं।

माननीय सदन से अनुरोध है कि नीलगायों से खेतों की रक्षा करने के समुचित उपाय करने का सरकार को आदेश दें।]

हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध में शासन तथा महासंघ के मध्य समझौता न होने से कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखलाल पाण्डे--

[महोदय, आपका ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रति आकृष्ट करना चाहता हूं जिससे प्रदेश के सभी 57 जिले तथा हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय के अधिकारी/कर्मचारी महासंघ सरकार के विघटनकारी नीतियों के कारण भयभीत और

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आतंकित होकर अधिकारी/कर्मचारी महासंघ ने 28 जनवरी, 1988 को सामूहिक अवकाश पर रहे और विभाग के लखनऊ स्थित सभी कार्यालयों जिसके कारण सचिव तथा अधिकारी/कर्मचारी महासंघ के बीच 3 फरवरी, 1988 को लिखित समझौता हुआ। फलस्वरूप 5 फरवरी, 1988 को उक्त संघ द्वारा घोषित हड़ताल स्थगित कर दिया गया और 29 फरवरी, 1988 तक शासन तथा महासंघ के बीच इस सम्बन्ध में नीति निर्धारण करने का आश्वासन दिया गया परन्तु अब तक समझौते के अनुसार कोई प्रगति नहीं हुई है। इससे महासंघ के सदस्यों में घोर असंतोष एवं आतंक फैला हुआ है। महासंघ ने मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव, मंत्री हरिजन एवं समाज कल्याण तथा अन्य अधिकारियों को 9 मार्च, 1988 से हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में पूरे प्रदेश में हड़ताल की नोटिस पहले से दे रखी है और हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/कर्मचारीगण दिनांक 9 मार्च, 1988 से पूर्ण कलम बन्द हड़ताल पर हैं।

अतः इस संदर्भ में शासन से मांग करता हूं कि समझौते का कार्यान्वयन तुरन्त करायें। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि हड़ताल रही तो कल्याणकारी कार्यक्रम बंद हो जायेंगे जिससे निर्बल वर्ग को मिल रही सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा और प्रदेश में अशान्ति तथा असंतोष फैलेगा।]

मिर्जापुर जनपद में चल रही बाल विकास परियोजना में धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री यदुनाथ सिंह--

[मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना अति आवश्यक है कि मिर्जापुर जनपद में शासन द्वारा गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों के हितार्थ चलायी जा रही समन्वित बाल विकास परियोजना वहां की परियोजना अधिकारी श्रीमती शशि बलैया के लूटो-खाओ योजना से मात्र कागजी ही बन कर रह गयी है। उन्होंने राजगढ़ ब्लाक के सी0 डी0 पी0 ओ0 कुमारी आशा श्रीवास्तव तथा घोरावल ब्लाक के सी0 डी0 पी0 ओ0 कु0 शोभा को वितरित करने वाले सामानों को बाजार में बेचने की खुली छूट दे दी है, जिसमें उनका कमीशन तय है। इस तरह से सरकार के लाखों रुपये की योजना पर प्रति वर्ष इनके द्वारा चूना लगाया जाता है। जिससे जनपद की जनता में काफी रोष एवं तनाव का वातावरण व्याप्त हो गया है। जगह-जगह इनके विरोध में अनशन एवं प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। अभी राजगढ़ ब्लाक पर लोकदल के श्री सुरेन्द्र सिंह इस खुली लूट के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद फैजाबाद में गन्ना क्रय की असन्तोषजनक व्यवस्था के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवधेश प्रसाद--

[महोदय, मेरे जनपद फैजाबाद में इस समय गन्ना किसानों में पर्ची न मिलने के कारण भारी असंतोष व्याप्त है। जनपद में भशौधा गन्ना मिल है जहां पर पहले शीरा

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ मान लिया गया।

की काला बाजारी हो रही थी और अब गन्ने की भी काला बाजारी हो रही है । इस समय सहकारी समिति के कर्मचारी तथा मिल मालिक की मिली भगत से किसानों के सामने पर्ची लेने में बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो गयी है । एक-एक बैलगाड़ी गन्ना देने के लिए किसानों को 50-50 रुपया मजबूरन देना पड़ रहा है । बड़े किसानों तथा बिचौलिये किसानों को पर्ची छोटे किसानों को वंचित किया जा रहा है । इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार की ढीली नीति के कारण मिल मालिकान दूसरे क्षेत्रों से सस्ते दरों पर गन्ना खरीदकर अपना कोटा पूरा कर रहे हैं और यही कारण है कि छोटे किसानों को पर्ची नहीं मिल पा रही है ।

मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन शीघ्र छोटे किसानों का गन्ना लेने के लिए चीनी मिल मालिक तथा सहकारी गन्ना समिति को कटिबद्ध करें ।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम 300 के अन्तर्गत आज दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । दोनों सूचनाएं नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती, लिहाजा मैं अस्वीकार करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आप विषय बता दें तो स्वतः स्पष्ट हो जायगा कि नियम 300 में आता है कि नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने अस्वीकार कर दिया है ।

(व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य श्री शारदा नन्द अंचल के कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसको अस्वीकार कर दिया है । मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब बैठें ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, मैं नत्थी (ग) में प्रश्न संख्या 1 के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जो भी उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया, उससे सदन संतुष्ट नहीं हुआ । मान्यवर, मैं केवल दो बिन्दु रखना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी देख लें कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के लिए किस तारीख को मुख्यालय से खाद आवंटित की गयी और उस जिले को किस तारीख को पहुंची । मेरी सही जानकारी है कि बुआई होने के बाद . . . . ।

श्री अध्यक्ष—]

माननीय हरीश जी, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (छियालिसवां संशोधन), नियमावली 1987†

परिवहन राज्य मंत्री (श्री रामनाथ मुंशी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से परिवहन अनुभाग 4 की अधिसूचना संख्या 1607 टी/30-4-6 पी0-79, दिनांक 8 मई, 1987 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (छियालिसवां संशोधन) नियमावली, 1987, जो दिनांक 17 जुलाई, 1987 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (सैंतालिसवां संशोधन) नियमावली 1987†

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राम नाथ मुंशी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 1836/टी/30-4-4-पी-85, दिनांक 8 मई, 1987 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (सैंतालिसवां संशोधन) नियमावली, 1987 जो दिनांक 17 जुलाई, 1987 को सदन के पटल पर रखी गयी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (छत्तीसवां संशोधन) नियमावली, 1986†

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री राम नाथ मुंशी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 337-टी/तीस-4-14 पी/84, दिनांक 28 जनवरी, 1986 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (छत्तीसवां संशोधन) नियमावली, 1986 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1986 एवं 1 सितम्बर, 1986 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सभा सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चौवालिसवां संशोधन) नियमावली, 1987†

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राम नाथ मुंशी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 1186-टी/30-4-22-पी-77, दिनांक 30 मार्च, 1987 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चौवालीसवां संशोधन) नियमावली, 1987, जो दिनांक 30 सितम्बर, 1987 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की

†छापी नहीं गयी ।

निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (अड़तीसवां संशोधन) नियमावली, 1986†

परिवहन मन्त्री (श्री राम नाथ मुंशी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 1556टी-/तीस-4-61 के0 एम0 86, दिनांक 18 जून, 1986 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (अड़तीसवां संशोधन) नियमावली, 1986, जो दिनांक 4 जनवरी, 1988 को विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) (संशोधन) नियमावली, 1987†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संसदीय कार्य अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 2197 सं0/सत्रह-1-87-132(1) सं0-80, दिनांक 29 जुलाई, 1987 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन-क्रय हेतु अग्रिम) (संशोधन) नियमावली, 1987 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1987 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र 1988-89 (भाग प्रथम एवं द्वितीय)††

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र 1988-89 (भाग प्रथम एवं द्वितीय) को इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (1987-88) का पच्चीसवां प्रतिवेदन††

श्री बंशीधर राज--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति 1987-88 का पच्चीसवां प्रतिवेदन, जो दिनांक 25 फरवरी से 28 फरवरी, 1987 तक आगरा तथा मेरठ मण्डलों में शासकीय कार्यालयों तथा निगमों आदि की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा जन-

†छापी नहीं गयी ।

††छापा नहीं गया ।

जातियों के आरक्षण तथा विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत उक्त जातियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी हेतु अध्ययन, भ्रमण पर आधारित है, सदन में प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (1987-88) का छब्बीसवां प्रतिवेदन

श्री बंशीधर राज--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति 1987-88 का छब्बीसवां प्रतिवेदन, जो सहकारिता विभाग के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को दिये गये ऋण का जिलेवार विवरण विषयक समिति के बीसवें प्रतिवेदन में कृत संस्तुतियों के सम्बन्ध में शासन से प्राप्त आख्या पर आधारित कार्यान्वयन प्रतिवेदन है सदन में प्रस्तुत करता हूं ।

डुमरियागंज क्षेत्र (बस्ती) के उत्तरांचल में एक सहकारी चीनी मिल की स्थापना किये जाने विषयक याचिका††

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं डुमरियागंज क्षेत्र के उत्तरांचल में एक सहकारी चीनी मिल की स्थापना किये जाने विषयक श्री अब्दुल मजीद तथा ब्रह्मानन्द मिश्र निवासीगण, बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

अब मैं मद संख्या 17 (नियम 56) ले रहा हूं । माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आज काफी भारी एजेन्डा है, एक तो सामान्य चर्चा है बजट के ऊपर और फिर आज स्वास्थ्य विभाग की अनुदानें भी हैं, तो कृपा करके समय का ख्याल रखियेगा । मैं तो और भी अधिक समय दे दूं, लेकिन मेरे पास समय भी तो होना चाहिये ।

नियम 56 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । इसमें पहली सूचना श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री हर्ष वर्धन तथा श्री गौरी शंकर भैया जी की वर्ष 1987-88 में मद्य निषेध मुख्यालय द्वारा प्रचार सामग्री तथा सदन में वर्ष 1987 के कार्यकलाप-पुस्तिका की छपाई में प्राप्त कमीशन के सम्बन्ध में है । दूसरी सूचना श्री सरदार सिंह की प्रदेश के होमगार्ड्स के सिपाहियों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । तीसरी सूचना श्री मित्रसेन यादव की राजकीय उद्यान एवं फल उपयोग विभाग, फैजाबाद के अधीक्षक द्वारा सैकड़ों मजदूरों को निष्कासित किये जाने के सम्बन्ध में है । चौथी सूचना श्री राम सजीवन की बांदा जिले की कर्वी स्थित जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में विनियमित क्षेत्र के अवर अभियन्ता एवं परगनाधिकारी, कर्वी द्वारा चलाये जा रहे मुकदमें के सम्बन्ध में है ।

---

†छापा नहीं गया ।

††छापी नहीं गयी ।

पांचवी सूचना श्री हृदय नरायन की उन्नाव जनपद में पुलिस और अराजक तत्वों की सांठगांठ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठीं सूचना श्री अशोक बाजपेयी को सार्वजनिक क्षेत्र के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों हार्टिको, चलचित्र निगम के कर्मचारियों को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में है। सातवी सूचना श्री अचल सिंह को वन विभाग, फतेहपुर द्वारा तहसील बिन्दकी में किसानों की खड़ी फसल को उजाड़ कर जबरदस्ती कब्जा करने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री हरीश चन्द्र हरीश जी को उत्तर प्रदेश में अपराधियों द्वारा फर्जी नामों से लाइसेन्स प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ को इलाहाबाद जनपद के ग्राम जमालपुर, पोस्ट-झकन्दा, थाना-सराय अकिल में मुसलमानों के लिये सरकारी अभिलेखों में दर्ज कब्रिस्तान की भूमि पर सड़क निकाले जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री यदुनाथ सिंह की भूतपूर्व काशी नरेश श्री विभूति नारायण सिंह द्वारा अपने पुत्र की शादी में लाखों रुपये की फिजूल खर्ची किये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री विजय सिंह राणा तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा को आगरा जनपद में होली त्योहार के अवसर पर विद्युत आपूर्ति ठप्प हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री मनोहर लाल की कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम पनकी भर्रासिंह, पनकी गंगागंज आदि गांवों के किसानों की खेती योग्य भूमि का नाममात्र मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री फजलुल बारी की गोन्डा और बस्ती जनपदों में नदी कटाव के कारण सीमा विवाद से शान्ति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री कल्यान सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, किशन लाल दिलेर, श्री अवनीश कुमार सिंह की लोकदल (अ) तथा भाजपा द्वारा दिल्ली में आयोजित रैली में जनता को ले जाने के लिये बसों का परमिट न दिये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना डा0 दिनेश जौहरी की प्रदेश में घेघा रोग से बढ़ रही समस्या के सम्बन्ध में है। सोलहवीं सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही, कु0 मानवेन्द्र सिंह, श्री भयंकर सिंह की लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के पुत्रों को लाभान्वित किये जाने के सम्बन्ध में है।

सत्रहवीं सूचना श्री मूल चन्द की प्रदेश के राज्य योजना आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है। अठारहवीं सूचना श्री काशी सिंह ऐरी, श्री अच्युतानन्द तिवारी, श्री अकबर हुसेन बावर की स्कूटर्स इन्डिया लि0 में कार्यरत उत्तर प्रदेश के लगभग 3500 कर्मचारियों के समक्ष रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न होने के सम्बन्ध में है। उन्नीसवीं सूचना श्री शारदा प्रताप शुक्ल, श्री राम चन्द्र बक्श सिंह, श्री रामचन्द्र सिंह श्री राज किशोर सिंह, श्री कौशिक रमाशंकर, श्री भोपाल सिंह, श्री राम शरणदास, श्री सुन्दर लाल, श्री अब्दुल वहीद कुरेशी की सूचना भी स्कूटर्स इन्डिया के मामले से ही सम्बन्धित है। बीसवीं सूचना श्री शारदा नन्द अचल की बलिया जनपद में किसानों को बिजली व पानी उपलब्ध न कराये जाने के बावजूद उनकी वसूली लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैंने जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया है, मद्य निषेध विभाग के बारे में। उससे दो बातें स्पष्ट होती हैं एक तो यह कि आज सारा उत्तर प्रदेश कमीशन खोरी की जकड़ में जकड़ा है और दूसरी बात यह कि नौकरशाही इस देश में किस तरह से निरकुंश हो रही है।

मान्यवर, यह तो कहा जा सकता है कि परीक्षा केन्द्रों को बदलने के आदेश, कोई सचिव यह कह कर न माने कि मुख्य मन्त्री जी को नियमों की जानकारी नहीं है,

उनके आदेश नियम संगत नहीं है। किसी निर्माण के बारे में यह कहा जा सकता है कि वीर बहादुर सिंह जी को वित्तीय नियमों की जानकारी नहीं है, उन्होंने गलत आदेश दिये, किन्तु किसी ऐक्ट के बारे में या संविधान के किसी अनुच्छेद के बारे में या किसी शासनादेश के उल्लंघन के बारे में नौकरशाही द्वारा इस तरह का तर्क नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये सारी बातें, तमाम छान-बीन के बाद ही हमारे सामने आती हैं। मैंने शासनादेश का हवाला दिया था। स्पष्ट शासनादेश है कि सरकारी विभागों द्वारा जो छपाई का काम होगा वह राजकीय प्रेस से होगा। अगर राजकीय प्रेस तीन चीजों का सार्टिफिकेट दे देता है---पहला, हम इस काम को समय के अन्दर नहीं कर पायेंगे, दूसरा, अर्धशासकीय प्रेसेर से इसे छपाने में कोई एतराज नहीं है और तीसरा, उन अर्द्धशासकीय प्रेस की दर राजकीय प्रेस से ज्यादा नहीं है, तब तो सरकारी विभाग द्वारा अर्द्धशासकीय प्रेस से छपाई का काम कराया जा सकता है।

अब मान्यवर, आप इस मामले को देखें। यहां पर जो पुस्तिका बंटने वाली है, मद्य निषेध विभाग की, वह सारी की सारी बाहर के प्रेस में छपाई गई है। उन प्रेसों के नाम मैंने अपने नोटिस में दे दिये हैं, उसे मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। अब आप देखें, विभाग के पास पहले से ही 459 कागज के रिम थे। पहले जो अधिकारी श्री रोमेश साहब थे, वह इसके बारे में लगातार लिखते रहे कि इस कागज का उपयोग कर लिया जाय किन्तु विभाग ने उस रिम का उपयोग नहीं किया और बजट का समय आ गया। यह इसलिए नहीं दिया गया ताकि ऐन मौके पर यह बहाना लिया जाय कि बजट आ गया था, समय कम था और राजकीय मुद्रणालय के पास समय नहीं था, इसलिए प्राईवेट प्रेस से छपाया गया ताकि कमीशन लिया जा सके। यहां तक कहा जाता है कि इस कमीशन में विभाग के मंत्रियों का हाथ भी रहता है। इसको मैं नहीं कहूंगा। इतना निश्चित कहूंगा कि तमाम आदेशों के बावजूद, शासन ने शासनादेशों का उल्लंघन किया है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय तिवारी जी, आपने काफी समय ले लिया है। अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

इसलिए मान्यवर, मैं चाहूंगा कि चूंकि दो बहुत ही सैद्धान्तिक प्रश्न इसमें इन्वाल्व हैं। पहला, नौकरशाही की निरंकुशता और दूसरा, शासनादेशों की अवहेलना कमीशन लेने के लिए। यह एक विभाग का मामला नहीं है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। आज इन दोनों प्रश्नों ने प्रदेश के विकास को जकड़ दिया है। प्रदेश के विकास को खोखला कर दिया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आज की सदन की कार्यवाही स्थगित कर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ताकि यह सारा मामला सदन के संज्ञान में आ सके।

*श्री सरदार सिंह---

माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते ही हैं कि होमगार्ड में बहुत ही नीचे तबके के सिपाही होते हैं, काफी निर्बल वर्ग के लोग इसमें होते हैं। जब वीर बहादुर सिंह जी की व श्री गोपीनाथ दीक्षित जी, की पुलिस नाकाम हो जाती है तब राम नरेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी की यह होमगार्ड शान्ति-व्यवस्था कायम करती हैं । इनकी संख्या एक लाख बारह हजार दो सौ हैं । इनसे 24 घंटे पर ड्यूटी ली जाती हैं आपको यह सुनकर अफसोस होगा कि इन लोगों को नवम्बर, 1987 से आज तक वेतन नहीं मिला है । भूखे पेट इन लोगों से 24 घंटे ड्यूटी ली जाती हैं । मुझे जानकारी हुई है कि अभी मार्च तक इन्हें वेतन मिलने की कोई उम्मीद नहीं है । चूंकि ये बहुत ही निर्बल वर्ग के सिपाही होते हैं, आज वेतन न मिलने से उनके परिवार में असंतोष उत्पन्न हो गया गया है. इसलिए मैं चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर शेष सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय और उन्हें जल्दी वेतन का भुगतान कराया जाय ।

संसदीय कार्य एवं राजस्व मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, जैसा आप और माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि होमगार्ड्स रेगुलर सैलरी पर नहीं होते हैं, उन्हें भत्ता दिया जाता है । जितनी उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, उसी हिसाब से उन्हें भत्ता दिया जाता है । भत्ता कहीं-कहीं अगर नहीं मिला है, तो वह दिलवा लेंगे । जहां पर नहीं मिला है, वहां पर भत्ता दिलवा दिया जायगा । माननीय तिवारी जी ने एक बात कही, उन्होंने बहुत सफाई से सरकार पर आरोप लगाया और चुपचाप बैठ गये । जो उन्होंने आरोप लगाया कि उसमें सरकार का, किसी मिनिस्टर का या अधिकारी का कोई प्रोत्साहन है, वह बात सत्य से परे है, लेकिन जिस घटना की तरफ ध्यान आकर्षित किया है. मैं उसकी जांच अवश्य करा लूंगा ताकि सारे तथ्य सामने आ जायं ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, माननीय राम नरेश शुक्ल जो खड़े हैं, वे होमगार्ड के मन्त्री हैं, सम्भवतः कुछ बोलना चाह रहे हैं, उन्हें मौका दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

यह संयुक्त जिम्मेदारी है, उत्तर आ चुका है, आप बैठ ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैंने जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय है । फैजाबाद में राजकीय उद्यान एवं फल उपयोग विभाग में सैकड़ों चतुर्थ श्रेणी श्रमिक काम करते हैं । ये श्रमिक पिछले 10-12 साल से दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं, 1 जनवरी, 1988 से अधीक्षक ने इनको निकाल दिया है । रु0 11·50 पर काम करने वाले 40 मजदूरों को निकालकर प्रति मजदूर 2,500 रु0 लेकर 13·50 रु0 प्रति मजदूर के हिसाब से नये मजदूर रख लिये गये हैं । वहां पर मजदूरों की 28 जनवरी से हड़ताल चल रही है, अभी तक मजदूरों को वापस नहीं लिया गया है । उनकी मांग थी कि उनका नियमितीकरण कर दिया जाय और उनकी वरिष्ठता सूची बना दी जाय तथा 11·50 रु0 प्रति दिन वाले मजदूरों को रख लिया जाय तथा 13·50 प्रति दिन वाले मजदूरों को निकाला जाय । वे एक हफ्ते से हड़ताल पर हैं । वहां पर पुलिस द्वारा धारा 147, 323 और 332 में 6 मजदूरों को जेल में बन्द कर दिया गया है । हड़ताल चल रही है, जितने श्रमिक हैं, सब आन्दोलित हैं । माननीय मन्त्री जी को इसकी जानकारी है, मैं चाहूंगा कि इस सेवा में जितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनका नियमितीकरण करके उनकी वरिष्ठता सूची बना दी जाय, जो कि 11·50 प्रति दिन पर पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं । उनके साथ इस अन्याय को रोकने के बारे में चर्चा करायें ताकि उन्हें संरक्षण मिले । वे कोई अवैधानिक काम नहीं कर रहे हैं फिर भी उनको जेल में

डाला गया क्योंकि वे कमजोर हैं । आप इस पर चर्चा करायें ताकि सदन तथा सरकार को जानकारी हो जाय ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने जो प्रश्न उठाया, उस पर माननीय मन्त्री जी ने कह दिया कि वह सत्य नहीं है । जब माननीय मन्त्री जी को तथ्यों की जानकारी नहीं है तो उन्होंने कैसे कह दिया कि कमीशन का कोई मामला नहीं है, उन्होंने कैसे कहा कि शासनादेश का उल्लंघन नहीं हुआ है । मैंने डेट वाइज रेफर किया है, मैं संरक्षण चाहूंगा, न्याय चाहूंगा । भ्रष्टाचार के इस मामले में मेरी चुनौती है, सारी पत्रावली मंगाकर देख लें, अगर तथ्य गलत हों तो विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के लिये मैं तैयार हूं । भ्रष्टाचार के मामले को अगर इस ढंग से लिया जायगा और ऐसे कहा जायगा, आप भी इसको हल्के ढंग से लेंगे, तो उचित नहीं है । आज नौकरशाही मन्त्रियों को, विधायकों को बेइज्जत कर रही है ।

श्री अम्मार रिजवी--

मुझे इस बात का अफसोस है कि माननीय तिवारी जी ने मेरी बात या तो सुनी नहीं या जानबूझकर समझने की कोशिश नहीं की । मैंने जो निवेदन किया था, वह इतना ही कहा था कि माननीय तिवारी जी ने उस घटना के, जो करेप्शन की घटना है, इसके साथ-साथ और बहुत सी बातें सरकार के बारे में, मन्त्रियों के बारे में कही हैं । उसे दो हिस्सों में बांटा था । दूसरी वाली बात के लिये मैंने कुछ नहीं कहा । उसके लिये मैंने यह कहा था कि वह बातें सत्य से परे हैं । जहां तक घटना का सम्बन्ध है उसके लिये मैंने कोई बात नहीं कही थी बल्कि मैंने यह कहा था कि उन बातों की जांच करा ली जायेगी और जो दोष होगा वह सामने आ जायेगा । इसके लिये मैंने कुछ नहीं कहा था ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्न यह है कि कार्य-स्थगन में जो सूचनायें दी जाती हैं उसमें यह आपका विवेक है कि आप अपने विवेक से सूचना की प्राथमिकता को तय करें । लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि मैंने भी एक सूचना कार्य-स्थगन के रूप में दी थी जो कि एक रैली के सम्बन्ध में थी जिसमें सारी बसों के परमिट रद्द कर दिये गये । मैं समझता हूं कि इससे महत्वपूर्ण मामला कोई दूसरा नहीं हो सकता था, लेकिन मान्यवर...

श्री अध्यक्ष--

माननीय गुप्ता जी, अभी मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[× × • ×]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[× × ×] यह अंश माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

यह नहीं लिखा जायेगा क्योंकि आपने सूचना दी है और उसी की व्यवस्था पर आप बोलना चाहते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले का प्राथमिकता के आधार पर न आने का क्या कारण है ? क्या आप इसे प्राथमिकता का आधार नहीं मानते हैं कि सरकार ने रैली की और उसमें जनता का करोड़ों रुपया बर्बाद किया । क्या प्रतिपक्ष के लोगों को पास देकर बसों की व्यवस्था करने का अधिकार नहीं था बसों के सारे परमिट रद्द कर दिये गये । क्या इस सूचना को प्राथमिकता के आधार पर नहीं आना चाहिये था ?

श्री अध्यक्ष--

आपकी सूचना इसमें आ चुकी है । आप इसे व्यवस्था में न उठायें ।

श्री राम शरण दास--

मान्यवर, जो व्यवस्था माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने उठायी है क्या वह अनुचित है ? हमेशा जब रैलियां होती हैं, सरकार के द्वारा जब गतिरोध उत्पन्न होता है, यह तो बहुत पीड़ादायक बात है और हम लोग स्वयं इसके भुक्तभोगी हैं, इसको आप वरीयता पर ले लीजिये ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

अभी माननीय तिवारी जी ने भ्रष्टाचार के बारे में एक स्पेसिफिक एलीगेशन लगाया था । माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने कह दिया कि सरकार के इस मामले की हम जांच करायेंगे तो प्राइमाफेसी में, प्रागदर्शन में यह स्वीकार हो गया कि तिवारी जी ने जो कार्यस्थगन के रूप में सूचना दी है, सही है । माननीय तिवारी जी ने इस पर चर्चा की मांग की थी तो संसदीय कार्य मन्त्री जी ने इसे स्वीकार कर लिया है । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इस पर आप सदन में चर्चा करा दें । यह प्रश्न भ्रष्टाचार से सम्बन्धित है । नौ लाख रुपये का गम्भीर मामला है, इस पर आप चर्चा जरूर करा दें ।

* श्री गौरी शंकर मइया--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय तिवारी जी की सूचना पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं । माननीय अध्यक्ष जी, जो तथ्य आपके माध्यम से माननीय तिवारी जी सरकार के संज्ञान में लाये हैं उस पर स्पष्ट रूप से प्राईमाफेसी बनी है कि नौ लाख रु0 का कमीशन विभाग के लोगों ने और मन्त्रियों ने लिया । अभी बहुत से तथ्य हमारे पास हैं जिसको कि आपके माध्यम से हम लोग सरकार को नहीं दे पा रहे हैं ।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय खान गुफरान जाहिदी साहेब, मैं पहले उनकी व्यवस्था को सुन लूं, तब आपको सुनूंगा ।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

वह माननीय तिवारी जी बाली बात पर फरदर बोल रहे हैं, व्यवस्था पर नहीं बोल रहे हैं ।

श्री गौरी शंकर भइया--

नहीं मान्यवर, मैं व्यवस्था पर नहीं बल्कि ग्राह्यता पर बोल रहा हूं ।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

नहीं मान्यवर, यह इसकी ग्राह्यता पर भी नहीं बोल सकते हैं ।

श्री गौरी शंकर भइया--

मान्यवर, इस मामले में यह स्पष्ट हो चुका है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोगों द्वारा मिलकर एक भारी रकम 9 लाख रु0 की कमीशन के रूप में ली जा चुकी है, इसलिए मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मामला है और जिसे माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है, इसलिए इस पर चर्चा अवश्य करायें, यही मेरा कहना है ।

* कुंवर रेवती रमण सिंह--

माननीय तिवारी जी ने जो प्रश्न उठाया है और सरकार की तरफ से उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, इससे ऐसा लगता है कि आज वह पढ़कर इस सम्बन्ध में नहीं आये हैं, इसीलिए उन्होंने बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया है, इस सम्मानित सदन में । मान्यवर, आप स्वयं भी इस मसले को देख लें कि यह कितना गम्भीर मामला है, तिवारी जी ने जो आरोप लगाए हैं, वह सब सत्य है और उन भ्रष्टाचार को यह रोक पाने में अक्षम साबित हो रहे हैं । इसलिये आपसे आग्रह करूंगा कि इस पर आप चर्चा अवश्य करा दें, गम्भीर सवाल है । इस पर यदि चर्चा हो जाये तो स्थिति कुछ स्पष्ट हो सकती है और यदि इसमें कोई घपला नहीं है तो भी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी ।

श्री अध्यक्ष--

सूचना संख्या-1 को केवल वक्तव्य के लिए और सूचना संख्या-4 को सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए स्वीकार किया जाता है और सूचना संख्या 5 व 6 पहले से वक्तव्य के लिए स्वीकार हो चुकी हैं और बाकी सूचनायें सब अस्वीकार हुयीं ।

(एक साथ कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैं देख रहा हूं कि घंटे भर से लोग केवल व्यवस्था के नाम पर ही बोल रहे हैं जबकि इसी समय में और सूचनायें कार्य-स्थगन की हो सकती थीं । जो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव है, उसकी ग्राह्यता पर बोलने के लिये कुछ शर्तें हैं कि वह सूचना अविलम्बनीय हो, लोक महत्व की हो । इस लिहाज से यह जितनी भी सुनी गयी है, उनमें से एक भी इन शर्तों के अधीन नहीं थी । इसलिए मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जो सूचना अति अविलम्बनीय व लोक महत्व की थीं, उन्हें तो अन्त में 20-25 नम्बर पर डाल दिया गया । अगर मान्यवर यह सदन किसी व्यक्ति विशेष की प्रापर्टी है तो हम लोगों का यहां बैठना बेकार है । हमारा विषय मान्यवर, इतना महत्वपूर्ण है कि 8 दिनों तक किसानों के लिये बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी और किसान परेशान रहा और उस पर भी उनसे वसूली हो रही है । ऐसे अविलम्बनीय प्रश्न यदि सदन में नहीं आयेंगे और व्यवस्था पर व्यवस्था होती रहेगी तो मान्यवर, यह सदन कैसे चल सकेगा । अगर हमें मान्यवर, इस विषय पर नहीं सुना गया तो मैं भी फिर, सदन को चलने नहीं दूंगा (बेल की तरफ इशारा करते हुये) और यहां आकर बैठूंगा, इसलिये मुझे भी व्यवस्था पर सुनिये ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय रामचन्द्र बख्श सिंह जी, आप किस पर बोलना चाहते हैं, स्कूटर्स इंडिया जो है .....

(व्यवधान)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर जो स्कूटर इंडिया....

श्री विजय सिंह राणा--

मैं वहां पर बैठूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से सदन नहीं चलेगा । यह कोई तरीका नहीं है । आप मेरे निर्णय को नहीं मानते ।

स्कूटर इंडिया तो केन्द्र से ताल्लुक रखता है । उत्तर प्रदेश सरकार से क्या ताल्लुक है ?

(शोर)

श्री शारदा प्रताप--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जो आप बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।]

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर राम चन्द्र बख्श जी ने, कौशिक जी ने और शुक्ला जी ने जो सवाल उठाया है, मान्यवर यह भारत सरकार का उपक्रम जरूर है लेकिन उत्तर प्रदेश में लगा है। इनका सुझाव है कि उत्तर प्रदेश सरकार इसको ले ले और उत्तर प्रदेश सरकार इसको चलावे। इसके लिये यह व्यवस्था चाहते हैं। आप उनको सुन लें। इनका कहना यह कि उत्तर प्रदेश सरकार उसको ले ले और चलावे, बजाय प्राइवेट हेने के, इनका यह कहना है।

श्री अध्यक्ष—

आप जानते ही हैं कि राज्य सभा में बड़ी गर्मी के साथ इस मामले को उठाया गया है और वहां पर बहस हुई है।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

आप से यह अनुरोध है कि कारखाना उत्तर प्रदेश में स्थित है वहां पर औद्योगिक अशान्ति है। अगर कारखाना हस्तान्तरित हो जायगा प्राइवेट सेक्टर को तो हड़ताल होगी, लाठी चार्ज होगा और ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन क्या होगी तो यह कहना है कि इनको आप सुन लें जो आप निर्देश देंगे उसको मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

जब हम अनुरोध करते हैं तो आप सुनने के लिये तैयार नहीं होते हैं, आप हमें कहते हैं कि सुनते रहें।

श्री शारदा प्रताप—

32 सौ मजदूर बेकार हो जायेंगे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

शुक्ला जी, यह तरीका नहीं है, यह मुनासिब नहीं है और उसका नतीजा आप देख चुके हैं तो इस तरह से करना सदन में मुनासिब नहीं है।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, उसकी जमीन भी हस्तांतरित की जा रही है। ..

श्री अध्यक्ष—

आप चाहते हैं कि सदन चले, नहीं तो किस तरह से काम चलेगा।

श्री कौशिक रमा शंकर—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में यह कारखाना लगा है और हमारे यहां मजदूर बेकार हो रहे हैं, हड़ताल चल रही है और शान्ति व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया है दूसरे उद्योगों

में असंतोष व्याप्त है तो उत्तर प्रदेश का मामला है । भारत सरकार के मामले में कुछ नहीं कहना है । उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग और औद्योगिक अशांति पैदा हो गयी है, तो उस पर चर्चा करनी चाहिये । दो-दो मिनट का समय आप दे दें ।

(शोर)

श्री कौशिक रमा शंकर--

मान्यवर, दो मिनट दे दीजिये....

(व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

मान्यवर, किसको बुलवा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

किसी को नहीं बुलवा रहा हूं.....

(शोर)

कृपया बैठ जायं ।

श्री कौशिक रमा शंकर--

यह उत्तर प्रदेश का मामला है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय कौशिक जी, यह बताइये कि यह भी बोलना चाहते हैं, वह भी बोलना चाहते हैं और आप भी बोलना चाहते हैं तो आप ही बता दीजिये कि इस तरह से कैसे सदन चलेगा । सभी लोग खड़े हैं । किसको बुलवाऊं ।

श्री कौशिक रमा शंकर--

मान्यवर, दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा । श्रीमन्, आज हम लोगों ने स्कूटर इंडिया लिमिटेड के सम्बन्ध में नियम 56 में सूचना दी है । माननीय राज किशोर सिंह जी, माननीय राम चन्द्र बख्श सिंह जी, माननीय शारदा प्रताप तथा माननीय राम शरण दास जी ने भी उक्त सूचना दी है । हम लोगों ने आपसे निवेदन किया है कि हमारी इस सूचना का भारत सरकार से कोई मतलब नहीं है । यह तो एक हकीकत है कि स्कूटर इंडिया लिमिटेड, लखनऊ में चलता है और उससे दस हजार लोगों को काम मिलता है । इस विषय में दो प्रश्न अन्तर्निहित हैं । पहली बात तो यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी का शासन अब सार्वजनिक क्षेत्र की अनिवार्यता को खतम कर रहा है ? क्या शासन की अब यह नीति है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जरिये जो मिश्रित अर्थ व्यवस्था हमारे यहां चल रही थी उसको तोड़कर सार्वजनिक उद्योगों को प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया जाय । दूसरी बात यह है कि एक खास तरीके की साजिश के तहत स्कूटर इंडिया लिमिटेड को जो सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है यह सरकार, यह शासन, वह कांग्रेस पार्टी समाप्त करके सरमायेदारों को सौंप देना चाहती है । इसी वजह से स्कूटर इंडिया लिमिटेड जिसमें 10 हजार लोगों को रोजगार मिलता है जो स्कूटर और 3 पहिये की गाड़ी-विक्रम-बनाती है, जिसमें 200 करोड़ की सम्पत्ति लगी है मात्र 20 करोड़ में बेची जा रही है । इस तरह से एक प्राइवेट आदमी के हाथ में देकर जिसमें

200 करोड़ रुपया जनता का सार्वजनिक रूप से लगा हुआ है उसको नष्ट करने की साजिश हो रही है। उससे 10 हजार लोगों को रोजगार मिला हुआ है। मान्यवर, यदि राहुल बजाज को यह फैक्टरी दे दी गई तो यहां पर क्या स्थिति होगी, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं....

(व्यवधान)

(श्री विजय सिंह राणा के सदन के वेल में आकर बैठ जाने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय राणा जी, आपने नियम 56 और नियम 51 दोनों में सूचना दी है। मैंने इसे नियम 51 में स्वीकार कर लिया है।

(श्री विजय सिंह राणा, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री दिवाकर विक्रम सिंह के प्रयास से अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री विजय सिंह राणा:--

मान्यवर, मैं विषय के बारे में नहीं बोलना चाहता था मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह नहीं था कि आप इसको स्वीकार करें या न करें। मैं आपसे यह जानना चाहता था कि आप नियमानुसार नियम 51 और नियम 56 को स्वीकार करें कि कौन विषय उसके अन्तर्गत आता है या नहीं आता है। लेकिन 4 घन्टे तक व्यवस्था का प्रश्न उठाकर लोग 56 में दिये गये विषय पर बोलना चाहते हैं। मेरा कहना यह था कि इस नियम के अन्तर्गत जितने भी प्रश्न दिये गये हैं आप देख लें कि क्या वे इसकी ग्राह्यता की शर्तों को पूरा करते हैं। नियमानुसार कोई विषय अविलम्बनीय होना चाहिए और लोक महत्व का होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न आयेंगे वे नियम 56 के विषय नहीं हो सकते। लेकिन जो विषय इसके अन्तर्गत नहीं आते उन पर आप 4-4 घंटे तक बहस करवा रहे हैं। क्या मेरा प्रश्न अविलम्बनीय और लोक महत्व का नहीं है और अगर वह इस नियम की ग्राह्यता की शर्त को पूरा करता है तो वह क्यों चयनित नहीं किया गया। इसी पर मैं आपकी व्यवस्था मांग रहा हूं कि मेरा प्रश्न किस तरह से ग्राह्यता की शर्त को पूरा नहीं करता है यह मुझे नहीं बताया गया है। कोई भी प्रश्न यहां पर 51 या 56 में स्वीकार हो या न हो लेकिन उन पर चार-चार घन्टे तक बहस होती है और चेहरे देख कर लोगों को बुलाया जाता है। मान्यवर, यहां पर 4-4 घंटे व्यवस्था के नाम पर खराब करते हैं। व्यवस्था में से न तो कुलाबे निकल रहे हैं, न नहरें निकल रही हैं न बिजली निकल रही फिर व्यवस्था के नाम पर सदन का समय क्यों बर्बाद हो रहा है? जनता के कल्याण की बात अगर हम नहीं कह पायेंगे तो फिर क्या फायदा है, चार-चार घंटे यहां पर बर्बाद कर रहे हैं। कौन सा जनता का कल्याण कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अचल सिंह--

मान्यवर, हमने जो कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है वह अति लोक महत्व का है। हजारों कृषकों की जमीन पर वन विभाग अभी भी कब्जा किये है, यह फोटो में भेज रहा हूं आप इसमें देख लें कि वन विभाग, फतेहपुर में किस प्रकार काश्तकारों की जमीनों पर कब्जा कर रहा है, यह खड़ी फसलें हैं। यह अति लोकमहत्व का विषय है इससे हजारों कृषक बर्बाद हो रहे हैं। इससे ज्यादा और लोकमहत्व का दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता

है । हम नये हैं, पहली बार यहां पर आये हैं नये लोगों को आप सुनने का मौका नहीं देते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, जब वन विभाग का बजट आयेगा उसमें यह बात आप कह सकते हैं ।

श्री अचल सिंह--

वहां पर गड्ढे खोद रहे हैं ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय राम शरण दास जी, हमारे पास 20 सूचनायें आई हैं । जब नेताओं की बैठक की थी तो मैंने अनुरोध किया था कि इनका कुछ हल निकाला जाय ।

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास--

आप हल निकालें, दो-दो मिनट सुन लें ।

(व्यवधान)

अपने विवेक से सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप हल नहीं निकाल पा रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं अपने विवेक का इस्तेमाल करें, मेरे को सुन नहीं रहे हैं । अब आप ही फैसला कराइये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप पर फैसला छोड़े दे रहा हूं ।

श्री अचल सिंह--

एक-एक मिनट सुनने में क्या हर्ज है ?

अध्यक्ष--

जब वन विभाग का बजट आयेगा उसमें सुन लिया जायेगा।

(व्यवधान)

20 सूचनायें आई हैं इसी में बोल लें तो फिर चर्चा की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

एक-एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

स्कूटर इंडिया पर कौशिक जी ने कह दिया । इधर बुनियाद हुसैन अंसारी साहब बोलना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, एक व्यक्ति बजाज को 20 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भारत सरकार दे रही हैं । 105 करोड़ कम्पनी का कर्ज माफ कर दिया जायेगा तो यह नंगा नाच हो रहा है एक पूंजीपति को इस प्रकार कम्पनी सौंपी जा रही है । इसमें उत्तर प्रदेश के लोगों का धन लगा हुआ है करोड़ों रुपया लोगों का लगा हुआ है और उसमें राहुल बजाज को बैठाया जा रहा है

(व्यवधान)

हजारों कर्मचारी लोग बर्बाद हो जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)--

माननीय सदन का बहुमूल्य समय बर्बाद हो रहा है, व्यवस्था के नाम पर ।

श्री अध्यक्ष--

आप ही सुझाव दे दीजिये, नियम 56 के सम्बन्ध में ।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, सुनने की कृपा करें । मैं लम्बा कहने का आदी नहीं हूं

(व्यवधान)

जरा धैर्य से सुन लें । माननीय राणा साहब अभी फ्लोर में आ गये । आपने कहा मैंने नियम 51 में स्वीकार कर लिया है उनसे जब बात की तो वह कहते हैं नियम 51 में दूसरा विषय है और 56 में दूसरा विषय है । मान्यवर, विधान सभा के अन्दर जो भी विषय नियम 56 में उठाये जाते हैं वह किसी न किसी रूप में बजट की मांगों से सम्बन्धित रहते हैं आपका यह कहना कि बजट में बोल लें इसलिये इसकी जरूरत नहीं है तो फिर लोक महत्व के विषयों का क्या होगा ? राणा जी का कहना है कि यह अविलम्बनीय है और लोकमहत्व का है । इसलिये इन सब पर समय भी नष्ट न हो । वह ज्यादा जोर दे रहे हैं लोकमहत्व के आधार को मानकर । मेरा कहना है कि ज्यादा समय न देकर दो-दो मिनट सब को सुन लीजिये ।

श्री शारदा प्रताप--

मेरी भी स्कूटर इंडिया के बारे में सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

स्कूटर इंडिया पर बोल चुके हैं

(व्यवधान)

आप ही बतायें माननीय नेता विरोधी दल, कितने लोगों को सुनें ?

श्री सत्यपाल सिंह--

यह तो आपका विषय है, आपके विवेक पर है

(व्यवधान)

विषय की गम्भीरता को देखते हुये सुन लीजिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

आप मेरे कक्ष में आकर बता दीजिये किस-किस को सुनें ।

श्री सत्यपाल सिंह--

इसमें मैं कैसे दखल दे सकता हूं, सदन व्यवस्थित चले और समय भी बर्बाद न हो ।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप--

मेरी बात सुन लें ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा । आप बैठ जायं ।

श्री विजय सिंह राणा--

मेरी सूचना के बारे में बता दें ।

श्री अध्यक्ष--

यदि आपकी सूचनायें नियम 51 और 56 दोनों में अलग-अलग हैं और अलग-अलग बातें हैं, तो मैं इसको देख लूंगा तब आप उठा सकते हैं ।

श्री शारदा प्रताप--

मेरे क्षेत्र की बात है इसलिये आप सुन लें वरना सदन ऐसे नहीं चलेगा ।

(श्री शारदा प्रताप के सदन के फ्लोर पर आ जाने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, अपने आसन पर जायं ।

(माननीय श्री शारदा प्रताप श्री राम चन्द्र बख्श सिंह के प्रयास से आपने आसन पर जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं अपनी सूचना के सम्बन्ध में नियमों के तहत कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आपने दिल्ली में बसों के परमिट न देने के बारे में सूचना दी है, इसको मैंने अस्वीकार कर दिया है ।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, राजनैतिक कार्यक्रम में सरकार ने बाधा डालने का घृणित प्रयास किया है

(व्यवधान)

आपने अस्वीकार कर दिया है । क्या मैं भी सदन के वेल में आ जाऊं तभी मेरी बात को आप सुनेंगे ।

वित्तीय वर्ष 1988-89 पर सामान्य-चर्चा (क्रमागत) †

श्री अध्यक्ष--

यह दुखद बात होगी ।

मद संख्या-18, आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (श्री त्रिगुणी नारायण मिश्र)
(व्यवधान)

श्री त्रिगुणी नारायण मिश्र--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने वित्तीय वर्ष 1988-89 के बजट पर, जो माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की

(व्यवधान)

वर्तमान वर्ष की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक चुनौतियों का माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस दृढ़ता से मुकाबला किया है मैं उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं जहां एक ओर दिनांक 8 मार्च, 1988 की कार्यवाही से

(व्यवधान के मध्य श्री अचल सिंह के सदन के फ्लोर पर आ जाने पर)

श्री अध्यक्ष --

श्री अचल सिंह जी, आप अपने आसन पर जायें ।

(श्री अचल सिंह श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ के प्रयास से अपने आसन पर वापस गये)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

*श्री राम शरण दास--

मान्यवर, आपकी जो कार्यप्रणाली है वह ठीक नहीं है । आपको अपने विवेक से दो-दो मिनट माननीय सदस्यों को सुन लेना चाहिये । आप अपने विवेक से सरकार को निर्देशित कर सकते हैं कि सरकार इसमें उचित कार्यवाही करे, इस पर वक्तव्य दे लेकिन आप अपने विवेक का इस्तेमाल न करके समय को बेल के बीच में लाना चाहते हैं । श्री शारदा प्रताप, श्री अचल सिंह, श्री विजय सिंह राणा परेशान हैं किन्तु आपने उधर से श्री त्रियुगी नारायण मिश्र को बुलवा दिया, तो यह कौन सा तरीका है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि सम्मानित नेतागण जो नियमावली में हैं या तो इसमें परिवर्तन, संशोधन कर दें कि जितने कार्य-स्थगन के प्रस्ताव आयेंगे सभी को सुना जायेगा या माननीय नेतागणों के साथ बैठक हुई थी उसके अनुसार या इन्हीं की कमेटी बना दें और फैसला दे दें कि 3 या 4 या कितने सुने जायेंगे । मान्यवर, अगर 100 कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं या 25 आये हैं, तो क्या यह प्रेक्टिकल है कि सबको सुना जाये । माननीय राम शरण दास जी वरिष्ठ सदस्य हैं और वह परिषद् में भी रह चुके हैं, यह सम्भव नहीं है कि इतने कार्य-स्थगन प्रस्ताव जो आये हैं सब को सुन लिया जाये । श्रीमन्, यह तो आपका डिस्क्रियेशन है । या तो अब आपके डिस्क्रियेशन को समाप्त कर दिया जाये कि इस संबंध में आपका कोई डिस्क्रियेशन नहीं है और जितने भी कार्य स्थगन प्रस्ताव आ जायेंगे वे सुने जायेंगे या नियमों में परिवर्तन कर दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

† दिनांक 8 मार्च, 1988 की कार्यवाही से

जाये कि अन्य कोई कार्य न हो, यही सारे सुने जायें । जब तक यह संशोधन नहीं होगा यह किसी तरह सम्भव नहीं है । अधिष्ठाता मंडल में माननीय राम शरण दास को नियुक्त कर दिया जाये और इनको ही वह दे दिया जाये और यही बता दें कि कौन सुने जायें । आपने श्रीमन्, एक फैसला कर दिया । फैसला हो सकता है कि हमारे कुछ अगस्ट हो, किन्तु उसको अन्य तरह से नियम 51 व 300 में उठाया जा सकता है या अन्य नियमों में लाया जा सकता है अथवा इसी नियम में किसी अन्य दिन या कल यह ला सकते हैं । इसलिए नेता विरोधी दल व अन्य नेताओं से मेरा निवेदन है कि वह कृपया संतुलन बनाये रखें । नियमावली में जो चीजें हैं उनका पालन करें । राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा कि क्या मैं वहां पर आ जाऊं । वह इसे और तरह के उठा सकते हैं । यों उन्होंने मामला उठा दिया और अपनी बात कह दी है और वह सदन के कार्य को चलने दें । आज दो बजट हैं । एक तो बजट पर सामान्य चर्चा है और दूसरे उसके बाद में स्वास्थ्य विभाग के बजट पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान है ।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने नियमों की बहुत गवाही दी है । क्या इसी मुद्दे पर यह लागू होता है । नियमों में तो बहुत स्पष्ट किया हुआ है कि जहां तक सम्भव होगा 24 दिन में बजट पास किया जायेगा । मैंने पत्र लिख भी दिया था । उसके बाद भी यह समय घटा 19 दिन. 19 दिन से घटाकर 17 दिन और 17 दिन से घट कर 15 दिन कर दिया गया है । यहां पर उनका नियम नहीं लागू होता है और जहां पर हम अपनी बात रख सकते हैं, यह नियमों की दुहाई देते हैं । यदि यह नियमों में संशोधन की बात ले आयें तो हम उसमें अपना संशोधन देने के लिये तैयार हैं ।

श्री राम शरण दास--

इन्होंने मेरा नाम 6 बार पुकारा, यह नियमों की गवाही देते हैं । किन्तु नियम सबसे ज्यादा यह तोड़ते हैं । यदि नियम हम लोग ज्यादा तोड़ते हों तो हम इस्तीफा देने के लिये तैयार हैं और यदि यह नियम ज्यादा तोड़ते हों तो इनको यहां से निकाल दिया जाये और इनकी सरकार को समाप्त कर दिया जाये । यह नियमों को तोड़ते हैं और हर मामले में नियमों को तोड़ते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं खड़ा हूं । यह मामला गम्भीरता से तय करना है । आज नेताओं की बैठक है और उसमें जो आपका सुझाव होगा उससे लाभ भी मिलेगा और नियमों में भी परिवर्तन की जरूरत होगी तो वह भी कर दिया जायेगा ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

जहां विरोध पक्ष के लोग जुलूस धरना करते हैं और हमारे रचनात्मक कार्यों में तरह-तरह से बाधा पैदा करते हैं, वहां हम लोग ठोस कार्य किया करते हैं । इसे हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री जानते हैं, इसीलिये 20 फरवरी..

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

अचल सिंह जी, फिर भी खड़े हैं, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि इनका विषय अति गम्भीर है, इन्हें सुन लें, लेकिन आपने हमारी बात की अनसुनी कर दी। आपने मान्यवर, मेरी बात मानी होती तो सदन व्यवस्थित रूप से चलता। मान्यवर, जितने नियम 56 आये हैं सब को सुन लें, चाहें आज सुन लें, चाहे कल सुन लें।

(व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

वक्तव्य के लिए इसे स्वीकार कर लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं आपके सुझाव को फर्ज करिये मान लूं तो फिर राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को भी सुनूंगा, बारी साहब को भी सुनूंगा, तो आप तय कर लें तो मैं तैयार हूं।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह—

स्कूटर इंडिया वाला जो विषय है यह बारी साहब का है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो इसमें आप राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को भी सुन लेंगे और बारी साहब को भी सुन लेंगे तो कौन सा कहर ढा जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कहर तो नहीं ढा जायेगा, लेकिन जितनी सूचनायें आती हैं उनमें से आप ही यह तय कर दें कि यह सूचना ली जायेगी और यह सूचना नहीं ली जायेगी तो मेरी छुट्टी हो जायेगी।

(व्यवधान)

श्री फजलुल बारी—

मैं इतनी देर से खड़ा हुआ हूं आप मुझे क्यों नहीं सुन रहे हैं ?

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जिस समय व्यवस्था का प्रश्न उठाया उस समय आपने कहा था कि सुनूंगा। मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं हमारी रैली को विफल बनाने के लिये सरकार ने प्रयास किया। पूरे प्रदेश में इन्होंने आदेश जारी कर दिया और बसों के परमिट रद्द कर दिये।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक ओर तो मान्यवर, करोड़ों रुपया खर्च करके रैली कराई गई वहीं दूसरी ओर सरकार ने परमिट रद्द कर दिए, तो इसमें आप सरकार को कोई निर्देश देने की कृपा करें।

(घोर व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, यह किस पर बोल रहे हैं, क्या यह कार्यस्थगन पर बोल रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा सरकार पर आरोप है।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, यह जो बात कह रहे हैं यह कार्यवाही में नहीं लिखी जानी चाहिये।

(घोर व्यवधान)

श्री राम शरण दास--

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मामला है, इस पर सुन लें।

(घोर व्यवधान)

*श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि काम रोको प्रस्ताव नियम 56 में आप लेते हैं जो अविलम्बनीय लोकमहत्व का होता है इसलिए वह लाया जाता है कि सरकार उस पर ध्यान दे। मान्यवर, नदियों का कटाव है गांव के बीच में।

(घोर व्यवधान)

जो विवाद का विषय है। अभी आठ तारीख को मैं गया, जान बच गई वरना यहां पर शोक प्रस्ताव पेश हो रहा होता। यह मजाक की बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि हूं कि आप इस विषय को देख ले सरकार की निष्क्रियता की वजह से अधिकारी धन कमाना चाहते हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय बारी साहब अब आप बैठें।

श्री फजलुल बारी--

अगर सरकार ने इधर ध्यान नहीं दिया तो ला-एंड-आर्डर की समस्या खड़ी हो जायगी।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनःवीक्षण नहीं किया।

(वित्तीय वर्ष 1988-89 पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

माननीय अध्यक्ष, जो आपने मुझे मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 1988-89 के सामान्य बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। वर्तमान वर्ष राजनीति आर्थिक, सामाजिक व प्राकृतिक चिंताओं का वर्ष था जिसका हमारे मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह जी ने बड़े साहस के साथ मुकाबला किया। इस वर्ष भयंकर सूखे ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को और गंभीर बना दिया था।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आप सुन लें।

श्री राम शरण दास--

बहुत गम्भीर मामला है, सुन लें।

(श्री राम शरण दास अपने दल के सदस्यों के साथ व श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अन्य सदस्यों के साथ सदन त्याग कर जाने पर)

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, यह क्या हो रहा है। ऐसे काम नहीं चलेगा ?

श्री अध्यक्ष--

बारी जी, मेहरबानी करके आप बैठिये।

श्री फजलुल बारी--

आप हमें निकाल दीजिये।

(श्री फजलुल बारी के सदन के फ्लोर पर आकर बैठ जाने पर)

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(श्री फजलुल बारी श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ के प्रयास से अपने आसन पर चले गये)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप आसन ग्रहण करें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

जब वह बैठ जायेंगे, तब व्यवस्था होगी। बैठ जायेंगे तो सुना लूंगा। यह तरीका नहीं है।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

मान्यवर, वही प्रदेश के विरोधी दल ने घेराव, सड़क जाम, धरना जुलूस और असहयोग के माध्यम से सरकार के कार्यों में बाधा डाली। पश्चिमी जनपदों के किसानों को सिंचाई बिजली पानी और वित्तीय साधनों की सुविधायें पूर्वी जनपदों के किसानों के मुकाबले अधिक प्राप्त हैं। सरकार उन्हें अधिक उपलब्धियों को दे रही है, उन्हें गन्ने का अधिक मूल्य दिया जा रहा है लेकिन दुख है कि वे असहयोग और हिंसा का रास्ता पकड़े हैं। अभी 20 फरवरी, को प्रदेश लखनऊ में एक रैली आयोजित की गई थी जिसमें माननीय प्रधान मन्त्री जी मुख्य मन्त्री को अपना सहयोग देने के लिए 20 लाख किसान एकत्रित हुये थे। प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी को अपनी ओर से और अपने पूर्वी क्षेत्र की ओर से और किसानों की ओर से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने रैली में पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये घोषणा की। इससे हमारे पूर्वी जिलों की जनता का बड़ा उत्साह बढ़ा है। पश्चिमी क्षेत्र के किसानों को ईमानदारी से विचार करना चाहिये कि जो यह असहयोग वह कर रहे हैं क्या वह उचित है। पूर्वी और बुन्देलखंड की गरीब जनता बिजली, खाद, पानी के दाम दे रही है लेकिन वह मुफ्त में बिजली, पानी आदि ले रहे हैं और सरकारी देयों की अदायगी नहीं कर रहे हैं और अमीनों को गावों में जाने से रोक रहे हैं। अनुचित है मेरा विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वह उनको इन कार्यों से विचलित करें लेकिन वह उनको उकसा रहे हैं और गलत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और मुख्य मंत्री के निवास तथा विधान सभा के सामने धरना दे रहे हैं।

(इस समय 1 बज कर 25 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

माननीय उपाध्यक्ष जी, अगर आप बजट को देखें तो पता चलेगा कि इसमें विकास की गंगा बह रही है। बिजली पानी सड़कों सभी क्षेत्रों में धन का आवंटन किया गया और आर्थिक संकट होते हुये भी वार्षिक योजना का लक्ष्य पिछले वर्ष से 18 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। सूखे के कारण जो खरीफ में खाद्यान्न कम हुआ है उसको रबी में पूरा करने की योजना है। किसानों तथा मजदूरों के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम में पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक धन आवंटित किया गया है। मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जब से उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बागडोर संभाली है प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश आ रहा है। उपाध्यक्ष जी वित्तीय संकट होते हुये भी न योजना में कटौती की गयी है और न विकास कार्यों में ढील दी गयी है। बजट में कोई नया कर जनता पर नहीं लगाया गया है। मुख्य मंत्री जी जहां पर अच्छे प्रशासक साबित हुये हैं वहीं पर एक कुशल वित्तीय प्रबंधक साबित हुए हैं। वित्तीय अनुशासन से उन्होंने घाटे के बजट को संतुलित किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी से केन्द्र ने कुशलता से सहयोग किया है और सूखे से निपटने के लिए 155 करोड़ रुपये की सहायता दी है। केन्द्र के सहयोग की तरह सदन के सभी साथियों को मुख्य मन्त्री जी को सहयोग देना चाहिये जिससे प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सके। पिछले वर्ष के बजट में इस प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए विशेष धन आवंटित किया गया था। माना कि पर्वतीय प्रदेश हमारा मुकुट है लेकिन पूर्वान्चल हमारा हृदय है इसलिए हृदय को भी मजबूत करना हमारा कर्तव्य है। पंडित नेहरू जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए पटेल आयोग का गठन किया था लेकिन एक ही वर्ष वह योजनायें चलीं। चीन से युद्ध के कारण वह स्थगित हो गयीं।

पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए वहां विशेष योजनायें लागू करने की आवश्यकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का सामान्य योजना, सामान्य बजट, सामान्य रीति नीति से देना सम्भव नहीं है पर्वतीय क्षेत्र के लिए 260 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है जो हिमांचल प्रदेश के व्यय के बराबर है। मेरा निवेदन है कि प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र बुन्देलखंड, पर्वतीय क्षेत्र विशेष रूप से पिछड़े हुये हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत घनी है इसलिए वहां पर सर्वेक्षण कराकर विशेष योजनायें चलायी जांय। मैं मुख्य मंत्री जी को गोरखपुर जनपद की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि वहां पर 100 करोड़ रुपये की लागत से पालियस्टर यार्न परियोजना लागू की गयी है जिससे एक हजार मजदूरों को काम मिलेगा। मेरा आग्रह है कि गोरखपुर और वाराणसी मंडल के प्रत्येक जनपद में बुनकर अधिक रहते हैं इनका हथकरघे पावर लूम का कपड़ा सारे भारत तथा विदेशों में भी प्रसिद्ध है। लेकिन सूत की कम उपलब्धि तथा महंगा होने के कारण पावरलूम व करघे बंद हो गये हैं जिससे बुनकरों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। मुख्य मन्त्री जी से निवेदन है कि विशेषज्ञों की एक जांच समिति बैठाकर इनकी समस्याओं का अध्ययन करें और सूत के दाम घटाकर और साधन उपलब्ध कराकर इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करें।

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने गन्ना किसानों के मूल्य को अदा करने का पूरा प्रयास किया है और अदा कर रहे हैं। लेकिन आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेषकर गोरखपुर म चीनी मिलें जर्जर पड़ी हुई हैं उनके आधुनिकीकरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं गोरखपुर के उन शहीदों के नगर सहजनवा से आता हूं जहां पर 1942 में दोहरियों में 11 आदमी शहीद हुए थे। मुख्य मन्त्री जी की सार्वजनिक घोषणा के बाद भी शहीद स्मारक नहीं बन सका, लेकिन अभी तक नहीं बन सका है इसलिए वहां पर शहीद स्मारक बनवाया जाय। इसके अतिरिक्त वहां पर राजकीय कन्या विद्यालय की स्थापना की जाय।

गोरखपुर जिला ताल-तलैया, नदियों से घिरा हुआ है इसलिए यहां पर पुलों और सड़कों के जाल बिछाने की जरूरत है। गोबरहिया नाले पर पक्का पुल तथा किसी घाट पर पंपे का पुल बनवाया जाय तथा सोनबरसा से मगहर सड़क को पक्का कराया जाय। हमारे विपक्ष के नेता ने निगमों के घाटे पर चिंता व्यक्त की है। इससे हमारे मुख्य मंत्री जी स्वयं चिंतित हैं और इनको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि इनको अधिकारियों के हाथ से लेकर जन प्रतिनिधियों तथा विशेषज्ञों को दिया जाय ताकि इनका घाटा कम हो और यह तरक्की कर सके। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इन शब्दों के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट की प्रशंसा करता हूं जो प्रदेश की जन आकांक्षाओं के अनुरूप है और जिससे प्रदेश का चौमुहां विकास होगा। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय फजलुल बारी साहब ने एक अहम मसले की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया है कि नदियों के कटाव से जनता के बीच व्यापक तनाव है और किसी भी समय कोई दुर्घटना सम्भावित है। उस अहम मसले पर ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय राजस्व मंत्री सदन के सामने कुछ कहना चाहते हैं। हम उम्मीद भी करते हैं कि माननीय राजस्व मंत्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे कि इस मसले पर किसी प्रकार का दुर्घटना न हो।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, जब तक आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं सुनेंगे, तब तक मैं खड़ा रहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय काशी सिंह ऐरी, आप आसन ग्रहण करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, माननीय फजलुल बारी साहब से इस बारे में मेरी बात हुई थी। उन्होंने इस प्रश्न को उठाने के बारे में बताया था। मान्यवर, मुझे खुद भी उसके बारे में ज्ञान है। मान्यवर, जब नदियां अपना रास्ता छोड़ देती हैं, अपना कोर्स छोड़ देती हैं या जब वे पश्चिम से पूर्व की तरफ चली जाती हैं या अपनी दिशा बदल देती हैं, तो कहीं-कहीं पर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि उस पर विवाद खड़े हो जाते हैं और ला एण्ड आर्डर की स्थिति भी पैदा हो जाती है। माननीय फजलुल बारी ने इस बारे में मुझसे कई बार बात की थी। मैंने इस बारे में अपने अधिकारियों को हिदायत दी है कि इस प्रकार से जहां-जहां पर इस तरह का विवाद है, उसको सुलझाया जाय, जिससे यह फैसला आसानी से हो सके और ऐसा फैसला हो, जिससे इस समस्या का निदान हो जाय।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत जिन सूचनाओं को माननीय अध्यक्ष ने सुना है और स्वीकार किया है, उसके संबंध में माननीय अध्यक्ष जी ने क्या निर्देश दिये हैं, यह मान्यवर, आप सदन को जानकारी करा दें उस निर्णय से सदन अभी अनभिज्ञ है।

श्री उपाध्यक्ष--

उस पर शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया गया है।

*श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक व्यवस्था का प्रश्न इस माननीय सदन में उठाना चाहता हूं। मान्यवर, मैंने जो मामला नियम 56 में स्कूटर्स इंडिया लि0 के निजीकरण के बारे में और उसे बजाज आटो मोबाइल्स को बेचे जाने के सम्बन्ध में उठाया था, वह नियम 51 में स्वीकार भी कर लिया गया है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूं, मुझे उस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था इस मामले में चाहता हूं कि स्कूटर इंडिया लि0....।

श्री उपाध्यक्ष--

उसमें अध्यक्ष जी का निर्णय हो गया, आप बैठें।

श्री काशी सिंह ऐरी--

यह सुन लीजिए, आपको सुनना होगा, मैं निवेदन करता हूं आप पूरी बात सुन लीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

जब बात समाप्त हो गई, पूरी बात हो गयी स्कूटर इंडिया लि0 की, उस पर मैं नहीं सुनता ।

वित्तीय वर्ष 1988-89 पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, मैंने बड़े ध्यान से माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसको देखा ।

श्री उपाध्यक्ष--

कौशिक जी, ध्यान रखें 5 मिनट का समय है ।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, 10 मिनट तो दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

2 बजे खत्म करना है, आज आखिरी दिन है ।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, 10 मिनट में खतम करूंगा । मान्यवर, बड़ी निराशा हुई इस बजट को देखकर, इस बजट में न कोई दिशा है और न कोई सरकार की इच्छा इसमें दिखाई देती है और न इच्छा शक्ति दिखाई देती है । मान्यवर, बजट कोई जोड़-घटाव का दस्तावेज नहीं होता है वरन उससे यह भी पता चलता है कि सरकार की नीति, सरकार का इरादा क्या है ? मान्यवर, न तो इस बजट से यह पता चलता है कि यह समाज में कुछ बदलाव लाने की स्थिति में है, न यह पता चलता है कि यह गरीबों के लिए क्या करना चाहते हैं । इसके अतिरिक्त जो खराबियां जो हमारी पिछली नीतियों के और पिछले कार्यक्रमों के तहत चलती रहीं उसको यह आगे बढ़ायेंगे । मान्यवर, घाटे के बजट के रूप में यह हमारे सामने पेश है और बड़ा दावा किया गया है कि पिछले साल की अपेक्षा हमने इस साल अपनी योजना में जो 2600 करोड़ रु0 के करीब का है इजाफा किया है 18 फीसदी का । मान्यवर, मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि जो पिछले साल की योजना थी वह भी 2600 करोड़ रु0 की थी । लेकिन 2600 करोड़ की योजना रहते हुए भी वह केवल 2200 करोड़ रु0 की रह गई और आज भी जो इनकी 2600 करोड़ रु0 की योजना है इसका भी कोई ठिकाना नहीं कि यह 2600 करोड़ रु0 की ही रहेगी या 2200 करोड़ रु0 की हो जायगी । मान्यवर, इसके अतिरिक्त इसमें यह बात तो बिल्कुल साफ ही हो गई जितनी वार्षिक योजना हमारे पिछले वर्ष की थी इस वर्ष उस योजना में कोई वृद्धि नहीं है । इसके अतिरिक्त जो 10 प्रतिशत के लगभग महंगाई हमारे प्रदेश में हो गई है, 13 प्रतिशत की जो महंगाई हो चुकी है, उस महंगाई के रहते हुए निश्चित रूप से जो वार्षिक योजना है वह पिछले साल से कम बैठेगी । इन्होंने संसाधनों का कोई खोज नहीं किया है और सिर्फ घाटे का बजट करके दिखा दिया है उससे भी निश्चित रूप से इसकी हैसियत घटेगी । ऐसा लगता है कि जो योजना पिछले साल की थी उससे भी कम इस साल की होगी और कम क्षेत्रों में काम करने के लिये कहा जायेगा ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में बड़ी समस्याएं हैं और यह सरकार इन समस्याओं को दूर करने में अक्षम सिद्ध हुई है। चूंकि मान्यवर, कई समानान्तरण आर्थिक व्यवस्थाएं हमारे यहां चल रही हैं, भ्रष्टाचार की आर्थिक समानान्तर अर्थ व्यवस्था हमारे यहां चल रही है, तस्करी की समानान्तर अर्थ व्यवस्था हमारे यहां है और इसके अतिरिक्त जो सरकार का रवैया है और इन सारी चीजों को नजरन्दाज करते हुए यह अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं यह कैसे मुमकिन है और इतना ही नहीं हमारे इस बजट में जो हमारे 50 फीसदी लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं जो बिल्कुल भोजन के लिए रोटी के लिए तरसते हैं उन लोगों को यह सरकार कैसे फायदा पहुंचा पायेगी, इसमें मान्यवर, सन्देह है। मान्यवर, हमारे यहां जो आय और वितरण की व्यवस्था है, उसे थोड़े से आंकड़े के रूप में बता देना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी नोट कर लें कि इससे कितनी विषम परिस्थिति है। अगर 100 आबादी है और 100 रु० की आमदनी है तो हमारे यहां 1 फीसदी लोग 33 प्रतिशत ले जाते हैं, 33 फीसदी लोगों को मात्र 33 फीसदी मिलता है और शेष 66 फीसदी लोगों को 33 प्रतिशत मिलता है। यह आय और वितरण की व्यवस्था है। इन्होंने दावा किया है कि हमने 146 रु० प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया है, परन्तु आंकड़ों से यह बात सिद्ध नहीं होती। हमारी जो आय बढ़ी, चाहे किसी की व्यक्तिगत हो, चाहे प्रदेश की, उसका गरीब से गरीब आदमी को ठीक से भुगतान हुआ है या नहीं, क्योंकि हमारे यहां ऐसी व्यवस्था चल रही है कि 1 फीसदी 33 प्रतिशत आय, 33 फीसदी 33 प्रतिशत आय और शेष 66 फीसदी लोग 33 प्रतिशत आय पाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे सबसे नीचे के लोगों की आय में वृद्धि का प्रश्न नहीं उठता है।

मान्यवर, जितनी भी इनकी योजनाएं हैं, जो भी काम ये करने की सोचते हैं, आप देखें तो पायेंगे कि पिछले साल जो हमारी वार्षिक योजना को घटाया गया, 2600 करोड़ से 2200 करोड़ कर दिया गया, उसमें कटौती उस जगह हुई, जहां गरीब लोगों के अरमान बसते हैं। सिंचाई के काम में, कृषि के काम में कटौती की गई। जो आर्थिक ढांचे को बनाने वाले हैं, जहां सबसे गरीब तबके के लोग रहते हैं, उनकी योजना में कटौती हुई। मान्यवर, इस प्रकार का बजट जो इन्होंने प्रस्तुत किया है, उससे कोई लाभ हमारे समाज और प्रदेश को होने वाला नहीं है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त जो सूखे का इन्होंने जिक्र किया, मैं फिर कह देना चाहता हूं, जैसा कि शुरू में निवेदन किया, इनकी दिशा कुछ नहीं है। इनके फैसले इस प्रकार के हैं, जो यह हमारे समाज में एक कल्याणकारी समाज की स्थापना करना चाहते हैं जैसा कि इनका दावा है, समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं, वह फैसले ऐसे नहीं होते, उसके विपरीत होते हैं। इनके पास दिशा कुछ नहीं रहती है, खाली नारेबाजी की बात रहती है। दिशा इस सरकार की कोई नहीं है। यह अगर कल्याणकारी समाज बनाने की बात सोचते तो यह समानान्तर अर्थ व्यवस्था और घाटे की अर्थ व्यवस्था न होती।

आपको ताज्जुब होगा प्रदेश में लगभग 30 टन सोने की तस्करी होती है और विदेशी माल हमारे मुख्य मंत्री के क्षेत्र गोरखपुर, बस्ती, गोण्डा आदि से आता है और तस्करी की अर्थ व्यवस्था, कालाबाजारी की अर्थ व्यवस्था ने हमारे सारे आर्थिक ढांचे को चरमरा कर रख दिया है। गरीब की कमर को तोड़कर रख दिया है। मान्यवर, सूखे के बारे में बड़ा शोर मचाया है कि इतने मानव दिवसों का सृजन किया है। इतने लोगों को रोजगार मिला है। इन्होंने बताया कि 48 हजार लोग काम पर आये और जो काम के दिवस करोड़ों में खड़े किये गये, वह कहां गये ? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है कि सूखे की व्यवस्था में किसकी

आमदनी बढ़ी ? गरीबों की बढ़ी या ठेकेदारों की बढ़ी। उधर के लोग शरीक हुए, इधर के हुए या नहीं, प्रश्न यह है कि आज जो हमारे यहां बीच का वर्ग है, जो दलाली करता है, कमीशन खाता है, ठेकेदारी करता है, उनके लिये योजना है। उनके लिये यह कल्याणकारी सरकार चल रही है। गरीब की तरफ ध्यान देने का सरकार का काम नहीं है। हमारे यहां सूखा ऐसा पड़ा जो पूरी शताब्दी में जैसा नहीं पड़ा है, मैं मान लेता हूं, यह बात सही है, लोगों ने परेशानी भुगती, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इतनी बात सरकार ने कही तो फिर क्यों 146 करोड़ दिल्ली की सरकार से ले पाये। जब 1300 करोड़ की मांग थी तो कैसे 146 करोड़ कर दिये गये ? उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली की सरकार को या तो समझाने में अक्षम सिद्ध हुई और हमारे यहां भयंकर सूखे से काफी प्रभाव है इसलिये जो 1,300 करोड़ रु0 की मांग है वह जायज है। केन्द्र सरकार की टीमें यहां के सूखे का आंकलन करने के लिये आयी थी उन्होंने दौरे भी किये थे, यहां के अधिकारियों से बात हुई थी, मंत्रियों से बात हुई थी, लेकिन हमारे मंत्री यहां का शासन इतना अक्षम रहा, इतना नकारा साबित हुआ कि जो हमारी आवश्यकतायें थीं उन आवश्यकताओं को नहीं बता पाया। आज विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, यह कह रहे हैं कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हम सबसे आगे हैं। मान्यवर, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर उठाने की बात है यह बतायें कि कितने लोग उनमें से अब तक ऊपर उठाये गये ? यह जो तमाम योजनायें आपकी चल रही हैं गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को ऊपर उठाने के लिये, उन योजनाओं के तहत कितने लोग उठ पाये ऊपर ? यह सिर्फ इतना बता देते हैं कि जितना धन इन योजनाओं के लिये प्राप्त हुआ, उसका उपयोग कर लिया।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम को नापने का इनके पास कोई और पैमाना नहीं है। इनके पास सिर्फ पैमाना यह है कि जितना पैसा मिला था चाहे वह भारत सरकार से मिला हो या उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का अंश रहा हो उसमें भरपूर उपयोग कर लिया। वह उपयोग उन लोगों तक पहुंचा या न पहुंचा इसका सवाल इनके सामने नहीं है। उसका फायदा उनको हुआ या नहीं हुआ इनके सही आंकड़े इनके पास नहीं हैं। इनके पास बीस सूत्रीय कार्यक्रम का एक यही पैमाना है कि जो धन आवंटित हुआ था इन कामों के लिये वह उपभोग कर लिया गया, चाहे वह दलाली में गया हो।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि विकास के नाम पर खंड विकास अधिकारियों की मार्फत और गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिये जो धन जाता है उसमें 40 फीसदी से एक परसेन्ट भी अधिक पैसा वास्तव में खर्च नहीं होता है। बाकी पैसा है। बिचौलियों के पास चला जाता है। मान्यवर, कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है चारों तरफ लेकिन यह सरकार इन चीजों को दूर करने के लिये कोई कोशिश नहीं करती है। मान्यवर, इनके इरादे भी वैसे नहीं हैं, इनके वैसे फैसले भी नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, रिन्यूवल की व्यवस्था, चाहे वह किसी लाइसेन्स के रिन्यूवल की बात हो बन्दूक के लाइसेन्स के रिन्यूवल की बात हो, सेलसटैक्स के रिन्यूवल हो वह किस के लिये है, मान्यवर रिन्यूवल के नामपर भले ही सरकार के कोषमें 5 रु0 10 रु0 आ जाते हों लेकिन जो बीच के लोग हैं यह सैकड़ों-सैकड़ों रु0 हजम कर लेते हैं। यह हकीकत है। उधर के बैठे लोग भी इसे जानते हैं, मंत्री भी इसे जानते हैं लेकिन यह सरकार मूकदर्शक बनी बैठी हुई है। भ्रष्टाचार के मामलों को सरकार अच्छी तरह से जानती है। चाहे खाद सप्लाई में व्याप्त भ्रष्टाचार की बाते हों, सेलसटैक्स में व्याप्त भ्रष्टाचार की बाते हों और चाहे किसी और विभाग का मामला हो, सरकार को यह सब बहुत अच्छी तरह से मालूम है लेकिन यह मूकदर्शक बनी बैठी हुई है। मान्यवर, यह चाहे इस सरकार के लिये अभिशाप न हो लेकिन इस प्रदेश की जनता के लिये इस सरकार का उन मामलों पर मूकदर्शक बना रहना एक अभिशाप है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, दो मिनट और लूंगा। मान्यवर, किसानों के फायदे के लिये, हमारे कृषि मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, यह तय किया गया कि बीज की व्यवस्था सही हो, अच्छा बीज मिले सरकार की जो एजेन्सियां हैं कृषि विभाग हो, कोआपरेटिव विभाग हो, जो हमारी सीड बनाने वाली एजेन्सियां हैं, कारपोरेशन हैं, इन एजेन्सीज से सीधे खरीद कर काश्तकारों को दे देते हैं। लेकिन अब ऐसा नियम बनाया है कि सीड बनाने वाली जो तमाम एजेन्सियां या कारपोरेशन्स हैं उनसे बीज को पहले तराई निगम लेगा और फिर बांटने वाली एजेन्सियों को देगा अब इसका नतीजा यह निकलेगा कि एक कुन्टल बीज पर कम से कम 100 रु0 बढ़ जायेंगे क्योंकि बीच में एक एजेन्सी आ गई। आप तराई निगम को ऊपर उठाना चाहते हैं। इस समय सब मिलाकर 104 निगम हैं और इन सभी में व्यवस्था इस प्रकार की है, जिससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। सरकार अपने दायित्व को छोड़ती जा रही है। मान्यवर, मैं यह बात नहीं कहता कि एक निगम की कौन-कौन सी जरूरत है लेकिन यह बात मैं निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में यह निगमों की व्यवस्था पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है, इस बात को आज हमें स्वीकार करना चाहिये। हमारा तमाम धन इसमें खर्च हो रहा है। अगर सरकार अपनी नियत ठीक रखना भी चाहे, तो भी सरकार उसमें दखल नहीं दे सकती। तो इन सारी व्यवस्थाओं के रहते हुये आप जो कानून बनाते हैं, उससे आपका जो थोड़ा-बहुत इरादा कल्याणकारी समाज बनाने का है, वह भी पूरा नहीं हो सकता।

इसी प्रकार भ्रष्टाचार की बात आती है, इसमें भी आपके कानून और व्यवस्थायें ऐसी हैं, जो स्वयं भ्रष्टाचार को बढ़ाने में सहायक हैं। जैसे बन्दूक के लाइसेंस की बात है। इस मामले में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि पहले पूरी रिपोर्ट तैयार होगी और उस रिपोर्ट को मंगाने के लिये जब तक 100-200 या 500 रुपये खर्च नहीं हो जायेंगे, तब तक रिपोर्ट आयेगी नहीं। इसी प्रकार रिन्यूवल में भी बिना रुपये खर्च किये काम नहीं हो सकता। इसी प्रकार से एक और मिसाल मैं देना चाहता हूं कि ताकि आपको पता चल जाये कि यह कैसे फैसले करते हैं? पेरोल दिये जाने के बारे में इनकी व्यवस्था है कि रिपोर्ट थाने से मंगाई जायेगी, जहां बन्दी रहता था। मान्यवर

आप भी जानते हैं कि 7–8 साल पहले सजा काटे हुये लोगों को पेरोल की व्यवस्था दी जाती थी ।

अब सरकार ने यह व्यवस्था बनायी कि उस थाने से रिपोर्ट मंगवायी जायेगी, जहां बन्दी अब नहीं रहता । बन्दी अब जेल में रह रहा है तो उस थान से रिपोर्ट मंगाने का कोई औचित्य नहीं है । अब स्थिति यह है कि एक महीने की पेरोल जो दी जाती है, उसके लिये भी 500 रुपये खर्च किये बिना पेरोल नहीं मिल सकती है । जब तक यह रुपये खर्च नहीं किये जाते, तब तक रिपोर्ट थाने से आती नहीं है । मान्यवर, इसके फैसले ऐसे होते हैं, जिनसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है । अन्त में मान्यवर, सामान्य बजट के ऊपर में अपनी चर्चा समाप्त करते हुये इतना कहना चाहता हूं कि इस बजट से न कोई दिशा है और न ही इसके किसी इरादे का आभास होता है और न ही सरकार की कोई इच्छा शक्ति का पता चलता है ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय––

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं, आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं, क्योंकि मान्यवर, यह बजट जो प्रस्तुत किया गया है, वह बड़ी दूरदर्शिता पर आधारित है । और हमारे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये सभी बातों को ध्यान में रखते हुये इस बजट को प्रस्तुत किया गया है । इसके साथ ही साथ, अभी मेरे माननीय सदस्य श्री कौशिक जी, जो कि एक सम्मानित सदस्य हैं, उन्होंने कुछ बातें पेरोल के सम्बन्ध में कही हैं, उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि सम्बन्धित थाने से रिपोर्ट मंगाई जाने में कोई परेशानी वाली बात नहीं है । मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें माननीय सदस्य को क्या एतराज है ? अगर पेरोल देने के लिये सम्बन्धित थाने से, जहां वह बन्दी रहा है, रिपोर्ट मंगवाई जाती है, तो इसमें मान्यवर, कोई रोक वाली बात नहीं होनी चाहिए । बजाय इस पर आपत्ति करने के माननीय सदस्य कोई अच्छा सा सुझाव देते, तो ज्यादा अच्छा रहता । इसी तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार के विषय में कहा है । मुझे मान्यवर, एक इन्स्टेन्स याद आया । मैं मानता हूं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार है लेकिन यह देखना चाहिये कि मौजूदा सरकार जो हमारी जनप्रिय सरकार है, उसके प्रति जागरूक है या नहीं लेकिन हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यगण अक्सर भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है । मान्यवर, मुझे एक बात याद आती है । मैं एक बार अस्पताल गया हुआ था, वहां पर एक मरीज डाक्टर के सामने बैठा हुआ था और डाक्टर साहब उसे समझा रहे थे कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेय होता है, इसलिए सिगरेट पीना बन्द करो । मरीज हंसने लगा, इस पर डाक्टर ने कहा कि तुम हंस क्यों रहे हो, तो इस पर मरीज ने कहा कि नसीहत देते समय तो कम से कम इस सिगरेट को अपने मुंह से निकाल लिये होते । यही हाल हमारे माननीय विपक्ष के सदस्यों का है । भ्रष्टाचार है, लेकिन इसको दूर करने का उत्तरदायित्व केवल सरकार का नहीं है, इसे समाप्त करने के लिए हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यगण व हमारे सम्मानित सदस्यगण जागरूक हैं । एक तरफ तो चोर से कहा जाय चोरी करो तो दूसरी तरफ शाह से कहा जाय जागते रहो । हमें भागीदार कहते हैं, विपक्ष का भी कम उत्तरदायित्व नहीं है आपको भी इसके लिए जागरूक होना चाहिए । सूखा राहत कार्यों की बात कही गई । मैं दावे के साथ कह सकता हूं और हमारी सरकार को विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा धन्यवाद दिया जाना चाहिए था, इसी सरकार की जागरूकता के कारण, सूखे की जो विभीषिका उत्पन्न हुई थी, उससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ ।

माननीय श्री कौशिक जी ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि हमने सूखा राहत कार्यों में लोगों का रोजगार दिया। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं और आमंत्रित करता हूं कि वह हमारे विधान सभा क्षेत्र 61-गोंडा में आयें और देखें। हमारे यहां सूखा राहत कार्यों के तहत सड़क का निर्माण हुआ। वहां पर लखनऊ और दिल्ली से लोग नहीं बुलाये गये, बल्कि जिस विकास खंड में वह सड़क बनी है, वहां के ग्रामवासियों को कार्य में लगाया गया है, उनको अनाज मिला है और जो सुविधायें मिलनी चाहिए थीं, वह दी गई हैं। गड़बड़ी हुई है, लेकिन जहां कार्य होगा, जहां विकास होगा, तो वहां कुछ अवरोध अवश्य होगा, कुछ गड़बड़ी अवश्य होगी, लेकिन यह कह देना कि कार्य नहीं हुआ, गलत है।

मान्यवर, एक चीज बजट के बारे में कहना चाहता हूं। बजट जो दिया जाता है, वह उस समय के पूरे कार्य को देखकर दिया जाता है कि इस पर कितना खर्च होगा और इस मद में इतना खर्च होगा, किन्तु एक टाइम बाउन्ड कार्य न होने के कारण बड़ी क्षति एवं परेशानी होती है। दोनों पक्षों के सदस्य इसे मानते होंगे, जब हम अधिकारियों के पास किसी कार्य के पूरे होने के लिये जाते हैं तो वे कह देते हैं कि बजट खत्म हो गया है, इसलिये इसे हम पूरा नहीं कर पाये। इसलिये टाइम बाउन्ड कार्य के लिये हमारी सरकार को सख्ती बरतनी चाहिये और जो इस्टीमेटेड बजट है किसी कार्य के लिये वह उसी में पूरा होना चाहिये। उसके विलम्ब में बनने से उसकी लेबर कास्ट में अन्तर आ जाता है और मैटीरियल में वृद्धि हो जाती है, इसके लिये सरकार को विशेष निर्देश जारी करने चाहिये और जिस कार्य के लिये जिस अधिकारी को उत्तरदायी बनाया गया है, यदि वह कार्य पूरा नहीं करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

जब उसका बजट आयेगा, तब आप कहना।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

कानून व्यवस्था की बात कही गई है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि कानून-व्यवस्था की तरफ हमारी सरकार जागरूक नहीं होती तो शायद बहुत बुरी स्थिति आ जाती। जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, आज आप लोग गांवों में जाकर प्रेक्टिकल तौर से देख सकते हैं, आज वहां पर जीवन स्तर उठा है। गांवों में जहां पहले सड़क तक सायकिल से नहीं आया जा सकता था, आज सच्चाई यह है कि जीप से हर जगह गांवों में पहुंच जाते हैं। अब तो गांवों में कार भी दिखायी पड़ने लगी है, बल्कि बहुत मुश्किल से देखने को मिलता था, लेकिन आज ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रक्रिया के कारण वह भी गांवों में दिखाई पड़ने लगा है, मैं यह नहीं कहता कि हम ग्रामों समग्र विद्युतीकरण करने में सफल हुये हैं, मुझे कहना है कि अभी विद्युतीकरण और होना चाहिये, लेकिन यह सही है कि ग्रामों में विद्युतीकरण हुआ है, विकास हुआ है। विकास की बात, महंगाई की बात जो कही गयी, यह अर्थशास्त्र का सिद्धान्त है, जब देश और प्रदेश का विकास होगा तो महंगाई स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी, लेकिन किसान का जहां पहले इतना नुकसान होता था, वह गट्ठर लेकर चलता था, बोरा लेकर चलता था, लेकिन उसे पूरा मूल्य नहीं मिलता था, आज उसे जो मूल्य मिलता है, वह पहले कभी नहीं मिल पाता था। गांव में बड़ी मुश्किल से पक्के मकान देखने को मिलते थे, लेकिन आज जगह-जगह दिखायी पड़ने लगे हैं। स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत भी आज लोगों को जितने अवसर उपलब्ध कराये गये हैं, उतने कभी नहीं थे।

इसी के साथ ही मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अभी अपने विद्वान साथी उपाध्याय जी का भाषण ध्यान से सुन रहा था । उसको सुनकर मुझे महात्मा गांधी के जीवन की एक घटना याद आ गयी । उनके पास एक बार एक एप्लीकेशन आयी, 3-4 कागज थे, उसमें एक आलपिन लगी हुई थी, उन कागजों में कोई अर्थपूर्ण बात नहीं थी, गांधी जी ने आलपिन तो निकालकर रख ली और उन कागजों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया । जब लोगों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि मतलब की चीज तो आलपिन थी, इसलिये उसे रख लिया, कागजों में कोई तथ्य नहीं था, इसलिये उन्हें रद्दी की टोकरी में डाल दिया । इसी प्रकार माननीय उपाध्याय जी के भाषण में मुझे एक आलपिन रूपी तथ्य नजर आया कि "काम समय पर नहीं हो पाता है" । उन्होंने सर्वांगीण विकास की बात कही । माननीय राजस्व मन्त्री जी चले गये, अगर होते तो उनको याद दिलाता, सभी माननीय सदस्य जानते होंगे कि आप किसी भी कार्यालय में काम के लिये जाते होंगे तो कार्यालय अध्यक्ष यही कहता है कि पी0 एल0 ए0 से सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और कोर्ट के एक्सपेण्डीचर को छोड़कर और कोई खर्च नहीं कर सकते हैं । बड़ी सर्वांगीण विकास की बात हुई है, मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी की बजट स्पीच से कुछ आंकड़े उद्धृत करना चाहता हूं । वह आंकड़े चिल्ला चिल्लाकर कह रहे हैं कि प्रदेश पीछे जा रहा है । अगर आपकी सरमायेदारों के विकास की कल्पना हो तो बात ठीक है, लेकिन सर्वहारा वर्ग का विकास नहीं हुआ है ।

विद्युतीकरण की बात की गयी । पिछले साल वर्ष 1987-88 में 4080 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य था, 3914 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण होना था, बजट भाषण में कहा गया है कि जनवरी, 1988 तक 1928 गांवों का विद्युतीकरण हुआ है ।

पिछले साल 1987-88 में 20,500 निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत करने की बात थी, जनवरी, 1988 तक 17,345 ऊर्जीकृत किये गये, जबकि 1988-89 में केवल 15,000 निजी नलकूपों एवं पम्पिंग सेटों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य रखा गया है । मेरे अपने क्षेत्र में पिछले साल 100 निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से केवल 75 ऊर्जीकृत किये जा सके । अगर इसी को आप सर्वांगीण विकास कहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

जहां तक सड़कों के निर्माण का प्रश्न है, 1987-88 की समाप्ति तक 1178 कि0 मी0 सड़क खड़ंजे के ऊपर स्तर तक बन जाने का अनुमान है, जिसे कि इस वर्ष घटाकर 995 कि0 मी0 कर दिया गया है ।

शिक्षा के क्षेत्र में, जब आपका बजट देखा तो सोचा कि नवोदय विद्यालय खोले जा रहे हैं, नई शिक्षा नीति आ रही है, तो आपका जो कान्स्टीट्यूशनल कमिटमेंट है 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का उसे भी आप पूरा करेंगे, लेकिन आपने उस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है । 1986-87 में आपने प्राइमरी स्कूल खोले 222, जूनियर हाई स्कूल खोले 72, वर्ष 1987-88 में लक्ष्य था 234, खोले केवल 207, वर्ष 1988-89 में 188 प्राइमरी स्कूल खोलने का लक्ष्य है, इसी को प्रगति समझ लीजिये । अब मैं हरिजन समाज कल्याण की बात करना चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

इस समय सदन में माननीय बख्शी दीदी नहीं है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट भाषण में कहा गया है कि इसने अपने लक्ष्य की पूर्ति कर ली है। मैं उधर के सदस्यों की बात नहीं करता, शायद उनको लगता हो कि लक्ष्य की पूर्ति हो गयी है किन्तु इधर के सभी माननीय सदस्य जानते हैं क्योंकि हमारा दर्द उन हरिजन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है कि हरिजन बच्चों के उत्थान का कार्य नहीं हुआ है। क्या यह सही नहीं है कि अभी हाल ही में शासन से हरिजन समाज कल्याण के कार्यालय से एक शासनादेश सभी जगहों पर गया है कि हरिजन बच्चों को दर्जा 6 से वजीफा दिया जायेगा और वह भी मात्र 5 बच्चों को ही। मैंने पूछा कि शेष बच्चों का क्या होगा ? क्योंकि किसी स्कूल में 50 हरिजन के बच्चे हैं और किसी में बीस हैं तो इनमें से केवल पांच बच्चों को ही वजीफा दिया जायेगा ?

इसी तरह से महिलाओं के कल्याण की भी बात है। सरकार ने स्वतः स्वीकार किया है कि एक भी महिला का उत्थान नहीं हुआ है जबकि डेढ़ वर्ष हो गये इस संस्था को बने हुये और इस डेढ़ वर्षों में आपने क्या किया है ? मैं इस विषय में जानना चाहता हूं कि जो भी प्रभारी मन्त्री इसका उत्तर देने के लिये खड़े हों, वह मेरी इस बात का जरूर जवाब दें। हमारी सरकार ने निराश्रित विधवा पेंशन देने की योजना बनायी थी। उस योजना को अब आपने समाप्त कर दिया है क्योंकि कहते हैं कि इतनी धनराशि कहां से आयेगी ? मेरा कहना है कि जितनी निराश्रित विधवायें पेंशन पा रही थीं, उसमें से कोई न कोई मरेगी ही और उसकी धनराशि जो कम होगी उससे आप दूसरी निराश्रित महिला जो कि विधवा हो, उसे पेंशन की व्यवस्था करके दे सकते थे, किन्तु आपने ऐसा करना उचित नहीं समझा।

कृषि के बारे में जो बात कही गयी है, इसी सदन में मेरा भी एक प्रश्न इसी सम्बन्ध में आया था जिसमें मैंने इस बात पर चिन्ता प्रकट की थी कि पशुधन और कृषि की फसल का बीमा होना चाहिये। मैं कहता हूं कि आप इंडीवीजुअल बीमा की भरपाई कीजिये किन्तु कुछ इस तरफ भी तो ध्यान दीजिये। मैं इस सम्बन्ध में आपको हरियाणा का उदाहरण देना चाहता हूं, परन्तु आपने अपने यहां क्या किया ? योजना में सुधार करने के बजाये केन्द्रीय सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि कृषि फसल बीमा योजना को रद्द कर दिया जाय। मैं इसका भी उत्तर जानना चाहूंगा। यदि इसमें कुछ कमियां थीं, उसको हम भी जानते हैं, उन कमियों को दूर करने के बजाय यदि वह योजना चालू रहती तो उसमें सुधार किया जा सकता था, किन्तु वह नहीं किया गया। किसानों के हित का मैं समर्थन करना चाहता हूं। लेकिन आपने उसे समाप्त करके किसानों के हित विरोधी होने का परिचय दिया है।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त एक योजना आ गई थी सूखे की, सूखा पर बड़ा हा-हा कार मचा। सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि किसानों के प्रति 31 जनवरी तक कोई प्रताड़ना की कार्यवाही न की जाय, प्रताड़ना की कार्यवाही को 31 जनवरी तक के लिये रोक लिया गया। 31 जनवरी से आज मार्च आ गया। मैं जानना चाहता हूं कि किसानों के प्रति प्रताड़ना की कार्यवाही रोकने के लिये 31 जनवरी तक कौन सी उनके हित में आमदनी की बात जुड़ी हुई थी जिसके सम्बन्ध में यह कार्यवाही निलम्बित की की गयी थी ? मैं कहता हूं कि कम से कम आने वाली फसल तक तो प्रताड़ना की कार्यवाही को आप रोक देते। आप स्वयं जानते हैं कि पिछले एक दो सालों से किसान बहुत त्रस्त है कभी सूखा, कभी पाला, कभी दैवी आपदा के कारण फसल का नष्ट होना, कहां से वह आपको दे पायेगा ? आप कहते हैं कि आपने किसानों को छूट दी है। अरे, अगली फसल आने तक आप उन्हें छूट के नाम पर प्रताड़ना की कार्यवाही को ही

रोक देते, लेकिन किसानों को छूट देने की बात का निर्णय आपने केवल कागजों पर ही किया है। जब हम इस विषय में जिलाधिकारी से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि गुप्ता जी, हम लोग जितनी मेहनत परिवार नियोजन के लिये कर रहे हैं उससे भी ज्यादा मेहनत करने के लिये हमको आदेश दिये गये हैं। मैं कहता हूं कि भगवान के लिये आप हमारी बात को मान लें और जब तक कि अगली फसल न आ जाय आप किसानों के प्रति प्रताड़ना की कार्यवाही को रोक दें।

एक बात मान्यवर, दूसरी भी करनी है कि अगर सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि केवल ढपोरशंख की घोषणाएं ही करनी हैं और कार्य कुछ करने ही नहीं हैं तो अलग बात है, मान्यवर, अक्सर यह बात देखने में आयी है जब कहीं भी माननीय मुख्य मन्त्री जी या अन्य मंत्रीगण किसी भी समारोह में जाते हैं और जब उनके माल्यार्पण आदि होता है तो यह लोग वहां पर बस यही कहना शुरू कर देते हैं कि हम यहां पर इतने-इतने स्कूल, कालेज और डिग्री कालेज खुलवा देंगे, बांध बनवा देंगे आदि-आदि और इन्हीं घोषणाओं का जो वहां पर वाहवाही लूटने के लिये कर आते हैं, यहां सदन में आकर उस पर खेद प्रकट कर देते हैं तो मान्यवर, यह क्या है, जनता को साफतौर पर गुमराह करना, एक सत्य से परे बात की घोषणा करके।

एक उदाहरण मान्यवर, मेरे पास है इसका, इन्हीं के पक्ष के एक माननीय सदस्य का प्रश्न है, जो इस प्रकार है कि "क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को जानकारी है कि, मुख्य मन्त्री जी ने जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रघुलो, पीपल, पटलगांव, खुजरानी मीताकोटखाल, सुमाण्ड तथा सीलीखेत नाम के स्थानों पर जूनियर हाई स्कूलों का उच्चीकरण हाई स्कूल स्तर पर तथा इसी प्रकार के कुछ गांव के नाम हैं, के हाई स्कूल का इन्टर स्तर पर उच्चीकरण किये जाने के लिखित आदेश सचिव पर्वतीय विकास को दिए हैं? यदि हां तो आज तक पालन क्यों नहीं हो रहा है? उस पर माननीय मुख्य मन्त्री जी की ओर से यह उत्तर सदन में दिया गया है कि हां यह घोषणाएं की गयी हैं, परन्तु उक्त विद्यालय निर्धारित मानक को पूरा नहीं करते हैं, फलस्वरूप आदेश व घोषणा का परिपालन किया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है, वीर बहादुर सिंह। तो मान्यवर, यही सब कारण हैं, जिनकी वजह से शिक्षा विभाग और माननीय सदस्यों के बीच विवाद हुए, यदि माननीय मुख्य मन्त्री जी एवं अन्य मन्त्रीगण इस प्रकार की गलत घोषणाएं करते समय अपनी नीति को, योजनाओं को और परिस्थितियों को देखते हुए करें तो इस प्रकार की स्थिति प्रदेश में कहीं पर उत्पन्न न हो, और इसी कारण से आज इनकी घोषणाएं ढपोरशंख की घोषणाएं कहीं जा रही हैं।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

यह तो एक एनाउन्समेंट था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी चले गये, मेरे ही जनपद में माननीय मुख्य मन्त्री जी गये सीतापुर में, और वहां पर जा कर इन्होंने यह घोषणा की कि यहां बांध बनाया जायेगा और एक डिग्री कालेज खोला जायेगा, यह सारी घोषणाएं कर दीं, एक वर्ष पूरा हो गया, सप्लीमेन्ट्री बजट आया, फिर मूल बजट आया और मैं गौर से हर बजट को देखता रहा कि सीतापुर को भीषण बाढ़ से बचाने के लिये नियन्त्रित योजना हेतु कितना धन अनुदान के रूप में मिला है, देखकर हर बार निराशा होती कि कहीं पर कोई एक नये पैसे का प्राविधान नहीं किया गया है, अंतिम योजनाएं जो सरकार की होती है, उनको भी देख लिया गया, इस सब से वहां की जनता समझ गयी कि वहां पर कुछ भी

होने वाला नहीं है यह सारी घोषणाएं ढपोरशंख की ही घोषणाएं थीं । अब जब माननीय वीर बहादुर जी को व अन्य माननीय मन्त्रीगणों की घोषणाओं के बारे में यहां के युवकों ने और सामान्य जनता ने समझ लिया तो एक दूसरी तुरूप चाल चली गयी, राजीव गांधी जी द्वारा घोषणा करा कर कि श्रीमती पद्मा सेठ के जनपद में एक आर्डीनेंस फैक्ट्री स्थापित की जायेगी, लेकिन मान्यवर यह तुरूप की चाल भी माननीय वीर बहादुर सिंह की फेल हो गयी इन्हीं लोगों की घोषणाओं की भांति माननीय राजीव गांधी जी की योजना भी फेल हो गयी । इसलिए मान्यवर, निष्कर्ष यही निकला कि इस कांग्रेस के सत्तारूढ़ दल के पास प्रदेश के विकास के लिए न कोई चिन्तन है और न चिन्ता इसलिए यह जो बजट है, उस पर मैं अपना विरोध प्रकट करता हूं और मैंने जितनी भी बातें अब तक इस सम्बन्ध में कही हैं, उन पर जोर देता हूं ।

*श्री अमिताभ अनिल दूबे--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर जो आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और इस बजट का समर्थन भी करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए विशेष बधाई की पात्र है इस बार कोई नया कर इस बजट में नहीं लगाया गया है और अगर कोई नया लगाया जाता तो भी विरोध पक्ष इस पर हंगामा मचाते, लेकिन जब इस बार कोई नया कर नहीं लगा तो बधाई देनी चाहिये थी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं बधाई अवश्य देने को तैयार हूं, लेकिन सरकार इस बात का वचन दे कि वर्ष के आखिर तक कोई नया कर नहीं लगाया जायेगा ?

श्री खान गुफरान जाहिदी--

अगर विकास चाहते हैं तो फिर पैसे की भी व्यवस्था हमें और आपको दोनों को मिल कर करनी होगी, इसलिए लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया है और उनको वरीयता दी गयी है । हमारी सरकार ने 22,000 छोटे और कुटीर उद्योगों को लगाने का लक्ष्य रखा है । इसके साथ ही साथ समाज में चारों तरफ सरकार की निगाह है, विशेषकर कमजोर वर्ग और पिछड़े वर्ग को उठाने के लिए विशेष सुविधायें उपलब्ध कराने का प्राविधान किया गया है । इसके साथ ही साथ मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को जो राजनैतिक पेंशन दी जाती थी, उसमें उन्होंने वृद्धि कर दी है । इसको बढ़ा कर 401 रुपया कर दिया है । मैं उनको इसके लिये बधाई देना चाहता हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पूर्वान्चल की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ।

मान्यवर, गाजीपुर जनपद जहां से मैं चुनकर आता हूं, जौनपुर, बनारस, बलिया आज भी पिछड़े हुये जिले हैं और उनके पिछड़ेपन के बारे में जो वहां के सांसद थे, मरहूम गहमरी जी, नेहरु जी जब प्रधान मन्त्री थे, तो उन्होंने कहा था कि गाजीपुर में लोग गोबरौला से अनाज निकाल कर खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं, लेकिन मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आज वह स्थिति नहीं रह गयी है, पूर्वान्चल में वह स्थिति नहीं है, लेकिन जो न्याय पूर्वान्चल के साथ होना चाहिये, जो विकास उसका होना चाहिये, वह नहीं हो पा रहा है । आज जहां पर पिछड़ापन बहुत है, वहां पर विकास के काम बहुत होने हैं, मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान दे । मान्यवर, गाजीपुर को जब तक बड़ी लाइन रेलवे लाइन से नहीं जोड़ा जायेगा, तब तक इसका विकास

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं हो सकता है, जब तक यहां पर कोई बड़ा कारखाना नहीं दिया जायेगा, इसका विकास होने वाला नहीं है ।

मान्यवर, आज गाजीपुर में एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री अफीम की है, लेकिन उस फैक्ट्री का फायदा गाजीपुर की जनता को नहीं मिल रहा है और न ही उत्तर प्रदेश सरकार को ही मिल रहा है, जिससे आज यह स्थिति हो गई है कि यह फैक्ट्री वरदान न होकर अभिशाप हो गयी है ।

मान्यवर, नन्दगंज चीनी मिल आज भी घाटे में चल रही है और आज वह बन्द होने की स्थिति में आ गयी है । मैं उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान गहमरी जी की उस बात की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके आधार पर पटेल कमीशन बनाया गया था, उसकी बहुत सी संस्तुतियां आज भी लागू नहीं की गयी हैं। मान्यवर, बदले हुये माहौल में आवश्यकता इस बात की है कि वहां का पुनः सर्वेक्षण कराया जाये और विकास के कार्य किये जायें । मान्यवर, हमारे जनपद में आज भी लोग अतिवृष्टि के कारण और सूखे के कारण परेशान हैं । अतिवृष्टि के कारण वहां की सड़कें टूट गयी हैं । इसलिये मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि जो नगरपालिका की सड़कें हैं, उनको सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत लेकर ठीक कराने की कृपा करें । इन शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, बजट को देखने से घाटे की अर्थव्यवस्था और उदासीनता का वातावरण उत्तर प्रदेश के जन जीवन पर छा जाता है । घाटे के बजट की परम्परा ने उत्तर प्रदेश के हरिजन और निर्बल वर्ग को जो वजीफा हरिजन विभाग से दिया जाता है । आगरा में 17 लाख रुपया इस मद में दिया जाता है, लेकिन इस रकम को पी0 एल0 एकाउन्ट के अन्तर्गत इसको रोक लिया गया है, जिससे चेकों का भुगतान नहीं हो पा रहा है । सरकार घोषणायें करती है और उनको अमली जामा पहनाने के लिये बजट में प्राविधान किया जाता है, लेकिन वह केवल कोरा कागज है बनकर रह गया है । श्रीमन्, मैं आगरे का उदाहरण रखना चाहता हूं । वहां पर प्राथमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, जूनियर हाई स्कूल तथा उच्च शिक्षा में जो वजीफे का प्राविधान किया गया था, जो रुपया दिया गया था उसका दसवां अंश भी विद्यार्थियों के पास नहीं पहुंचा है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह वहां पर जांच करा लें कि कितने लाख रुपये का वितरण वहां हुआ है और कितना रुपया आज की तारीख तक 1 जनवरी से अब तक वितरित किया गया है । वह आज तक ट्रेजरी द्वारा पास नहीं हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है । वहां पर हरिजन छात्र कारे-मारे घूम रहे हैं । वहां पर यह स्थिति पैदा हो गई है । यह बजट गरीबों की दशा सुधारने लायक नहीं है । इस पर कोई चिन्तन सरकार का नहीं है । केवल घोषणायें करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिये यह सरकार काम कर रही है । इसीलिये यह हरिजन कल्याण विभाग का जो बजट है उसका दसवां अंश भी वजीफे के तौर पर वहां नहीं गया है / सरकार ने पी0 एल0 ए0 एकाउन्ट पर रोक लगाकर जो व्यवधान पैदा किया है उसके लिये जो भी बड़े से बड़ा अधिकारी दोषी है उसके खिलाफ हिम्मत हो तो कार्यवाही करें । मान्यवर यह केवल आगरे का ही मामला नहीं है, सारे प्रदेश के हरिजन विद्यार्थियों का वजीफा रुका है । इस तरफ से धोखा देकर काम नहीं चल सकता है ।

अब मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं । चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र को लें या कृषि के क्षेत्र को लें, दोनों में आप देखेंगे कि क्या विकास की गतियां इस बजट में प्रदर्शित की गई हैं । आप सब जगह सूखे की स्थिति का डंका पीटते हैं । जब इनसे पूछा जाता है कि सूखे की स्थिति में उत्तर प्रदेश का जिलेवार जो विकास का प्लान बनता है, जो उसका सामान्य बजट है जो उसका पैसा है वह रुपया कहां चला गया तो कहा जाता है कि वह सूखे में जोड़ लिया । इस प्रकार जो सूखे का बजट है वह कहां चला गया । इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री गम्भीरता से इसको लें । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप अपने जी0 ओ0 को देखें जो यहां राजस्व विभाग से जारी हुआ है और जो कृषि विभाग से जारी हुआ है खाद पर छूट देने का, उसमें आप देखेंगे कि आपका जी0 ओ0 वहां तब पहुंचा जब वहां पर वसूली हो जाती है । तब तक किसान खाद डाल देता है और जो सुविधा आपने निर्धारित की थी उसे सीमान्त और लघु कृषक नहीं ले पाया । उसको मालूम नहीं था कि उसे किन-किन जगहों से सरकारी छूट दी गई थी । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप लघु और सीमान्त कृषकों से और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों से इस तरह से वसूली करके घाटे की पूर्ति करेंगे । आज 55 जिलों में सूखा है । आपने 35 सौ रुपये से मानक बढ़ाकर 62 सौ कर दिया । मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह से काश्तकारों ने आई0 आर0 डी0 के अन्तर्गत, भैंस खरीदने और चर्खे आदि के लिये जो ऋण लिया है, उसकी वसूली आप कर रहे हैं । यह उसके ऊपर उत्पीड़न नहीं है तो और क्या है ? इस तरह से वसूली करके बजट में अपनी प्राप्तियां बढ़ाने का नाटक करेंगे तो यह प्रदेश की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होगा बल्कि विपरीत होगा ।

एक बात और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं । क्रांतिकारी शिक्षा के नाम पर आप नवोदित विद्यालय की स्थापना करते हैं । आपने उत्तर प्रदेश का जो घाटे का बजट पेश किया है उसको देखते हुये, प्राथमिक स्कूलों की हालत को देखते हुये, नवोदित विद्यालयों के निर्माण की धनराशि पर खर्च को देखते हुये उसको सापेक्षता और आनुपातिक रूप से उसकी तुलना करेंगे तो आप भी कहेंगे कि नवोदित विद्यालय बनाने और कम्प्यूटर की शिक्षा देने में जो खर्च आयेगा उसमें मान्यवर 100 प्राइमरी विद्यालयों के भवन बन सकते हैं और उनमें गरीबों के बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट से जो परिलब्धियां मिलनी चाहिए वह मिलने वाली नहीं हैं । इस बजट से सुविधाभोगी लोगों को ही फायदा दिया जा रहा है । सही माने में इसमें गरीबों की उपेक्षा हो रही है उनके मुंह की रोटी छीन रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप समाप्त करें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं एक दो बातें कह कर समाप्त करता हूं । आपने पिछले साल तीन नये जिलों की घोषणा कर दी । जिला पुनर्गठन आयोग 76 में गठित हुआ था उसमें आपने जो एक नया जिला देहरादून का कहीं जिक्र नहीं है जिसमें आपने हरिद्वार को अलग कर उसे जिला बना दिया । जिन जिलों के बारे में उसमें बनाने की बात थी उसमें माननीय लोकपति त्रिपाठी जी का मिर्जापुर को विभाजित करने की बात थी, इलाहाबाद को विभाजित करने की बात थी, फिरोजाबाद को आगरा से विभाजित करने की बात थी वहां की चार तहसीलों को पुनर्गठित कर जिला बनाने की बात थी उसको आपने नहीं किया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मौलिक रूप से जो आयोग गठित किया जाय उसकी जो संस्तुतियां

हो उन्हीं के लिए बजट में प्राविधान होना चाहिये । बगैर संस्तुतियों के, बगैर बजट में प्राविधान के, जिनका 8वें वित्त आयोग में कोई जिक्र नहीं था उनको आपने जिला बना दिया इस प्रकार 9 वें वित्त आयोग के आधार पर तीन नये जिले आपने बना दिये और जो आगरा में फिरोजाबाद को जिला बनाने की बात थी उसके लिए कह दिया कि वित्त आयोग हमें परमिशन नहीं दे रहा है । मैं मौलिक बात कहना चाहता हूं 1976 के जिला पुनर्गठन आयोग में जिनका जिक्र है उसमें यह तीन नये जिले कहीं नहीं हैं । तो इनको बजट के किस अनुभाग से पैसा दे दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें । मैं श्री लाल प्रताप सिंह को बुला रहा हूं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा-

यह जो बजट यहां प्रस्तुत किया गया है इससे प्रदेश की हालत सुधरने वाली नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं ।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैंने परसों बड़े गौर से माननीय नेता विरोधी दल का भाषण सुना । उन्होंने इफ्तदाई तौर पर जिन्दगी के हर पहलू पर बात कही । मैं एक बिन्दु पर जिसे मैं गौर से सुन रहा था निवेदन करना चाहता हूं । माननीय नेता विरोधीदल ने आरक्षण के बारे में, मंडल आयोग की रिपोर्ट आदि पर बात कही । मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी समाज इस तरह से तकसीम नहीं किया गया है, फारवर्ड या बैकवर्ड की बात कहकर, जहां फारवर्ड है वहीं बैकवर्ड भी है ।

श्री गोपालदास यादव--

यह क्या आरक्षण विरोधी है ?

श्री उपाध्यक्ष--

सामान्य चर्चा हो रही है इसमें सब बात कह सकते हैं ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

जहां तक आरक्षण का सम्बन्ध है मेरा कोई विरोध नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि एक मां-बाप के चार बच्चे होते हैं उसमें कोई टी0 बी0 का मरीज होता है कोई दमे का मरीज होता है तो जो कमजोर होता है । उसकी तरफ मां-बाप का ध्यान ज्यादा जाता है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

वह विरोध नहीं कर रहे हैं । आप भाषण जारी रखें ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

तो मैं कह रहा था कि किसी मां-बाप के चार बच्चे होते हैं उसमें कोई दमे का मरीज होता है, कोई टी0 बी0 का मरीज होता है । जो बीमार रहता है उसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ज्यादा देखना चाहिए, इसी तरह से पसमांदाताब को, डाऊन ट्रोडन को ज्यादा सुविधायें मिलनी चाहिये । इसमें जितना इस सरकार ने किया है कोई दूसरी सरकार उतना देखने की क्षमता नहीं रखती है । मैं तो एक सिद्धान्त की बात आपके सामने रख रहा हूं कि जहां फारवर्ड है वहीं बैकवर्ड है और जहां बैकवर्ड है वहीं फारवर्ड है । इसलिये इस तरह समाज को तकसीम नहीं किया जा सकता है । जिसको आज बैकवर्ड कहते हैं जिसको आज फारवर्ड कहते हैं यदि उनका भी तकसीम होता जायेगा तो किसको बैकवर्ड और किसको फारवर्ड कहेंगे ।

मान्यवर, सर्विसेज और आरक्षण की बात कही गई । तो मेरा निवेदन है कि जो भी कोई समाज में कहीं भी सर्विसेज की बात है तो वह गुण दोष, मेरिट के अलावा कोई उचित तरीका नहीं है । जो व्यक्ति प्रतियोगिता के जरिये, मेरिट द्वारा आता है, और दूसरा जातीय आरक्षण के आधार पर आता है, तो दोनों में फर्क है । पहला आदमी सोचता है कि उसका व्यापक दृष्टिकोण होता है, वह समझता है कि राज्य का एक व्यक्ति है, वह आदमी जो दूसरे तरीके से आता है उसका दृष्टिकोण दूसरा होता है कि वह जातीय आधार पर आया है । जहां प्रतियोगिता के माध्यम से व्यक्ति आते हैं तो उसका एक टेलेन्टेड क्लास होता है जिससे स्टेट का स्ट्रक्चर पूरी तरह मजबूत होता है और सारे देश को बदल सकते हैं । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय समाज में बुराइयों को दूर करने की बात है, जातिपांति को दूर करने की आवश्यकता है, इन चीजों को संस्थागत कर देते हैं तो एक कल्याणकारी राज्य या समाजवादी राज्य की स्थापना चाहते हैं जो नहीं हो सकती है । इसलिए सीमित उद्देश्य के लिये, कुछ खास लोगों के लिये आरक्षण उचित हो सकता है लेकिन राजनीतिक तौर पर लिंक करके, संस्थागत करके देश को कमजोर करेंगे और मजबूत नहीं कर सकते हैं ।

मान्यवर, कोई भी बच्चा सभी का बराबर है, उसको मौका प्रतियोगिता में उसी तरह होना चाहिये जैसे दूसरे को । भेदभाव नहीं होना चाहिये । एक राजा ने महात्मा से पूछा राज्य को कैसे सम्पन्न करें । तो महात्मा ने कहा जितनी बातें हैं, जिस तरह हो सके बराबरी लाने की कोशिश करें । दुनिया में पूरी तरह से न बराबरी हुई है न होनी चाहिए, यह प्रकृति की देन है । लेकिन दौलत किसी प्रकार हो पैदा होनी चाहिये, ज्ञान किसी प्रकार हो हासिल करना चाहिये और किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिये । इस तरह के काम करेंगे तो राज्य को दूसरा दर्जा दे सकते हैं और एक ऐसा टेलेन्टेड क्लास पैदा कर सकते हैं जिसका आधार जातीय नहीं होगा । वह राज्य के कर्मचारी होंगे ।

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने और भी बातें कहीं हैं जिनका जिक्र नहीं करना चाहता । लेकिन निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट का आमतौर पर स्वागत हुआ है । इसी बजट का ही नहीं केन्द्रीय बजट का भी आमतौर पर सामान्य रूप से स्वागत हुआ है । इसका कारण देखें तो हमारा बजट 8 हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक का सालाना बजट है । जो आपके धन हैं वे हैं जैसे लैन्ड रेवेन्यू, सेल्स टैक्स, इंटरटेन्मेंट टैक्स, मोटर वेहिकिल, स्टैम्प टैक्स आदि सभी मिलाकर अनुदान और केन्द्रीय सहायता जो मिलती है वे सब चीजें मिलाकर हम अपने खर्च को पूरा करते हैं । इसके बावजूद विकास की दर तेजी से बढ़ाने की जरूरत है और हमारी आवश्यकतायें भी बढ़ गई हैं, जिससे हमारे बजट में गैप हो जाता है । इस बजट के गैप को पूरा करने की जरूरत है । सारे सोर्सेस को विकास की ओर मोबीलाईज करने की जरूरत है । विकास का कोई सीमा नहीं है । जितना कर चुके हैं उतना करना सदा बाकी रहेगा । जितना रास्ता चल चुके हैं, उतना रास्ता चलना सदैव बाकी रहेगा । जिस तरह से हमने अपना

विकास किया है, उनकी तारीफ सारी दुनियां ने की है कि सारी दिक्कतों के बावजूद, जो देश के सामने समय-समय पर तमाम तरह से आती रही हैं, सबसे ज्यादा विकास हमारे यहां हुआ है। सबसे ज्यादा इन्फ्रा स्ट्रक्चर हमारे यहां निर्मित हुए हैं। हमको अपने रिसोर्सेस को मोबीलाईज करना है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी 30 दिसम्बर को सरकारिया कमीशन की जो रिपोर्ट साया हुई है उसमें एक यह सुझाव दिया गया है कि जो ब्राडकास्टिंग है, उससे प्राप्त आय में भी स्टेट का हिस्सा होना चाहिये और कारपोरेशन टैक्स में भी उसको हिस्सा मिलना चाहिये। इसके अलावा भी उसने बहुत से रियलेस्टिक और उचित सुझाव दिये हैं, जिन पर पूरी तरह हमें विचार करना चाहिये, जिससे ज्यादा से ज्यादा शेयर हमें केन्द्र से मिले और प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो।

हमें उस रिसोर्सेस को भी देखना चाहिये कि हम कहां पर कितना टैक्स लगा सकते हैं। जैसे कि स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन है, इसमें अब भी टैक्स लगाने की गुंजाइश है, क्योंकि आज जमीन की कीमतें दिन प्रति दिन बढ़ रही हैं और इसलिये इसको हम रिवाईज कर सकते हैं। साथ ही मितव्ययिता भी हर क्षेत्र में करने की आवश्यकता है, जिससे एक पैसा भी वेस्ट न हो और हर चीज समुचित तरीके से हो। साथ ही हमारी योजनायें, प्रोजेक्ट्स हमारे निर्धारित समय पर पूरे होने चाहिये। समय पर यह पूरे नहीं होते हैं तो उनकी कास्ट बढ़ जाती है और जो हम समय पर पत्रों में एडवर्टाइज देते हैं, यह भी वेस्ट है। प्रतापगढ़ नगरपालिका ने इतनी सड़कें बनाई, यदि यह एडवर्टाइज समाचार-पत्रों में दे दिया गया तो इसको कौन पढ़ता है और इससे किसी का क्या लाभ होने वाला है। इसको बन्द कर देना चाहिये और हमें रिसोर्सेज ज्यादा मोबीलाईज करने चाहिए और एक-एक पैसे का सही उपयोग हो।

श्री राजकिशोर सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उस सम्बन्ध में हमें यह कहना है कि यह बजट जो हर साल पेश होता है और जो तरीके अपनाये गये हैं, वे यही तरीके हैं जो अंग्रेजों ने इन लोगों को दिया है। बजट में 86 अरब से कुछ अधिक के व्यय का प्राविधान किया गया है और 82 अरब की प्राप्तियां हैं और 358 करोड़ रुपये का घाटा इसमें दिखाया गया है, और उसके बाद उसमें कुछ और जगहों से निकलकर दिखाया गया है कि 26 करोड़ का केवल घाटा है। 1 अरब 99 करोड़ पुराना वाला है, उसका भी मिलाकर यह 2 अरब कुछ करोड़ का घाटा बन जाता है। अब यहां दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि भविष्य में हम कोई टैक्स नहीं लगाने वाले हैं। किन्तु हम लोगों का यह अनुभव है कि बजट में इस तरह का प्राविधान करने के बावजूद प्रदेश की जनता पर विभिन्न प्रकार से टैक्सों के बोझ डाले गये हैं। एक बार नहीं कई-कई बार इन्होंने बस का किराया बढ़ाया है। इसी के साथ मनोरंजन कर बढ़ाया, तो यह बात जो कहते हैं उसका असर नहीं होता है उसका असर उल्टा होता है इसलिए इनकी बातों पर कहां तक यकीन किया जाये। यह बहुत ही अजीबो-गरीब बात है माननीय सत्तापक्ष में विधायकगण तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे, मेरी समझ में नहीं आया कि इस बजट में ऐसा क्या है। इसमें क्या मौलिकता है। क्या नवीनता है। इस बजट में पुरानी चीजों को रटा गया है जो यह पहले भी रटते रहे हैं। कहीं कोई ऐसी बात नहीं कही गई है जो बेकारी और बेरोजगारी दूर करने के लिये कही गई है। जो हमारे यहां बेकारी है जो रजिस्टर्ड बेकार लोग हैं सेवायोजन कार्यालय में, उनके लिये कुछ काम का प्राविधान किया गया है ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। मान्यवर, सूखा राहत की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सूखा राहत उन्होंने इस तरह से पहुंचाई कि वह कमाल की बात थी।

उन्होंने अपनी तारीफ अपने आप कर दी । उन्होंने जनता के उन अंगों को, उन लोगों को जो सही मायने में मदद के हकदार थे उनको कोई मदद नहीं दी । किसानों की फसल चौपट हो गई उनको बिजली और पानी मौके पर नहीं मिले फिर भी आप कहते हैं कि बड़ी मदद आपने की ।

उसके बाद बीस सूत्री कार्यक्रम का गीत गाते हैं और कहते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम में यह देश के अन्दर प्रथम आ गये । मान्यवर, बीस सूत्री हम कार्यक्रम के अन्तर्गत जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसमें जो तमाम रुपया खर्च हुआ है वह कुछ लोगों की जेबों में चला गया है । उस पैसे से कांग्रेस की पलाटून खड़ी हो गई है जो आने वाली लड़ाईयों में इनकी मदद करेगी । जो सड़कें मान्यवर, बनी हैं उस पर न तो ठीक से मिट्टी ही पड़ी है और न ही खड़ंजा ठीक से लगा है । जो ईंटें उसमें लगाई गई हैं वह फोर्थ क्लास की ईंटें लगाई गई हैं, इसमें बार-बार शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है । हमारे प्रदेश में उद्योगों का जहां तक प्रश्न है नये उद्योगों की बात तो आप छोड़ दें पुराने उद्योग भी चौपट हो रहे हैं हमारे प्रदेश में पांच सौ से अधिक उद्योग ठप पड़े हैं या तो यह बीमार हैं या और किसी कारण से वह नहीं चल रहे हैं । जुग्गी लाल कमलापति ने अपना कारखाना बन्द कर दिया । मोदी ने अपना कारखाना बन्द कर दिया ।

मान्यवर, जो स्कूटर इण्डिया है जिसमें प्रदेश के किसानों की जमीन ले ली गई थी उसको प्राइवेट फैक्ट्री को देने का कुचक्र छिपछिपाकर बना दिया । प्राइवेट फैक्ट्री को आप पता नहीं किन कारणों से मजबूत बना रहे हैं और स्कूटर इण्डिया को बेच रहे हैं । मान्यवर, प्रतापगढ़ से माननीय विधायक लाल प्रताप सिंह जी आते हैं । आटो ट्रैक्टर लि0, प्रतापगढ़ का था उसकी क्या हालत है उसको आपने खा डाला । वहां के मजदूर कर्मचारी कहते हैं कि इसको चलाया जा सकता था । यहां कार और जीप के इंजिन बनाये जा सकते पता चला है कि टेक्निकल सुधार उसमें हुआ है और उससे ज्यादा प्राफिट हो सकता है और ज्यादा आमदनी हो सकती है, लेकिन उनकी हालत इतनी बदतर कर रखी है कि वह कारखाना कब तक बन्द हो जाए यह नहीं कहा जा सकता है । जो कारखाने हैं वह चौपट हो रहे हैं । मान्यवर, जौनपुर की रत्नासागर मिल है वह इतनी बड़ी मिल है उसकी हालत अच्छी है लेकिन बन्द पड़ी हुई है और करोड़ों का सामान रखा हुआ है । चीनी और शीरा मौजूद है और अगल बगल सारी जमीन मौजूद है । मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि हम इस मिल का अधिग्रहण करायेंगे लेकिन न इस मिल का अधिग्रहण हुआ और न ही कर्मचारियों का जो करोड़ों रुपया वेतन बाकी है वह दिया गया । यह हालत आज हमारे प्रदेश की है । प्रदेश में आन्दोलन चलते हैं, मजदूर, शिक्षक कर्मचारी स्ट्राइक पर जाते हैं लेकिन उनकी वाजिब मांगों को मानने से सरकार कतराती है और उनको हल करने की दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाती है ।

मान्यवर, इसके अलावा बजट में शिक्षा के मामले में कुछ नहीं किया गया है । मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यह लोग शिक्षा की बातें करते हैं संविधान में लिखा हुआ है कि 14 वर्ष तक की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिये । लेकिन प्रदेश में छोटे-छोटे बच्चे बाल श्रमिक के रूप में दूकानों और होटलों में काम करते हैं । उनके लिये सरकार के पास कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और न खाने कपड़े की व्यवस्था है । वह विवश होकर काम करते हैं और उनका रातदिन शोषण हो रहा है । हमारे प्रदेश के अन्दर, जैसा कि शिक्षा राज्य मन्त्री जी ने रिपोर्ट दी है, 8 हजार ऐसे विद्यालय हैं जिनके भवन नहीं हैं । इस बजट में कहीं पर यह नहीं कहा गया है कि इस साल इतने भवन बनाये जायेंगे । प्राइमरी विद्यालयों की स्थिति इतनी दयनीय

है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है । न इनमें टाट-पट्टी हैं न और आवश्यक चीजें हैं पढ़ाई क्या खाक होगा यही कारण है कि शिक्षा के मामले में हमारा प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ है और देश का सबसे बड़ा प्रदेश होते हुये भी अभी यहां शिक्षा केवल 27 फीसदी है । दूसरे प्रदेश जैसे केरल महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल तथा अन्य प्रदेशों में शिक्षा का प्रतिशत हमसे बहुत ज्यादा है । यहां पर लगातार कई वर्षों से शिक्षा का प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है ।

मान्यवर, किस-किस बात को कहा जाय, हमारे जिले में एक पुल की मांग मैं 3 वर्षों से कर रहा हूं । वरना नदी पर केरउत घाट के पास में पुल की मांग कर रहा हूं । मुख्य मन्त्री जी ने लिखा कि इसको बनवा दिया जाय जब हम सचिव से मिलते हैं तो कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी बहुत सा लिख डालते हैं मैं क्या करूं, कहां-कहां पुल बनवाऊं । आज तक वह पुल नहीं बन सका है । स्वास्थ्य विभाग के बारे में मैं कहना चाहता हूं, इस पर बहुत से विधायकों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं । बहुत खराब हालत आज अस्पतालों की है । बहुत सी पी0 एच0 सी0 ऐसी हैं जिनको उच्चीकृत करने की आवश्यकता है । हमारे यहां ब्लाक बड़ा गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जिसको उच्चीकृत किया जाय । इसको शीघ्रातिशीघ्र उच्चीकृत करके जनता की मांग को पूरा करें । समय नहीं है वरना मैं बहुत से सुझाव देता । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री नारायण हरि शर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वर्ष 1988-89 के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं बजट पर चर्चा करने से पहले आपका ध्यान इस 23 तारीख की घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारा जो बजट सत्र प्रारम्भ हुआ था, उस दिन महामहिम राज्यपाल इसी माननीय सदन में अपना प्रदेश के लिए कुछ संदेश देने के लिये आये थे, परन्तु वह 30 सैकन्ड ही ठहर पाये और कुर्सी पर बैठ कर अपनी बात भी नहीं कह पाये, उनको वापस जाना पड़ा । उत्तर प्रदेश भारत वर्ष का एक बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश की महत्ता बहुत है । यह उत्तर प्रदेश को मुख्य मंत्री ही नहीं देता है, बल्कि भारत को प्रधान मंत्री देता है, आज प्रदेश में इस तरह की मान्यताओं का उल्लंघन हो, आज हम कहते हैं कि संविधान के अनुसार हमको स्वच्छंदता है बोलने की, तो महामहिम को बजट सत्र के प्रारम्भ में, उनको भी अधिकार है कि उनकी बात सुनी जाय । मैं निवेदन करूंगा कि आइंदा इस सदन में इस तरह की, इस सदन की गरिमा बनाये रखने के लिए इसकी पुनरावृत्ति न हो ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बजट इस वक्त प्रस्तुत हुआ है, इसके लिए हमारे मुख्य मन्त्री श्री वीर बहादुर सिंह जी प्रशंसा के पात्र हैं और धन्यवाद के भी पात्र हैं कि उन्होंने समय से इस बजट को प्रस्तुत किया है और समय से पास होने पर अगले वर्ष में विभागों की वित्तीय धन का आबंटन समय से होगा, जिससे प्रदेश का समुन्नत विकास हो सकेगा । हमारे बजट की दूसरी खूबी है कि सूखे की विभीषिका को देखते हुए और उसका मुकाबिला करते हुए आज इस बजट में जनता पर कर नहीं लगाया गया है, यह भी हमारे शासन की, हमारे मुख्य मन्त्री की दूरदर्शिता का परिचायक है, इसके लिए भी वह प्रसंशा के पात्र हैं । इस बजट में चतुर्दिक विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए बिजली के उत्पादन पर, नहरों पर, सिंचाई पर, कृषि पर, इन सारी चीजों पर खर्च का प्राविधान किया है कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े और हमारे उद्योग, चाहे वृहद् हो, चाहे वह मध्यम हो, उनके विकास का भी उल्लेख किया है । मैं अपने क्षेत्र की पैट्रोकैमिकल्स, सलेमपुर

परियोजना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस बजट में इस योजना के लिए धन का प्राविधान किया गया है । इसके पहले बजट में भी इसका प्राविधान था, लेकिन सातवां पंचवर्षीय योजना की प्रतीक्षा में काम शुरू नहीं हुआ । मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि वह जो सलेमपुर, अलीगढ़ जनपद की योजना है, इससे आगरा, एटा, मथुरा सभी को लाभ पहुंचेगा, इस योजना को शीघ्र, ही अविलम्ब चालू कर दिया जाय । यह मेरी मांग है । इस बजट में नये बीज उत्पादन का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इसमें अच्छे बीज देने के लिए प्राविधान है, फाउन्डेशन सीड और सर्टिफाइड सीड अधिक उत्पादन करने के लिए किसानों को दिया जाय और फिर हमारे जनपद में उत्पादन बढ़ाया जाय ।

हमारे अलीगढ़ में रामघाट फार्म है । यह सीड उत्पादन कर रहा है, लेकिन मुझे पता चला है कि उसे समाप्त किया जा रहा है । आज ऐसे प्रोजेक्ट जो नये बीज का उत्पादन करते हों, टेक्निकल नो हाऊ किसानों को देते हों, अपने यहां प्रशिक्षण देकर रिसर्च के स्कालर्स बुला कर जो शोध कार्य करके खेत से सम्बन्ध जोड़ते हों, ऐसे प्रोजेक्ट को जनहित में खत्म करना उचित नहीं है, उसे खत्म न करके, बल्कि उसे बढ़ाया जाय । मान्यवर, मैं बिजली के सम्बन्ध में केवल एक बात कह कर खतम करूंगा । आज जो बिजली की मांग है जो आधार उद्योग का है, खेती का है सब बिजली पर आधारित हो गया है, जीवन भी बिजली पर आधारित हो गया है । आज जो योजनायें हमारी चल रही हैं उनकी जो बिजली की डिमांड है वह सप्लाई नहीं हो पाती है हमने पहले भी बजट पर प्रस्ताव रखा था और आज भी आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए यह प्रस्ताव करता हूं कि उद्योग के लिए अगर प्राइवेट सेक्टर को आज्ञा दी जाय कि सार्वजनिक क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में जो बिजली है वह किसानों को दी जाय और यहां तक कि आज जो किसानों की फ्री बोरिंग को इन्होंने इंतजाम किया है, बजाय डीजल के उनको भी बिजली आप दें । पहले किसानों को बिजली दी जाय और बची हुई बिजली उद्योगों में दी जाय और बाकी प्राइवेट सेक्टर को बिजली सप्लाई दी जाय । इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री गोपाल दास यादव--

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने, जो माननीय मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है, उसका विरोध करते हुए अपने विचार रखें, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करते हुये कहना चाहता हूं कि केन्द्र में मान्यवर, रेल भाड़े वृद्धि और पेट्रोल की कीमत में बढ़ोत्तरी के बोझ को जनता सह नहीं पा रही है । उससे जनता कराह रही है उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नाटकीय बजट पेश किया है यह एक मृग तृष्णा की तरह है इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है । उसमें दूर से दिखाई पड़ता है कि जनता को कितनी राहत मिलेगी और वहां पर जितने माननीय सदस्य बैठे हुए हैं यह सभी जानते हैं कि इससे कितने प्रतिशत पब्लिक को राहत दे सकेंगे । इसके साथ ही साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि प्रदेश में इतना बड़ा सूखा पड़ा और सूखे को टी0 वी0 के ऊपर और रेडियों के ऊपर बड़ा प्रचार किया गया लेकिन ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद जनपद में अभी पिछले वर्ष हमारे नीवां ग्राम में पानी के गम्भीर संकट से 6 लोग मर गये थे, उसके बाद भी अकाल पड़ा और सूखा पड़ा उसके बाद भी हमारे इलाहाबाद के गांव बिसौना, मदारीपुर, वापन, बमरौली, तारापुर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जलालपुर, घोषी, असरावल कलां, सेवढ़ा आदि गाँव हैं यहां हजारों की आबादी है लेकिन सूखा राहत के तहत कोई हैंडपम्प नहीं दिया गया है और एक भी ट्यूबवेल नहीं दिया गया है । यदि सरकार ने इन क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था नहीं की तो हो सकता है इससे बड़ी भयावह स्थिति पैदा हो जाय । इसलिए मैं चाहता हूं कि जो जल की योजना है उसे शीघ्र ही लागू किया जाय । जो भूजल शास्त्री, भूजल सर्वेक्षण विभाग में हैं जिनका कार्य है पानी का सर्वेक्षण करना लेकिन बिना सर्वेक्षण के ही हैंडपम्प और नलकूप लगाये जाते हैं जिससे 50 फीसदी हैंडपम्प फेल्योर हो जाते हैं क्योंकि इनका सर्वेक्षण भूजल शास्त्री से नहीं कराया जाता है और सभी कार्य सिविल इंजीनियर से कराया जाता है । सिंचाई के मामले में देखें 90 प्रतिशत ट्यूबवेल बेकार पड़े हुए हैं ।

भू-गर्भ जल सर्वेक्षण विभाग में रिंग मशीन ठीक नहीं हैं जिससे खुदाई का काम नहीं हो पाता है । इसलिए यदि आप चाहते हैं कि ट्यूबवेल और हैंडपम्प फेल न हो तो इसका सर्वेक्षण कराकर ही इसको कराया जाय ताकि सरकारी धन का दुरुपयोग न हो । खेलकूद के बारे में बहुत कुछ कहा गया है एक एस्ट्रोट्रफ बनवा देने से खेल-कूद का स्तर नहीं ऊंचा हो जायेगा । मान्यवर, 13 मंडल हैं उनमें केवल लखनऊ में एक डिप्टी डायरेक्टर हैं और कहीं भी कोई डिप्टी डायरेक्टर नहीं है । एक डिप्टी डायरेक्टर झमन लाल शर्मा थे जो बहुत जूनियर थे उनको डायरेक्टर बना दिया गया है उनका 2 साल में ही रिटायरमेन्ट हो जायेगा ।

मान्यवर, इलाहाबाद के अन्दर खेलकूद का उच्चस्तर रहा है । इलाहाबाद के अन्दर एक क्रिकेट हास्टल खोलने की बात कही गयी थी लेकिन अभी तक नहीं खोला गया है । पूरे भारत में हाकी ने इंदिरा गोल्ड कप में आठवां स्थान प्राप्त किया है । उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों की अपेक्षा खेलकूद में बहुत पिछड़ा हुआ है इसको जब तक अधिक सुविधा नहीं मिलेगी तब तक इसका स्तर ऊंचा नहीं उठ पायेगा । यह जो विभिन्न जिलों में कानपुर और लखनऊ में जो कोच हैं उसको कम से कम प्रदेश स्तर का खिलाड़ी होना चाहिए । अच्छे प्रशिक्षकों के न होने से जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है । खिलाड़ियों को हास्टल में जो पैसा खाने का मिलता है वह पर्याप्त नहीं है उनको पौष्टिक आहार के साथ-साथ कम से कम 20 रुपये मिलना चाहिए ताकि वह राष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्थान प्राप्त कर सके । इसके साथ ही साथ मान्यवर, मैं चिकित्सा विभाग के बारे में बताना चाहता हूं :

श्री उपाध्यक्ष--

चिकित्सा का बजट अभी नहीं है ।

श्री गोपाल दास यादव--

चलिये नहीं कहूंगा, सड़क की बात हो जाय । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री सक्षम हैं, उनको पीड़ा है, क्योंकि आपने..

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, दो मिनट और दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

एक मिनट और ले लीजिये ।

श्री गोपाल दास यादव--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज इलाहाबाद में कोई बात हो जाय, कोई दुर्घटना हो जाय तो गाइड स्क्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है । वहां पर आपरेशन कराना पड़ जाय तो मरीज पहले लखनऊ आकर गाइड स्क्रेनिंग करावे उसके बाद इलाहाबाद में आपरेशन करावें । हमारे यहां ब्रेन ट्यूमर के इलाज की, सर्जरी की कोई व्यवस्था नहीं है, न्यूरो सर्जरी, डायलिसिस, बाई-पास की व्यस्था नहीं है । नसबन्दी के नाम पर पैसा फेंका जा रहा है । लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं की जा रही है कि लोग बम्बई, दिल्ली न जावें, यहीं पर इलाज हो जाय ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 1988-89 के बजट पर बोलने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, अभी हमारे माननीय सदस्य राज किशोर सिंह जी कह रहे थे कि हमारे प्रदेश में 18 हजार विद्यालय बिना भवन के हैं । मान्यवर, अगर एक भवन दो लाख रुपये में बनता है, अगर यह सरकार चाहे कि इन भवनों को बनावे तो 36 हजार लाख रुपये उसी के लिए हमको आवश्यकता होगी । तो अगर हम इस तरह से चलाना शुरू करें तो कोई काम करना सम्भव नहीं होगा । मान्यवर, मैं विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी और प्रदेश सरकार का बहुत आभारी हूं कि हमारे प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ा, इसमें मैंने अपने पर्वतीय क्षेत्र में व्यापक भ्रमण किया और देखा कि तमाम खेत बिना पानी के सूख गये थे । लोगों ने अपने पशु खेतों में छोड़ दिये थे, एक भी दाना किसान के घर में नहीं आया, लेकिन जब मैंने देखा और चेक किया तो सब जगह सस्ते गल्ले की दूकानों से राशन उपलब्ध था, कहीं भी राशन की कोई कमी नहीं हुई । किसी को कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जब कड़वे तेल की कीमत बहुत बढ़ गयी थी, उन्होंने हमारे पर्वतीय क्षेत्र में पाम आयल का बन्दोबस्त किया और प्रत्येक दुकान में लोगों को प्रति राशन कार्ड पर दो किलो पाम आयल मिला ।

मान्यवर, हमारी इस सरकार ने इस सूखा राहत में जो काम किया, एक चमत्कार है कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा और जो भी काम किया गया गांवों में तमाम लोगों को काम दिया गया । लोगों ने काम किया । एक शिकायत मुझे अवश्य है कि लोगों ने जो काम किया, कहीं-कहीं उसका पैसा अधिकारियों ने लोगों को नहीं दिया और कहा कि परिवार कल्याण के केस लाओ तो पैसा मिलेगा । ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों के खेत में जब अन्न नहीं हुआ और उनको राशन के लिए मजबूर होना पड़ा तो उनको उसका पैसा तत्काल मिलना चाहिए । लोगों की यह शिकायत दूर होनी चाहिए । मान्यवर, हमारे पर्वतीय प्रदेश में पानी के सोते सूख गये, लेकिन सरकार ने व्यवस्था करके टैंकर व खच्चरों से पानी बार-बार पहुंचाया । किसी को प्यासा नहीं रहने दिया । मान्यवर, मुझे खुशी है कि इतना सब कुछ हुआ है । लेकिन घास की बड़ी दिक्कत हुयी । अच्छे-अच्छे भैंसों को लोगों ने बहुत ही कम दाम पर बेंच दिया, लेकिन हमारी सरकार ने इन्तजाम किया और घास पहुंचाई । पशुओं को भूखा नहीं रहने दिया । हालांकि समस्या बहुत जबरदस्त थी, लेकिन यह सोचना की हर जगह हर किसी को घास उपलब्ध हो जायेगी, यह बहुत कठिन बात है । हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है । इनकी जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है । जितने हमारे साधन हैं, जितनी हम प्रगति करते हैं, आबादी बढ़ते रहने की वजह से हमेशा पीछे रह जाते हैं । पानी के स्रोत के लिए एक सुझाव है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि बरसात के पानी को लोगों की छतों में इकट्ठा करने के लिए, बड़ी-बड़ी बाउलियों में पानी पहुंचाने की योजना बनायें । बरसात में जो पानी पड़ता है, वह किसान के मकान के ऊपर से बाउली में परनालों में इकट्ठा होकर,

नालियों से खेतों में जायेगा, तो किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, साग सब्जियां पैदा होंगी। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जिले में 7 करोड़ 86 लाख 11 हजार रु0 इस सूखा राहत में दिये हैं और उसके तहत वहां काम हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा सिंचाई और पेयजल योजनाओं पर काम होने की बात है। मान्यवर, इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सुझाव है कि यह पैसा व्यक्तिगत रूप से किसानों को दिया जाय। पानी को बरसात में इकट्ठा करने का जो सुझाव मैंने रखा है, उसे लागू किया जाय जिससे किसानों का आर्थिक जीवन अच्छा होगा, उसमें काफी सुधार आ जायेगा। मान्यवर, वहां पानी की कमी सामने आती है, लेकिन भगवान ने कृपा करके वहां नदियां भी दी हैं, इसलिये मेरा यह भी अनुरोध है कि पम्प सेट लगाकर पानी की व्यवस्था की जाय, इससे हमारे यहां के किसानों की, लोगों की, आर्थिक दशा बहुत अच्छी होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, वर्ष 1988-89 का जो बजट यहां रखा गया है, वह 86 अरब 92 करोड़ रु0 का रखा है और उसमें 26 करोड़ 2 लाख का घाटा दिखाया है। उसकी पूर्ति के लिए संसाधन का भी इसमें जिक्र आया है। मान्यवर, जिन वर्षों के बजट में घाटा दिखाया गया है, उनके बारे में अनुभव हम लोगों का यही है कि सदन में भले ही घाटे की पूर्ति के लिए टैक्स आदि बढ़ाने की बात न की जाय, लेकिन बाद में कहीं परिवहन का किराया बढ़ाया जाता है, कहीं सिंचाई की दरें बढ़ायी जाती हैं और दूसरी मदों में बढ़ोतरी की जाती है और फिर आखिरकार वही गरीब जनता से उस घाटे की भरपायी करायी जाती है, उसी से पैसा वसूला जाता है घाटे को पूरा करने के लिए। सदन में तो बजट पेश करते समय अक्सर ही यही कहा जाता है कि इस घाटे को शासकीय खर्चों में मितव्ययिता करके और बकायों की वसूली करके पूरा किया जायेगा टैक्स जनता पर नहीं लगाये जायेंगे। लेकिन हमेशा ही टैक्स के जरिये से इन घाटों को कम करने का प्रयास किया जाता रहा है।

यह जो 86 अरब का बजट है, हमारे तमाम विभाग हैं पी0 डब्लू0 डी0, शिक्षा, ग्राम्य विकास उनके क्रियाकलाप और विकास के कार्यक्रम हैं, लेकिन इनके कार्यक्रमों से जो हमारी प्रदेश की जनता को लाभ मिलना चाहिये, वह नहीं मिल पाता। इनके विभिन्न कार्यक्रमों की तरफ, अगर हम जाते हैं, तो देखने में यही आता है कि हमारे प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले करीब 50 प्रतिशत लोग हैं और इसको हमारी सरकार स्वयं स्वीकार करती है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस गरीबी की रेखा से लोगों को ऊपर उठाने का कार्यक्रम बना, उसमें ग्रामीण अंचलों में आई0 आर0 डी0 स्कीम के अन्तर्गत लोगों को कुछ कर्जे देकर और उस पर सबसिडी देकर उनको कुछ उद्योग करने का, कुछ कारोबार करने का, जीवन को पार्जन का साधन दिलाने का प्रयास किया गया। उसका जो अनुभव है, वह यह है कि आई0 आर0 डी0 स्कीम के अन्तर्गत यह देखने में आया है कि डनलप गाड़ी, भैंस, सुअर, मशीन रिक्शा लाउडस्पीकर की तथा कूटने पीसने की मशीन और फलाना-डिमाका तमाम चीजों के लिए इसमें सुविधा मुहैया हुई, लेकिन 50 प्रतिशत छूट के नाम पर आधा पैसा कर्मचारी बैंक के मैनेजर ने मिल कर खा लिया। आधे पैसे में इन्होंने बन्दरबाट किया। जिस मकसद से इनको पैसा दिया गया हमारे ख्याल में 90 प्रतिशत का सदुपयोग नहीं हुआ।

हमारे फैजाबाद जिले के विकास क्षेत्र मिलकीपुर में कोहवा गांव है, सन् 1984 में 19 हरिजनों को एक लाख रुपया विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकार किया गया। लेकिन बैंक मैनेजर और ग्राम सेवक ने मिलकर, तीसरे आदमी के जरिये वह पैसा निकाल लिया। उन 19 हरिजनों को इसका पता तब लगा जब उनके ऊपर आर0 सी0 कटी और वसूली के आदेश जारी हो गये।

मान्यवर, जो पैसा आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिये लोगों पर खर्च करने की बात की जाती है, उसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। मान्यवर, चाहे ट्रेजरी बेन्च में बैठे लोग हों, चाहे विपक्ष में बैठे लोग हों, सभी माननीय सदस्य जानते हैं। लेकिन आज जो ट्रेजरी बेन्च में बैठे हुये लोग हैं, उनके चश्मे बदल जाते हैं जब यह सही स्थिति का मूल्यांकन नहीं करते, तब यह बात मालूम हो जाती है कि यह सरकार के बंधुवा मजदूर हैं। मान्यवर, एन0 आर0 ई0 पी0 योजना में और सूखा राहत कार्यक्रम में सड़कों पर मजदूरों से काम कराया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत मजदूरों को अनाज तथा पैसा दोनों ही देने का प्रावधान था। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज कोई भी मन्त्री या कांग्रेस में बैठे हुये लोग अपने सीने पर हाथ रखकर नहीं कह सकते हैं कि आज मजदूरों को अनाज काम के बदले में दिया जा रहा है। आज कोई भी इस बात को ईमानदारी से नहीं कह सकता है। मान्यवर, यह सारे काम ठेकेदारों से हो रहे हैं। जो गेहूं चावल आज 264 रुपये क्विंटल है, उसको इनके ठेकेदार 300 रुपये में जा कर बाजार में बेच देते हैं, और यह दूना मुनाफा इनकी जेबों में जा रहा है। इन्हीं सब वजह से इन्होंने यह कार्यक्रम बनाये हैं। इन्होंने ऐसी व्यवस्था रखी है कि कांग्रेस की कमेटियों के लोग ही इन कामों को करेंगे, ताकि इसमें इनका आदमी रुपया खा सके।

जब मान्यवर, शिक्षा विभाग की बात की जाती है, कृषि विभाग की बात की जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जहां कटोरा लेकर पहले अनाज मांगना पड़ता था कभी पी0 एल0 ए0 का गेहूं आता था, कभी अमेरिका का गेहूं आता था, आज हिन्दुस्तान के किसानों से अपने खून-पसीने से, अपनी बहू-बेटियों के सिंदूर पोंछ कर इस देश में अनाज पैदा किया है, लेकिन उन किसानों के लिये इनके पास कोई राहत देने की चीज नहीं है।

मेरे जिले में मान्यवर, गन्ने पेराई की फैक्ट्री लगी है, सुल्तानपुर में भी लगी है वहां पर एक-एक गाड़ी के लिए 20 रुपये, ट्रेक्टर के लिये 50 रुपये, और एक ट्रक के के लिये 500 रुपये तक घूस देकर पर्चियां लोग ले रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इनके पास सी0 आई0 डी0 है और यह सक्षम है, किसी भी वर्दीधारी आदमी को भेजकर यह इस बात का पता लगा सकते हैं। अगर यह बात झूठ निकल जाय, तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। यह बड़े दावे के साथ कहते हैं कि सूखे में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरा। मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के 40 वर्षों के बाद भी अगर ऐसी बात हो तो इससे शर्म की कोई बात हो ही नहीं सकती। करने को तो किसी व्यक्ति के कोई सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। यह कोई तारीफे काबिल बात नहीं है। आज सरकार अपने को बड़ा काबिले तारीफ समझ रही है कि इस सूखे में कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरा। यह कोई अच्छी मिसाल नहीं है। तो श्रीमन्, हमारा कहना यह था कि हमारे प्रदेश के अन्दर, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे मजदूर हैं, जो इस देश में धरती से उसके सीने को फोड़ कर लोहा, सोना, चांदी, कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि चीजें निकालते हैं और बड़े-बड़े कारखानों और फैक्टरियों में काम करते हैं, उनकी दुर्दशा को देखते हुये यह बजट किसी भी स्थिति में लाभदायक नहीं कहा जा सकता है। उनको इस बजट से कुछ मिलने वाला नहीं है। इस बजट के

माध्यम से कुछ पूंजीपतियों और धनवानों को ही लाभ मिल सकता है लेकिन हिन्दुस्तान के मेहनतकश गरीब मजदूर और किसान को, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है । आज वे अपनी फसल का उचित दाम चाहते हैं, अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं, जो अपने काम की मजदूरी चाहते हैं, उनका कोई भला इस बजट से नहीं होने वाला है । आज इस सरकार की कृषि की नीति, शिक्षा की नीति, उद्योग की नीति पूरी तरह से फेल है । अन्त में इस बजट के विरोध में जिन लोगों ने प्रस्ताव रखे हैं, उनका मैं समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री अफसर यू0 अहमद—

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सम्मानित सदन में सामान्य बजट पर जो चर्चा चल रही है, उसपर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया, उसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं । मैं इस बजट का समर्थन करते हुये अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे वजीरआला श्री वीर बहादुर सिंह साहब ने जो बजट इस सदन में रखा है, वह यकीनन हमारे सीमित संसाधनों को देखते हुये ऐसा बजट है, जो पूरी तरह संतुलित है और जनता को राहत देने वाला है ऐसा बजट है जो विकास में सहायक होगा । अत्यन्त व्यवहारिक बजट है ।

माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं । मैं कहना चाहता हूं कि उनकी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह पूरे प्रदेश में शान्ति व्यवस्था कायम करने में सफल रहे हैं । हो सकता है कहीं एक-दो छुट-पुट घटनायें हो गई हों, लेकिन ज्यादातर इलाकों में शान्ति व्यवस्था पूरी तरह कायम रही है । 1977 से लेकर 1980 तक अराजक तत्वों ने ऐसा माहौल बना दिया था कि जो लोग रिवाल्वर, बन्दूक आदि चीजों को लेकर सड़कों पर घूमा करते थे, उधर के विधायक भी इसे मानते होंगे, इस तरह से गुण्डे व बदमाशों का अब हमारे यहां कोई प्रचलन नहीं है । यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए इन्हें (विपक्ष के माननीय विधायक गण) हमारी सरकार को बधाई देनी चाहिये । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि शान्ति स्थापना के बाद ही विकास के कार्य हो सकते हैं । विद्यार्थियों के उत्थान की बात विपक्ष द्वारा कही गई ।

मैं बताना चाहता हूं कि 1977 से लेकर 1980 तक विद्यार्थियों को सड़कों पर लाकर इन्होंने खड़ा कर दिया था और उनमें अराजकता आन्दोलन व अनुशासनहीनता की भावना पैदा कर दी थी और आज यह विद्यार्थियों की रक्षा की बात करते हैं । मैं परसों नेता विरोधी दल का भाषण सुन रहा था । उन्होंने अपने भाषणों में कहा कि अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है । मैं नेता विरोधी दल से जानना चाहता हूं कि वह उस वक्त कहां थे जिस वक्त मेरठ तथा और स्थानों पर अल्प संख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा था । मेरठ के दंगे के बाद कांग्रेस की सरकार ने इस सम्मानित सदन में चर्चा करने का समय निर्धारित किया, किन्तु विपक्ष के लोग चाहे वे लोक दल "ए" ग्रुप के हों या "बी" ग्रुप के हों या तीसरे ग्रुप के हों, सभी लोगों ने यहां पर हंगामा खड़ा किया । वे लोग सुनने नहीं देना चाहते थे कि अल्प-संख्यकों के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है और आज यहां पर उनके लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ।

मैं उनसे पूछना चाहता हूं जिस समय अल्पसंख्यकों की बात आई थी, शाहबानो का मामला आया था और जब माननीय श्री राजीव गांधी जी ने अल्पसंख्यकों की

भावनाओं का आदर करते हुये पार्लियामेन्ट में 3 बजे रातोंरात विचार करने के लिए कहा तो सभी विपक्ष के लोग भाग गये थे तथा वापस आकर विरोध में मतदान किया था उस वक्त आप कहां थे। जब मुसलमानों की भावनाओं को रौंदा था। उस समय आप (विपक्ष के लोग) कहां थे ? उस समय आपका अल्पसंख्यक प्रेम कहां लुप्त हो गया था ?

(भाषण के मध्य श्री विजय सिंह राणा के खड़े होने पर व्यवधान)

जिस समय अलीगढ़ 15 महीने तक जलता रहा, अल्प संख्यक समुदाय के लोग लूटे मारे जा रहे थे। उस वक्त आप लोग कहां थे और आपकी सरकार कहां थी। हमारी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए बीसों काम किये हैं। हमारी सरकार ने एलान किया है कि हर सरकारी चयन समिति में अल्पसंख्यकों का नुमाइन्दा निश्चित रूप से होगा, कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जिसमें अल्पसंख्यकों का नुमाइन्दा न हो। भारत सरकार ने 15 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया है अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए, उनमें सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए। अल्पसंख्यकों की बात आज आप लोग करते हैं, उस वक्त आप कहां थे, जब आपने यह कहा था कि मुसलमानों हिन्दुस्तान छोड़ कर चले जाओ। मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमान हिन्दुस्तान का एक सम्मानित शहरी है। आपने उस समय कहा था कि आपने अपना हिस्सा ले लिया है, पाकिस्तान बना लिया है। इसलिए आपको यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन कांग्रेस ने यह कभी नहीं कहा और न कहेगी। आज आप गांवों में जा कर देख सकते हैं कि अल्पसंख्यक किस बुरी हालत में रह रहा है। आज उनके लिए कई योजनायें बनाई गई हैं और उन्हें काम मिला है। उनके उत्थान के लिए कोई सुझाव देते तो अच्छा होता। —अल्प संख्यकों को अपना अधिकार चाहिए, किसी के रहम की हमें आवश्यकता नहीं है।

इस साल सूखे की भयावह स्थिति रही है और हमारी सरकार ने उसका मुकाबला किया किसान के लिए खाद, बीज, सिंचाई और बिजली का इन्तजाम करवाया गया है। बजट में और कोई टैक्स नहीं लगाया, विद्यालय खोले जा रहे हैं, भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। हमारी बहनों के लिये शिक्षा का इन्तजाम किया जा रहा है, हरिजन और समाज कल्याण विभाग की ओर से हरिजन और असहाय वर्ग के लोगों के लिये भोजन की व्यवस्था की जा रही है। सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं। नहरें लग रही हैं। गांव-गांव में उद्योग लग रहे हैं। गरीबों के उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। श्रमिकों की मजदूरी बढ़ायी गयी है। नगर तथा ग्रामीण अंचलों में द्रुतगति से बिजली, अस्पताल, पेयजल विद्यालय भवन बन रहे हैं, सामुदायिक विकास भवन तथा व्यायाम शालायें बन रही हैं।

नवोदित विद्यालय खोले जा रहे हैं। अल्पसंख्यक क्षेत्र में आई० टी० आई० व पालिटेक्निक विद्यालय खुल रहे हैं।

अभी माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने कहा था कि सरकार ने निराश्रित विधवाओं के लिये कुछ नहीं किया, मैं उनको बताना चाहूंगा कि माननीय वीर बहादुर सिंह जी की सरकार ने निराश्रित विधवाओं के लिये तथा अन्य लोगों के लिए भी व्यवस्था कर दी है, उनको 10 से 15 कि० ग्रा० तक राशन प्रति माह मुफ्त दिया जायगा। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह निहायत ही तरक्की वाला है, जो कि विकास की योजनाओं में सहायक होगा। हमारा फर्ज है कि हम विकास जिसकी महायात्रा में निकले हैं, हम माननीय वीर बहादुर जी से सहयोग करें। इसी के साथ ही मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को बधाई देता हूं और उनके द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन पुरजोर करता हूं। धन्यवाद जयहिंद।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि इतने गर्म भाषण के बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी के बजट भाषण को जब पढ़ा तो मुझे बड़ी निराशा हुई क्योंकि इसमें गरीब और सर्वहारा वर्ग के लिये कल्याण के दिशा निर्देश नहीं हैं।

सूखा राहत पर बहुत बातें हुईं। ऐसा लगता है कि उधर के सरकार चलाने वाले मित्रगणों को सूखा राहत की जानकारी ही नहीं है। सूखे का प्रभाव बड़ा दूरगामी होता है। बाढ़ तो आती है, तो बहुत जल्दी वापस चली जाती है, लेकिन सूखे से पूरा प्रदेश झुलस गया था। इधर हाल ही में सरकार से आदेश गये हैं, वसूली में सख्ती की जा रही है, छोटे-छोटे आई0 आर0 डी0 और पम्पिंग सेट आदि के कर्ज लिये हुये किसान तहसील की काल कोठरियों में बन्द हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जब रबी की फसल को घर तक आने में एक-डेढ़ माह शेष है, तो ऐसे समय में किसान के पास कर्जा चुकाने के लिये कहां से धनराशि आ जायगी? मुझे निवेदन करना है कि ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत उन्नाव में इस बार एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है, वहां के अधिकारीगण बताते हैं कि पैसा ही नहीं आया है। मुझे निवेदन करना है कि सूखाग्रस्त के रूप में परिसम्पत्तियों का कहीं सृजन नहीं हुआ है। जहां भी मार्ग बना हुआ है, बाद में बेकार हो गया है। शासन की ओर से मजदूरी की दर 13.50 रु0 प्रति दिन तय की गयी थी, लेकिन तमाम एजेन्सियां जैसे आर0 ई0 एस0, खंड विकास अधिकारी आदि ने 11.50 रु0 की दर न देकर दैनिक मजदूरी काम को नाप कर दी है, कहीं पर 6 रु0, कहीं पर 5 रु0 और कहीं पर 3 रु0 प्रति दिन तक की मजदूरी दी गयी है। इस बजट में जो महत्वपूर्ण चीज छूट गयी है, कानपुर में गंगा को घाटों पर लाने का अभियान वहां की जनता द्वारा चलाया जा रहा है। वहां पर सरकारी घोषणा की गयी थी कि गंगा को घाटों तक लाने का काम सरकार स्वयं हाथ में ले लेगी। लेकिन इस बजट में गंगा को घाटों पर लाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त एक चीज में सुझाव के रूप में निवेदन करना चाहता हूं माननीय राजस्व मन्त्री जी यहां बैठे हैं कि गांव में जो काश्तकार हैं पहले आठ आने, एक रुपये में इन्तखाब मिलता था उनके इन्तखाब की दरों में बढ़ोत्तरी कर दी गई जो कि अब 20-25 रु0 की दर से बढ़ा दी गयी है, इससे बहुत कठिनाई पैदा हो गयी है।

अभी जब माननीय सदस्य कौशिक जी बोल रहे थे तो उन्होंने पैरोल की बात की थी कि जब कोई व्यक्ति बन्दी बना करके किसी थाने से जेल में भेज दिया जाता है तो उसके चरित्र का प्रमाण-पत्र थानाध्यक्ष दे सकता है जब कि वह दूसरी जगह पर आठ-दस साल से रह रहा है? इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि उसके चरित्र की पुष्टि थानाध्यक्ष के माध्यम से न करा करके बल्कि कारागार अधीक्षक के द्वारा करायी जानी चाहिये, यह उपयुक्त होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ में माननीय मुख्य मन्त्री जी का जो यह बजट है जो कि उन्होंने प्रस्तुत किया है जिसमें न कोई विकास की गति है और न इसके लिये कोई कोशिश की गई है, का विरोध करता हूं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*मुख्य मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक पर यहां विचार चल रहा है और इस पर थोड़े से ही माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिल सका। आवश्यकता इस बात की थी कि जो बजट पेश किया गया है इस पर माननीय सदस्यों का विचार

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आ जाता, उन्होंने उसका अध्ययन करके अगर अपने विचारों को व्यक्त किया होता तो उसको हमें देखने का अवसर मिलता कि जो बजट बनाया गया है, जिन विचारों को ले करके उसमें कौन सी बातों को वे अच्छा समझ रहे हैं और उनके दिल में क्या है ? लेकिन मान्यवर, नेता विरोधी दल बोले और कुछ माननीय सदस्य भी बोले, यद्यपि बहुत सी बातें सामने नहीं आयी । नेता विरोधी दल जब बोल रहे थे तो उन्होंने उन्हीं बातों को घुमाफिरा करके यहां रखा कि कैसे बजट बनाया गया, कैसा बजट बनाया गया, क्या बजट होता है ।

मान्यवर, बजट बनाने का जो तरीका है, उसी तरीके से यह बजट बनाया गया है । माननीय नेता विरोधी दल ने कई वर्षों के बजट का यदि अध्ययन किया होता तो वे ऐसा विचार यहां न व्यक्त करते । मान्यवर इसमें देखेंगे कि पिछले वर्ष का जो बजट था उसमें घाटा 233,66 करोड़ का था, वह इस बजट में घट करके 199 करोड़ पर लाया गया है, घाटा बढ़ने नहीं दिया गया है । यद्यपि इतना बड़ा सूखा पड़ा और इस सूखे के पड़ने से कितना बड़ा नुकसान हुआ, जिसके बारे में आप सभी लोग कल्पना कर रहे हैं कि इससे कितना बड़ा नुकसान किसानों का और इस प्रदेश का हुआ और हमारी जितनी आय होनी चाहिये थी वह कम हो गयी और किस तरह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी । सरकार ने भी पैसा खर्च करके, जो दिक्कतें उस समय थीं, उन्हें दूर किया और इन सब के बावजूद भी बहुत से प्रदेशों में तो इतना बड़ा घाटा पड़ा, लेकिन हमने उस घाटे को भी कम किया, इसके लिये तो माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहिये था कि कितनी विषम परिस्थितियों के बावजूद घाटे को कम करना कोई आसान काम न था, लेकिन हमने भरपूर प्रयास किया और जहां कहीं भी हमने वसूली बिना किसी कर के लगाये या जहां पर लगा भी दिया गया था, पर स्थिति ऐसी नहीं थी, हमने उसे बन्द किया और यही नहीं जहां पर हम अपने खर्चों में कटौती कर सकते थे, मितव्ययता कर सकते थे, करने के प्रयास किये और यही नहीं हमने प्लान्ड एक्सपेंडीचर को भी कम करने के प्रयास किये, इसका परिणाम यह रहा कि घाटा कम हुआ और हमारा बराबर यही प्रयास रहा कि जो भी हम कम कर सकते थे, उसको हमने कम किया ।

कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी बात के दौरान कहा कि नान प्लान्ड खर्चे में कमी नहीं की । ऐसा नहीं है शायद आपको मालूम भी होगा कि हमारे पास कुछ ऐसी मदें हैं जिसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता जैसे जो कर्मचारियों के वेतन बढ़े हैं, यह कोई यहीं पर नहीं बढ़े हैं, हर देश और प्रदेशों में बढ़े हैं, ऐसा नहीं कि यहीं पर सिर्फ बढ़े हैं । इसी प्रकार से जो कर्जे लिये जाते हैं, उनका भुगतान मय सूद के, यह सारा चुकाना पड़े, बगैर इसके चुकाये हम दूसरा पैसा केन्द्र से नहीं ले सकते थे । इस प्रकार आप देखेंगे कि लगभग 300 करोड़ रु0 वेतन इत्यादि के बढ़ने में और 129.20 रु0 कर्ज की अदायगी मय सूद के साथ देना पड़ा है, इस प्रकार से जहां हम स्वयं खर्चों में रोक लगा सकते थे, पूरे प्रयास किये और इस प्रकार उन खर्चों को हमने कम भी किया ।

दूसरे आप देखेंगे कि जब हमने इस प्रकार के नान-प्लान्ड खर्चों में कमी की तभी हम प्लान्ड एक्सपेंडीचर में भी कमी कर सके, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे खर्च हमारे सामने आ जाते हैं जैसे शिक्षा के खर्चे और इसी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग के खर्चे तथा इसी प्रकार से हरिजन तथा समाज कल्याण, इन खर्चों को तो करना ही पड़ता है, जो आवश्यक भी हैं और इन पर ज्यादा रोक लगाई भी नहीं जा सकती है, लेकिन कुछ काम ऐसे भी आ जाते हैं जैसे कोई योजना 2-3 सालों के लिए या 5 सालों के लिए आयी और वह फिर 4-5 साल बाद खत्म हो जाती है तो फिर उसके सारे खर्चे नान-प्लांड में चले जाते हैं, तो इस प्रकार की कुछ मजबूरियां होती हैं, साथ ही हमें

यह भी देखना होता है कि नान-प्लांड खर्चे इतने न बढ़ने पायें कि हमारे सामने और दूसरी समस्यांएं उत्पन्न होने लगे ।

जब नेता विरोधी दल बोल रहे थे तो इन्होंने भी अपने भाषण में यही बात कही कि नान-प्लांड खर्चे में हमने बहुत बढ़ोत्तरी की है और प्लांड मदें कम की हैं और इस सम्बन्ध में जो आंकड़े इन्होंने दिये जो वर्ष 1980-81 से 1988-89 तक थे । आप देखेंगे कि वर्ष 1980-81 में जो एक्सपेन्डीचर नान-प्लांड में था, वह 21.7 था और 1988-89 में यह 23.1 हुआ, तो इतनी वृद्धि हुयी और इसी प्रकार से नान-प्लांड में जो हमने कटौती की है वर्ष 1980-81 में यह खर्च 78.3 था और 1988-89 में इनको कम करके 76.9 किया, 78 से इसको 76 किया गया । एक तरफ नान-प्लान में कमी की गयी है और प्लान में बढ़ाया गया है। तो मेरा यह प्रयास है कि ऐसा नहीं है, हमारा प्रयास है कि आयोजनागत मदों में बढ़ोत्तरी करें और आयोजनेतर मदों में कमी करें । आपकी ही फीगर है, उसी से परसेन्टेज निकाला गया है, तो यह बात मालूम होगी । बहुत से प्रदेश हैं, जिनका नान-प्लान एक्सपेन्डीचर हमसे बहुत ज्यादा है और हमारा कम है । जब आप कहते हैं कि शिक्षा पर कम खर्च कर रहे हैं, और इस चीज में बढ़ायेंगे तो खर्च बढ़ेगा, कम करेंगे तो कम होगा । क्या हम शिक्षा पर खर्च कम कर सकते हैं, क्या स्वास्थ्य की मदों पर खर्च कम कर सकते हैं और क्या समाज कल्याण के कामों पर खर्च को कम कर सकते हैं, यह नहीं कर सकते हैं । इसे हमको बढ़ाना ही पड़ेगा । इसीलिये इन मदों में ज्यादा खर्च करना पड़ता है । नेता विरोधी दल जो बोल रहे थे कि शिक्षा पर कम खर्च किया जा रहा, लेकिन आप देखेंगे कि शिक्षा पर हमारा जो परिव्यय है, राजस्व व्यय है वह 5734 करोड़ रुपया है । 5734 करोड़ रुपये के अगेन्सट 1224 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, यानी कि 21 प्रतिशत खर्च शिक्षा पर किया जा रहा है । नेता विरोधी दल कह रहे थे कि 2 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, जबकि हम 21 प्रतिशत कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आप प्लान का बतावें ।

श्री बीर बहादुर सिंह--

जो नेता विरोधी दल ने कहा है, उसका उत्तर दे दूं । प्राइमरी शिक्षा को भी बता रहा हूं । जो उन्होंने कहा है, उसकी बात कह रहा हूं । शिक्षा पर जो हम व्यय कर रहे हैं, 21 प्रतिशत है । कहा गया कि प्राइमरी शिक्षा पर कम खर्च किया जा रहा है, आप देखेंगे कि 1224 करोड़ रुपया खर्च पूरी शिक्षा पर है और 630 करोड़ केवल प्राइमरी शिक्षा पर है । यह 51 प्रतिशत है । हम प्राइमरी शिक्षा पर 51 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं ।

मान्यवर, आप देखेंगे कि प्राइमरी शिक्षा पर 51 प्रतिशत हम खर्च कर रहे हैं । हमारा यह प्रयास है कि गांव में जो प्राइमरी स्कूल हैं, उनके जो भवन हैं, वह नहीं हैं । बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते हैं । हमने निश्चय किया है कि प्राइमरी स्कूल के भवनों को 5 साल में बना दिया जायेगा, क्योंकि बिना भवन के पढ़ाई कैसे हो सकती है, क्या पेड़ों के नीचे बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, इसलिए यह प्रयास किया जा रहा है कि प्राइमरी स्कूल के भवन बनाये जायें, उनकी साज-सज्जा के लिये पूरा इन्तजाम किया जाये ताकि पढ़ाई की पूरी व्यवस्था हो । नहीं तो स्कूल खुल जांय और भवन नहीं हैं, बरसात में, जाड़े में पढ़ाई नहीं होती है । यह अच्छी बात नहीं है । इसलिये प्रयास किया गया है कि स्कूल के भवनों पर ज्यादा पैसा खर्च हम करें और उस दिशा में ज्यादा काम करें । इसीलिये भवनों पर काफी परिव्यय रख गया है । इस वर्ष 9 करोड़ से ज्यादा पैसा हमने इसमें रखा है प्राइमरी स्कूलों के

भवन बनाने के लिये । इसके अतिरिक्त ग्राम्य विकास विभाग की कई मदों से भी हम ये भवन बनाने का प्रयास कर रहे हैं । इसलिये जब तक इस पर ध्यान नहीं देंगे, केवल स्कूल खोल देंगे और उनके भवन न होंगे, शिक्षक न होंगे, उनके लिये साज-सज्जा नहीं होगी तो पढ़ाई का काम नहीं हो पाता है । इसलिये स्कूल ठीक से बनायें जांय, पढ़ाई-लिखाई की पूरी व्यवस्था हो, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है ।

मान्यवर, जब नेता विरोधी दल बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भारत सरकार से जो केन्द्रीय सहायता उत्तर प्रदेश को मिली है वह मध्य प्रदेश से कम मिली है । पता नहीं वे कहां से आंकड़े ले आते हैं । देखते नहीं हैं कि क्या सही है । मान्यवर, आप देखेंगे कि सातवीं योजना में उत्तर प्रदेश को 3607.55 करोड़ रुपया मिला है जब कि मध्य प्रदेश को 1879.06 करोड़ रुपया ही मिला है....

(व्यवधान)

आप ऐसी बात कह जाते हैं...उसको देखना चाहिए कि क्या सही है, कितना मिला है । जितना पैसा उत्तर प्रदेश को मिला है वह पिछले वर्षों में कभी नहीं मिलता था । (मेजों की थपथपाहट) । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री के आशीर्वाद से, उनकी सहायता से उत्तर प्रदेश में जो विकास के काम हो रहे हैं, जितनी प्रगति इस वक्त उत्तर प्रदेश कर रहा है वह पहले कभी नहीं हुई है ।

आज हमारे प्रदेश में खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये जितना परिव्यय रखा गया है चाहे वह सिंचाई का हो, ग्राम्य विकास का हो, वह हम किसके लिये कर रहे हैं--किसान के लिये कर रहे हैं, गांवों का विद्युतीकरण किसके लिये कर रहे हैं--किसान के लिये कर रहे हैं । हमने सड़कें बनाने के लिये काफी बड़ी योजनायें बनायी हैं । हमने सड़कें गांवों से लेकर मंडियों तक और गन्ना मिलों तक बढ़ाया है, उसके लिये इतना पैसा रखा है वह सब गांवों किसानों और लोगों के लिये किया है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आज जितना पैसा खर्च हो रहा है गांवों के लिये हम कर रहे हैं । उत्तर प्रदेश की जितनी अच्छी सड़कें हैं शायद देश के दूसरे प्रदेशों में उतनी अच्छी नहीं हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो विकास के काम हो रहे हैं उन्हें आपको देखना चाहिए ।

हमारे यहां कृषि का उत्पादन जितना बढ़ रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए । पहले कहा जाता था और कृषि के उत्पादन में पंजाब तथा हरियाणा का नाम लिया जाता था लेकिन आज पंजाब और हरियाणा उत्तर प्रदेश से पीछे हो गया है । वह आपको देखना चाहिए । (मेजें थपथपाई गईं) ।

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया शांति बनायें रखें ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, आप देखेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र में हमारा प्रदेश पीछे था और इस क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तामिल नाडू, आंध्र, कर्नाटक और बंगाल आदि का नाम लिया करते थे । लेकिन आज क्या हो रहा है, आज सारे देश के लोग उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिये दौड़ रहे हैं यह कोई छोटी बात नहीं है । आज हरियाणा के लोग, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं हमारे बगल में फरीदाबाद के लोग कह रहे हैं कि वहां बिजली नहीं मिल रही है और हमारे यहां 24 घंटे बिजली मिलती है इस लिये यहां उद्योग लगाने के लिये आना चाह रहे हैं वहां आप श्री देवी लाल जी से पूछ लीजिये कि वह कितनी बिजली दे रहे हैं । वहां से और दूसरे प्रदेशों से बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश में आकर हमसे कह रहे

हैं हम यहां उद्योग लगाना चाहते हैं। तो यह वातावरण कैसे बना। काम करने से बना है यहां पर काम हो रहा है।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारी 7वीं योजना में औद्योगीकरण की जो योजना है वह करीब 7,500 करोड़ की है। बड़े उद्योगों को जब कि छठीं योजना तक बड़े और मध्यम उद्योग में जो खर्च हुआ वह कुल 43 सौ करोड़ था और हमारी 7वीं योजना में 7,500 करोड़ बड़े उद्योगों में है

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, 1 लाख 10 हजार उद्योग पूरी छठी योजना तक लगाये जब कि हम इन पांच सालों में ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। उस वक्त 4 सौ करोड़ से ज्यादा नहीं था जब कि अब हम 1 हजार करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च कर रहे। है इस प्रकार करीब दुगुने उद्योग लगाये जा रहे हैं।

अतः आप समझ सकते हैं कि हमारे यहां विकास कितनी तेजी से हो रहा है। यही कारण है कि हमारे यहां परकैपिटा इनकम बढ़ रही है। जब नेता विरोधीदल बोल रहे थे, पहले भी उन्होंने कहा जिसका मैंने जवाब दे दिया था फिर बता रहा हूं। हमारी परकैपिटा इनकम घट नहीं रही है, बढ़ रही है यह 1978-79 में 935 थी आज 1985-86 में वह दो हजार तीन हो गई है। तो यह घटी नहीं बढ़ी है। आज हमें देखना है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रति व्यक्ति आय बढ़े इसके लिये हमें काम करना है इसी से संतुष्ट नहीं होना है। नेता विरोधीदल और उधर के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि केवल आलोचना करने से बात नहीं बनती है। यह जो हुआ है हमारे काम करने से हुआ है।

दूसरी बात कही गई कि बेरोजगारी बढ़ रही है मैंने इसके बारे में भी पहले बताया था। बेरोजगारी पूरे विश्व में बढ़ रही है और हमारे यहां भी बढ़ रही है लेकिन जब प्रतिशत देखेंगे दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में तो उसका हमारे यहां प्रतिशत कम है जिसके आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले भी मैंने बताये हैं जो इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश में 4.33 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश 10.98 प्रतिशत, बिहार 8.20 प्रतिशत, गुजरात 5.26 प्रतिशत, हरियाणा 6.26 प्रतिशत, कर्नाटक 9.79 प्रतिशत, माननीय श्री रेवती रमण सिंह जरा देखें यह आप की सरकार का है कर्नाटक वहां पर 9.79 प्रतिशत है। तमिलनाडु 16.3 प्रतिशत, केरल 26.72 प्रतिशत और पश्चिमी बंगाल में 10.5 प्रतिशत, तो इस हिसाब से उत्तर प्रदेश का प्रतिशत कम है। मान्यवर, हमारा यह प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा परिव्यय उत्पादन के काम में खर्च करें जिससे लोगों की हैसियत बढ़े फिर वह चाहे उद्योग धंधे बढ़ाने की बात हो या खेती बढ़ाने की बात हो।

मान्यवर, प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने का प्रयास किया गया है हमारे प्रदेश में बहुत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केन्द्र हैं, हिमालय और मैदान में यह केन्द्र हैं जहां पर्यटन की बहुत बड़ी गुंजाइश है जहां हम विकास करना चाहते हैं जिससे बहुत से पर्यटक विदेशों से आयेंगे और प्रदेशों से आयेंगे जायेंगे इससे वहां का उद्योग धंधा बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा और वहां का विकास होगा। इसलिए पर्यटन के लिए हमने बहुत काम किया है। पर्यटन में जो पहले परिव्यय रखा जाता था वह कम था इसलिये अब कई गुना उसको बढ़ाकर रखा गया है और इस पर हम प्राथमिकता देंगे।

मान्यवर, इसी प्रकार से प्रदेश में पशुधन के क्षेत्र में हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और ज्यादा लोगों को सुविधा देकर उनकी हैसियत बढ़ा सकते हैं। साथ ही

साथ बागबानी और हर्टिकल्चर का पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में बढ़ाकर लोगों की हैसियत बढ़ा सकते हैं। इसलिये हमारा प्रयास है कि इसमें प्राथमिकता देकर गरीब, हरिजन आदिवासी, समाज में जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं उनको उठायें, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको उठाने और उनकी तरक्की के लिये बहुत से हमें काम करने हैं। चाहे मकान बनाना हो, चाहे रोजी रोटी देने की बात हो उसमें काम करने की बात है और अबतक जो काम किया है उसमें 58 लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है जिसमें 30 हजार से ज्यादा लोग हरिजन और आदिवासी हैं। हमारे आगे भी प्रयास होगा कि यह काम तेजी से किये जायें और भारत सरकार का जो बजट आया है उसमें इन लोगों के लिए खेतिहार गरीब मजदूरों और हरिजनों के लिए काम करने जा रहे हैं।

मान्यवर, मैं इसमें सभी सदस्यों का सहयोग चाहता हूं और आपके सहयोग से जो प्रदेश को आगे बढ़ायेंगे, गरीबों को ऊपर उठायेंगे, प्रदेश की तरक्की के लिये, पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, बुंदेलखंड जो पिछड़ा है, पूर्वांचल और पहाड़ एवं पश्चिम जिलों के बहुत से क्षेत्र जो पिछड़े हैं उनको ऊपर उठाने और उनकी तरक्की के लिए हमें तेजी से काम करना होगा। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि जो बजट पेश किया गया है, उसमें प्रयास है जिनकी ओर हमने संकेत किया है, इसको सही माने में प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने में मदद मिलेगी और समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी। मान्यवर जिन माननीय सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं मैं उनका आभारी हूं और सुझावों को देखकर अच्छे सुझावों के अनुसार प्रदेश के विकास में काम किया जायेगा। लेकिन मान्यवर, विरोधी दल के नेता जब बोलते हैं तो सुझाव अच्छे नहीं देते हैं जिससे कोई फायदा नहीं होता है। उससे कुछ फायदा होता नहीं है। कुछ लोग केवल विरोध के लिए यहां विरोध करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। इसलिए अन्त में विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और उन सबके सुझावों को लेकर मैं काम करूंगा और कोशिश करूंगा कि प्रदेश आगे बढ़े।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि मुख्य मंत्री अपने खेतों में पैदावार किया करते हैं, जो पैदावार आप करते हैं वह हम भी किया करते हैं।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अपना भाषण दिया है उस सम्बन्ध में मैं दो बातों की जानकारी उनसे करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि इस पर प्रकाश वह अवश्य डालेंगे। प्रथम, कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो वेतन समिति की रिपोर्ट आई है, वह किस स्थिति में है, और दूसरे बुनकरों की जो स्थिति है, उनके बारे में क्या सुविधायें उन्होंने घोषित की हैं? बुनकरों की समस्या कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो वेतन समिति की रिपोर्ट किस स्थिति में है और बुनकरों के लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय श्री राम आसरे जी ने जो सवाल किया, वेतन समिति की रिपोर्ट के के बारे में, तो वेतन समिति में राजकीय कर्मचारियों के बारे में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, किन्तु लोकल बाडीज और कारपोरेशन हैं, उनके कर्मचारियों के बारे में अभी रिपोर्ट नहीं आई है। इस सम्बन्ध में उन्होंने 31 मार्च तक रिपोर्ट देने का

वायदा किया है। जहां तक बुनकरों का सवाल है हमारे प्रदेश के लाखों बुनकर इस समय बहुत परेशान हैं। उनके लिए सूत के दाम बढ़ जाने से बहुत समस्याएं पैदा हो गई हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे सूत सस्ता हो और कैसे उनकी समस्याओं का समाधान करें। इसके लिए हमने हथकरघा निगम से कहा है उनको पैसा दिया जाए, उनका माल खरीदा जाये और यह भी प्रयास किया जाए कि रुई कहीं से चाहे बाहर से खरीदकर किसी तरह धागा सस्ता कराया जाए और ऐसी पालिसी बनाई जाये कि हमेशा के लिये उनकी समस्यायें हल हो जायें। हम सोचते हैं कि थोड़े समय के लिये यदि उनकी समस्या हल करते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। हम उनकी समस्याओं का स्थायी हल चाहते हैं और उसके लिये हम भारत सरकार से भी बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

नेता विरोधी दल आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं)

श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं। पिछले साल इसी प्रकार भाषण के बाद मैंने स्पष्टीकरण पूछा था। यह जो भी बजट का पैसा देते हैं आप अनुदान के रूप में, छूट के रूप में विकास कार्यों के लिये, उसमें से उसका 40 परसेन्ट रुपया बिचौलिया खाये जा रहे हैं, जिससे कोई विकास कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा है और लाभार्थी उससे लाभ नहीं पा रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि इस हेतु 3 विकास खंडों को लेकर उनकी जांच करायी जायेगी। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसको कराया और नहीं कराया, इस मामले को क्या मुख्य मंत्री जी सदन की एक कमेटी बनाकर किसी भी तीन विकास खंड में यह जांच करवायेंगे कि विकास कार्यों हेतु जो धन अनुदान तथा कर का पैसा जाता है, उसमें से 40 परसेन्ट पैसा बिचौलिये खा जाते हैं, वह क्या इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह जरूर होना चाहिये कि जिस काम के लिये पैसा जाता है, उसका सही मायनों में सही कामों के लिये उपयोग हो ? उसके लिये हमने कई जगह जन-प्रतिनिधियों को भी लगाया है, जैसे नहरों की सफाई आदि के कार्य में। इसी तरह ब्लाकों में भी कुछ काम कर रहे हैं। इसी प्रकार और ब्लाकों में काम किये गये हैं हमारा प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो दिया जाता है उसका सदुपयोग किया जाए और इस सम्बन्ध में जो लोग गलती करेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हरियाणा में बिजली कम मिल रही थी। (व्यवधान) मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न जानना चाहता हूं कि जनवरी से निजी नलकूप चालकों को आपने बिजली देना बन्द कर दिया और अब किसी भी निजी नलकूप चालकों के प्रार्थना-पत्र नहीं ले रहे हैं और 10 हार्स पावर के कनेक्शन सूखे की विशेष स्थिति को देखते हुये वापस कर दिये गये हैं। तो एक तरफ तो बिजली देने की बात, दूसरी तरफ निजी नलकूप के कनेक्शन को बन्द करने का जी0 ओ0, तीसरी बात दस हार्स पावर को बन्द करना, तो इसमें से मंत्री जी यह बता दें कि कौन सी बात सही है।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, गांव में किसानों को सूखे की वजह से बिजली ज्यादा देने को हमने कहा कि ज्यादा से ज्यादा बिजली किसानों को दी जाए । खेती की पैदावार घटने न पाये। इसलिए हमने कहा कि गांव में बिजली 10 घंटे दी जाए और यह भी कहा कि थोड़े दिन के लिए कनेक्शन न दिये जाए, लेकिन अब कनेक्शन दिये जा रहे हैं । 25 हार्स पावर के कनेक्शन जिलाधिकारी दे रहे हैं, उनको यह कनेक्शन देने के आदेश दे दिए गए हैं । 100 हार्स पावर के कनेक्शन की एक कमेटी गठित की है वह दे रही है, तो जो किसानों की बिजली है वह नहीं काटी गई है ।

श्री बाबूराम यादव--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं.... ।

श्री उपाध्यक्ष--

बजट तो अभी आ रहा है तभी आप पूछ लीजिएगा ।

श्री बाबूराम यादव--

मान्यवर, आपने इजाजत दे दी है तो पूछ लेने दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

अच्छा पूछिए ।

श्री बाबूराम यादव--

मान्यवर, अभी मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे, तो बड़ी प्रशंसा उनकी हो रही थी । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात जानना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं, तो क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि 24 घंटे किस कारखाने को बिजली दी गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह कोई स्पष्टीकरण नहीं है हमने पावर कट नहीं किया है जबकि हरियाणा में पावर कट बहुत ज्यादा है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग सब बैठें ।

(शोर)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है इस बजट से यह मालूम हुआ, लेकिन नवम्बर से उत्तर प्रदेश सरकार ने सी0 सी0 एल0 और पी0 एल0 ए0 पर रोक लगा दी है, जबकि कर्मचारी अपनी लड़की की शादी या और किसी मजबूरी में इससे पैसा निकाल लेता था ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरी निजी जानकारी के अनुसार वर्तमान स्थिति में सरकार अर्थोपाय (बेजेस मीन्स) की स्थिति में है इसका विकास हो चुका हो ऐसे आदेश करना कहां तक उचित है। (व्यवधान) क्या मुख्य मंत्री जी सी0 सी0 एल0 और पी0 एल0 ए0 पर से रोक हटाने का कष्ट करेंगे।

(व्यवधान)

श्री वीर बहादुर सिंह--

हर चीज के बारे में आप कहते हैं, कि मिसयूज होता है इसलिए बजट पर नियंत्रण भी जरूरी होता है। वित्तीय नियंत्रण भी आवश्यक होता है उसके अनुसार जो भी कार्यवाही उचित होती है की जा रही है।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, अभी मुख्य मंत्री जी बहुत तारीफ कर रहे थे और इतनी तारीफ कर गये कि हम लोगों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना पड़ गया। पहली बार ऐसा लगा है कि नेता सदन अपनी परफारमेन्स को अच्छा बता रहे हैं। मान्यवर, उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि अपनी मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिये।

बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल,
रहिमन हीरा ना कहे, लाख टका मेरा मोल।

जो सच्चाई है वह जनता को कहने दीजिए। अपनी प्रशंसा अपने मुंह से न करें।

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने जो कहा है, बड़ायी नहीं की गयी है, जो बजट में दिया गया है वह बातें बतायी गयी हैं, स्थिति बतायी गयी है।

श्री मूल चन्द्र--

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गरीबी मिटाने के लिये आई0 आर0 डी0 स्कीम के अन्तर्गत गरीबों को लोन दिये जाते हैं। आपने व्यवस्था की है कि पंजीकृत दूकानों के लिए बैंक चेक देते हैं। लोगों ने दूकानें तो पंजीकृत करा रखी हैं लेकिन दूकानों का कहीं पता नहीं है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

पम्पसेट खरीदने के लिये किसान को बिल्कुल छूट है वह चाहे जहां से खरीद सकते हैं।

श्री मूल चन्द्र--

मैं पम्पिंग सेट की बात नहीं कह रहा हूं। आई0 आर0 डी0 स्कीम में लोन दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--

जब ग्राम्य विकास विभाग का बजट आये तो पूछ लीजियेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मूल चन्द्र--

लोगों ने दूकानों का रजिस्ट्रशन कराया है लेकिन दुकानें नहीं हैं। बैंक उन्हीं दुकानों के नाम चेक काटते हैं। क्या आप इसकी जांच कराकर जिनके पास दुकानें नहीं हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जहां से शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसकी जाँच करायी गयी हैं और जो दोषी पाया गया है उसको सजा दी गयी है। आप कहीं के बारे में शिकायत देंगे तो उसकी जांच करायी जायगी और सजा दिलायी जायगी।

*श्री सुखपाल पांडे--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि अगर मेरी बात पर विश्वास न हो तो मुख्य मन्त्री जी कर्नल केशरी सिंह, अफसर अहमद और माननीय रामजियावन जी उनके पीछे बैठे हैं पूछ लें। बस्ती जिले में 77 से 80 तक के बीच सैकड़ों गांवों का विद्युतीकरण हुआ, खम्भे गड़ गये, तार खिंच गया लेकिन अभी तक उन गांवों में कनेक्शन नहीं दिया गया। इसको कार्यान्वित कराने की कृपा करेंगे।

* श्री प्रमोद कुमार (ऊर्जा राज्य मंत्री)--

माननीय सदस्य ने जैसा स्वीकार किया है, 77 से 80 के बीच बहुत फर्जी विद्युतीकरण हुआ है, उस समय आपकी सरकार थी। जो फर्जी काम उस समय हुए हैं उनको हम सही करा देंगे।

(नेता विरोधी दल को पुकारे जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसा है कि अन्तिम भाषण माननीय मुख्य मंत्री का हो गया है, अब भाषण आप नहीं करेंगे, स्पष्टीकरण ही केवल पूछेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री सत्य पाल सिंह)--

माननीय मुख्य मंत्री जी तालियों की थपथपाहट के बीच हवाई उड़ाने में बहुत माहिर हैं। मुझे अफसोस है कि मुख्य मंत्री जी एक जिम्मेदारी के पद पर होने के बावजूद 24 घंटे बिजली देने की बात कही, जोकि सदन की प्रोसीडिंग का अंग बन चुकी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री जी 24 घंटे बिजली प्रदेश को आप दे रहे हैं, जबकि 10 और 12 घंटे के आदेश आप कर रखे हैं? आपने बड़ी वाहवाही लूटने का प्रयास किया है कि भीषण सूखे के बावजूद बजट में कोई कटौती नहीं की है और सूखे का मुकाबिला किया है जबकि वर्ष 1977-78 के बजट में 2600 अरब का आयोजनागत खर्च था, जिसमें 4 अरब की कटौती करके 22 अरब पर ला दिया और यह पूरी कटौती 16 परसेंट होती है और वह कटौती भी आपने सिंचाई, ग्राम्य विकास और खेती की मदों में से की है जो 22 परसेंट होती है।

मैंने यह पूछा था कि वर्ष 1977-78 के बजट में 400 करोड़ की कटौती की है, जिसके परिणाम स्वरूप सातवीं पंचवर्षीय योजना के तृतीय वर्ष में 55 फीसदी खर्चा होता रहा है, जबकि अर्थ शास्त्रियों का मत है कि अगर वर्ष 1988-89 का बजट

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आयोजनागत नहीं होगा, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है । हमें खेद है कि मुख्य मंत्री जी ने नहीं बताया कि उस सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को कैसे पूरा करेंगे, जबकि वर्ष 1988-89 का आयोजनागत बजट 30 अरब के बजाय 25 अरब ही रखा है । मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि नेता विरोधी दल का यह जानकारी नहीं है कि इस वर्ष हमने मध्य प्रदेश से ज्यादा केन्द्र से आर्थिक इमदाद ली है ।

मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैंने इस वर्ष की आर्थिक इमदाद के विषय में नहीं कहा था, बल्कि मैंने चौधरी चरण सिंह के शब्दों को दोहराया था । चौधरी साहब का कहना था कि कुछ लोगों की मान्यता है कि प्रदेश में पिछड़ेपन का कारण बढ़ती हुई आबादी है, जबकि मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां क्षेत्रफल के मुकाबिले आबादी ज्यादा है, परन्तु फिर भी वहां गरीबी है । चौधरी साहब ने यह कहा था कि कुछ लोगों की यह मान्यता है कि उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय मदद कम मिल पा रही है, इसलिए गरीबी है मैंने जो आंकड़े दिये हैं, वह वर्तमान वित्तीय वर्ष के नहीं दिये हैं, बल्कि पिछले वर्ष के दिये हैं, जिनमें मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश के मुकाबिले केन्द्रीय सरकार ने अधिक आर्थिक सहायता दी है, परन्तु फिर भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से विकास की दृष्टि पीछे है ।

चौधरी साहब ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन का कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है । उन्होंने यह भी कहा था कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां कि प्राइमरी शिक्षा अच्छी हो और फिर भी वह मुल्क गरीब हो तथा ऐसा भी कोई मुल्क नहीं है, जहां प्राइमरी शिक्षा खराब हो और फिर वह मुल्क धनी हो । आप जो प्राइमरी शिक्षा पर धन लगाने की बात कहते हैं मैंने 2 परसेंट खर्चे की जो बात कही है, वह पूरी पंचवर्षीय योजना की कही है, न कि इस वर्ष की । आपने जो खर्च किया है, वह आयोजनागत और आयोजनेत्तर मदों में दिया है । हमारा मतलब खर्च से उतना नहीं है, जितना कि परिणाम से है । परिणाम यह बताते हैं कि जनता पार्टी के जमाने में प्राइमरी और मिडिल स्कूल हजारों की संख्या में खुले, जबकि आपके जमाने में यह सैकड़ों में रहे हैं ।

उदाहरण के लिए वर्ष 1977-78 में 3,162 प्राइमरी स्कूल और 612 मिडिल स्कूल और 1978-79 में 2,170 प्राइमरी स्कूल और 1,020 मिडिल स्कूल तथा अनेकों विद्यालयों को उच्चीकृत किया गया तथा दो पाली व्यवस्थाएं चलाई, जबकि मुख्य मंत्री जी आपके जमाने में वर्ष 1987-88 में 207 प्राइमरी स्कूल खोले गये और 1988-89 में 199 प्राइमरी स्कूल खोले गये और 70 मिडिल स्कूल खोले गये । इसके अलावा न तो आपने ग्रान्ट इन एड दिया, न दो पाली व्यवस्था कराई और न ही किसी विद्यालय को उच्चीकृत किया, यह है आपका शिक्षा विकास, जिसके लिए आप वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं और यही क्रम पी0 डब्लू0 डी0 के विषय में रहा और प्रौढ़ शिक्षा तथा सिंचाई के विषय में रहा । मान्यवर मैं पूछना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष--

आप तो भाषण करने लगे, स्पष्टीकरण पूछिये ।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वर्ष 1988-89 के अन्दर सारे उत्तर प्रदेश के अन्दर 199 प्राइमरी स्कूल तथा 70 सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल खोले गये हैं इसके अलावा न तो आपने किसी को ग्रान्ट-इन-एड दी है और न किसी विद्यालय

को उच्चीकृत किया है जबकि प्रदेश में 450 विद्यालय ग्रान्ट-इन-एड के लिए काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। इस तरह से शिक्षा जगत में कोई प्रगति नहीं हुई है। 5000 विद्यालय आज उत्तर प्रदेश में आकाश के नीचे लगते हैं।

आयोजनागत और आयोजनेत्तर दोनों में चाहे आप कितना खर्चा दिखा दीजिए लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि आज उत्तर प्रदेश के अन्दर शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी बढ़ोत्तरी नहीं की गई है न प्राइमरी स्कूल खुलवा रहे हैं और न माध्यमिक स्कूल खुलवा रहे हैं। कोई स्कूल नहीं खुल रहा है और आप नये भवन बनवा रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप सड़कों को देख लीजिए जैसा कि सड़कों के बारे में कहने लगे कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जितनी बढ़िया सड़के हैं उतनी किसी प्रदेश की नहीं हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जरा देखिये अपनी सड़कों के बारे में वर्ष 1986-87 में वे 4664 कि0 मी0 थी और वर्ष 1987-88 में 3108 कि0 मी0 प्रस्तावित किया गया है इसी तरह से खड़न्जा स्तर से ऊपर निर्माण वर्ष 1986-87 में 1224 और 1987-88 में घटाकर 538 कर दिया। इस तरह से मान्यवर, हर बार सड़क निर्माण का काम कम कर दिया। मान्यवर, प्राइमरी शिक्षा इनको बढ़ना चाहिए चौधरी साहब का कहना था कि कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां प्राइमरी शिक्षा अच्छी हो और देश गरीब हो और ऐसा भी कोई मुल्क नहीं है जहां प्राइमरी शिक्षा खराब हो और वह देश उन्नतशील हो। आपने जो बजट बनाये हैं उस बजट के सम्बन्ध में जो भी सुझाव हमारे दिमाग में आये हमने आपके सामने रखे।

मान्यवर, आपकी उपलब्धि क्या है? आपकी उपलब्धि यह है कि यह पहला जमाना है जब इतने कम समय में बजट पास हो रहा है। इसमें वर्ष 1977 में 21 दिन, 1978 में 20 दिन लगे, 1979 में 20 दिन लगे, 1980 में 24 दिन लगे, 1981 में 23 दिन, 1982 में 21 दिन, 1983 में 21 दिन, 1984 में 19 दिन, 1985 में 23 दिन, 1986 में 22 दिन, 1987 में 12 दिन और आज आप करा रहे हैं 15 दिन में, आपकी उपलब्धि यह है। आपके कार्यकाल में ही विधान सभा सबसे कम दिन चली है 1977 में देख लीजिए 45 दिन चली है, 1978 में 57 दिन चली है, 1979 में 48 दिन चली है, 1980 में 48 दिन, 1981 में 43 दिन, 1982 में 50 दिन, 1983 में 48 दिन, 1984 में 45 दिन, 1985 में 41 दिन, 1986 में 46 दिन चली है।

(श्री नेक चन्द्र पाण्डेय के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठे।

श्री सत्य पाल सिंह--

आपके जमाने में सबसे बड़ी किसानों की हड़ताल हुई, आपके जमाने में शिक्षकों की हड़ताल हुई, आपके जमाने में कर्मचारियों की सबसे बड़ी हड़ताल हुई। यह आपका जमाना है जिसमें हिन्दू और मुसलमान के सम्प्रदायिकता का बीज आपके जमाने में बोया गया है इससे पहले कभी नहीं बोया गया। मैं आपसे पूंछना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल के अन्दर...

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह हर चीज का जवाब देंगे तो मुझे मौका दीजिए मैं भी इसका जवाब दे दूंगा। जब आप भाषण दे रहे थे

(व्यवधान)

इसका जवाब बड़ा लम्बा हो जायेगा।

श्री सत्यपाल सिंह--

आपके जमाने में हिन्दू मुस्लिम बाबरी मस्जिद का झगड़ा पैदा हुआ ।

(व्यवधान)

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने इस विधान सभा के अन्दर जो कर्मचारी हैं इस विधान सभा के...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

श्री सत्य पाल सिंह--

इन्होंने सारी बात कह दी मुझे आप मौका नहीं दे रहे हैं । 5 मिनट आप बोलें नहीं, 5 मिनट मेरी बात सुन लें । इन्होंने मान्यवर, कहा कि...

श्री वीर बहादुर सिंह--

आप हमको एक घंटे का समय दीजिये, हर एक बात का जवाब देने के लिये ।

श्री सत्य पाल सिंह--

हमको अपनी पूरी बात कहने के लिये 4 घंटे का समय चाहिये । जितना समय हम ले रहे हैं, उतना ही समय आप भी ले लीजिये । आपके समय में जितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई, धार्मिक दुर्घटनाएं हुई, उनके लिये आप प्रायश्चित कीजिये । आप इसके आंकड़े भी सुन लीजिये ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

आंकड़े आपने पिछली बार सुना दिये ।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह--

आप सूखे का सहारा लेकर यह कहना चाहते हैं कि आपका बजट अच्छा है, लेकिन आपका बजट उपलब्धि विहीन है । मान्यवर, आपने इसी सदन में कहा कि संसदीय कार्य मंत्री को मैं निर्देश देता हूं कि यह पक्षपात और भेदभाव नहीं होना चाहिये । सचिवालय के कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट है, उसी के अनुसार विधान सभा सचिवालय को भी सुविधा मिलनी चाहिये । रामआसरे वर्मा जी के प्रश्न पर आपने यह निर्देश दिये थे, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि "मान्यवर, आपका आज्ञा शिरोधार्य है ।" विधान सभा सचिवालय के जो कर्मचारी हैं, इनके वेतन में जो विषमता है, इसको आपके निर्देश के बावजूद आज तक दूर नहीं किया गया । आपको कहना है कि आप तो टैक्स बिल ला रहे हैं । आप साफ यहां पर कहें कि आप वर्ष 1988-89 में अब अलग से कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन आपका मन साफ नहीं है । आप बाद में टैक्स लगाएंगे । इन्होंने बजट के घाटे को पूरा करने के लिये दो बातें कहीं । एक तो आपने कहा कि मितव्ययिता बरतेंगे, दूसरे आपने कहा कि राजस्व की वसूली करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल, आप यह समझिये कि जब आप ही नियम का पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा । आपको नियमों का पालन करना चाहिये ।

श्री सत्यपाल सिंह--

(व्यवधान)

मेरा आपसे कहना है कि मंत्रियों के लिये आप दोहरा फायदा पहुंचाने की भावना समाप्त कीजिये, जो 23 भूतपूर्व मंत्री हैं, जिन पर 20 लाख रुपया बकाया है, उनसे शुरुआत कीजिये, वसूली की। मंत्रियों पर जो कर्ज बकाया है इनसे वसूली करावें। तब हम समझेंगे कि आप वास्तव में वसूली कराना चाहते हैं। जहां तक मितव्ययिता की बात है, पहले आप स्वयं मितव्ययिता बरतें और तीन-तीन मकान के बजाय हो-ची-मिन्ह की तरह केवल एक मकान में रहें।

श्री वीर बहादुर सिंह--

कहां हैं, तीन मकान, मेरे पास 3 मकान नहीं हैं।

श्री सत्यपाल सिंह--

मैं व्यक्तिगत बात नहीं कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल, आप मुझे सम्बोधित कीजिये, उधर मत देखिये, आप को क्या हो गया है ?

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह--

मितव्ययिता पहले मुख्य मन्त्री करें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी को जो हो गया है, वह इनको हो गया है।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, बड़ा भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। मान्यवर, कम से कम मुख्य मन्त्री जी और उनके मंत्रिमण्डल के सदस्यों को चाहिये कि वे तो भ्रष्टाचार को संरक्षण न दें। सिंचाई विभाग का एक इंजीनियर है सुरेश चन्द्र गिरी, मुजफ्फरनगर में, उसके खिलाफ तमाम आरोप हैं। मैंने शिकायत की है, उसकी जांच तक नहीं हुई। उसके खिलाफ कोई कार्यवाही एक नहीं की गयी, न ही उसे वहां से हटाया गया। वह आरोप यह लगा रहा है कि आपका संरक्षण प्राप्त है। कितनी गम्भीर बात है। इसके बाद में यह भी बताना चाहता हूं कि कल स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्ध में एक मामला उठा, श्री एस0 एन0 सिंह, यह फार्मेसिस्ट हैं सदर अस्पताल आजमगढ़ में, इन्होंने दवाओं में काफी घपला किया। इनकी शिकायत जिले के लगभग सभी विधायकों ने एक स्वर में की, लिखित रूप में कई बार दिया गया, उसकी जांच सी0 एम0 ओ0 ने की, उसका स्टाक कम पाया गया, डी0 एम0 ने उसकी शिकायत की, लेकिन हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उसे अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। कल जब सदन में यह मामला उठा, गम्भीरता से उसे माननीय सदस्यों ने उठाया, तो बजाय उस फार्मेसिस्ट के हटाने के, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री ने उल्टा जवाब यह दिया कि जब आप इधर आ जायेंगे, तब आप

उसे हटा देना । जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको आप संरक्षण प्रदान करा रहे हैं ।

हम कोई बात कहते हैं, तो आरोप लगाते हैं, लेकिन सच्चाई में जायेंगे नहीं । इसके अलावा बहुत से बन्दी आपकी जेलों में बन्द हैं, आपने पैरोल कतई बन्द रखा है । बहुत से बन्दी उनमें ऐसे हैं, जिनकी उम्र 70 साल से लेकर 80 साल, 90 साल और 100 साल की है और जो 20 से 30 साल तक की सजा भी काट चुके हैं, आपकी मितव्ययिता हो, खर्चा कम हो, कम से कम ऐसे मुल्जिमों को तो जो अब और कोई जुल्म करने लायक नहीं हैं, उस कानून के तहत, दफा 433 में जो बात है, मेरा कहना यह है कि उन्हें प्रोबेशन मिलना चाहिये । उनको प्रोबेशन दिलाइये । पैरोल की बात इसलिये कह रहा हूं, ताकि उन बन्दियों के परिवार तबाह न किये जायं । आप मितव्ययिता बरतिये, आप स्वयं पहले इसे बरतिये, अपने मंत्रिपरिषद् के सदस्यों से मितव्ययिता कराइये, फिर उच्च अधिकारियों से इसे कराइये, उसके बाद ही जनता पर उसका असर पड़ेगा ।

यह जो उपलब्धि विहीन, दिशाहीन बजट रखा है, आप इसे अपनी संख्या के आधार पर मेजों की थपथपाहट के बीच पास करा लेंगे, लेकिन इससे गरीब और पहले से ही पीड़ित जनता का कोई भला होने वाला नहीं है ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो बहुत सी बातें अभी कहीं, यह तो उन्हें पहले दिन बोलना चाहिये था, उस समय उनको पूरा मौका था, 1-2 घंटे उस समय और ज्यादा बोल लेते, कहां कोई मना कर रहा था उसका जवाब भी सारी तैयारी करके दिया जाता । जो बजट है, जो पिछले वर्ष का था, कहा गया कि कम कर दिया गया, 2,530 करोड़ रु0 का था ।

श्री सत्यपाल सिंह--

मैंने यह नहीं कहा था, 2,630 करोड़ रु0 कहा था ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

जो 2630 करोड़ रु0 का था, उसमें 255 करोड़ रु0 आनपारा बी0 विद्युत् परियोजना के लिये इसमें रखा गया था । जापान से हमें समझौता करना था, भारत सरकार के जरिये । यह समझौता न होने से वह पैसा नहीं मिला । 255 करोड़ रुपया तो वैसे ही कम हो गया, जब तक समझौता जापान से नहीं होता, पैसा नहीं मिला । जो सम्भावना थी, वह समझौता नहीं हो पाया । अब आप सुनिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपस में बात न करें ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

255 करोड़ रु0 का आनपारा विद्युत् परियोजना के लिये, जो जापान से हमें पैसा मिलने वाला था, वह नहीं हो पाया । इससे 255 करोड़ रु0 कम हो गया । सूखा पड़ने के कारण काफी पैसा लगभग 200 करोड़ रु0 कई मदों पर खर्च हुआ । अब यह तो कोई नहीं जानता था कि सूखा पड़ेगा । यह भी खर्चा बाहर से मिलने

वाला नहीं था। अब जब सूखा पड़ा तब काम नहीं करेंगे जनता को राहत नहीं पहुंचायेंगे, तो कैसे काम बनेगा। पीने के पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, नहरों की सफाई की समस्या, यह तमाम समस्याओं को देखना था, 200 करोड़ रु० इस पर खर्च हुआ। अब इस चीज को कौन रोक सकता है। सूखे के कारण समस्या आ गयी उससे निपटना था। आपको तो यह कहना चाहिये था कि सबसे प्राथमिकता के साथ यह कार्य को करना चाहिये था।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

ऐसे संकट में जो हमने पैसा खर्च किया और जो भारत सरकार से सहायता मिली, उसको मिलाकर अगर देखा जाये तो 62 करोड़ रुपया और हमारा खर्च हुआ। मान्यवर, हमारा यह प्रयास है कि हम 2,312 करोड़ रुपये का इस साल का प्लान फिक्स करें। हमको आनवारा "बी" का जो पैसा मिलने वाला था, वह जापान से समझौता न हो पाने के कारण नहीं मिल पाया, इसके अलावा सूखे पर भी हमारा काफी पैसा खर्च हुआ। हम तो यह कहते हैं कि सरकार ने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता था।

मान्यवर, इन्होंने एक बात और कही, कि जो प्लान का परिव्यय 3 साल में 60 प्रतिशत हो जाना चाहिये था, इसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि शुरुआत में पैसा कम खर्च होता है। वर्ष 1985-86 में जो हमारा प्लान का परिव्यय हुआ वह पहले वर्ष में 1902·33 करोड़ रुपये, उसके बाद दूसरे वर्ष में 2142·66 करोड़ रुपये और उसके बाद तीसरे वर्ष में 2312·2 करोड़ रुपये का था। इस प्रकार हम देखें तो यह आगे बढ़ता ही जाता है। योजना का यह एक तरीका है। इस प्रकार 57 प्रतिशत पैसा खर्च हो चुका है। मुझे लगता है कि शायद इन्होंने बजट को ठीक से पढ़ा नहीं था। मान्यवर, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं जैसा कि नेता विरोधी दल बोल रहे थे, जो उन्हें नहीं बोलना चाहिये उन्होंने साम्प्रदायिकता पर बोल दिया और यह भी कहा कि इनकी सरकार हिन्दू-मुस्लिम दंगे करवा रही है और उनको अलग करने का प्रयास कर रही है।

मान्यवर, इनको मालूम होना चाहिये कि जब इनकी सरकार थी, तब अलीगढ़ लगातार काफी दिनों तक जलता रहा था, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिये कि हम उनमें झगड़ा करवा रहे हैं। कुछ ऐसे तत्व समाज में हैं जो समाज को कमजोर करना चाहते हैं और इस तरह की बातें पैदा करके एक दूसरे को अलग करना चाहते हैं: हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्वों से सावधान रहें और भाई चारे की स्थिति को बनाये रखें। तभी हम इस देश को मिल-जुलकर चला सकते हैं। केवल किसी के ऊपर आक्षेप लगा के या एलीगेशन लगा कर कोई फायदा नहीं होगा। जो भी हमने बजट में रखा है, उससे इस प्रदेश के जो गरीब किसान हैं, मजदूर हैं, हरिजन हैं, माइनरिटी के लोग हैं, उनको इससे फायदा होगा। हमें पूरा विश्वास है कि इससे इन तबके के लोगों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।

श्री राम शरण दास--

मान्यवर, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि "यूं तो हमने बहुत से मुख्य मन्त्री देखे हैं, पर तुमसा नहीं देखा"।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं, श्री राम शरण दास जी के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं "यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, पर तुमसा नहीं देखा"।

श्री राम शरण दास--

"इस प्रदेश को रख दो मेरे बच्चों उजाड़ के"।

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर मतदान

अनुदान संख्या 32--चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) अनुदान संख्या 33--चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) अनुदान संख्या 34--चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) अनुदान संख्या 35--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) अनुदान संख्या 36-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) अनुदान संख्या 37--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32--चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,48,06,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33--चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 20,48,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34--चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 6,11,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 70,61,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 94,29,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 71,87,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं स्वास्थ्य विभाग का 1988-89 के परिव्यय को इस आदरणीय सदन के सम्मुख स्वीकृत हेतु रख रहा हूं । 1981 की जनगणना के बाद, आज के दिन तक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 12 करोड़ 75 लाख हो गई है । लगभग पौने दो करोड़ जनसंख्या बढ़ी है । जब भी जनसंख्या बढ़ेगी तो व्यय अतिरिक्त आयेगा । चिकित्सा के लिये आवश्यकता है चिकित्सकों की और चिकित्सकों के लिये आवश्यकता है विद्यालयों की और विद्यालय सुचारू रूप से चले । तो, यह क्रम हमारे प्राइमरी शिक्षा से लेकर एम0 बी0 बी0 एस0 तक है । माननीय मुख्य मन्त्री जी अपने भाषण में कह रहे थे कि 5 वर्षों में हमारे जितने प्राइमरी विद्यालय हैं उन सबके लिये भवन उपलब्ध करा दिये जायेंगे । शासन की यह नीति है कि नये विद्यालय खुलें भवनों के साथ । सम्भवतः नेता विरोधी दल ने कहा कि 1988-89 में आपने 292 के करीब विद्यालय स्थापित किये हैं । जब आप यह निर्णय लेंगे कि विद्यालय खुलेगा भवन के साथ खुलेगा तो आप किसी भी वर्ष 1 हजार विद्यालय नहीं स्थापित कर सकते हैं । जब आपके पास 20 हजार प्राइमरी विद्यालय हैं, जिनके भवन निर्माण कराना है ।

यही क्रम मेरे साथ है । 1951 से 1981 के बीच में उत्तर प्रदेश में 905 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे । एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना जब हुई, मानक 75 हजार था, 1981 में एक लाख सवा लाख की जनसंख्या हो गयी । आज सवा लाख से डेढ़ लाख के बीच की जनसंख्या हो गयी । एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इतनी बड़ी चिकित्सा सुविधा दे, सम्भव नहीं रहा । आपने खण्डित किया और कहा कि 30 हजार की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देंगे, बड़े पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के क्षेत्र में 3 से 4 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होंगे ? पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को, जो 1651 से स्थापित हुए, प्रथम योजना में, द्वितीय योजना में और तृतीय योजना में, इसके बाद तो ये पूरे ही हो गये थे, उनको शुरू में 8 हजार और बाद में 10 हजार रुपया वार्षिक की दवा देते हैं । हमारे सामने स्वास्थ्य मन्त्री जी बैठे हैं, जब वह स्वास्थ्य मन्त्री थे, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जो एक लाख की सेवा कर रहा था, उसे 10 हजार रुपये की दवा दी जाती रही । जब उसे खण्डित किया तो पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 13,800 रुपये की दवा और जो 3-4 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये वहां पर 10 हजार रुपये की दवा कर दी अर्थात् एक लाख, सवा लाख या डेढ़ लाख की जनसंख्या में जहां पहले 13 हजार रु0 मात्र की दवा दी जाती थी, अब 43 हजार रु0 की दवा दी जायेगी अर्थात् दवा की उपलब्धता बढ़ाई गयी ।

(व्यवधान होने पर)

अब कोई बैठे ही सबको बेईमान मान लेता है, तो क्या करें, सावन के अन्धे को हरा ही हरा दिखता है ।

उसका द्वितीय चरण ग्रामीण स्वास्थ्य है, इसके लिये उपकेन्द्र हैं । पहले एक न्याय पंचायत पर एक केन्द्र होता था अर्थात् 10 हजार की जनसंख्या पर एक उपकेन्द्र होता था, 8 हजार की जनसंख्या पर एक उपकेन्द्र होता था । बाद में यह लगा कि इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पायेगी, अतएव मैदानी क्षेत्रों में 5 हजार की जनसंख्या पर एक केन्द्र की स्थापना प्रारम्भ हुई और पर्वतीय क्षेत्र में 3 हजार की जनसंख्या पर । हमारे कुछ मित्र यह कह रहे थे कि पर्वतीय क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्रों में जनसंख्या को मानक नहीं

मानना चाहिये, दूरी को मानक मानना चाहिये । यह प्रश्न अभी हेल्थ काउन्सिल की बैठक में फरवरी में रखा गया था । भारत के हर प्रदेश के स्वास्थ्य मन्त्री वहां पर थे । हेल्थ काउन्सिल ने इस बात पर सहमति दी थी कि दुर्गम क्षेत्रों में जनसंख्या के साथ-साथ दूरी भी मानक मानी जाये ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना जब आयेगी तो उसमें यह मानक हम स्वीकार करेंगे ।

उत्तर प्रदेश में आज लगभग 21 हजार उपकेन्द्र हैं, उनकी भी वही परिस्थिति है जो कि प्राइमरी विद्यालयों की है । प्राइमरी विद्यालय स्थापित हो गये, भवन नहीं उपलब्ध हुए । अब आप भवन बना रहे हैं । 21 हजार उप केन्द्र उत्तर प्रदेश में स्थापित हो गये किराये के मकानों में और साढ़े चार हजार उप केन्द्र निजी भवन में हैं । प्रति वर्ष उपकेन्द्रों के भवन बनाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है । वर्ष 1988-89 के बजट में लगभग 679 उप केन्द्रों के भवन बनाने का लक्ष्य रखा गया है ।

भारतवर्ष एक देश है जिसके कि हम एक अंग हैं, हम उसकी प्रतिबद्धिता से बंधे हुए हैं । वर्ष 1978-79 में तथा उसके पूर्व नगरीय और ग्रामीण सेवा में बहुत अन्तर था । स्वास्थ्य विभाग के परिव्यय का 80 प्रतिशत धन नगरीय सेवा में लगता था जबकि स्वास्थ्य विभाग के परिव्यय का 20 प्रतिशत धन ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में लगा था । जबकि जनसंख्या के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 80 प्रतिशत थी और नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 20 प्रतिशत थी । अब इसमें परिवर्तन हुआ है और अब निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रति शैय्या 4,250 रु0 दवाई और अस्पताल पर व्यय रखा जाय और नगरीय क्षेत्र में केवल 5,000 रु0 का परिव्यय रखा जाय ।

इसी प्रकार से एक्सरे प्लेट पर प्रति शैय्या 250 रु0 ड्रेसिंग-बैण्डेज पर प्रति शैय्या 500 रु0 कर दिया गया है जो कि पहले केवल 350 रु0 प्रति शैय्या पर व्यय होता था । प्रकीर्ण के लिये 500 रु0 प्रति शैय्या व्यय रखा गया है । यह पहले नहीं था । पहले एक प्रकार से लस-सस व्यवस्था थी जिसमें परेशानी होती थी कि अस्पताल में दवा और बैण्डेज कम हो गई तो लोगों को खरीद कर लानी पड़ती थी जिसकी फिर शिकायत होती थी । अब उसे इस प्रकार से प्रति शैय्या के हिसाब से सम्बद्ध कर दिया गया है और इस वर्ष से यह कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ।

हमारे यहां शिशु-मृत्यु-दर नगरीय क्षेत्र में 70 शिशु पर है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 136 पर है । अगर हम दोनों को मिला लें...

(व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करता हूं कि जरा आप सदन को व्यवस्थित करें । मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने दल के लोगों को जरा व्यवस्थित करें ताकि आपकी बात को हम लोग सुन सकें ।

श्री उपाध्यक्ष--

कुछ लोग बाहर निकल रहे थे, व्यवस्था तो बनी हुई है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

लक्ष्य यह है, इसको हम घटा करके औसत पर लाने का प्रयास कर रहे हैं ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र का प्रतिशत मिला कर जो कि अब 125 पर है और इसे हम

90 तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस आठवीं पंच वर्षीय योजना में, इसके प्रारम्भ होन तक इस मृत्यु दर को घटा कर हम 957 प्रतिशत पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार श्रीमन्, महिला मृत्यु दर उत्तर प्रदेश में मात्र 1976–77 में 50 प्रति हजार थी, आज यह दर 30 और 40 प्रति हजार के बीच है। प्रयास श्रीमन्, हमारा 1990 तक यह है कि यह दर 20 प्रति हजार तक घटाकर लाया जाय। ग्रामीण चिकित्सा के अन्तर्गत पंचवर्षीय योजना के अंत तक जितने हमारे प्रा0 स्वा0 केन्द्र हैं, उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ किया जाये। इसी प्रकार से बाल रोग विशेषज्ञ, दंत विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ और शल्य चिकित्सक लिये जायें। इस प्रकार से लगभग 8 चिकित्सक एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आयेंगे और अब तक जो परिव्यय इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर हो रहा था वह 20 हजार, जिसे बढ़ाकर अब 50 हजार प्रति वर्ष किया जा रहा है, जहां 42 शय्याएं होंगी, 12 पुरुषों के लिए, 12 महिलाओं के लिए और 6 बच्चों के लिए। इसी प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे प्रदेश में आज 26 हजार के करीब हैं, उन्हें यह सुविधा थी कि वह जिस चिकित्सालय में चाहें अपना इलाज कराएं, लेकिन एक बंदिश थी कि उनका तीन महीने के बाद चिकित्सालय से हट जाना पड़ता था, परंतु अब जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 70 वर्ष की आयु के हैं और 65 वर्ष की महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए यह बंदिश समाप्त कर दी गई है कि वे जब तक पूर्ण रूप से निरोग न हो जायें तब तक अपना इलाज वहां रहकर ही करा सकते हैं।

नगरीय चिकित्सालयों में यह मांग आयी थी कि आपने जो फीस बढ़ायी है हमारे माननीय नेता विरोधी दल चले गये, उन्होंने भी इस सम्बन्ध में कहा था और डाक्टर विनेश जौहरी साहब ने भी इस बात को पिछले बजट सत्र में कि 5 हजार रु0 तक वार्षिक आय जिस व्यक्ति की होगी, उन्हें शहर के किसी भी चिकित्सालय में, मेडिकल कालेजेज में निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध होगी। इसमें ऐसे रोगी को स्वयं एक प्रोफार्मा भरना होगा, किसी तहसीलदार या अन्य अधिकारी से प्रमाण–पत्र हासिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस वर्ष जिनकी वार्षिक आय 5 हजार रु0 होगी, उन्हीं लोगों को गरीबी–रेखा से नीचे माना गया है। इसी आधार पर हमने भी यह मान लिया है और इसी के अनुसार यह सुविधा प्राप्त हो सकेगी नगरीय चिकित्सालयों में लेकिन जो पहले से पुरानी व्यवस्थानुसार टिकट लगता था, वह अवश्य देना पड़ेगा, दूसरे आउट डोर पेशेंट के लिए ....

(व्यवधान मेजों की थपथपाहट के कारण)

एक सदस्य––

तबला उधर के लोग अच्छा बजा लेते हैं।

(हंसी)

श्री लोकपति त्रिपाठी––

यह बजायेंगे नहीं तो हम गायेंगे कैसे।

(जोरदार हंसी)

जो आउट डोर के टिकट मिलते थे वह एक महीने के लिये अनुमन्य होते थे, अब आउट डोर की पर्चियां 2 महीने के लिये अनुमन्य होंगी।

मान्यवर, सी0पी0एम0टी0 परीक्षा के बारे में विशेष कर इधर बैठने वाले डाक्टर कौशल और उधर बैठने वाले डाक्टर जौहरी ने मांग की थी कि जो कुन्जी की व्यवस्था थी उसको लागू किया जाये, तो वह कुन्जी की व्यवस्था लागू कर दी गई है। साथ ही साथ अभी तक उत्तर प्रदेश में बान्ड भराने का 5 हजार था। जो हमारे सी0पी0एम0टी0 के चयनित छात्र उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेजेज में शिक्षा प्राप्त करेंगे, उन्हें उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष की सेवा करनी आवश्यक होगी, अन्यथा उन्हें 50 हजार रुपया देना पड़ेगा और इसी के साथ-साथ जब यह व्यवस्था की जा रही है कि एम0बी0बी0एस0 के बाद इन्टर्नशिप करते हैं तो उन्हें रेगुलर चिकित्सालय में रहना होगा, उसको 6 महीने का इन्टर्नशिप पी0एच0सी0 में करना होगा और वह 5 साल पी0एच0सी0 में कार्य करेगा, उसके बाद उनको अधिकार रहेगा कि वह पी0जी0 कर सके।

श्री बाबूराम यादव--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी पीठ दिखा रहे हैं।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, कभी-कभी आंख लड़ जाती है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

इन्हीं पर आंख गड़ रही है।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन् मथुरा जो है भगवान कृष्ण की लीला भूमि रही है, तो श्रीमन्, मैं अनुरोध कर रहा था कि 5 वर्ष के बाद वह पोस्ट ग्रेजुएशन में बैठने का हकदार हो जायेगा और हमारा प्रयास रहेगा कि उनको सरकारी सेवा में रेगुलर कर दें और जब रेगुलर हो जायेगा तो नई विधि के अनुसार जो डिप्लोमा की जो सीटें हैं, उनकी 25 प्रतिशत सीटें सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार भारत सरकार को सन्दर्भित हो रही हैं, उनका आल इन्डिया एक्जामिनेशन होगा, 25 प्रतिशत उनको जायेगा और 75 प्रतिशत का 50 प्रतिशत पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर के लिये आरक्षित रहेगी। जो चिकित्सालयों में चिकित्सकों की सुपर फैसिलिटी की आवश्यकता है उसी अनुरूप उसका एलाटमेंट होगा और 75 की 50 प्रतिशत सीटें प्रदेश के अन्य चिकित्सकों के लिये उपलब्ध रहेगी। जो सेवा में रहेगा, उनको वेतन मिलेगा।

श्री कौशिक रमा शंकर--

पी0एच0सी0 में 3 साल के लिए काम करना पड़ेगा। अब इसके लिये हाउस जाब करना होता है, क्या इन तीन सालों में काम कर लेने के बाद हाउस जाब की आवश्यकता नहीं रह जायेगी या रहेगी।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जैसे एक पी0 एम0 एच0 एस0 चिकित्सक को पोस्ट ग्रेजुयेशन करने के लिये हाउस जाब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती उसी प्रकार तीन वर्ष के अन्दर उस चिकित्सक को हम अपनी रेगुलर सेवा में ले लेंगे और उसे भी हाउस जाब करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उनको स्टडी लीव आन फुल पे चलेगी।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में 7 मेडिकल कालेजेज हैं--आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर और झांसी। लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कालेज में स्कैनिंग

मशीन लग गई है, कैट स्कैन भी लग गई है और जो शेष 6 मेडिकल कालेज हैं उनमें भी लगाने की व्यवस्था की जा रही है । वहां 1988-89 में स्कैनिंग मशीन लग जायेंगी। ये 6 मेडिकल कालेज हैं--इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर और झांसी । बनारस, बरेली और पर्वतीय अंचल, इन तीन जगहों में अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन यह साधन के ऊपर है । जो विदेशी ऋण की बात चल रही है अगर वह पूरी उपलब्ध हो गई तो यहां भी स्कैनिंग मशीन लगा दी जायेंगी । यदि वह कुछ कम हुई तो पहले इन 6 मेडिकल कालेजेज में लगाया जायेगा और फिर दूसरे चरण में इन तीन मेडिकल कालेजेज में आयेंगे ।

श्रीमन्, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में अभी एक कैंसर बोर्ड की स्थापना हुई अर्ली कैंसर डिटेक्शन के लिये । हमारे जो 7 मेडिकल कालेजेज हैं उनमें मेमोग्राफी लगाने का निर्णय हुआ है इस वर्ष । 3 मेमोग्राफी इक्विपमेन्ट 1 पर्वतीय अंचल में, एक बरेली में तथा एक बनारस में भी लगाने का विचार है । इस प्रकार हमारे यहां 10 मेमोग्राफी एपेरेटस लग जायेंगे । श्रीमन्, कैंसर बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया है कि पान मसाला, खाने वाला तम्बाकू पीने वाला तम्बाकू और बीड़ी--इन पर भी यह स्टैचुटरी वार्निंग लिखी जानी चाहिए कि इनका प्रयोग स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है....

(व्यवधान)

मैंने तो छोड़ दिया । मुझे छोड़े 6 वर्ष हो गये....

(व्यवधान)

अब सुखपाल पांडेय से छुड़वानी है । श्रीमन्, मैं कह रहा था कि इन चीजों पर भी स्टेचुटरी वार्निंग कर दी जाय यह निर्णय हुआ है । आपकी स्वीकृति मिलेगी तो यह वार्निंग लिखवा दी जायेगी । आगरा में पी0 जी0 यूरोलोजी की स्थापना की जा रही है । कानपुर और लखनऊ में कार्डियोलोजी की व्यवस्था हो गई है और इस साल इलाहाबाद में कार्डियोलोजी को इम्प्रूव करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर तीन जगहों पर शनैः शनैः ओपन सर्जरी की व्यवस्था हो सके । आगरा में यूरोलाजी लगाने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है । कार्डियोलाजी, जनरल सरजरी और यूरोलाजी का अलग-अलग विभाग करने की भी बात हो रही है और झांसी में नेत्र विज्ञान का सेन्टर बनाने की आवश्यकता है ।

चिकित्सकों की कमी की बात चल रही थी तो उनमें 50 महिला चिकित्सकों की सीटें बढ़ा दी गयी हैं 25 गोरखपुर और झांसी में और 50 जनरल युवकों की सीटें बढ़ा दी गयी है मेरठ में । इस प्रकार उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा में सीटों की संख्या 904 हो गयी है । इस प्रकार महिला चिकित्सकों की कमी कुछ अंश तक दूर हो सकेगी ।

उत्तर प्रदेश में आज भी हमारे लगभग 12 सौ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं जहां डाक्टर नहीं हैं...

श्री शारदा प्रताप--

पहले मान्यवर, कटौती प्रस्ताव रखा लीजिये उसके बाद माननीय मंत्री जी जवाब दे देंगे ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

पहले जरा बता तो दूं नहीं तो कटौती किस में करेंगे ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

आपके बताने के बाद यह कटौती वापस ले लेंगे ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

आज उत्तर प्रदेश में लगभग 3 सौ पुराने स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं जहां एक भी चिकित्सक नहीं है और 6 सौ में कहीं दो डाक्टर हैं कहीं एक तो नहीं किसी में नहीं हैं । नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो खुले हैं उनमें भारतीय चिकित्सापद्धति के डाक्टर हैं लेकिन वहां आधुनिक चिकित्सा पद्धति के डाक्टर नहीं हैं । अभी लोक सेवा आयोग से इंटरव्यू हुआ था । करीब 25 सौ की बांट निकाली था 22 सौ पुरुषों की थी उसमें 14 सौ आदमी आये थे उन सब को लगभग ले लिया है 4, 6 को छोड़ कर जो अर्हता नहीं रखते थे यहां तक कि जो ओवरएज थे उनको भी ले लिया है मगर डायरेक्टोरेट से एपोइंटमेंट लैटर लिया और ड्यूटी ज्वाइन किये केवल 3 सौ लोग । तो इस प्रकार ग्रामीण चिकित्सालयों को तरक आधुनिक चिकित्सक नहीं जा रहे हैं । शासन इस पर विचार कर रहा है कि जब तक आधुनिक चिकित्सक उपलब्ध न हो जांय आयुर्वेदिक चिकित्सकों को 6 महीने का रैफरल कोर्स करा कर भेजा जाय ताकि हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक उपलब्ध करा सकें ।

हमारी चिकित्सा सेवा में, उसके विस्तार में सबसे बड़ी कमजोरी महिला चिकित्सकों की उपलब्धता न होने तथा एक कारण यह भी है कि वहां आवासों की उपलब्धता नहीं होती । तो इसके लिये 9 करोड़ रुपया दिया गया था । इसमें 1986-87 और 1987-88 में करीब 1533 आवास ग्रामीण क्षेत्रों में बन जायेंगे । यह कार्य चल रहा है और विश्वास है कि आवास बन जाने के बाद चिकित्सक उपलब्ध हो जायेंगे । इन शब्दों के साथ मैं इस सदन से अनुरोध करूंगा कि इसको स्वीकार करें ।

यह कार्य चल रहा है और विश्वास है कि आवास बन जाने के बाद चिकित्सक उपलब्ध हो जायेंगे ।

(इस समय 5 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

इन शब्दों के साथ में इस सदन से अनुरोध करूंगा कि इसको स्वीकार करें ।

श्री बाबू राम यादव--

व्यवस्था का प्रश्न है कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बजट रखा है इस पर बड़ा संकट आ गया है, इसलिये व्यवस्था दें कि स्वास्थ्य सचिव और मंत्री जी में घोटालों के ऊपर इतना बड़ा झगड़ा है तो यह बजट कैसे कार्यान्वयन होगा ?

श्री अधिष्ठाता--

यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, अनुदान सं0-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, 33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जा जाय, ।

मान्यवर, 34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, अनुदान सं0–35 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, अनुदान संख्या–37 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी जिक्र कर रहे थे हमारे पास में बैठे भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री, श्री कौशिक रमा शंकर जी को मैं बताना चाहता हूं कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था उस समय भी जिस समय श्री कौशिक जी स्वास्थ्य मंत्री थे, जनता पार्टी के शासन में और आज माननीय लोकपति त्रिपाठी के सामने भी कटौती प्रस्ताव पेश करने का मौका मिला। मैं बताना चाहता हूं कि यह मेरा सौभाग्य रहा कि जनता शासन में श्री कौशिक जी और श्री कल्याण सिंह के समय में भी रखा और आज भी कटौती का प्रस्ताव मैं रख रहा हूं । मान्यवर, यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि मुझसे अच्छा निर्णायक दूसरा कोई नहीं हो सकता है जो बात आज देखने को मिल रही है वह उस समय नहीं मिला थी । आज अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी समय में जो देखने को मिल रहा है कि "जिंदों का पोस्ट मार्टम किया जाता है और मरों को डिस्चार्ज कर दिया जाता है", यह उस समय देखने को नहीं मिला था । मान्यवर, इलाहाबाद की घटना है, अखबारों में छपा है । उस समय यह अखबारों में पढ़ने को नहीं मिलता था कि गरीब अस्पतालों में जाता है वह और गरीब हो जाता है, तो यह स्थिति उस समय अस्पतालों में नहीं थी और सन् 2000 तक सभी को जो स्वास्थ्य देने की राष्ट्रीय नीति है उसको लागू करने के लिये हर साल यहां पर बात दोहराई जाती है । आप देखें कि यह नीति किस तरह से लागू हो रही है, एक दिन मुझे मौका मिला स्वास्थ्य मंत्री जी के कक्ष में जाने का, वहां चार्ट लगा था उस पर देखा तो मालूम पड़ा कि इस समय प्रदेश के डाक्टरों का जो अनुपात है, एक डाक्टर पर साठ हजार की आबादी का आपके यहां चार्ट पर लिखा था ।

मान्यवर, इस प्रदेश की 82 फीसदी जनता देहातों में रहती है । देहाती क्षेत्र की तरफ अगर नजर नहीं उठेगी तो कोई भी योजना चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात हो या किसी अन्य विभाग की बात हो यह कल्पना नहीं की जा सकती है कि हम प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं । यह अपनी जगह सही है कि नवनिर्माण में चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है । स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी स्वयं सदन के सामने यह माना है कि बहुत से अस्पताल ऐसे पड़े हैं, जिसमें डाक्टर ही नहीं हैं । अस्पताल तो डाक्टरों से सूने पड़े हैं, लेकिन यह स्वास्थ्य सब को देंगे 2 हजार ईस्वी तक । जो आपका इस्टैब्लिशमेंट है, कर्मचारी और अधिकारी हैं, जिनका गांव में

अनिवार्य रूप से भेजने के लिए आदेश कर रखे गये हैं, आप उनको वहां भेज नहीं पा रहे हैं। यह 76-77 का आदेश है कि डिप्टी सी0 एम0 ओ0 है वह माह में 15 दिन देहाती क्षेत्र में जायेंगे, लेकिन किसी भी जिले में कोई भी डिप्टी सी0 एम0 ओ0 शासनादेश के अनुसार देहातों में नहीं जाता है। जाता भी होगा तो परिवार कल्याण का शिविर देखने के लिए आबादी की समस्या पर हमेशा मंत्री जी ने चिन्ता प्रकट की है। हमेशा यहीं से उन्होंने अपना भाषण शुरू किया है, पिछले साल, उसके पिछले साल और इस साल भी यही किया है।

अगर आबादी कम करने वाले जो उपाय कर रहे हैं, जो हम पायेंगे कि 1972-73 से लेकर आज तक जितने साल हुए हैं, हर साल जितना लक्ष्य निर्धारित किया गया होगा शासन की ओर से, उस लक्ष्य से ज्यादा उपलब्धियां हासिल कर ली गई। हर साल यही स्थिति है। एक ओर जो आबादी कम करने का अभियान चल रहा है, उसे हर साल लक्ष्य से ज्यादा उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आबादी भी बढ़ती चली चली जा रही है। यह कैसे है, इसका क्या कारण है? इस तरह से तो हर साल निरन्तर कम होनी चाहिए। इसका कारण तो मंत्री जी ही बता सकते हैं। यह अधिक उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं तो फिर जनसंख्या क्यों बढ़ रही है?

इसलिए मंत्री जी को सोचना चाहिये कि 1972 से लेकर आज तक जो लक्ष्यों के विपरीत उपलब्धियां ज्यादा मिली फिर भी आबादी क्यों बढ़ी? इस परिवार कल्याण कार्यक्रम में, जिसका आधार नसबन्दी है इसमें कहीं न कहीं खामियां अवश्य हैं, जिसकी समीक्षा मंत्री जी को करनी चाहिए। कार्यक्रम का आधार है जन्म दर कम करना किन्तु कभी यह नहीं बताया गया कि जन्म दर हमारी हर साल कितनी कम हो रही है। जो परिवार कल्याण कार्यक्रम वृहत्तर पर चल रहा है, उसमें कहीं खामियां अवश्य हैं। उसमें एक कमी है जनता को हम इसमें प्रेरित करने के बजाए, उसको प्रलोभन दे रहे हैं। जनता के लोग इसमें स्वयं प्रेरणा लेकर कार्यक्रम के साथ कंधा मिलाते हैं तो उसकी बात दूसरी है। लेकिन उस दिशा में शासन ने इतने सालों के बाद भी नहीं सोचा और उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास नहीं किया उल्टे सारे विभागों के ऊपर चाहे वह स्वास्थ्य विभाग हो चाहे वह राजस्व विभाग हो, सारे विभागों के ऊपर लक्ष्य दिया। आज से कुछ साल पहले एक लखनऊ विश्वविद्यालय के एक मनोवैज्ञानिक थे सर्वेक्षण किया था सर्वेक्षण इस बात का कराया कि जनता के बीच में जो चिकित्सा पद्धतियां चल रही हैं उसमें किस चिकित्सा पद्धति के प्रति ज्यादा आकर्षण है, तो जिस एलोपैथिक पर ज्यादा पैसा खर्च करने की बात कही गई, उसमें चाहे शिक्षित लोगों का सर्वेक्षण हो, चाहे पांच सौ रुपये से कम पाने वाले लोगों का सर्वेक्षण हो, चाहे पुरुष और महिला के बीच का सर्वेक्षण हो, सबसे कम अच्छा एलोपैथिक को कहा गया है। लेकिन एलोपैथिक पर जितना खर्चा किया जाता है दूसरी चिकित्सा पद्धतियों पर नहीं किया जाता है।

होम्योपैथिक की चिकित्सा पर 6 करोड़ का बजट हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखा है। यहां पर थोड़े से होम्योपैथिक के विद्यालय हैं और उनकी बहुत जीर्ण स्थिति है जो डाक्टर वहां पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको कोई नहीं जानता है कि कब उन पर छत टूट गिरे स्कूल लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से है उस पर भी इन्होंने तरस नहीं खाया उसकी स्थिति भी बहुत जीर्ण-शीर्ण है। यही हालत आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की है। इसका जितना महत्व है उतना प्रोत्साहन इसको नहीं दिया जाता है। इसको अगर प्रोत्साहन दिया जाता और बजट में अच्छी धनराशि का प्राविधान किया गया होता, तो मैं समझता हूं कि प्रदेश की जन भावनाओं के अनुकूल वह आचरण होता।

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि 21 हजार उप केन्द्र देहातों में में खोले गये हैं यह एक छोटी इकाई है स्वास्थ्य विभाग की है । जहां आपने बिल्डिंग बना दी हैं वहां बिल्डिंग बनी खड़ी है । कोई फर्नीचर कोई साज-सज्जा की जरूरत वहां नहीं समझी गयी है । यह गांव के बाहर उप-केन्द्र बने हुये हैं उसको कौन लोग प्रयोग में ला रहे हैं यह तो सबको विदित है। इसका जो समुचित संचालन होना चाहिए वह समुचित संचालन इन उप-केन्द्रों का नहीं हो रहा है ।

मान्यवर, जब बजट पास किया जाता है, सदन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जाती है तो इसका सदुपयोग हो इसकी व्यवस्था भी शासन को करनी चाहिए, लेकिन आप देखें किस तरह से बजट का दुरुपयोग हो रहा है । प्रत्येक सी0 एम0 ओ0 कार्यालय में एक सहायक स्वास्थ्य अधिकारी कार्य कर रहा है उसकी कोई ड्यूटी नहीं है न ही उसका कोई काम होता है लेकिन उस पर 26 लाख 28 हजार का अपव्यय किया जाता है । इसी तरह से प्रत्येक मंडलीय कार्यालय में एक उपनिदेशक की नियुक्ति कर रखी है उसकी भी कोई ड्यूटी तय नहीं की गयी है उसके ऊपर भी मान्यवर, सात लाख 20 हजार का अपव्यय किया जाता है ।

माननीय मंत्री जी ने बच्चों के प्रतिरक्षण के बारे में जिक्र नहीं किया है । प्रतिरक्षण का जो कार्यक्रम है उसका हाल हमारे प्रदेश में यह है कि प्रति एक हजार बच्चों में से 130 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। जबकि केरल में एक हजार पर 30 बच्चों की मृत्यु होती है । हमारे प्रदेश में प्रतिरक्षण कार्यक्रम पर बराबर धनराशि का अपव्यय किया जा रहा है । देहात की चिकित्सा सुविधाओं के बारे में मैंने अभी जिक्र किया है लेकिन अब मैं शहर में जो हालत है उसके बारे में कहना चाहता हूं । हमारे निकट बलरामपुर अस्पताल है वहां पर गरीब आदमी से लेकर मंत्री स्तर तक के लोग अपना इलाज कराने जाते हैं । लेकिन उस अस्पताल की हालत बहुत जीर्ण है । उसके बारे में यह जानकारी मिली कि पहले उसके लिए एक मास्टर प्लान 12 करोड़ रुपये का बना था, आज के हिसाब से कीमत ज्यादा हो गयी होगी, वह मास्टर प्लान तैयार किया गया था । लेकिन उस पर शासन ने विचार नहीं किया । उसकी जीर्णशीर्ण स्थिति थी वह आज भी है केवल थोड़ा सा सुधार कर दिया गया है ।

वहां पर स्पेशलटीज होनी चाहिये थी जो चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिये थी वह नहीं उपलब्ध है जबकि छोटे स्तर से लेकर मंत्री तक वहां अपना इलाज कराने जाते हैं । शासन को और मंत्री जी को चाहिये कि वह इस तरफ ध्यान दें । यहां पर मेडिकल कालेज है । 1960 में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में और हिमांचल प्रदेश में कसौली में राष्ट्रीय शिकौला केन्द्र स्थापित किये थे । इन केन्द्रों पर डीसेंट्री और डायरिया के जो कीटाणु होते हैं उनका परीक्षण करके वैक्सीन तैयार की जाती है । जो इतने महत्व का केन्द्र है उसके बारे में मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारे वहां केवल 8-10 हजार रुपये की इसके लिये व्यवस्था है जबकि कसौली हिमांचल प्रदेश में जो केन्द्र है वहां पर इसके लिये 25 लाख रुपये के बजट का प्राविधान किया जाता है । ऐसे राष्ट्रीय महत्व के केन्द्र को नजरअंदाज किया जा रहा है । यह जानकारी में आया है कि वहां के प्राचार्य ने 9-10 लाख रुपये की व्यवस्था करने का एक प्रस्ताव शासन के पास आया था लेकिन उस पर शासन स्तर पर विचार नहीं किया गया ।

इसी तरह से टिटनेस के और आपरेशन के बाद के इन्फेक्शन की बात है । इन्फेक्शन रोकने के लिये मेडिकल कालेज में माइक्रो बायलोजी विभाग में एन0 ए0 रैबिक

वैक्टीलोजी इकाई की स्थापना के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । जो विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें होनी चाहिये वह के0 जी0 मेडिकल कालेज में उपलब्ध नहीं हैं । लखनऊ में संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान आप बना रहे हैं । गरीबों के लिये उसमें कोई जगह नहीं है जबकि गरीब की हड्डियों पर आप इस संस्थान को खड़े कर रहे हैं । स्वास्थ्य मंत्री जी ने सदन में घोषित किया था कि जिन लोगों की जमीन इसमें ली गयी है उनको इसमें सेवा का मौका दिया जायगा । लेकिन आज तक किसी एक व्यक्ति को भी सेवा का अवसर नहीं दिया गया है । गरीब आदमी इसमें इलाज कराना चाहे भी तो नहीं करा सकता है । जो बजट तमाम विकास के कार्यों पर लगाया जा सकता था उसको काट काटकर संजय गांधी आयुर्विज्ञान पर खर्च कर रहे हैं । आज चिकित्सा कितनी महंगी होती जा रही है, चाहे दवाए हों या इलाज सबकी कीमत बढ़ती जा रही है । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि सन् 2000 तक वह सबको स्वास्थ्य देंगे तो वह नि:शुल्क होगा या गरीब जनता पर भार लादकर स्वास्थ्य देंगे, इसे स्पष्ट नहीं किया । जहां पर नि:शुल्क चिकित्सा व्यवस्था थी वहां पर यह सुविधा समाप्त कर दी गयी है । कम से कम माननीय कौशिक साहब के जमाने में ऐसी बात नहीं थी जो आपके जमाने में हो रही है । गरीब आदमी की जेब काटकर आप उसे चिकित्सा सुविधा दे रहें हैं और गरीब आदमी के लिए चिकित्सा सुविधा आज महंगी होती चली जा रही है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

गरीब कौन नहीं है ?

श्री राम आसरे वर्मा—

आपने कहा है कि जिसकी आमदनी 5 हजार रुपये है उनको नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा देंगे लेकिन यह व्यवहार में हो पायेगा या नहीं यह तो समय ही बतायेगा । मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि जो बजट यहां पर स्वीकृत होता है उसका एक बड़ा हिस्सा कमीशनखोरी में चला जाता है । अगर मैं कहूंगा कि भ्रष्टाचार होता है तो स्वास्थ्य मंत्री जी को बुरा लगेगा । जो भी दवायें खरीदी जाती हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं कि एक यहां पर प्रोसवर्स एंड संस नाम की फर्म है जिसके संचालक प्रोवर हैं । यह कौन है इसके बारे मे कहना चाहता हूं । 1974 में 11 कि0 ग्रा0 नारकोटिक्स इनको दिया गया था मारफीन के इंजेकशन बनाने के लिए। लेकिन उस 11 के0 जी0 नारकोटिक्स को इन्होंने ब्लैक में बेच दिया और जब पूछताछ की गयी तो यह बताया कि हमने मारफीन के इंजेकशन बनाकर बिहार को सप्लाई कर दिया है । जिनको सप्लाई करना बताया था उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यहां पर मारफीन के इंजेक्शन नहीं दिये गये हैं । इतने बड़े गम्भीर प्रकरण पर कुछ जांच भी हुयी लेकिन उसको दबा दिया गया । यही प्रोवर 21 दूसरी फर्मों से दलाली करके स्वास्थ्य विभाग को निदेशालय स्तर पर दवाओं की सप्लाई करते हैं । 30 फीसदी दलाली तय है । इनकी अपनी फर्म या साईनबोर्ड तक नहीं है लेकिन 21 फर्मों का शोषण करके 25 फीसदी दवायें अकेले यही सप्लाई करते हैं । यहां तक एक बार शासन स्तर पर स्वास्थ्य मंत्री जी का आदेश बेकार जायेगा लेकिन प्रोवर का आदेश बेकार नहीं हो सकता है इनको एडीशनल डी0 जी0 का नाम दिया गया है ।

मान्यवर, मैं अपनी इन बातों के साथ कटौती के प्रस्ताव को पेश करते हुए बल देता हूं और फिर यह दोहराना चाहता हूं कि बजट में जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री जी को रूपरेखा पेश करनी चाहिये थी उस तरह की रूपरेखा देखने को नहीं मिली । जहां तक सबको स्वास्थ्य देने की बात है मैं इस बात को फिर दोहराना चाहता हूं कि इस

दिशा में स्वास्थ्य मंत्री जी ने कोई कारगर कदम नहीं उठाया है । ऐसी दशा में मैं अपनी कटौती के प्रस्ताव रखते हुये विश्वास करता हूं कि इस पर अमूल्य सुझाव माननीय सदस्यों की तरफ से आयेंगे ।

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल--

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, चिकित्सा और स्वास्थ्य मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी को ।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया आपस में बात न करें ।

एक सदस्य--

क्या दिल से बधाई दे रहे हैं ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल--

माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने आप जैसे लोगों के दिल का इलाज पूरा-पूरा कर दिया है, आप चिन्ता न करें ।

मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कहां से शुरू करूं बधाई देने के लिये ? आज जो बजट प्रस्तुत किया है, आज जो स्वास्थ्य मन्त्री जी ने महत्वपूर्ण घोषणायें की हैं अपने बजट में, मैं समझता हूं उसके दूरगामी परिणाम होंगे आने वाले वक्त में । माननीय स्वास्थ्य मन्त्री ने बढ़ती आबादी पर रोकथाम लगाने के लिये, बढ़ती हुई आबादी जो सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही है देश और प्रदेश में नियन्त्रण हेतु, परिवार कल्याण कार्यक्रम में हमारे उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है । माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं और केवल वही नहीं बधाई के पात्र हैं बल्कि इस राष्ट्रीय महायज्ञ में जो भी सम्मिलित हैं, जिनका योगदान है वह सब बधाई के पात्र हैं चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी हो । बिना सबके योगदान के यह महायज्ञ सम्भव नहीं हो सकेगा । मुझे बड़ा कष्ट हुआ जब वर्मा जी कटौती का प्रस्ताव रख रहे थे उनको तो समर्थन करना चाहिये था । इन्होंने कहा कि मन्त्री जी जब बजट भाषण शुरू करते हैं तो आबादी की बात करते हैं । माननीय वर्मा जी यह तो सारे देश की समस्या है । आज विकास के जो कार्य शुरू करते हैं तो यह बढ़ती हुई आबादी उसे समाप्त कर देती है । मैं बधाई देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में और ज्यादा ताकत और शक्ति के साथ हमारे सामने जो यह समस्या है, राष्ट्रीय समस्या है, इसका निराकरण कर सकेंगे ।

श्रीमन्, इसके साथ ही बधाई देना चाहता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी को आगरा में सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज में छात्रों की पढ़ाई और शोधकार्य में बढ़ोत्तरी हो सके इस हेतु मेडिसिन विभाग के चार यूनिट में बना दिया गया उनको स्वतन्त्र विभाग कर दिया । पहला हृदय रोग विभाग, दूसरा नाक कान गला विभाग, तीसरा मनोरोग विभाग और चौथा तपेदिक विभाग है । श्रीमन्, इससे न केवल आम जनता को चिकित्सा में राहत मिलेगी बल्कि जो इन विभागों के छात्र हैं, पढ़ते हैं वह डिप्लोमा करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे और जो अच्छे विशेषज्ञ इस प्रदेश में बनकर निकलेंगे । मान्यवर, आपने विभाग तो अलग कर दिये । लेकिन कार्डियोलोजी का

विभाग जो अलग किया उसमें जो रेजीडेन्ट डाक्टर की व्यवस्था होनी चाहिये वह अभी नहीं हो पायी है। उसके लिये जो अपरेटस और इन्ट्रूमेन्ट्स जो आवश्यक हैं दिल की चिकित्सा के लिये, मैनपुरी के यादव जी अभी जिक्र कर रहे थे, जो दिल के निदान के लिये अत्यन्त आवश्यक है, आप जानते हैं कि दिल के दौरे का मरीज जब अस्पताल में आता है और एक घन्टे के अन्दर अगर उसकी चिकित्सा हो गयी तो बचने की सम्भावना अधिक होती है और अगर एक घन्टे से ज्यादा समय हो जाता है तो हम उसे बचा नहीं पाते। अभी तक इन्टेंसिव केयर यूनिट की कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई है कृपया आप इस पर शीघ्र से शीघ्र निर्णय लेकर इस इसेंटिव केयर यूनिट और अन्य सामान जो आवश्यक है, उसकी तत्काल व्यवस्था करें। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। हमारे पी0 एम0 एस0 के जो डाक्टर्स हैं, उनको जो प्रदेश के बाहर 6 हफ्ते, 8 हफ्ते कार्डियालोजी में ट्रेनिंग के लिये भेजते हैं, अब आपने आगरा में हृदयरोग का स्वतन्त्र विभाग बना दिया है तो उनको अब कार्डियालोजी में एक वर्ष की ट्रेनिंग यहीं पर दें। उनको अब आल इंडिया इंस्टीट्यूट या ऐसी और अन्य जगहों पर भेजने की आवश्यकता नहीं है। एक से एक अच्छे डाक्टर हमारे यहां मौजूद हैं, कार्डियालोजी में डाक्टर वी0 के0 जैन से अच्छा डाक्टर प्रदेश ही नहीं उत्तर भारत भर में नहीं हैं। अगर वहां पर कार्डियालोजी में डिप्लोमा खुल जाय तो इससे जो छात्र पढ़कर निकलेंगे तो प्रदेश में इससे दिल के डाक्टरों की कमी दूर हो सकेगी। श्रीमन्, इसी के साथ-साथ आगरा यूरोलाजी डिपार्टमेंट की स्थापना की गयी है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं उत्तर भारत में सर्वश्रेष्ठ यूरोलाजी विभाग जो खुला है, हमारे पास काबिल डाक्टर्स हैं, उसके लिये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। श्रीमन्, पिछले 4 वर्ष पूर्व, आपको याद होगा, आप आगरा गये थे, 1984 में अपने 100 शय्याओं वाले इमरजेंसी अस्पताल का शिलान्यास किया था, 4 वर्ष हो गये, 5वां वर्ष शुरू हो रहा है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

अभी आप उसके लिये धन्यवाद नहीं दे सकते, क्योंकि बना नहीं है।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उसका शिलान्यास किया, उसको प्रारम्भ किया, हमारी मांग पर और हो सकता है कि अगले वर्ष हम और वर्मा जी दोनों इसके लिये धन्यवाद दें कि जो धन की कमी आ रही है, इस वर्ष में स्वास्थ्य मन्त्री जी उसको पूरा कर देंगे।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

इस बजट में उसके लिये प्राविधान नहीं है, इसलिये धन्यवाद नहीं दे सकते।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल---

मैं मानता हूं इस बजट में प्राविधान नहीं है, लेकिन 31 मार्च में अभी बहुत दिन हैं, दूसरे फण्ड से पैसा निकाल कर, उसका इस्टीमेट 1.20 करोड़ का है, उसके लिये केवल 20 लाख रुपये पांच वर्ष में पहुंचे हैं, उसका 1/10 हिस्सा अभी बना है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वर्ष इसके लिये ज्यादा नहीं तो 50-60 लाख रुपया दे दीजिये तो छत पड़ जाय और लोगों को पता लगे कि कुछ काम हुआ। श्रीमन्, एक बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि हमारे जो डाक्टर पढ़कर निकलते हैं, उनको गांव की ओर भेजा जाय। गांवों में 80 प्रतिशत लोग निवास करते हैं। उनको

चिकित्सा सुविधा मिल सके, इसमें क्या परिवर्तन करें, क्या व्यवस्था करें, इसके बारे में अपने भाषण में उल्लेख किया। बहुत अच्छा कहा कि 3 वर्ष के लिये पी0 एस0 एस0 का काम करेंगे। पी0 एच0 सी0 पर काम करेंगे, उनमें जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उन्हें हाउस जाब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि, पिछली बार भी मैंने कहा था, जो एम0 बी0 बी0 एस0 और एम0 एस0 पढ़े हुये छात्र हैं, उनको आप तब तक देहातों में नहीं भेज सकते. जब तक कि उनके आवास की व्यवस्था नहीं करेंगे, उनके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं करेंगे और सबसे ऊपर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे। यह तीन मुद्दे पूरे नहीं करेंगे तो डाक्टर नहीं जायेंगे देहातों में, जायेंगे तो घरों में बैठ जायेंगे या ट्रान्सफर करवा कर दूसरी जगह चले जायेंगे। वह देहात जाने वाले नहीं हैं। आप डाक्टरों के लिये आवास की व्यवस्था करें। और नर्सों के लिये और वहां के स्टाफ के लिये भी आवास की व्यवस्था करें। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें। गांव में फौजदारी हो जाय तो दोनों पार्टी कहती हैं, हम जो चाहें, वह रिपोर्ट लिखो, डाक्टर के सामने कोई चारा नहीं रह जाता है।

एक बात और कहना चाहता हूं इस संदर्भ में पिछले वर्षों में मैंने कई बार निवेदन किया वहां पर हमारे यहां पोस्टमार्टम गृह की जो दुर्दशा है, आज वहां स्थिति यह है कि उसकी 50 गज की परिधि में कोई भी जाना पसन्द नहीं करता। वहां पर फर्श टूटा है, जालियां टूटी हैं, एअर कन्डीशनर 10 साल से खराब है, छतें खराब हैं, वहां पड़ा खून सूखता रहता है। वहां पर ज्यादा धनराशि की आवश्यकता नहीं है, लाख दो लाख में सुधार हो जायगा। आपने आश्वासन भी पिछले कई वर्षों से दे रखा है। लेकिन वह उसका अभी तक निर्माण नहीं हुआ, उसका पुनरुद्धार हो जाय, तो उपयुक्त होगा। मान्यवर, यह वह स्थान है, जहां एक न एक दिन सभी को जाना पड़ता है।

मान्यवर, एक सदस्य कह रहे हैं कि सबको कैसे जाना पड़ता है, बहुत से मिलने वाले हैं, जानने वाले हैं, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हम लोगों को तो जाना ही पड़ता है, उसके नजदीक तो हम सब को जाना ही पड़ता है। श्रीमन्, मैं बधाई देना चाहता हूं आपको कि आपने आगरा मेडिकल कालेज में छात्राओं के लिये छात्रावास का निर्माण कराया। बहुत दिनों से इसकी आवश्यकता थी। खुशी इस बात की भी है कि आपने अगले वर्ष वहां छात्रों के लिये छात्रावास का निर्णय लिया है, निश्चित रूप से इससे छात्रों को राहत मिलेगी। लेकिन, नर्सेज जो काम करती हैं, उनके लिये हास्टल की आपने व्यवस्था नहीं करायी। इस तरफ भी आप ध्यान दें, ताकि नर्सेज अन्य हास्टल में रह सकें, [illegible] रहती हैं और उनका उत्पीड़न होता है। मान्यवर, मैं उम्मीद कर रहा था कि [illegible] नीय वर्मा जी जब कटौती पर बोलेंगे, तो नर्सों की समस्या पर भी बोलेंगे, इस [illegible] के वे प्राचार्य हैं, लेकिन वे नर्सों के बारे में कुछ नहीं बोले।

श्री राम [illegible] वर्मा--

मान्यवर, यह जिम्मेदारी मैंने डा0 कौशल के लिये छोड़ रखी थी, इसलिये उस पर नहीं बोला।

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल--

मान्यवर, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा और उठाना चाहता हूं, जिसकी ओर थोड़ा सा इशारा माननीय वर्मा जी ने भी किया था। दवाओं की खरीद के लिय, जो धन की

व्यवस्था करते हैं, वह बहुत नाकाफी है । पिछले सालों से आप देखें, जो धनराशि की व्यवस्था की है, जिस तरह के आबादी बढ़ी है, बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है, उस लिहाज से उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है ।

दवाओं की खरीद का काम सी0 एम0 एस0 डी0 करती है, उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है । 1987-88 में इस सदन में जो बजट पेश किया गया था, पारित हुआ था दवाओं की खरीद के मामले में, आज हम 1988-89 का बजट पेश कर रहे हैं, उस धन का उपयोग आज तक न हुआ । श्रीमन्, यह बहुत चिन्ता का विषय है गम्भीर मामला है । उत्तर प्रदेश में लगभग पौने तेरह करोड़ की आबादी है । वर्ष खत्म हो रहा है 31 मार्च को, उस वर्ष का जो 12 करोड़ रु0 का बजट था, उसका उपयोग नहीं हो पाया है । उस 12 करोड़ में से केवल 6.50 करोड़ रु0 की दवाओं की खरीद का आदेश आपके विभाग से फरवरी-मार्च के महीने में गया है, इसी फरवरी, 1988 माह में गया है । आप जानते हैं कि 6 हफ्ते लग जायेंगे प्रक्रिया में, एग्रीमेन्ट होगा सिक्योरिटी जमा होगी, फिर इसमें सप्लाई करने के लिये समय मांगा जायेगा । इस पर आप ध्यान दें । हालांकि 12 करोड़ रु0 को कम मानता हूं प्रदेश की आवश्यकता के लिये, लेकिन उस 12 करोड़ रु0 का भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हैं, उनको देखना पड़ेगा ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

यह विभाग की अक्षमता का प्रतीक है ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

मैं इसे अक्षमता नहीं मानता हूं माननीय वर्मा जी । कुछ मूलभूत कारण हैं, उन मूलभूत कारणों को दूर करना पड़ेगा । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो फरवरी माह में 6.50 करोड़ रु0 की दवा की खरीद का आदेश दिया, उसमें से तीन चौथाई, 90 परसेन्ट केवल पब्लिक सेक्टर को आदेश दिया । यू0 पी0 म यू0 पी0 डी0 एल0, राजस्थान में आर0 डी0 पी0 एल0 और उड़ीसा को पब्लिक सेक्टर को

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य आपस में बात न करें ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

श्रीमन्, मैं मानता हूं कि आप यू0 पी0 डी0 एल0 से दवायें खरीदें, हमें ऐतराज नहीं है, हमारे प्रदेश का एक पब्लिक सेक्टर है, लेकिन उसमें हमारे धन का दुरुपयोग हो, इसको हमें देखना पड़ेगा । यू0 पी0 डी0 एल0 किसी प्राइवेट कम्पटीशन नहीं करती है, उनको टेन्डर नहीं देना पड़ता है । अगर कोई दवाई वहां 50 रु0 की है और कोई प्राइवेट फार्म उसे 20 रु0 में देने के लिये तैयार है, तब भी आपको यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 को 50 रु0 का आदेश देंगे, 20 रु0 वाले की तरफ नहीं जायेंगे । जनता के धन का श्रीमन् यह बहुत बड़ा दुरुपयोग है । आप कहते हैं कि क्वालिटी कन्ट्रोल होना चाहिये स्टैन्डर्ड दवायें मिलनी चाहिये । श्रीमन् मेरे पास, जो आडिट आब्जेक्शन हुआ है, उसके आधार पर बताना चाहता हूं । कुछ दवाओं के नाम हैं जिनको यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 से लिया गया जैसे इन्ट्रावीनश ग्लूकोज, पैंडनीसोलोन टेबलेट, क्लोरोमाइसिन केपसूल, आक्सी टट्रासाइक्लिन केपसूल, ट्रेटासाइक्लीनकेपसूल स्ट्रेपोमाइसिन इन्जेक्शन, मेट्रोनाडाजजाल टेबलेट, यह सभी दवायें सब स्टेन्डर्ड निकल गई । ये रिपोर्ट की गवर्नमेन्ट स्पेशलिस्ट भी दी हैं आज अगर हम यह मान कर चलें कि पब्लिक सेक्टर हमको अच्छी दवाई देता है तो वह भी

साबित नहीं हुआ। एक आडिट आब्जक्शन और है कि पिछले 4 साल में हमने 15 करोड़ रुपये केवल पब्लिक सेक्टर से दवा खरीदने में ज्यादा खर्च कर दिये हैं...

श्री अधिष्ठाता—

डाक्टर कौशल जी, अपनी बात सीमित करें।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

अगर वही दवा हम डी0 आई0 रेट कान्ट्रेक्ट पर खरीदते तो हमारे यह 15 करोड़ रुपये बच सकते थे और उन पैसों से हम गरीबों को और ज्यादा दवाई मुहैया करा सकते थे। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आप जब किसी फर्म की दवायें सब स्टैन्डर्ड निकल जाये तो उसका लाइसेन्स खत्म कर देते हैं, उसको ब्लेकलिस्ट कर देते हैं। लेकिन यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 जिसकी उपरोक्त दवायें सब स्टैन्डर्ड निकल गई, उसको आपने ब्लेकलिस्ट नहीं किया और न ही उसका लाइसेन्स समाप्त किया। क्योंकि वह पब्लिक सेक्टर है। इस प्रकार 15 करोड़ रुपये ज्यादा देने के बावजूद भी यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 करोड़ों रुपये के घाटे में चल रही है। इसके अलावा एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 आज दूसरी प्राइवेट फर्मों से दवायें बनवाकर उन पर अपना लेबिल लगाकर दे रही है जैसे कि बाटा कम्पनी जूते किसी और से बनवाकर, उन पर अपना लेबिल लगाकर बेचती है।

यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 वाले आज पंजाब लुधियाना में अपनी दवायें बनवा कर सप्लाई कर रहे हैं और एक बिचौलिये का काम कर रही हैं। मान्यवर, यह लाइफ सेविंग दवाओं की क्वालिटी कन्ट्रोल की बात करते हैं। लेकिन एक छोटी सी दवा जिसका नाम बेन्जाइल बेन्जोएट है और जो खाज खुजली में लगाने के काम आती है, वह दवा भी यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 की सब स्टैन्डर्ड निकल गई। मान्यवर, जब एक इतनी छोटी सी दवा सब स्टैन्डर्ड निकल गई तो आप वहां की स्थिति का अन्दाज लगा सकते हैं। मान्यवर, इसी तरह जो ग्लुकोज की बोतल यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 से 10 रुपये की पड़ती है उसी बोतल को प्राइवेट फर्म हमको साढ़े सात रुपये में देता है। इस प्रकार 3 रुपये दिया जा रहा है। अगर यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 बिशाप बनेगा, तो हमें इसे अवश्य दूर करना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1983–84 में माननीय मंत्री जी ने एक सब कमेटी बनाई थी और उसने कुछ अन्तरिम रिकमन्डेशन्स भी की थीं, आप उन्हें इम्प्लीमेन्ट कर दीजिये, जिससे आपके करोड़ों रुपये बच जायेंगे।

मान्यवर, एक बात और मैं यूपिका के बारे में कहना चाहता हूं जहां से गाज काटन बैन्डेज ली गई, वह गाज काटन बन्डेज भी सब स्टैन्डर्ड निकल गई और 40 लाख रुपया बरबाद हो गया। वह निर्धारित मानक के अनुसार नहीं थी। उसके बावजूद भी लगातार यूपिका बिचौलिया का काम कर रही है। मान्यवर, एक तरफ आप बिचौलिया को खत्म करने की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ आप नये-नये बिचौलियों को पैदा करते जा रहे हैं एक तरफ आप छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करते हैं दूसरी तरफ प्रदेश की स्थिति दवा बनाने वाली फर्मों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। बेहतर होगा उन्हें दवा बनाने का लाइसेन्स दिये ही न जावे और जिन्हें दिये गये हैं उन्हें समाप्त कर दें। मैं इन शब्दों के साथ फिर एक बार माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं श्रीमन्, एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं कि अपने लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर में कार्डियोलाजी संस्थान खोला है, आगरा में आप

ओपेन हार्ट सर्जरी प्रारम्भ की व्यवस्था करने की कृपा करें यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। हार्ट सर्जरी के लिए लोगों को दिल्ली या मद्रास जाना पड़ता है, अपोलो हास्पिटल व जैसे लोक हास्पिटल जाना पड़ता है। हमारे यहां आगरा में बड़े-बड़े काबिल हृदय शल्य चिकित्सा के डाक्टर पड़े हुए हैं जैसे डाक्टर हरि गौतम और डाक्टर आर0 एस0 चौहान शायद विधायक डाक्टर दिनेश जौहरी भी उन्हें जानते होंगे। यदि आप आगरा में ओपेन हार्ट सर्जरी की व्यवस्था करवा देते हैं तो जो गरीब लोग हैं वे अपना इलाज वहां पर करा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री सुखपाल पाण्डे--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय श्री वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, मंत्री जी ने जो विवरण प्रस्तुत किया और उसके बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी है लेकिन डाक्टर कौशल जी की बात सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। कौशल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी अध्यक्षता में माननीय मंत्री जी ने एक कमेटी गठित की थी और उन्होंने दवाइयों के बारे में अपनी एक रिपोर्ट दी, किन्तु डाक्टर कौशल जी की उस रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल दिया गया। कौशल जी जब जुबान से बोल रहे थे तो सीने पर पत्थर रखकर उनकी यह आवाज निकल रही थी। मुझे अफसोस हो रहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता के हित में आपने माननीय मंत्री जी को एक रिपोर्ट दी और माननीय मंत्री जी ने उसे माना नहीं। क्योंकि उसमें दवाइयों के बारे में और लेन-देन के बारे में कुछ कड़े प्रतिबन्ध थे, इसलिए उसे स्वीकार नहीं किया गया। माननीय मंत्री जी तो सारे प्रदेश के मंत्री हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे जिले में 60 आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, जिसमें से केवल 10 में डाक्टर्स हैं और शेष में नहीं है। 40 एलोपैथिक हैं, जिसमें से केवल 10 में डाक्टर्स हैं और शेष के भवन ही नहीं है। आपने इस वर्ष अक्तूबर में 32 उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले हैं, जिनमें एक भी डाक्टर नहीं है और कहीं भी कम्पाउन्डर नहीं है, उनमें कोई कर्मचारी नहीं है। उसमें ताला पड़ा हुआ है। इस प्रकार आपके कार्यों की जो सराहना की जा रही है, मैं भी आपकी प्रशंसा करता हूं कि जो आपने कमरों में ताला लगा दिया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।

मेरे यहां लगभग 30 होम्योपैथिक चिकित्सालय हैं, जिसमें से लगभग 2-3 चिकित्सालयों में डाक्टर्स, शेष हैं में नहीं है। मैं तो माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप तो ऐसे इलाके से हैं, विश्वनाथ जी की नगरी के आप हैं, आपको तो अन्याय से संघर्ष करना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता है कि श्री वीर बहादुर सिंह के चक्रव्यूह में पड़कर आप इतने कम्पित क्यों हो गये हैं, आपने तो अन्याय से संघर्ष करना ही छोड़ दिया है।

फर्जी नसबन्दियां कराई गई हैं। आपके ही आंकड़ों के सहारे कह रहा हूं। आपने लक्ष्य निर्धारित किया था 6 लाख 50 हजार का और आपने किया 7 लाख 45 हजार। पिछली बार मेरे जिले में नसबन्दी हुई थी, लगभग 20 हजार नसबन्दियां की गई थी, जिसमें से डाक्टर्स ने 15 हजार नसबन्दियां फर्जी की थी और आपने उन्हें पुरस्कृत किया। आपने केन्द्रीय सरकार से ढाई करोड़ रु0 पुरस्कार उसी में लिया था। हम आपकी आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन आपने अगर फर्जी नसबन्दी करने वालों को छूट दे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दी है, तो मुझे आपसे यह कहना है कि आप उस पैसे से अस्पताल जो गिर रहे हैं, तो उनको ठीक करा सकते थे, दवाई के पर्चे के जो दाम बढ़ा दिये हैं, उसे कम कर सकते थे, सब लोगों के खून, पेशाब की जांच के लिए आपने पैसा लगा दिया है, उसे समाप्त कर सकते थे, जिसके कारण कि गरीबों की दवा अस्पतालों में नहीं हो पाती है। इस पैसे को आपको उसमें लगाना चाहिए था। आपने 20 करोड़ से ज्यादा रुपया आयुर्वेदिक पर लगाया है और कई भागों में एलोपैथिक अस्पतालों पर रखा है, आप कहते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं, आप एलोपैथिक निदेशालय का विस्तार करते चले जा रहे हैं, जगह-जगह डायरेक्टर नियुक्त करते चले जा रहे हैं।

आयुर्वेदिक, जिसका आज लोगों में सम्मान है, जहाँ कोई फर्जी काम नहीं हो रहा है, उसका विस्तार करने की तरफ आपकी दृष्टि नहीं जाती। जो स्थिति आयुर्वेदिक की 1952 में थी, वही आज भी आपने रखी है। आप महानिदेशक, डायरेक्टर एलोपैथिक अस्पतालों में बना रहे हैं, महाविद्यालय जो आयुर्वेदिक के बनाये गये, वहां कितना विस्तार किया है? मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आपका बजट देखकर लगता है कि आपकी दृष्टि उधर कम गयी है।

हमारे जिले में हृदय रोग के लिए भवन खड़े करा दिये, 85 में हर्रैया अस्पताल के लिए एक्स-रे मशीन खरीदी थी, लेकिन जनवरी 1988 तक वह एक्स-रे मशीन नहीं लगायी जा सकी। इससे उस क्षेत्र की जनता को कितना नुकसान हुआ है। आज अस्पतालों में मरीजों के सहयोगियों के रहने के लिए स्थान नहीं है, इसकी तरफ आप ध्यान दें।

जलालपुर, जिला फैजाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर श्री शेर बहादुर सिंह की नियुक्ति अभी की गयी है, जो कि प्रसार शिक्षक हैं, जब कि नियम यह है कि अपने जिले में नियुक्ति न की जाय, फिर भी उसे उसी के जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में नियुक्त किया गया। आपके मुख्यमंत्री जी की कृपा हुई। मुझे नहीं पता जातिवाद का पहाड़ यह कब तक खड़ा करते रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करते रहेंगे। यह जो बजट है, इसको दुगुना बढ़ाइये, अस्पतालों का निर्माण कराये। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

कुमारी अल्वेलु अम्माल--

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर के साथ ही साथ जच्चा-बच्चा केन्द्र काफी संख्या में कस्बे और ब्लाक स्तर पर खोले जाने की ओर खास करके हर ब्लाक स्तर पर यह खोल दिये जांय तो ग्रामीण औरतों को, मेहरारुओं को बहुत फायदा मिलेगा। इसी के साथ ही साथ उन्हें पौष्टाहार भी मिलना चाहिए और उनके लिए दवाइयों का भी इन्तजाम होना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि लखनऊ में जो संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की ओ0 पी0 डी0 के बारे में जो बातें मंत्री जी ने कही हैं, उसकी मैं तारीफ करती हूं और उससे बहुत फायदा लोगों को होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि अगर हमारे प्रदेश में किसी की किडनी खराब हो जाय, किसी को कैंसर हो जाय तो लोग कहेंगे कि मरीज को ले करके चण्डीगढ़ पी0 जी0 अस्पताल जाओ, कैंसर के लिए बम्बई जाओ। ओपेन हार्ट सर्जरी के लिए इसे मद्रास ले जाओ, यू0एस0ए0 ले जाओ। यदि हमारे यहां किसी को ऐसी गम्भीर बीमारी हो जाती है तो उसके लिए हमारे यहां कोई साधन नहीं है और डाक्टर लोग और शुभचिन्तक लोग फौरन कहेंगे कि

जल्दी से जल्दी इसे चंडीगढ़ ले जाओ । एक तो हमारे पास समय नहीं है, इतना पैसा नहीं है, फिर वहां हमारा किसी से परिचय भी नहीं है, तो कैसे यह सब होगा ?

इसीलिए मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि यहां जो संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान है इसमें आप ऐसे डाक्टर रखिये, स्पेशलिस्ट को लाइये, कहीं भी डाक्टरों की कमी नहीं है लेकिन शायद ऐसी लाइन की जो ट्रेनिंग उन्हें मिलनी चाहिए, उसकी शायद कमी है या मालूम नहीं क्या बात है । हमारे यहां ऐसे डाक्टर होने चाहिए हमारे प्रदेश में कि लोगों के मन में उनके प्रति विश्वास हो कि चाहे कैंसर हो, उसका इलाज हमको यहीं पर मिलेगा, चाहे हमारी किडनी खराब हो तो उसका ट्रान्सप्लान्टेशन यहीं हो जायेगा । ओपेन हार्ट सर्जरी की भी बात हो तो लोगों के मन में विश्वास हो कि यह यहां पर संजय गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट में हो जायेगा । ऐसा विश्वास हमारे प्रदेश की जनता के मन में होना चाहिए और उनको यह सब सुविधा संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में मिलनी चाहिए ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि एक मोबाईल वैन की भी सुविधा उपलब्ध करायी जाय जिसमें बच्चों के लिए एक डाक्टर हो, बच्चों का जो स्पेशलिस्ट हो, यदि लेडी डाक्टर हो तो और भी अच्छा हो, यह वैन पूरी दवाइयों को लेकर हर ब्लाक में, हेड क्वार्टर में पहुंचे और वहां के लोगों को इत्तिला रहे कि हफ्ते में दो दिन यह वैन यहां खड़ी होगी, तो लोग वहां इलाज के लिए इकट्ठा होंगे, मैं कहती हूं कि भीड़ जमा हो जायेगी । इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि इससे भविष्य में प्रदेश के बच्चे स्वस्थ्य होंगे । बच्चों का स्वास्थ्य बनाने में मंत्री जी आप उन्हें इस तरह से मदद दे सकते हैं ।

इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहती हूं कि मंत्री जी ने 1985 में बस्ती जिले को एक आई0 सी0 सी0 यू0 दिया, अब उसका भवन बन कर तैयार हो गया है लेकिन आज तक वह काम नहीं कर रहा है । सी0 एम0 ओ0 से कहो तो वे कहते हैं कि इंजीनियर से पूछो, इंजीनियर से कहो तो वे कहते हैं कि एयर कंडीशन नहीं हुआ । पूरा-पूरा दिन इसी पूछ-ताछ में निकल जाता है जबकि हमारे पास और भी दूसरे काम हैं तो कहां से इतना समय इस पूछ-ताछ में लगाया जाय ? यह मैं मानती हूं कि बड़ी हमदर्दी के साथ माननीय मंत्री जी ने हमें आई0 सी0 सी0 यू0 दिया और अभी मंत्री जी बतला रहे थे कि वे प्रदेश को आठ आई0 सी0 सी0 यू0 और दे रहे हैं । आपने बस्ती में जो एक आई0 सी0 सी0 यू0 दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगी । लेकिन हमारी यह बात भी है कि अगर किसी को हृदय रोग हो गया तो उसको लेकर हमें गोरखपुर भागना पड़ता है जिसके लिए हमें जीप का ही सहारा लेना पड़ता है । अगर गोरखपुर न जाओ तो लखनऊ के लिए भागना पड़ता है जीप से और होता यह है कि मरीज रास्ते में भी खत्म हो जाता है और फिर उसकी लाश को लेकर गाड़ी वापस जाती है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप उसे जल्दी से जल्दी बनवा दें ताकि जनता को उससे लाभ पहुंच सके ।

अब मैं बलरामपुर अस्पताल के बारे में कहना चाहती हूं कि बलरामपुर अस्पताल में मरीज आता है लेकिन उसको शैय्या नहीं मिल पाती है क्योंकि वहां उसके लिए शैय्या कम है ।

मैं अभी कुछ दिन पहले आल इण्डिया मेडिकल इंस्टीट्यूट गई हुई थी, वहां पर भी जमीन कुछ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन एक के ऊपर एक करके कई मकान बनाए गए हैं इसी प्रकार से आप भी अपने बलरामपुर में कर सकते हैं करोड़ों रुपये हम लोग इधर-इधर खर्च कर देते हैं, अगर यहां भी 2-3 तल्ले का बनवाकर एक लिफ्ट दे दें,

जिससे शैय्याएं भी बढ़ जायेंगी, ऐसा करके आप काफी सुविधा यहां के मरीजों को दे सकते हैं। मान्यवर, स्पेशल वार्ड यहां के एम0 एल0 एज0 के लिए खास बनाया गया है, परन्तु इसमें जो एक लिफ्ट लगी है, वह केवल प्रातः एक घंटा ही चलती है, बाकी नहीं चलती है। दूसरे हमारे इन अस्पतालों में जो खून की जांच और एक्सरे आदि की सुविधा है, इस ओर यदि आप थोड़ा ध्यान और दे दें ताकि हमें यह विश्वास हो जाए कि यहां पर हमारी इस प्रकार की जो भी जांच हो रही है, सही हो रही है, बस मान्यवर, मुझे इतना ही कहना था, बाकी माननीय मंत्री जी ने जो बजट आज प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करती हूं।

धन्यवाद

डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे इस कटौती के प्रस्ताव पर जिसे माननीय राम आसरे वर्मा जी ने रखा है, के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, माननीय स्वास्थ मंत्री जी ने जो बजट आज यहां प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने फर्जी डाक्टरों और नकली दवाओं का कोई जिक्र नहीं किया है और जिस प्रकार से प्रदेश के अन्दर रोगों की रोक थाम होनी चाहिए, मरीजों को डाक्टर्स, दवाएं व अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो अब तक यह प्रदेश के अधिकतर लोगों में नहीं करा सके हैं, उसका भी कोई उल्लेख नहीं किया है, अगर रोगी को समय से डाक्टर और दवाएं नहीं मिलेंगी तो इससे प्रदेश में और बीमारियां बढ़ेंगी और लोग ज्यादा परेशान होंगे। आज प्रदेश के लोग इसी बात के अधिकतर शिकार हैं। आपने साढ़े 12 करोड़ जनता के लिए लगभग 12 करोड़ रु0 दवाओं का बजट प्रस्तुत किया है। और इस 1 फरवरी से इन दवाओं के क्रय का काम आरम्भ हुआ है उसमें भी लगभग साढ़े 6 करोड़ की दवाइयां स्वास्थ्य सचिव व डारेक्टर के बीच हो रहे झगड़ों के कारण नहीं क्रय कर पा रहे हैं और जब दवाइयां ही पूरे तौर पर किन्हीं भी अस्पतालों में नहीं मौजूद होंगी तो इससे जनता को कितनी परेशानियां उठानी पड़ेंगी और इसी वजह से आज हर जगह त्राही-त्राही मची हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे यहां बरेली गये हुए थे जिला प्रशासन के निवास के लिए बेड माननीय मुख्य मंत्री जी ने 50 लाख रु0 अनुदान के रूप में देने की घोषणा कराए थे, परन्तु अब तक तो वह रु0 बरेली को मिला नहीं, वह कब तक मिलेगा, इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी कृपया बताने का कष्ट करें।

दूसरे मान्यवर, हमारे यहां एक संस्था है जिसने अपना करीब डेढ़ लाख रु0 लगा कर ब्लड बनाया, जिसमें एक लाख रु0 का अनुदान देने के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वयं घोषणा की थी उम्मीद है कि वह इसकी व्यवस्था जल्दी ही करा देंगे, परन्तु मान्यवर, उसके परमीशन लाइसेन्स के लिए 6 महीने पहले से एप्लाई किया हुआ है, मैं भी दो-तीन पत्र आपके माध्यम से लिख चुका हूं इस सम्बन्ध में और सारी शर्तें भी पूरी कराई गयीं हैं परन्तु पता नहीं ड्रग कंटोलर किन कारणों से अब तक पर मीशन लाइसेन्स नहीं दे रहा है, इसे मान्यवर, कृपया दिलवा लें जिसकी वजह से उनका 500 का खर्च अलग से प्रति माह आ रहा है। इसके अतिरिक्त एक आंख का अस्पताल भी हमारे यहां बरेली और सोनापुर में है, जिसमें 165 शैय्याएं हैं, शासन की नीति के अनुसार ऐसे अस्पतालों को पिछले 20 वर्षों से मात्र 22 हजार प्रति वर्ष दिए जा रहे हैं अनुदान के रूप में जो कि बहुत कम है कृपया इसे बढ़ायें। इसलिए आपका कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बरेली में आपने एक होम्योपैथी अस्पताल खोलने की कृपा की है और 2 कमरे का 100 रुपया किराया

स्वीकार किया गया है । जो डाक्टर हैं, वह 100 रुपये के कमरे के लिये इधर उधर घूम रहे हैं । क्या यह संभव है । इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक अस्पताल के लायक कम से कम 500 रुपये या 1 हजार रुपये किराया स्वीकार करें । मान्यवर, आई0 सी0 सी0 यू0 बरेली में एक आक्सीजन का सिलेन्डर है । एक रोगी को गैस न मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी, तो मेरी प्रार्थना है कि वहां पर कम से कम 2-3 आक्सीजन के सिलेन्डर दें, जिससे वहां का कार्य चल सके ।

मान्यवर, परिवार नियोजन के बारे में कहा गया, मैं एक डाक्टर हूं और इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया है । इस समय देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जोर जबरदस्ती से परिवार नियोजन न कराया जाये । मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि फरीदपुर बरेली की एक तहसील है, वहां के एस0 डी0 एम0 चाहते थे कि डाक्टर द्वारा नसबन्दी कर दे, लेकिन डाक्टर ने जब ऐसा नहीं किया तो एस0 डी0 एम0 ने उस डाक्टर को गिरफ्तार करवा लिया, हालांकि इस सम्बन्ध में मेडिकल एसोसियेशन के द्वारा काफी संघर्ष किया गया, लेकिन उस एस0 डी0 एम0 के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है । तो इस प्रकार से परिवार नियोजन सफल नहीं हो सकता है । एक बात और कहना चाहूंगा कि श्याम बिहारी जी बैठे हैं, इनके यहां अवला में 30 बेड का अस्पताल खोला गया, लेकिन उसकी प्रगति नहीं हो पा रही है । वहां पर महिला चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं । इन शब्दों के बारे में मैं वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और बजट का विरोध करता हूं ।

डाक्टर रजनी कान्त दत्त--

मान्यवर, मैं स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन के मंत्रालय के बजट पर माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इतनी कमी के बावजूद और इतनी अनियमितताओं के बावजूद स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है । यह हमारे मुख्य मंत्री जी के कुशल प्रशासन और नेतृत्व का नतीजा है । महोदय राष्ट्र की 2 हजार शताब्दी तक सभी को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध हो जायेंगी, उस नीति के नतीजे सामने आ रहे हैं ।

मान्यवर औसत आयु जो आजादी के पहले 27 वर्ष थी वह अब 54 वर्ष हो गई है । चेचक-प्लेग जैसी बीमारियां समाप्त हो गई हैं । मलेरिया फाइलेरिया और टी0 बी0 पर नियंत्रण हो गया है । डायरिया, डिप्थीरिया के खिलाफ बीमारी निरोधक अभियान सफलतापूर्वक जारी है । गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए दवायें दी जा रही हैं । मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने बजट भाषण के समय जन संख्या के विषय में चर्चा की और उसके बारे में तरह-तरह की बातें सामने आयीं । मैं बताना चाहता हूं कि 1981 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या 68 करोड़ 38 लाख के लगभग थी । विश्व का हर छठवां आदमी भारतीय है । मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में हर डेढ़ सेकिन्ड में एक बच्चा पैदा होता है, हर मिनट में 40 बच्चे पैदा होते हैं, हर घन्टे में 2400 बच्चे पैदा होते हैं, एक दिन में 57,600 बच्चे पैदा होते हैं, एक वर्ष में 2,10,24000 बच्चे पैदा होते हैं यानी जनसंख्या की दृष्टि से एक आस्ट्रेलिया हिन्दुस्तान में रोज पैदा होता है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के विषय में मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं । यहां की आबादी 1981 की जनगणना के अनुसार 11 करोड़ 8 लाख के लगभग थी । दुनियां के अधिकांश देशों-6 देशों, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, ब्राजील, यू0 एस0 ए0 तथा यू0 एस0 एस0 आर0 को छोड़कर जितने भी देश हैं यहां की आबादी उन देशों से अधिक है

और उसका कारण यह है कि 47 लाख बच्चे हर वर्ष उत्तर प्रदेश में पैदा होते हैं। अगर इसे रोका नहीं गया तो सन् 3000 में यह संख्या 12 करोड़ से बढ़कर 22 करोड़ हो जायेगी....

श्री अधिष्ठाता--

डाक्टर साहब आप मुझे बताने के साथ-साथ सदन को बतायें।

डाक्टर रजनी कान्त दत्त--

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि 1987-88 में इस प्रदेश को परिवार नियोजन में सर्वोच्च इनाम मिला है। लेकिन तब भी आबादी का बढ़ना जारी है। इसका एक कारण यह भी है कि 47 लाख बच्चे जो प्रतिवर्ष इस प्रदेश में पैदा होते हैं उनमें 7 लाख बच्चे 4 साल की उम्र में मर जाते हैं। इस तरह से प्रति हजार 154 बच्चे हैं और 114 बच्चों की मृत्यु प्रति घन्टे होती है। इसका एक कारण यह है जिसे मैं एक घटना का उदाहरण देकर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

डाक्टर रजनी कान्त दत्त--

मान्यवर, एक मिनट में समाप्त करता हूं। मैं एक चीज और निवेदन करना चाहूंगा। मान्यवर, नशीली और एडिक्शन दवाओं एडल्ट्रेशन के बारे में माननीय मन्त्री जी ने कोई दिशा निर्देश नहीं किया। यह हमारे यहां बहुत बड़ी प्राब्लम है। पूरा देश इसके लिये चिन्तित है...

(व्यवधान)

एक सदस्य--

आप नसबन्दी करा चुके हैं...।

डाक्टर रजनी कान्त दत्त--

जी हां, आकर देख लीजिये।

(हंसी)

मान्यवर, इस प्रॉब्लम से आज पूरा देश चिन्तित है। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने इस विषय में एक शब्द भी नहीं कहा। आज मृत संजीवनी सुरा के नाम पर, टिंचर जिंजर के नाम पर बाजारों में शराब बिक रही है।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया बैठ जायं। आपको काफी समय दे दिया।

डाक्टर रजनी कान्त दत्त--

मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री गोपाल दास यादव--

मान्यवर, मैं माननीय राम आसरे वर्मा द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बजट पेश करते हुये गांवों के अन्दर जो प्राइमरी हेल्थ सेन्टर, उप केन्द्र और उच्च स्तरीय अस्पतालों की बात कही है इस तरह से जो प्रदेश में कमी है वह पूरी होने वाली नहीं है। अभी डा0 कौशल ने एक बात कही कि यहां पर औषधि नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस ओर कोई जिक्र नहीं किया कि यहां पर औषधि नियन्त्रण केन्द्र की उचित व्यवस्था होगी। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक जितने भी अलग-अलग विभाग हैं उन सब के अलग-अलग ड्रग कन्ट्रोल निदेशालय होने चाहिये। आज आपके प्रदेश में 56 जिलों में केवल 35 ड्रग इस्पेक्टर हैं क्या उनके लिये यह सम्भव है कि वह 56 जिलों में निरीक्षण का काम कर सकते हैं, उनकी ठीक से देखभाल कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में 110 ड्रग इंस्पेक्टर हैं। यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहां की पब्लिक यह समझती है कि एम0 बी0 बी0 एस0 डाक्टर ही दवा बनाता है।

फार्मास्युटिकल्स के फार्मासिस्टों की कोई जानता नहीं है, उनको कोई सम्मान नहीं दिया जाता है, कोई ड्रग कंट्रोलर क्वालीफाइड नहीं रखा गया है एक जो ड्रग कंट्रोलर था भी उसे साजिश करके हटा दिया गया है और उसके स्थान पर आई0 ए0 एस0 को बैठा दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि वह दवाओं के बारे में क्या जान सकता है वह केवल शासन चलाना जानता है। यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहां पर्याप्त ड्रग इंस्पेक्टर नहीं हैं। इसलिए मेरी मांग है कि इसकी व्यवस्था हो तथा 3 डिप्टी ड्रग कंट्रोलर तथा एक ड्रग कंट्रोलर हो। जो हमारे यहां दवायें बनती हैं उनकी जांच यहां नहीं हो पाती है उनको जांच करने के लिए महाराष्ट्र भेजना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी दवाओं का निर्माण होता है उनके चेकिंग का ठीक व्यवस्था नहीं है इस तरह से एम्यूरियस ड्रग वहां बेची जाती हैं। दवा निर्माताओं के पास इंडिपेन्डेन्ट ड्रग कंट्रोलर नहीं है, उनकी जांच के लिये बम्बई जाना पड़ता है।

इलाहाबाद में आपका मेडिकल कालेज है उसके लिये काफी लम्बी राशि आपने सुविधाओं के लिये दी है। लेकिन आज वहां पैरेलल नर्सिंग होम चल रहे हैं, आपने डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध लगा रखा है लेकिन मेडिकल कालेज के डाक्टर हाई कोर्ट से स्टे लेकर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं इस प्रकार वहां पैरेलल नर्सिंग होम चल रहे हैं। इससे जनता को कहां राहत मिल रही है। इलाहाबाद में आप जाकर देख ल अगर किसी को हार्ट एटैक हो जाता है तो उसके लिए कोई प्रबन्ध नहीं है वह साधारण दवा के सहारे जी रहा है आपके यहां बाई पास सर्जरी की कोई व्यवस्था नहीं है उसके लिए उस आदमी को दिल्ली या बम्बई जाना पड़ेगा जो एक गरीब आदमी नहीं

जा सकता है आप चले जायेंगे या मैं चला जाऊंगा लेकिन साधारण आदमी यह एफोर्ड नहीं कर सकता है। साधारण आदमी ग्लूकोज के सहारे जी रहा है वह समझता है कि ग्लूकोज चढ़ गया तो उसका इलाज हो रहा है, किसी की किडनी फेल हो जाय उसके इलाज का कोई प्रबन्ध नहीं है चाहे वह इलाहाबाद मेडिकल कालेज हो या लखनऊ मेडिकल कालेज हो उसमें आम आदमी का इलाज नहीं होता है।

संक्रामक रोगों के नाम पर यहाँ करोड़ों की दवायें आती हैं जिनको रखने के लिए आपके यहां स्टोर रूम तक नहीं हैं। आप गांवों में चले जाइये आप कहते हैं कि मलेरिया चेचक आदि पर चेक कर लिया है लेकिन ऐसा नहीं है वहां डी0 डी0 टी0 तक का छिड़काव नहीं होता है। फेमिली प्लानिंग और संक्रामक रोगों के लिए अपने करोड़ों रुपया खर्च किया है लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश में कोई डी0 डी0 टी0 का कारखाना नहीं खोल पाये। मान्यवर, आज इलाहाबाद में जाकर देखें तो अस्पतालों में इक्स्ट्रा स्टाफ है, शहरों में दो की जगह 10 डाक्टर वेतन ले रहे हैं। सभी के प्रोमोशन कर दिये गये हैं, वरिष्ठ लिपिक का ट्रान्सफर कर दिया गया है लेकिन 20-20 सालों से वह इलाहाबाद में मौजूद हैं और बजट का दुरुपयोग करते हैं। टी0 बी0 अस्पताल इलाहाबाद में फेमिली प्लानिंग के तहत गरीब आदमी को स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं मिलते हैं, एक साल दवाई करने पर ही टी0 बी0 का इलाज हो सकता है। चार रुपये का स्ट्रेप्टो-माइसिन एक साल तक गरीब आदमी बाहर से क्यों खरीदेगा? अतः इसकी उचित व्यवस्था की जाय। इलाहाबाद में पोताई के नाम पर लाखों रुपये का फिजूल खर्च होता है यदि दवाइयों में खर्च किया जाय तो गरीब आदमी का भला होगा। मान्यवर, इलाहाबाद में हर साल मेला लगता है, इस साल कुम्भ मेला होने जा रहा है जहां सफाई के नाम पर 15 लाख रुपये मेले में खर्च किया जा रहा है। आवश्यक दवाइयों के सम्बन्ध में पूछा तक नहीं जाता है कि कितनी आवश्यकता है बल्कि बोगस दवाइयां भेज दी जाती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक दवाइयां उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। इसलिये अनुरोध है कि जनस्वास्थ्य के हित में जो आवश्यक दवाइयां और औजार हैं उनको अस्पतालों में उपलब्ध करायें ताकि डाक्टर सक्षम हो सकें और गरीबों का भला हो सके। इन शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं।

श्रीमती पुष्पा सिंघल--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने स्वास्थ्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया। मैं प्रस्तुत बजट का तहे दिल से स्वागत करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं। मान्यवर, यह सही है कि हमारे प्रदेश और देश में इस साल भयंकर सूखा पड़ा है, ऐसी स्थिति में देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है लेकिन हमारे माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है वह बहुत ही सराहनीय है। मान्यवर, लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगी कि जहां-जहां प्रदेश में मेडिकल कालेजेज हैं या जो बड़े-बड़े जिले हैं वहां स्वास्थ्य सुविधा की और यूनिट्स लगाई जा रही हैं। लेकिन मुरादाबाद मण्डल में जिसमें रामपुर और बिजनौर एवं मुरादाबाद जिले हैं का नाम मन्त्री जी के बजट में नहीं सुना जिसका मुझे खेद है। मान्यवर, मंत्री जी को मैं बताना चाहती हूं कि मुरादाबाद एक ऐसा जिला है जो पीतल के बरतनों की सदर का शहर है, ताले विदेशी करोड़ों रुपये के सामान का निर्यात हो रहा है एक्सपोर्ट आर्डर्स मिले हैं जिससे सरकार को बहुत बड़ी फारेन करेन्सी मिलती है। मुरादाबाद के बर्तन व्यापारी इन आर्डर्स को कैसे निभाते हैं इसकी भी एक कहानी है। एक्सपोर्ट आर्डर्स को निभाने में वहां के छोटे-छोटे बच्चे और गरीब महिलायें बर्तनों के घिसाई व ढलाई का काम करती हैं जिसका परिणाम होता है कि गरीब महिलायें व बच्चे टी0 बी0 के शिकार हो जाते हैं वहां के बर्तन कारीगर टी0 बी0 के रोग से पीड़ित हैं, इसलिये मा0 मंत्री जी से जैसा कि पिछले बजट सत्र में

भी कहा था कि मुरादाबाद जिले में क्षय रोग के इलाज हेतु गृह बनवाये जिससे टी० बी० का ठीक प्रकार से इलाज हो सके, इसलिये मुरादाबाद में एक टी० बी० अस्पताल अवश्य खोल दें जिससे वहां के बरतन कारीगरों को राहत मिल सके अन्यथा टी० बी० से पीड़ित व्यक्ति का पहले तो किसी का ठीक से डायगोनोसिस नहीं हो पाता है। और जब पता चलता है तो मर्ज काफी बढ़ चुका होता है जिससे उसे भुवाली जाने के लिये कहा जाता है तो गरीब आदमी वहां जा नहीं पाता है और वहीं दम तोड़ देता है। दूसरी बात यह भी कहना चाहती हूं (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, अभी दो एक मिनट और कहना चाहती हूं। मुरादाबाद और मुरादाबाद मंडल की स्थिति यह है कि वहां पर बिजली की बड़ी परेशानी आये दिन बनी रहती है। प्रायः यह देखा है कि अस्पताल में बिजली नहीं आ रही है, आंखों के आपरेशन में बहुत परेशानी होती है जबकि देहली वगैरह में ऐसी कोई बात नहीं है। अतः मैं आपसे फिर भी निवेदन करती हूं कि सभी अस्पतालों में आप वहां पर जनरेटर अवश्य लगवा दें, जिससे जनता को परेशानी न हो।

तीसरी बात यह है कि आज महिलाओं का स्तर पुरुषों के बराबर ही है महिलायें देश की एकता और अखंडता बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। माननीय मंत्री महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दें जो महिला अस्पताल है, उसका नाम विक्टोरिया अस्पताल है, मुरादाबाद जो बहुत पुराने समय से अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। इसके बारे में मांग की गई थी कि इस विक्टोरिया अस्पताल का नाम बदलकर इन्दिरा गांधी अस्पताल कर दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता--

आप माइक पर बोलिये, साफ सुनाई नहीं दे रहा है।

श्रीमती पुष्पा सिंघल--

इस पर मैंने अस्पताल की खराब दशा को देखते हुए कहा कि यह महिला अस्पताल इतना पुराना है इसका यही नाम चलने दो, यह अंग्रजों के जमाने का बना है। इसमें आजतक एक पैसा भी नहीं लगा है। आज तक पुताई तक नहीं हुई। महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इसमें मंत्री जी महिला अस्पताल के लिए और धन दें जिससे वह महिलाओं की बेहतर सेवा कर सके। स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध तथा एक अच्छा चिकित्सालय स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के नाम से परिवर्तित हो सके।

श्री अधिष्ठाता--

आप खत्म करें एक सेकेण्ड में आप खत्म करें।

श्रीमती पुष्पा सिंघल--

सरकारी अस्पतालों की दशा खराब है

इसके चलते वहां पर प्राइवेट नर्सिंग होम काफी खुल रहे हैं। मुरादाबाद में आज मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बराबर काम कर रहा है ...

श्री अधिष्ठाता--

आपका ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा है, माईक पर बोलें।

श्रीमती पुष्पा सिंघल--

आज अस्पताल की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि बहुत सारे प्राइवेट नर्सिंग होम आबादी की जगह में बन रहे हैं, खुल रहे हैं। इसी का परिणाम है कि मुरादाबाद

के सिविल लाइन्स क्षेत्र में एक फर्लांग में 3 नर्सिंग होम खुल चुके हैं और इसका परिणाम यह होता है कि अमीर आदमी का तो इलाज होता है, किन्तु गरीब आदमी दम तोड़ देता है। वहां पर आप दो सचल अस्पताल और चलवा दें। इसके साथ में बजट का समर्थन करती हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जन स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश के इतने विशाल बजट को, विशाल आबादी के बजट को बड़ी होशियारी के साथ प्रस्तुत किया है। मान्यवर, अनेक योजनायें गिनाने के बाद ग्रामीण और नगरीय अंचल की चिकित्सा सेवाओं में मंत्री जी ने जो भेद रखा है, मैं उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा है कि नगरों में जितना खर्च एक प्राइमरी हेल्थ सेन्टर में होता है, उससे कम खर्च देहात में होता है। एक प्राइमरी हेल्थ सेन्टर में जो आबादी 30 हजार बताई है, लेकिन वहां दूरी कितनी बढ़ गई है, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिये। जो आबादी बढ़ी है, उससे देहात के लोगों को आने-जाने में जो आनुपातिक नुकसान होता है, उसकी ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए, और मैं मंत्री जी से खासकर निवेदन करना चाहूं कि ग्रामीण और नगरीय अंचल के बारे में जो भेदभाव है, उसको वह कम करके सम रूप से जन स्वास्थ्य की प्रक्रिया और उसके अनुरूप बजट की प्रक्रिया ढालने का प्रयास करें, तो बड़ा अच्छा होगा। यह मेरा सुझाव है। मंत्री जी आशा है इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे और आशा है कि वह ग्रामीण अंचलों को अपने नजदीक लाने का प्रयास करेंगे।

आज 5.27 प्रतिशत व्यक्ति कुष्ठ रोग का शिकार हो रहे हैं। 8'99 लाख की आबादी कुष्ठ रोग से पीड़ित है, जो काफी ज्यादा संख्या में है। श्रीमन् जापान के कोलेबरेशन से एक संस्थान बना है आप उस संस्थान के शोध के उपयोग से कुष्ठ रोग का इलाज प्रभावी बनायें। आए दिन कुष्ठ रोगी बड़े-बड़े नगरों में घूमते देखे जा सकते हैं। जापान के कोलेबरेशन से जो संस्थान बना है उसमें दवाओं के शोध का सिलसिला जारी है उसको अपने यहां से नियंत्रित करेंगे तो कुष्ठ रोगियों के लिए यह बहुत बड़ा काम होगा। उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुए ग्रामीण अंचल में आप देखें कि कितने मच्छर हैं ग्रामीण अंचलों में मच्छरों के मारे कोई सो नहीं सकता है इतने मच्छर गांव में हैं। गांव में जिस रोग को रोकने के लिए, मलेरिया को रोकने के लिए जो दवायें आपकी हैं, कि यह रोग नहीं होगा, ऐसा आप कहते हैं, लेकिन जो दवायें आपकी हैं उसके अनुसार मच्छर की भी सहनशक्ति बढ़ गई है और वह आपकी दवाइयों को बेअसर कर देते हैं, जिससे मलेरिया बढ़ रहा है। मान्यवर, बरसात में और फसल कटने के बाद मलेरिया का कोप किसानों के घर में होता है। आप के यहां जो जन स्वास्थ्य सेवा के वाहन होते हैं यह शहरों में तो कहीं-कहीं देखने को मिल जाते हैं लेकिन यह देहाती अंचलों में दिखाई नहीं देते हैं तो यह देहातों में भी जो दो बार फसल कटती है उस समय इन वाहनों को चलवाने की कृपा करें।

मान्यवर, इसके अलावा यह निवेदन करना चाहता हूं कि घटिया किस्म की दवायें जो हैं उन पर नियंत्रण किया जाय। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी निदेशालय की है मान्यवर, आई0 पी0 डी0 पी0 एल0 और यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 ठेके पर दवाइयों का निर्माण कराती है, और इन दवाओं का जो परीक्षण होता है इसकी जिम्मेदारी आपके निदेशालय पर है। यह जो परीक्षण होता है यह ठीक तरह से नहीं होता है और घटिया दवायें सप्लाई की जाती हैं इस बारे में विधान सभा में आश्वासन भी आया और उस पर जांच के आदेश भी हुए लेकिन उस जांच का परिणाम सामने नहीं आया है। आज यू0

पी0 डी0 पी0 एल0 से लेकर निदेशालय तक के अधिकारी इस काले धन्धे के जिम्मेदार हैं अगर यह खत्म आप करा दें तो बड़ा उपकार हो सकता है और घटिया किस्म की दवायें आपके बीच से निकल सकती हैं।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, थोड़ा सा समय मुझे और दे दें। मान्यवर, फिरोजाबाद के अस्पताल में मैंने अनेक बार प्रार्थना की, अनेक बार निवेदन किया कि फिरोजाबाद की आबादी चार लाख और देहात की भी आबादी मिला दें तो छः लाख होती है।

श्री अधिष्ठाता--

आप जल्दी समाप्त करें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, वहां जो अस्पताल है, वहां जब बिजली चली जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है आपरेशन थियेटर में जेनरेटर की व्यवस्था नहीं है, तो जो वहां क्रिमिनल होता है वह नहीं होना चाहिए। मान्यवर, चार जेनरेटर की व्यवस्था इस कक्ष के लिए हो जाय ऐसी योजना बना दें। मान्यवर, हृदय रोग के लिए कोई केयर यूनिट नहीं है एक इन्टेंसिव केयर यूनिट की भी व्यवस्था वहां करा दें। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि 90 शैय्याओं का अस्पताल है, तो आप फिरोजाबाद की आबादी को देखते हुए दुगुनी शैय्यायें वहां पर करने की कृपा करें। एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक अस्पताल आप देहातों में खोल रहे हैं लेकिन देखने में यह आ रहा है कि उनके भवन नहीं हैं। मेरे यहां नगला सूरा फिरोजाबाद में आयुर्वेदिक अस्पताल का भवन नहीं है। भवन बनाने का आश्वासन दिया गया था लेकिन भवन के दर्शन अभी तक नहीं हुये हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को सफल बनाने के लिए यह आवश्यकता है कि इन चिकित्सालयों के लिए भवन हों और डाक्टरों के रहने की समुचित व्यवस्था हो। फिरोजाबाद अस्पताल के डाक्टरों के आवास बने इसके अतिरिक्त दवाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। दवाओं के लिए जो पैसा दिया जा रहा है उससे कम से कम ढाई गुने अधिक पैसा दिया जाना चाहिये।

(श्री नरेश चन्द्र को पुकारा गया)

श्री अधिष्ठाता--

समय कम है, समय का ध्यान रखें और जल्दी-जल्दी अपनी बात कहें।

श्री नरेन्द्र चन्द्र--

मान्यवर, आपने स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने जो आज सदन में स्वास्थ्य चिकित्सा और परिवार कल्याण के बजट अनुदान प्रस्तुत किये हैं मैं माननीय मन्त्री जी को, उनके समस्त स्टाफ डाक्टर्स, नर्सेज को बधाई देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश परिवार नियोजन में प्रथम आया है और ढ़ाई करोड़ रुपये का पुरस्कार भारत सरकार से मिला है। उत्तर प्रदेश का परिवार नियोजन का जो टारगेट था उसको पूरा किया गया है उसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री और समस्त कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो यह पुरस्कार वितरण का इंडीविजुअल सिस्टम है उसको खत्म करके सामूहिक पुरस्कार कर दिया जाय।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि डाक्टर कौशल जी ने कहा कि परिवार कल्याण का विषय इतना बड़ा है कि जब तक स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग नहीं लेंगे, वालंटेरी आर्गनाइजेशन्स का सहयोग नहीं लेंगे तब तक पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। इस तरह के जो आर्गनाइजेशंस हैं उनका सहयोग लेना चाहिये।

मैं एक बात पहले कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं कि फैमिली प्लानिंग के जो आपरेशन लखनऊ से बाहर हो रहे हैं वहां पर यहां से सर्जन्स जाते हैं। आपरेशन के बाद वह सर्जन यहां लौट आते हैं। जिनका आपरेशन होता है उनकी पोस्ट आपरेटिव केयर ठीक से नहीं हो पाती है क्योंकि लोकल डाक्टर्स जो होते हैं उनका कोआर्डिनेशन नहीं मिलता है और वह होस्टाइल एटीट्यूड के हो जाते हैं। इसलिये लोगों को दिक्कत होती है। इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। एक सबसे बड़ी और प्राब्लम अस्पतालों में आपरेशन के समय बिजली चली जाने से होने वाली असुविधा की है। इसके लिये जनरेटर्स मुहैय्या कराने की बात है। 1987-88 में मेरी जानकारी है कि 7 जनरेटर्स मुहैय्या कराये गये हैं। 17 जनरेटर्स 1988-89 में मुहैय्या कराये जाने की योजना है। यह बहुत अच्छी चीज है लेकिन इन जनरेटर्स को चलाने वाले आपरेटर्स आदि की व्यवस्था जब तक नहीं है तब तक यह काम में आने वाले नहीं हैं इसलिये इनको चलाने वाले आपरेटर्स आदि की व्यवस्था होनी चाहिये। प्रदेश में बहुत सी ए0 एन0 एम0 कार्य कर रही हैं। इनका कार्य जटिल है। 5 हजार की आबादी पर एक एन0 एम0 की व्यवस्था है। मेरा सुझाव है कि इसको कम करके 3 हजार की आबादी पर एक ए0 एन0 एम0 की व्यवस्था कर दी जाय।

फेमिली प्लानिंग के सम्बन्ध में एक बात मैं ग्रीन कार्ड के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जिन लोगों को ग्रीन कार्ड मिला है उसके मूल्यांकन कराने की आवश्यकता है। अन्य विभागों जैसे रेवेन्यू, इम्पलायमेंट आदि में उनको कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। उस कार्ड का कोई आनर नहीं हो रहा है। मकान आदि के एलाटमेंट में कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही है इसलिये मेरा सुझाव है कि इसका मूल्यांकन किया जाये, अन्य विभागों से रिपोर्ट मांगी जाय कि कितने ग्रीन कार्ड धारक व्यक्तियों को सुविधा मिली है अन्यथा ग्रीन कार्ड धारक व्यक्ति हतोत्साहित होते हैं। लखनऊ में सबसे प्रेस्टीजियस संजय गांधी इंस्टीट्यूट खोला गया है। इसमें 22 करोड़ रुपया जापानी एसिसटेंस से मिला है और ऐसे-ऐसे रेयर इंस्ट्रूमेंट्स आये हैं जो देश में आल इंडिया मेडिकल इंस्टटीट्यूट, चंडीगढ़ आदि में नहीं हैं। इसके अलावा 30 इमीनेन्ट सर्जन्स जो देश के बाहर काम कर रहे थे वह यहां पर काम करने आये हैं। इन्डोस्कोपी, न्यूरोलाजी, कार्डियोलाजी आदि यूनिट्स खुल गयी हैं और लेटेस्ट चीजें हो गयी हैं लेकिन कुछ चीजें अभी नहीं हुई हैं अगर यह हो जायं तो अच्छा होगा।

मान्यवर, मैं लखनऊ मेडिकल कालेज के बारे में कहना चाहता हूं। यह लखनऊ का सबसे पुराना और प्रेस्टिजुअस हास्पिटल है। यहां पर छात्रों के छात्रावास के लिये फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा बनवाया हुआ लड़कों के लिये तो एक छात्रावास है, परन्तु छात्राओं के लिये एक नया छात्रावास बनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लड़कियां दूर-दूर से आती हैं और उनके रहने का स्थान नहीं मिलता। दूसरा मेडिकल कालेज का एक अंग क्वीनमेरी हास्पिटल है, जो सड़क के दूसरे पार स्थापित है। इस सड़क पर बड़ी हैवी ट्रैफिक चलती है और क्वीनमेरी हास्पिटल से मरीजों को मेडिकल कालेज विभिन्न तरह की जांच कराने के लिये ले जाया जाता है, जिससे बड़ी कठिनाई होती है। मेरा मन्त्री जी से अनुरोध है कि मेडिकल कालेज और क्वीनमेरी हास्पिटल के बीच में एक ओवर-ब्रिज बनाया जाय, जिससे कि मरीजों को सुविधा प्राप्त हो सके।

अब मैं बलरामपुर हास्पिटल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जहां पर 650 बेड हैं और 30 प्राइवेट वार्ड हैं । उत्तर प्रदेश के सभी मन्त्री, एम0 पी0, एम0 एल0 ए0, प्रेस संवाददाता, अधिकारी आदि इस हास्पिटल में इलाज कराने हेतु आते हैं । यह एक रिफ्रेशर हास्पिटल हो गया है । बलरामपुर हास्पिटल का एक मास्टर-प्लान उत्तर प्रदेश सरकार के विचाराधीन है, जिसमें 11 करोड़ 14 लाख की मांग की गयी है, उसकी तुरन्त स्वीकृति करके बलरामपुर हास्पिटल का उत्थान कराया जाये । जो दवाइयां पब्लिक अन्डरटेकिंग्स द्वारा सप्लाई की जा रही हैं, उन्हें सी0 एम0 एस0 डी0 केवल वही दवाइयां खरीदें जो उनके द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती हैं । जो लोग लाइसेंसी द्वारा दवाइयां बनाई जाती हैं, उन्हें न खरीदा जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

बाकी आप लिखकर दे दीजिएगा ।

*श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 7-8 साल से हम देख रहे हैं कि उनके राजनैतिक स्वास्थ्य में कोई खराबी नहीं आई है, लेकिन प्रदेश के स्वास्थ्य का जो बजट है, अर्थात् प्रदेश के आम लोगों का जो स्वास्थ्य है, वह निरंतर गिरता जा रहा है, उसमें कोई सुधार आप नहीं कर पाये हैं । तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जिस तरह से आपका राजनैतिक स्वास्थ्य बरकरार है, उसी तरह से प्रदेश का स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे । उसमें कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया कि अस्पतालों की व्यवस्था ठीक नहीं है, दवाइयों की कमी है, डाक्टरों का अभाव है । मान्यवर, मैं उदाहरण देना चाहूंगा इस व्यवस्था के बारे में, मेरे क्षेत्र में एक बेरीनाग जगह है, वहां पर एक्सरे मशीन लगनी थी, जब मैं विधायक चुन कर यहां आया, उससे एक साल पहले से यह एक्सरे मशीन वहां पर लगनी थी, लेकिन आज की तारीख में भी वह मशीन नहीं लग पाई है । दूसरा उदाहरण, एक अनोखी व्यवस्था पर्वतीय क्षेत्र में आपने की है, वह व्यवस्था आपकी यह है कि यह बात माननीय सदन को सुनकर ताज्जुब होगा कि जो डाक्टर्स एम0 बी0 बी0 एस0 या पी0 एम0 एस0 दिहाड़ी में नियुक्त किये गये हैं, उनकी हाजिरी वार्ड बाय, यहां तक कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लेते हैं, यह एक अनोखी व्यवस्था आपकी है । इसका कारण यह है कि जैसी कि मैंने आपसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा भी की है, वहां पर दूरदराज के पर्वतीय क्षेत्र में कोई डाक्टर आसानी से जाना नहीं चाहता है । माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने भी मुझसे कहा था कि वहां के लोग भी वहां नहीं जाना चाहते हैं, मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं, लेकिन इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि वहां पर कार्य करने वाले डाक्टरों को कुछ लाश इन्सेंटिव, विशेष रियायतें दी जानी चाहिए, ताकि वह वहां पर जायें और उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य कर सकें । मैं एक बात और कहना चाहूंगा और जैसी कि मुझे उम्मीद थी कि माननीय मन्त्री जी एक पुरानी भारतीय सांस्कृतिक परम्परा वाले परिवार से सम्बद्ध हैं और उस संस्कृति का एक अभिन्न अंग आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है । जब पर्वतीय क्षेत्र में विशेषकर पिथौरागढ़ के हिमाचल क्षेत्र में जड़ी-बूटियां प्रचुर मात्र में मिलती हैं, इसलिये आपसे कई बार निवेदन किया है कि वहां पर एक आयुर्वेदिक शोध संस्थान की स्थापना की जाय, ताकि आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के संवर्द्धन व उनसे दवा आदि बनाने पर शोध आदि कार्य किया जा सके और उसका लाभ उठाया जा सके । आशा है कि आप इस बात पर प्राथमिकता देंगे । इन शब्दों के साथ, मैं माननीय राम आसरे वर्मा जी द्वारा रखे हुए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे शहर टिहरीनगर में इन्होंने हमारे अस्पताल को उच्चीकृत किया है लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां अभी हैं। एक्स-रे मशीन और कार्डियोलोजी की वहां स्थापना होनी चाहिये। मेरा निवेदन है कि वहां ब्लडबैंक की भी व्यवस्था हो। मान्यवर, टिहरी डैम की वजह से वहां आबादी बहुत बढ़ गई है, बहुत मजदूर जख्मी होते रहते हैं और बहुत आवश्यकता पड़ती रहती है एक बात मैं बहुत गम्भीरता से कहना चाहता हूं कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में स्त्रियां जो महिलाएं हैं, मां बहनें हैं उनके ऊपर परिवार नियोजन के लाईप्रोस्कोपिन आपरेशन होते हैं उससे उनका स्वास्थ्य बहुत गिरता जा रहा है। क्योंकि उनकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं हो पाती है। हमारे पहाड़ों में मां बहिनें उतराई-चढ़ाई में बहुत बड़ा बोझ लेकर चलती हैं लेकिन हमारे डाक्टर लोग ऐसे स्थान पर कैम्प लगाते हैं जहां पर मोटर गाड़ी पहुंच जाती है, तुरत फुरत आपरेशन करने के बाद वह महिलाओं को छोड़कर चले जाते हैं। मान्यवर, बहुत शिकायतें इस सम्बन्ध में हैं और महिलाएं जिनके ऊपर हमारे पर्वतीय क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था आधारित है उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ज्यादा से ज्यादा ध्यान स्वास्थ्य विभाग को देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री बाबू राम यादव--

मान्यवर, बड़ा खेद है....

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

मान्यवर, आप हमको भी बुलवा दीजिये।

श्री अधिष्ठाता--

आप तो मंत्री रहे हैं, आप बैठिये।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, ये अपने को सत्तापक्ष में मानते हैं या विपक्ष में।

श्री बाबू राम यादव--

मान्यवर, बड़े खेद और दुख के साथ लेकिन बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि आप यहां पर तो पक्षपात करते रहे लेकिन जब आप पीठ पर बैठे हों तो आपको पक्षपात नहीं करना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

कोई पक्षपात नहीं किया गया है एक सदस्य थे जो इधर से उधर चले गये हैं कुछ पता नहीं चल रहा है।

श्री बाबू राम यादव--

मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जब इस पीठ पर बैठें तो पक्षपात न करें।

श्री अधिष्ठाता--

ऐसी आशा न करें।

श्री बाबूराम यादव--

मान्यवर, जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने यहां बजट रखा, उन्होंने अपने बजट भाषण में सबसे पहले आबादी बढ़ने की बात कही, परिवार नियोजन की बात कही। मान्यवर, आबादी के जो आंकड़े माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताये उनसे स्पष्ट है कि उनका परिवार नियोजन कार्यक्रम पूरी तरह से विफल हो गया है और मैं कहना चाहता हूं 1972 से यह कार्यक्रम बड़ी जोरदारी से चला और 1974-75-76 में तो कोई बचा ही नहीं जिसकी नसबन्दी न कर दी गई हो। ऐसा कहा गया। आज हाल यह है कि जिले स्तर के सारे कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग के डाक्टर सब नसबन्दी के काम में लगे हुए हैं न तो किसी को मरीजों की परवाह है और न अपने काम से मतलब है। केवल नसबन्दी में लगे हुए हैं। नसबन्दी के आंकड़े इतने फर्जी बनाये जा रहे हैं कि सरकार का करोड़ों रुपया जो इस बजट में लग रहा है उसको लूटा जा रहा है। मान्यवर, जितनी भी शिकायतें विपक्ष से आई हैं जितने हमारे माननीय सदस्यों ने नसबन्दी की शिकायतें की हैं उस पर हमेशा जांच का आश्वासन दिया लेकिन नतीजा यह है कि आश्वासन देने के बाद आज तक किसी की जांच नहीं कराई और न उसके बारे में परिणाम बताया।

मैं कहना चाहता हूं कि जो नसबन्दी के आंकड़े आ रहे हैं उसमें 90 फीसदी फर्जी हैं तो आज सदन के सामने स्वास्थ्य मंत्री चुनौती स्वीकार करें, किसी एक ब्लाक का किसी एक तहसील का सारे उत्तर प्रदेश में जांच करा दें परिणाम सामने आ जायेगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो आपने दूसरा प्वाइन्ट लिया था बजट का उसमें जो आजकल आम जनरल शिकायतें हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट, नकली दवाओं की घटिया दवाओं की धड़ल्ले से बाजार में बिक्री हो रही है। इस अपने बजट भाषण में आपने इस दिशा में एक भी शब्द नहीं कहा। मान्यवर, आम नागरिक आप देखें, परेशान हैं। आपकी मशीनरी इतनी जोरदारी से भ्रष्टाचार की ओर जा रही है, मिलावट के इतने तौर तरीके बढ़ गये हैं, तमाम नकली दवाओं की फैक्ट्रियां बन गयी हैं। वही नकली दवाएं अस्पतालों में दी जाती हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आपने जन-स्वास्थ्य रक्षक की बात कही, कितना इम्प्रेक्टिकल है। पचास रुपये का एक आदमी जनता को दवा बांटेगा। पौने दो रुपये भी नहीं होते, वह दवा कैसे बांटेगा आज हिन्दुस्तान का कोई भी आदमी इतने कम में मजदूरी नहीं करेगा। आपने मखौल बना रखा है।

मैं कहना चाहता हूं कि प्राइमरी हेल्थ सेन्टर में आपने स्वयं स्वीकार किया, जैसा कि माननीय वर्मा जी ने कहा कि शहरों में और ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य सेवाएं बड़ी विषमता हुई है। आपकी मानसिकता से स्पष्ट होता है कि आपकी सरकार देश की गरीब जनता और मजदूर विरोधी है। आपको उनकी कोई परवाह नहीं है। आपको इस विभाग में रहते काफी लम्बा समय हो रहा है। काफी समय से आपने उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग संभाला है। एक परम्परा पड़ गयी है, रिवाज हो गया है कि डाक्टर प्राइमरी अस्पतालों में जाते ही नहीं। आपने स्वयं बताया कि ग्रामीण अंचल में डाक्टर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। पहले शिकायत थी कि प्राइमरी पाठशालाओं में प्राइमरी अध्यापक अनुपस्थित रहते थे, लेकिन वह शिकायत आज पूरी तरह से डाक्टरों पर लागू हो रही है।

पी0 एल0 सी0 पर डाक्टर कहीं भी उपस्थित नहीं होते। कुछ डाक्टर पहुंचते हैं तो एक दो महीने में 2-3 बार चले जाते हैं। दवाओं की हालत यह है कि मुफ्त वितरण की दवा, मैं मैनपुरी की बात कहता हूं, वहां पर 5 फीसदी लोगों को अस्पताल

से मुफ्त दवा नहीं मिलती। मैं अपने करहल कस्बे की बात कहता हूं जो तहसील स्तर का है, वहां 30 शय्याओं वाला अस्पताल स्वीकृत किया गया था। सन् 80 से अस्पताल बना है, बिल्डिंग बन गयी है, लेकिन आज तक न तो डाक्टर है न उसका कोई इंतजाम है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री बाबू राम यादव--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मुझे यह पता लगा है कि वह बिल्डिंग बहुत भारी कमीशन के चक्कर में ट्रान्सफर नहीं हो रही है। यहां पर दवा के घोटाले का मामला उठाया गया, पहले भी दवा के घोटाले क मामला उठा था, ग्लिसरीन का मामला उठा था। स्वास्थ्य सचिव उसको रोकना चाहते हैं। इसलिये माननीय मंत्री जी पर कमीशनखोरों का इतना दबाव पड़ा है कि वह मामला दब गया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का भ्रष्टाचार जो इस विभाग में बढ़ा है, उसका सबूत है कि मान्यवर, अक्षयवर मल्ल को जो हत्या हुई, उसमें जो पोस्टमार्टम हुआ, इससे डाक्टरों के माथे पर कलंक लगा है, उत्तर प्रदेश के लोग डाक्टरों की बात पर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन सत्ता पक्ष के दबाव पर डाक्टरों ने झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है। इन शब्दों के साथ, मैं माननीय वर्मा जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती कुदसिया बेगम--

जनाबेवाला, मैं स्वास्थ्य मंत्री ने जो बजट पेश किया है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। मैं उनको मुबारकबाद देती हूं क्योंकि उनके बजट में कई ऐसी चीजें हैं जो कि काबिले सताइश हैं। आबादी की रोकथाम के लिए जो कदम उठाए हैं, वह काबिले तारीफ हैं, और मैं यह समझती हूं कि जहां जनता का सहयोग इसमें न हो, तब तक पूरी कामयाबी इसमें नहीं हो सकती। लेकिन मुझे खुशी है कि जनता की जहनियत बदलती जा रही है। मेरे क्षेत्र में कई गांवों में एक-एक माह में 25 केसेज गांव वालों ने पेश किये हैं। जिसके सिलसिले में वहां लोगों ने रुचि दिखायी, उनको हर तरह के इन्सेंटिव्स दिये गये हैं। यह बहुत ही खुशी की बात है। मैं समझती हूं कि इस चीज को ज्यादा तरक्की देनी चाहिये। एक राष्ट्रीय मामला है और हमारी आबादी जब तक कि महदूद नहीं की जायेगी, तब तक हमारी कोई भी योजना कामयाब नहीं हो पायेगी। इसके अतिरिक्त जनाबेवाला मैं यह भी कहना चाहती हूं कि डाक्टरों पर देहात में काम करने के लिए जो 5 साल की पाबन्दी लगाई गई है, यह बहुत अच्छी बात है।

श्री अधिष्ठाता--

बेगम साहिबा, आप कृपा करके दूसरे माइक पर आ जाइये आगे आ जाइये, आपकी आवाज बड़ी महीन है सुनाई नहीं पड़ रही है।

श्रीमती कुदसिया बेगम--

क्योंकि देहातों में डाक्टरों की बहुत जरूरत हो गई है, बीमारियां वहां बढ़ती चली जा रही हैं, वहां के लोग भी अब हास्पिटल माइंडेड होते चले जा रहे हैं, ज्यादातर लोग अब वहां इलाज करवाना चाहते हैं। इसलिए अब गांवों में बहुत

जरूरत हो गई है कि डाक्टर मौजूद रहें। जनाबेवाला, लड़कियों के लिये जो हास्टल खोले जा रहे हैं, यह बहुत अच्छा कदम है, मंत्री जी ने यह बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देती हूं। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जहां-जहां भी मेडिकल कालेजेज हैं और जहां अभी लड़कियों के लिए हास्टल नहीं हैं, वहां पर भी इसके लिए विचार करें।

मैं एक चीज की तरफ और ध्यान दिलाना चाहती हूं कि नकली दवाओं का इधर बहुत प्रचलन हुआ है, अभी दो तीन दिन पहले अखबारों में यह था कि दिल्ली में 13 कारखाने ऐसे हैं जो नकली दवायें बनाने का काम करते हैं। नकली दवाओं की तरफ ध्यान देना होगा। इसकी बाबत रोकथाम करनी चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए क्योंकि यह लोगों की जान के साथ एक प्रकार से खेलने का मामला है। मलेरिया बिल्कुल उत्तर प्रदेश से बल्कि हमारे मुल्क से गायब हो गया था, लेकिन अब मच्छरों की तादाद फिर बढ़ गई है और इतनी ज्यादा हो गई है कि मलेरिया फिर वापस आ रहा है। मैं कहना चाहती हूं कि अस्पतालों में कुनैन की गोलियां रखवायी जांय क्योंकि अब वहां कहीं दवा नहीं है। पहले गन्दी नालियों में डी0 डी0 टी0 छिड़कवाया जाता था मच्छरों की रोकथाम की बाबत सफेद धुआं छोड़ा जाता था, जिससे मच्छर मर जाते थे, लेकिन इधर यह व्यवस्था बन्द हो गई है। इस चीज की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। गन्दगी में भी मच्छर बहुत पैदा होते हैं, उस तरफ ध्यान देना होगा। लखनऊ शहर भी काफी गन्दा है, वह भी जाहिर है। देहातों में भी नालियों में गन्दगी भरी रहती है वहां के लिये जरूरी है कि डी0 डी0 टी0 छिड़कवायी जाय और उसकी व्यवस्था की जाय। चूंकि अंग्रेजी दवायें बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही हैं और अब सरकार की पालिसी भी हो गयी है कि यूनानी और आयुर्वेदिक दवाओं को आगे बढ़ाया जाय, इसका भी लोग इलाज करें इस लिये मैं चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र सण्डीला में यूनानी और आयुर्वेदिक के अस्पताल खोले जायं।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्रीमती कुदसिया बेगम---

मान्यवर, इधर कुछ यूनानी आयुर्वेदिक और तिब्बी कालेजों के लोगों द्वारा चलाने पर सरकार द्वारा जो पाबन्दी लगाई गयी है, उस पर दोबारा सोचने की जरूरत है। आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्बी कालेज अच्छा काम कर रहे हैं उनको जरूर सरकार मान्यता प्रदान करे। इन्हीं अलफाज के साथ मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी के बजट का समर्थन करती हूं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं अपनी बात कहने से पहले पहले थोड़ा सा यह याद दिलाना चाहता हूं....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वर्मा जी, बेगम साहिबा की ही तरह आपकी आवाज आ रही है, चाहें तो दूसरे माइक पर आ जायं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, बेगम साहिबा से तो आप ही मेल खाते हैं।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, यह दोनों बेगमें हरदोई की हैं ।

(हंसी)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि पूज्य कमलापति त्रिपाठी जी जब इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे उस समय उन्होंने यह एक आश्वासन दिया था कि पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिये वे एक मेडिकल कालेज देंगे मान्यवर, उस समय से लेकर आज तक, श्री लोकपति त्रिपाठी, जो कि 1980 से लगातार स्वास्थ्य मंत्री हैं लेकिन पर्वतीय क्षेत्र की जनता की जो भावना थी, उसका ध्यान नहीं किया गया । वहां पर इसके लिये आन्दोलन भी हुआ । मान्यवर, मेडिकल कालेज की ओर माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया । मान्यवर, आज देश में जन स्वास्थ्य रक्षकों का जाल फैला है और उनके आधार पर यह कह दिया जाता है कि हम गांवों को स्वास्थ्य सुविधायें दे रहे हैं । लेकिन इन जन स्वास्थ्य रक्षकों की हालत आज बड़ी दयनीय है । जो 50 रुपये का भत्ता उनको दिया जाता था, वह भी उनको समय पर नहीं मिलता, दवाएं नहीं दी जातीं ।

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद और होम्योपैथी दो चिकित्सा पद्धतियां हैं, इनकी तरफ आज शासन का रुझान बहुत कम है । इन दोनों पद्धतियों को शासन की तरफ से हतोत्साहित किया जा रहा है, यह बड़ा दुखद है । मान्यवर, कुछ जो आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज हैं, उनको उच्चीकृत करने की बात माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कही है, इस सम्बन्ध में मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जब तक इस तरह की डिस्पेन्सरीज को उच्चीकृत किया जाय तो कम से कम इनका आयुर्वेद का स्वरूप प्रधान भी रहे । दूसरी तरफ मान्यवर, होम्योपैथिक डिस्पेन्सरीज को उच्चीकृत करने की ओर सरकार की ओर से कोई मत व्यक्त नहीं किया गया । मान्यवर, आयुर्वेद में भी चिकित्साधिकारियों के होने के लिये कोर्ट ने आदेश किया, लेकिन आज तक कोर्ट के आदेश के बावजूद भी मेडिकोलीगल अधिकार नहीं दिया गया । मान्यवर, तृतीय चिकित्साधिकारियों को जो नियुक्त किया गया है उनके कार्य का आज तक कोई भी निर्धारण माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी की तरफ से नहीं किया गया, जिसकी वजह से सी0 एम0 ओ0 जैसा चाहते हैं, उस तरह से उनको इस्तेमाल करते हैं ।

(इस समय 7 बजकर 10 मिनट पर श्री उपध्यक्ष पीठासीन हुए)

मान्यवर, मैं, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से एक अनुरोध अवश्य करना चाहूंगा कि जब पूरे प्रदेश के सामने भ्रष्टाचार उजागर हो जाये और भ्रष्ट अपराधी सामने आ जाये, उनको अगर इनके स्तर से संरक्षण मिलेगा तो वह बहुत दुखद है । अभी दो दिन पहले इसी सदन में एक आजमगढ़ की बात आई थी, जिसमें एक फार्मेसिस्ट को माननीय स्वास्थ्य मन्त्री ने आगे करके उसको अपना संरक्षण प्रदान किया और एक समानान्तर फार्मेसिस्ट एसोसियेशन बनवा दी । उस आदमी को स्टोर का इंचार्ज भी बना दिया गया, जिसने वहां पर लाखों का गड़बड़ किया, निलम्बित किया गया बहाल करने पर सी0 एम0 ओ0 से आप कहते हैं कि हम कन्सलटेंट बना देंगे इस तरह से मान्यवर, यह संरक्षण उचित नहीं है ।

मान्यवर, एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि विशिष्ट व्यवस्थायें एक अस्पताल में होना चाहिये, प्रदेश में एक अस्पताल जो राजकीय बलरामपुर अस्पताल है, उसमें

कम से कम लेटेस्ट जो इक्यूपमेंट हैं, जैसे अल्ट्रासाउन्ड की व्यवस्था कर दी जाये, सी0 टी0 स्केल की व्यवस्था हो जाये, हार्ट आपरेशन, किडनी ट्रान्सप्लेन्टेशन की व्यवस्था हो जाये तो यह अस्पताल एक आदर्श के रूप में हमारा बन जायेगा । इन सुविधाओं से माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी इसे अवश्य लैस करा दें । दूसरी बात पूरे प्रदेश से इस अस्पताल में मरीज आते हैं, लेकिन मरीजों के तीमारदारों के रहने के लिये वहां कोई व्यवस्था नहीं है, इस तरफ भी माननीय मन्त्री जी को सोचना चाहिये ।

मान्यवर, मैं एक बात अपने जिले की भी कहना चाहूंगा । हमारे हरदोई जिले में 6 अस्पताल हैं, जिला परिषद् के । मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री की एक आदत बन गई है कि यह आश्वासन इस सदन के अन्दर बहुत देते हैं, लेकिन उनको पूरा नहीं करते हैं । अगर पुराने आश्वासनों को उठाकर देखा जाये, तो आप पायेंगे कि उनमें से कोई भी आश्वासन आज तक पूरा नहीं हुआ । हरदोई जिले के 6 अस्पतालों के सम्बन्ध में माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम उनका प्रान्तीयकरण कर देंगे, लेकिन आज तक उनका प्रान्तीयकरण नहीं किया गया । इस तरफ भी मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं पुनः अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, माननीय श्री वर्मा जी ने व अन्य साथियों ने अपने जो सुझाव दिये हैं, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और साथ ही उनकी भावनाओं का आदर करता हूं क्योंकि वह भी हमारी तरह चिन्तित हैं कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य कार्यक्रम में वृद्धि हो । श्री कौशिक जी ने प्रश्न किया था कि उनके हाऊस जौब का क्या होगा । इण्डियन मेडिकल काउंसिल के अनुसार 5 वर्ष की सेवा करने के उपरान्त वह एक वर्ष के हाऊस जौब की समकक्षता में आता है ।

श्री कौशिक रमाशंकर--

इस प्रकार एम0 एस0 और एम0 डी0 करने में तो उन्हें काफी समय लग जायेगा, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

हम प्रदेश के लिए कर रहे हैं । 6 महीने के इन्टर्नशिप देहात में करेंगे, उसके बाद हम उनको पी0 एच0 सी0 में रखेंगे, 3 वर्ष के अन्दर हम उन्हें पी0 एम0 एस0 में लायेंगे । 2 वर्ष पी0 एम0 एस0 में पूरा करने के बाद 50 परसेन्ट आरक्षण कोटे से उन्हें पोस्ट ग्रेज्युएशन के लिए भेज देंगे । हमारा उद्देश्य यह है कि चिकित्सक उपलब्ध हों । हमारे एक सदस्य श्री यादव जी डाईलेसिस की बस्ती में चले गये, वह इलाहाबाद में उपलब्ध हैं । जो लोग एन0 पी0 ए0 चार्ज कर रहे हैं और नर्सिंग होम भी चला रहे हैं । हमारे पास एक सूची है, जिन्होंने प्राईवेट प्रैक्टिस की छूट अदालत से ले रखी है, वे एन0पी0ए0 चार्ज नहीं करते हैं । सम्मानित सदस्य कोई सूचना दें, अगर कहीं कोई चिकित्सक एम0पी0ए0 भी चार्ज कर रहा है और नर्सिंग होम भी चला रहा है तो उसके खिलाफ हम ऐक्शन लेंगे ।

डाक्टर साहब ने डिप्लोमा इनकार्डियोलाजी की बात कही । इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा यह मान्यता प्राप्त नहीं है । आगरा में एम0 डी0 कार्डियोलाजी

स्थापित करने का मामला विचाराधीन है और वह हम कर रहे हैं। जो आपका नासूर है इमरजेन्सी का, उसमें हम 30 लाख रुपये दे चुके हैं कोशिश करेंगे कि उसे और रुपया दिया जाय। वह मामला एक जगह अटक गया था। अभी दो दिन पूर्व बात हुई है। उससे हम इसे अलग नहीं होने देंगे। उलझ यहां पर गया था कि जो नया मेडिकल कालेज का निर्माण होगा, वह वहां जायेगा, लेकिन वह वहां नहीं जायेगा, वह नगर में ही रहेगा, वह वहां शिफ्ट नहीं होगा। इस साल कुछ व्यवस्था धन देने के लिए हम करेंगे। कार्डियोलाजी डिपार्टमेन्ट में जो बजट है, उसमें उपकरण और जो साधन हैं, उनको देने का प्रबन्ध किया जायेगा। कुमारी अलमेलू अम्माल ने कहा कि बस्ती में आई0 सी0 सी0 यू0 स्थापित तो हो गयी लेकिन चालू नहीं हुई। उसके उपकरणों के लिये एस0 एम0 एस0 के पास धन भेज दिया गया है उसको चालू कराने के लिये।

हरैया में, आप वहां के विधायक हैं, मुझे दुख है कि माननीय सदस्य जिस क्षेत्र के विधायक हैं, उनको पता ही नहीं है कि बड़े अस्पताल में एक्सरे मशीन लगी है कि नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि वह मशीन लग गयी है, एक्स-रे टैक्नीशियन पहुंच गया है, बिजली का कनेक्शन भी लग जायगा, आज मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि उन्होंने इजाजत दे दी है बिजली के कनेक्शन की।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे—

मैंने इसलिये कहा कि मशीन पहुंची होती तो आप उद्घाटन करते, शिलान्यास तो बहुत करते हैं।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

किंग जार्ज मेडिकल कालेज में बैक्टीरियल इन्वेस्टीगेशन की बात उठायी गयी, वहां माइक्रो बाइलाजीकल लैब भी स्थापित हो गयी है, वहां के कार्य की विशेष मान्यता है। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया इन्वेस्टीगेशन का काम खाली हिमांचल में हो रहा है।

फिरोजाबाद की चर्चा की, वहां के चिकित्सकों के आवास के निर्माण के लिये धन दे दिया गया है, आवासों का निर्माण हो रहा है, 1988-89 में आवास उपलब्ध हो जायेंगे। इन्टेन्सिव केयर यूनिट के बारे में निर्णय अभी करना है। इन्टेन्सिव केयर यूनिट उत्तर प्रदेश में 39 जगहों पर हैं, 57 जिले हैं, पहले जिला मुख्यालयों पर लगा रहे हैं। इस वर्ष 1988-89 में भी इन्टेन्सिव केयर यूनिट्स लगा रहे हैं। हम यह प्रयास करेंगे कि फिरोजाबाद को, जहां एक बड़ा चिकित्सालय है, वहां की आवश्यकता भी है, इस बात का मैं प्रयास करूंगा कि किसी ढंग से इसको वहां भी लगायें।

(व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव—

करहल के अस्पताल के बारे में बता दें, कब तक चालू करा देंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

इसको 1988-89 में चालू करा देंगे। उत्तर प्रदेश में हर वर्ष 30.40 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लेते हैं। इसमें हम लोग करीब 175 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ऐसे साधन नहीं हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का सारा धन एक ही वर्ष में दे दें।

5 से 6 वर्ष तक लगते हैं एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को खड़ा करने में । उत्तर प्रदेश में इस वर्ष दो अतिरिक्त डाईलिसिस यूनिट जिला चिकित्सालय में लगेंगे, जबकि इसके 9 यूनिट लगाये जा चुके हैं । दन्त चिकित्सा की सुविधा 194 चिकित्सालयों में उत्तर प्रदेश में स्थापित हो चुकी है और इस वर्ष 43 दन्त चिकित्सा की सुविधा और स्थापित होगी ।

बाल रोग चिकित्सालय 215 स्थापित हो चुके हैं और इस वर्ष 41 बाल रोग चिकित्सालय का लक्ष्य है । ई0 एन0 टी0 (आंख, कान और नाक) के लिये चिकित्सालय इस वर्ष स्थापित किये जायेंगे । उत्तर प्रदेश में 76 जनरेटर लग चुके हैं और इस वर्ष 17 और जनरेटर लगाये जायेंगे । इसके साथ ही आपरेटर भी देने की बात है लेकिन इसके लिये आपको जिला प्लान (डी0 आर0 डी0 ए0) से स्वीकृति लेनी पड़ेगी ।

इस वर्ष उत्तर प्रदेश के लिये 6 डिस्पेन्सरी प्रस्तावित हैं । अभी बड़ी चर्चा हुई किंग जार्ज मेडिकल कालेज में एड से सम्बन्धित जांच की व्यवस्था की गयी है और हर जिला चिकित्सालय को, उनके एस0 एम0 एस0 को यह आदेश दे दिये गये हैं कि बाजार से खरीदा हुआ खून जब तक कि उसकी जांच न करा लें, किसी व्यक्ति को बाजार से खरीदा हुआ खून न चढ़ाया जाय ।

इस वर्ष 15 गैर सरकारी एलोपैथिक चिकित्सालयों के प्रान्तीयकरण का लक्ष्य है । इसका मैंने क्रम भी बताया कि कौन पहले होगा । सण्डीला और शाहाबाद पहले होगा तब मल्लांवा का नम्बर आयेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आप जरा माईक पर बोलें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी अच्छा । संजय गांधी इंस्टीट्यूट के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये तो संजय गांधी इंस्टीट्यूट के लिये जिनकी जमीन ली गयी है उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जायेगी । अभी तक वहां पर जो नियुक्तियां हो रही हैं वह ट्रेन्ड लोगों की ही हो रही हैं । दिसम्बर, 1988 में उसको चालू करने का लक्ष्य रखा गया है । वैसे तो उसे 150 शैयाओं पर ही मई से प्रारम्भ कर दिया जायेगा, किन्तु नवम्बर, 1988 से यह पूरी तरह से चालू हो जायेगा ।

श्री शारदा प्रताप--

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि संजय गांधी इंस्टीटयूट में जिनकी जमीनें गयी हैं तो अभी वहां पर फोर्थ क्लास की यानी कि चपरासियों की भर्ती हुई है जिसमें बाहर के लोगों को वहां पर रखा गया है । वहां पर इस नियुक्ति के लिये इन्टरव्यू भी हुआ लेकिन एक भी वहां पर स्थानीय आदमी की नियुक्ति नहीं हुई है, इसका क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

संजय गांधी इंस्टीट्यूट का उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह एक इनडिपेन्डेन्ट बाडी है जिसके महामहिम राज्यपाल रेक्टर हैं । मैं तो सिर्फ उनका बजट लाया हूं 39 करोड़ रु0 का । इसी सदन में मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिन

लोगों की ज़मीन इस अस्पताल के लिए ली गयी है, उनके परिवार के एक-एक व्यक्ति को नौकरी अवश्य दी जायेगी, तो वह समय आने पर अवश्य दी जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

शुक्ला जी कुछ लेट आए थे, इसलिए माननीय मंत्री जी की बात को पहले वह सुन नहीं सके थे ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन् इस संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए 16 करोड़ रु0 के उपकरण तो जापान से आ गये हैं जो हमें फ्री-ऐड में मिले हैं, कर्ज के रूप में नहीं मिल रहे हैं, जापान सरकार ने 28 करोड़ रु0 के उपकरणों को इस अस्पताल के लिए देने की बात कही है, जिसमें 16 करोड़ के उपकरण आ चुके हैं और 12 करोड़ के और आ रहे हैं । इसी प्रकार से वहां पर बहुत से चिकित्सकों को, विशेषज्ञों को भर्ती कर लिया गया है, जिसमें से कुछ आ गये हैं और कुछ अभी आने शेष हैं । इस प्रकार से उसमें भिन्न-भिन्न इलाजों के लिए 8 यूनिट्स होंगी जैसे इन्टेंसिव कारोनरी केयर यूनिट, डायलेसिस यूनिट्स दंत रुजालयों की स्थापना, बाल रुजालयों के स्थापना इंट्रो लाजी (अर्थात मूत्र रोग) इस प्रकार से इसके अन्तर्गत 12 विभाग होंगे और यह 1988-89 से पूरी तरह से प्रारम्भ हो जायेगा । इसलिए इस वर्ष 39 करोड़ रु0 का बजट इसके लिए रखा गया है । साथ ही श्रीमन् में जो वर्ष 1987-88 की कुछ उपलब्धियों को बताने जा रहा था, बीच में यह बात आ गयी । प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों म शिक्षण स्तर को सम्मुन्नत करने के उद्देश्य से अपेक्षित स्टाफ एवं साज-सज्जा की आपूर्ति की गयी है, (2) प्रदेश में सातों राजकीय मेडिकल कालेजों के रेडियोलाजी विभागों हेतु अतिरिक्त पद सृजित कर उन्हें रेडियोथोरेपी एवं रेडियो डायग्नोसिस विभागों में विभक्त कर दिया गया है, (3) मेडिकल कालेज आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, झांसी, गोरखपुर तथा जिला अस्पताल वाराणसी, फैजाबाद देहरादून एवं बरेली में विकलांग कार्यशालाओं की स्थापना कर दी गयी है, (4) जे0 के कैंसर इंस्टीट्यूट कानपुर में स्वीकृत "रिमोट आफ्टर लेडिंग" संयत्र के, क्रय हेतु रु0 13.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है तथा प्रदेश के 15 जिला चिकित्सालयों में डे-स्कालर उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्रों की भी स्थापना कर दी गयी है, जिसके बारे में माननीय वर्मा जी बहुत ही चिंतित रहते हैं । साथ ही श्रीमन्, प्रदेश के सभी राजकीय मेडिकल कालेजों के विभिन्न विभागों में आवश्यक अतिरिक्त साज-सज्जा, उपकरण एवं स्टाफ देकर उन्हें सुदृढ़ करने का भी प्रस्ताव है । सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में ज्वाइंट रिप्लेसमेन्ट (ट्राम यूनिट) की स्थापना तथा छात्रावास हेतु स्टाफ एवं उपकरण की व्यवस्था कर दी गयी है साथ ही श्रीमन् गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर के अस्थि विभाग के 66 शय्या वाले वार्ड को 150 शय्या तक बढ़ाने हेतु आदेश दे दिए गये हैं । लाला लाजपत राय मेडिकल कालेज, मेरठ के नवनिर्मित 200 शय्या वाले वार्ड हेतु स्टाफ एवं उपकरण तथा कोबाल्ट यूनिट के सुदृढ़ीकरण के आदेश दे दिए गये हैं ।

मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में इन्टेंसिव केयर यूनिट की स्थापना, बाबा राघव दास मेडिकल कालेज, लखनऊ के मिडिसिन विभाग की इन्ट्रोक्राइनोलोजी इकाई की नवनिर्मित भवन की साज-सज्जा, मेडिसिन विभाग के अन्य विभिन्न इकाइयों के उपकरण, कार्डियोलोजी विभाग में उपकरण एवं साज-सज्जा तथा पैथालोजी विभाग की इकाईयों एवं दन्त संकाय के आपरेटिव डेन्टिस्ट्री विभाग के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष

1988-89 के बजट में रु0 144.35 लाख की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है तथा गाज-पट्टी एवं अन्य प्रकीर्ण मदों की कमी की जो शिकायतें रहती हैं, उन्हें दूर करने के लिए भी प्रत्येक राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु व्यवस्था की जा रही है ताकि इस सिलसिले की शिकायत किसी को न रहे । अब जहां तक यूपिका का प्रश्न है....

(व्यवधान)

5 हजार तक की आमदनी तक के व्यक्ति को प्रतिवर्ष उसको जिला अस्पताल मेडिकल कालेज, हर जगह निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध रहेगी । अब मैं परिवार कल्याण की बात पर आ रहा हूं । मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे सदन ने इस कार्यक्रम को ठोस स्वरूप देने में मदद दी । अगर सदस्यों की भावना है कि कहीं पर या अधिकांश जगहों पर परिवार कल्याण कार्यक्रम जबरदस्ती से चलाया जा रहा है अथवा उसमें फर्जी रिकार्ड दिये जा रहे हैं अथवा पुराने केसेज दुहराये जा रहे हैं, तो मैं 3-4 जिलों में रैंडम सैम्पिल सर्वे कराऊंगा और आप लोगों के उन जिलों का नाम बता दूंगा । 28 फरवरी को उत्तर प्रदेश ने अपना लक्ष्य 6 लाख 26 हजार का कर लिया था, इसके लिये आप सभी को बधाई है ।

श्री बाबूराम यादव--

आप इस कार्यक्रम का कानून क्यों नहीं बना देते हैं, सारा झंझट समाप्त हो जाये ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मैंने कहा था कि कोल्ड चेन की स्थापना की जा रही है । करीब इस वर्ष के अन्त में 40 जिलों में यह हो जायगी और इसलिये मैंने जब शुरू में इस प्रकरण को प्रारम्भ किया, तो कहा था कि प्रयास है कि जो 125 बाल मृत्यु प्रति हजार हो रही है, 1990 तक प्रयास है कि 125 से घटकर 85 पर ला दें । कार्यक्रम चल रहा है और मुझे विश्वास है कि राम आसरे वर्मा जी अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल नहीं देंगे ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । स्वास्थ्य केन्द्रों पर कोई डाक्टर नहीं रहता है, आपने उसके लिये क्या व्यवस्था की है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

वर्मा जी, क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

(व्यवधान के मध्य) पानी की टंकी बन गई है, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है, क्या मंत्री जी वहां पर पानी की व्यवस्था करेंगे ?

श्री राम आसरे वर्मा--

जी नहीं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

सभी का एक साथ उत्तर दे देंगे ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक स्पष्टीकरण माननीय मन्त्री जी से चाहता हूं कि जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टर नहीं हैं वहां पर आप डाक्टरों की परमानेन्ट व्यवस्था करेंगे । जहां होम्योपैथी की व्यवस्था है और जहां 30 बेड के अस्पताल हैं वहां पर पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिए क्या आप वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे ?

(मंत्री जी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

एक साथ उत्तर दे दीजियेगा ।

श्री कौशिक रमा शंकर--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से दो बातें निवेदन करना चाहता हूं । इस दृष्टि से कि वे 8 साल स्वास्थ्य मन्त्री रह चुके हैं अब तो इसका मोह उन्हें नहीं होना चाहिये । कुछ तो ऐसे काम कर जाइये जिससे आपका नाम हो जाय । पहली बात मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग के भरोसे अस्पतालों की बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकता । इसलिए आप अपने विभाग में एक निर्माण इकाई बना दें । इस पर आप सोचें । दूसरी बात यह है कि अस्पतालों में जो आपकी नई मशीनें हैं वे खराब पड़ी रहती हैं । साल भर 6-6 महीने तक खड़ी रहती हैं । उनको कोई देखने वाला नहीं है । इसलिए इस हेतु आप अलग से एक यूनिट बना दें जो प्रदेश के अन्दर ऐसी मशीनों को देख सके और 10 दिन के अन्दर जो प्रदेश के किसी भी इलाके में यदि ऐसी मशीन हो वह ठीक हो जाय ।

तीसरी बात यह है कि आपने जो फीस रखी है उस पर आप पुनर्विचार कर लें । पांच हजार रुपये तक तो आपने छूट दे दी, उसके लिये शुक्रिया । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 12 हजार रुपया तक भी आज जिसकी आमदनी है वह भी रोटी खा रहा है वह अस्पताल में जांच आदि का पैसा नहीं दे सकता है । इसके लिये आप स्पेशल वार्ड की व्यवस्था कर दें, पेमेंट बेसिस पर कर दें । जो देने लायक हो वह दे सकता है । प्राइवेट वार्ड बनवा दें लेकिन कोई भी आदमी जो जांच के लिये अस्पताल में जाता है उसको वहां पर महीने भर भी रहना पड़ सकता है । तो इनकी आप व्यवस्था कर दें ।

(व्यवधान)

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीय मन्त्री जी से मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि अस्पतालों की जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें घटिया किस्म का मैटीरियल लगाया जा रहा है जिसके कारण वह बिल्डिंग बनने के पहले ही ध्वस्त होने लग जाती हैं । बस्ती में साखा और बिशरहा ब्लाक में पी0 एच0 सी0 की ऐसी बिल्डिंग बनाई गई है जिसमें घटिया किस्म का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सामान लगा है और उसका फ्लोर उसके बनने से पहले ही टूटने लगा है। इस सम्बन्ध में मैंने लिखकर भी दिया है किन्तु उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मन्त्री जी क्या उस पर जांच करने की कृपा करेंगे? दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि हम रैंडम नसबन्दी की चेकिंग करायेंगे। अधिकांश पी0 एच0 सी0 में फर्जी नसबन्दी के रिकार्ड बनाये गये हैं। हमारे यहां मोठबन, मेहदाबल और कप्तानगंज में अधिकांश इस तरह के केसेज मिलेंगे जहां फर्जी नसबन्दी हुई है। इस प्रकार फर्जी आंकड़ों से पीठ थपथपाने से और धन लेने से काम चलने वाला नहीं है। इन बातों के बारे में मन्त्री जी कुछ बता दें।

श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या माननीय मन्त्री जी बस्ती जिले में आयुर्वेदिक चिकित्सालय, एलोपैथिक चिकित्सालय, उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, यूनानी अस्पतालों में न तो डाक्टर्स हैं और न ही उनके भवन हैं। तो क्या माननीय मन्त्री जी यह व्यवस्था करेंगे और मई तक उसमें डाक्टर्स की नियुक्ति करवा देंगे, साथ ही उनके भवन बनवाने की कृपा करेंगे। अगले अस्पताल खोलने से पहले आप यह व्यवस्था करने की कृपा करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष--

शार्ट में सारे उत्तर दे दीजिये।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

माननीय सुरेन्द्र सिंह जी ने तथा अन्य माननीय सदस्यों ने आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथी, होम्योपैथी आदि के डाक्टरों की कमी के सम्बन्ध में प्रश्न किये। तो भारतीय चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति के चिकित्सकों का चयन हो गया है पर किन्हीं कारण वश जैसा इसी सदन में तय हुआ था कि इसमें उन्हीं का चयन होगा जो उत्तर प्रदेश के स्नातक होंगे। इसके विपरीत कुछ लोगों ने जो उत्तर प्रदेश के ही नागरिक हैं लेकिन दूसरे प्रदेशों से डिग्री प्राप्त है वे कोर्ट में गये हैं। वकीलों की हड़ताल की वजह से अभी 6 तारीख लगी थी वह टल गई है तो उसका फैसला हो जायेगा यह मामला तय हो जायेगा। होम्योपैथिक का लोक सेवा आयोग को दिया है सम्भवतः एक महीने के अन्दर चयन प्रक्रिया आरम्भ हो जायेगी इस प्रकार वह भी नियुक्तियां हो जायेंगी। आधुनिक चिकित्सा पद्धति के लिए फिर अधियासन लोक सेवा आयोग को भेज रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

तो प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले व्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,48,06,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33--चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अधीन संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33--चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 20,48,68,000 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34--चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34--चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 6,11,38,000 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 70,61,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 94,29,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 71,87,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 51 के अन्तर्गत 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें श्री विजय सिंह राणा की सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है । शेष को अस्वीकार किया गया ।

दिनांक 25 फरवरी, 1988 को महानगर वाराणसी में नगर महापालिका द्वारा बेनियाबाग के गरीब दुकानदारों को अतिक्रमण के नाम पर हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

एक सदस्य--

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)--

[शासन के निर्देशानुसार वाराणसी नगर महापालिका द्वारा सड़कों तथा नालियों आदि से अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है । इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत बेनियाबाग मोहल्ले में भी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सम्पन्न की गई है । इस

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अभियान में सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था हेतु जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन का भी सहयोग प्राप्त किया जाता है । जहां तक माननीय विधायक महोदय के पत्र में गुमटियों को लूटने एवं तोड़ने का आरोप लगाया गया है, के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि महापालिका द्वारा उक्त अभियान के अन्तर्गत किसी का न तो कोई सामान लूटा गया है और न ही किसी की गुमटी तोड़ी गयी है । गुमटियों को उठाने व ट्रकों आदि पर लादने के दौरान यदि कुछ टूट-फूट हो जाती है तो उसे भी जानबूझ कर नहीं किया जाता है । जो भी गुमटियां उठाकर महापालिका में लाई जाती हैं उन्हें नियमानुसार समझौता शुल्क (गुमटी लाने का व्यय) प्राप्त करके उन्हें वापस ले जाने हेतु छोड़ दिया जाता है ।

2--जहां तक श्री प्रभात कुमार की गुमटी के आवंटन का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में महापालिका द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 1986 को 150 रुपया मासिक तहबाजारी पर उक्त गुमटी लगाने की अनुमति दी गयी थी । तहबाजारी में यह शर्त भी लिखी है कि महापालिका को जब कभी आवश्यकता होगी अथवा अवैध अतिक्रमण आदि होगा तो बिना पूर्व सूचना के महापालिका उन्हें हटा देगी । श्री प्रभात कुमार ने बेनियाबाग में पानी की टंकी के पास का अतिक्रमण करते हुए अपनी दुकान का विस्तार कर लिया था । इस स्थल पर बस स्टैंड होने के कारण भी भारी यातायात रहता है । अतः इस स्थल पर यातायात व नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से अतिक्रमण हटाना नितान्त आवश्यक हो गया था ।

3--जहां तक तहबाजारी देने वाले अन्य दुकानदारों को हटाने का प्रश्न है, के सम्बन्ध में तहबाजारी उन्हीं दुकानदारों से महापालिका द्वारा नियमानुसार लिया जाता है जो चलते-फिरते दुकान लगाते हैं । अतः ऐसे लोगों को हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

4--जहां तक वाराणसी नगर के कुछ थानों द्वारा अतिक्रमण किए जाने का प्रश्न है, के सम्बन्ध में प्रशासक, नगर महापालिका, वाराणसी द्वारा अलग से कार्यवाही की जा रही है ।]

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बनारस में 25 तारीख को बड़े पैमाने पर गुमटी वालों को उजाड़ा गया । इन गरीब लोगों को 5-6 ट्रक पी0 ए0 सी0 लेकर पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी गये थे । वीरेन्द्र कुमार, बी0 काम0 पास है, जो विकलांग है, छोटी सी गुमटी चलाता था, इसी के साथ छोटे लाल आदि गरीब लोग जो 8-9 व्यक्तियों के परिवार को अपने इस छोटे से रोजगार से जीविकोपार्जन करते थे जिनको 25 तारीख को उजाड़ा गया जिसके सम्बन्ध में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सारे लोग बेघरबार हो गये और उनकी गुमटियों को तोड़ दिया गया और उनके सामान को लूट लिया गया, इसलिये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्री प्रभात कुमार की गुमटी को क्या आवंटन किया गया था, यह गुमटी 10×4 की थी और क्या आवंटन शर्त में था कि जब महापालिका चाहेगी तो आवंटन निरस्त कर देगी । 25 फरवरी, 1988 को गुमटी हटाने से पहले क्या आवंटन निरस्त दिया गया था और उसके साथ ही साथ जिन लोगों की गुमटियां हटायी गयी थीं और तोड़ी गयी थीं क्या इसकी जांच की घोषणा मंत्री जी सदन में करेंगी ?

*श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, शासन के निर्देशानुसार जो रोटीन अतिक्रमण होते हैं वह हटाये गये थे और जो सड़कों एवं नालों पर जो अतिक्रमण हो जाते हैं उन रोटीन अतिक्रमणों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को हटाने की नोटिस नहीं दी जाती है। हमें किसी को परेशान करने का इरादा नहीं है। लेकिन आजकल हालत यह है कि सड़कों से अतिक्रमण हटाय न जायं तो सड़क पर चलना फिरना और यातायात चलना मुश्किल हो जायेगा। श्री प्रभात कुमार की गुमटी जरूर हटायी गयी है क्योंकि इन्होंने वहां पानी की टंकी के आगे बढ़ाकर गुमटी बना लिया था और इनको यह गुमटी कुछ शर्तों के साथ आवंटित की गयी थी जो आवंटन पत्र में दी गयी थीं जिनका उन्होंने उल्लंघन किया था। इसलिये जैसे सभी के अतिक्रमण हटाये गये उसी में इनका भी हटाया गया, अलग से कोई खास बात नहीं थी।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो रिपोर्ट जिले से आ जाती है वह वैसे की वैसे ही यहां पढ़ दी जाती है। इसमें साफ लिखा है कि जहां तक माननीय विधायक महोदय के पत्र में गुमटियों को लूटने एवं तोड़ने का आरोप लगाया गया है, तो मैंने कोई पत्र नहीं लिखा था बल्कि नियम 51 में सूचना दिया था। लेकिन महापालिका के कर्मचारियों ने जैसा लिख दिया और आरोप लगाया उसके जवाब में मंत्री जी ने भी वैसा ही हूबहू इसमें शामिल कर लिया है। मेरा आपसे निवेदन है, मेरे पास जो आवंटन-पत्र है उसकी फोटो नकल थी है, जो प्रभात कुमार का किया गया है। उसे 10 बाई 4 का आवंटन किया है और यह भी उसमें शर्त है कि आवंटन रद्द कर दिया जायेगा, जब नगर महापालिका चाहेगी। लेकिन उसे आवंटन रद्द करने की कोई सूचना नहीं दी गई और बिना रद्द किये हुये यदि उनकी गुमटी तोड़ी गई तो जैसे दूसरों की हटाई गई, उनमें और इसमें फर्क है। महापालिका ने जिसका आवंटन किया और जिसका आवंटन नहीं किया, दोनों में भारी फर्क है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जैसे दूसरों की हटाई गई, वैसे ही उनकी यानी प्रभात कुमार की भी हटा दी गई और इसके पूर्व उनका आवंटन रद्द नहीं किया गया था। मैंने पहले पूछा था कि यह आवंटन यदि रद्द किया गया था तो कब रद्द किया गया था और क्या उसकी सूचना श्री प्रभात कुमार को दी गई थी? मैं समझता हूं कि इसकी सूचना मंत्रीजी के पास नहीं होगी। मैं आपके जरिये, मान्यवर, केवल एक बात कहना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी सरकार की नीति के अनुसार कि गरीबों को न उजाड़ा जाये और गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को उठाने की, किसी की गुमटी यदि हटानी है तो क्या उसके लिये वैकल्पिक व्यवस्था करेंगी? महापालिका अधिनियम, 1959 के अनुसार आजतक अतिक्रमण हटाने के नियम नहीं बनाये गये हैं। उस अधिनियम के तहत उसमें जो प्राविधान है उसी के तहत गुमटियां हटा दी जाती हैं। तो जहां-जहां शहरों में अतिक्रमण के नाम पर गुमटियों को हटाना है, जो वर्षों से गुमटियां स्थापित हैं, उनके लिये वह कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगी और तभी उनको हटाया जायेगा? और क्या इस तरह का आश्वासन मंत्री जी सदन में देने की कृपा करेंगे?

श्रीमती पद्मा सेठ--

श्री प्रभात कुमार को जो गुमटी आवंटन की गई थी, वह इस शर्त पर की गई थी उतनी ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं, लेकिन उन्होंने उसे बढ़ा दिया, इसलिये उनको हटाया गया। जो माननीय सदस्य ने कहा कि यदि कोई पुरानी गुमटियां उजाड़ी जायें तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी या नहीं, तो इस पर हम अवश्य विचार कर लेंगे।

श्री शतद्रु प्रकाश---

क्या इसकी महापालिका, बनारस को सूचना है कि श्री प्रभात कुमार को जिन शर्त के अधीन गुमटी आवंटित की गई थी, उसे उन्होंने उससे ज्यादा बढ़ा लिया है ? और यदि थी तो क्या उसकी सूचना उनको दी गई ? और यदि बढ़ाया तो क्या उनकी गुमटी । दुकान उतनी ही तोड़ी गई, जितनी बढ़ाई थी ? इस सारे प्रकरण की जांच कराने की क्या घोषणा की जायेगी ? श्री प्रभात कुमार का जो गुमटी आवंटित की गई थी, उससे ज्यादा बना लिया था जो बढ़ा लिया उतनी ही तोड़ी गई या अधिक तोड़ी गई और जो तहबाजारी भी देते हैं उनके बारे में कोई जांच सरकार करायेगी कि उनकी गुमटी सही तोड़ी गई या गलत तोड़ी गई ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

इस सब प्रकरण का परीक्षण करा लेंगे ।

ग्राम बेहटा जयसिंह, थाना बहजोई, जिला मुरादाबाद में सुरेश पाल सिंह की पुलिस द्वारा की गई पिटाई से मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

एक सदस्य--

इसे पढ़ा हुआ माना जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसे पढ़ा हुआ माना जाये ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

गृह मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)--

[प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 10-2-1988 को श्री विजेन्द्रपाल सिंह, थानाध्यक्ष, बहजोई सरकारी जीप से मु0 अ0 सं0 364/87, धारा-302 भा0दं0 वि0 थाना बहजोई की विवेचना से जब वापस आ रहे थे तो उन्हें सम्भल बहजोई मार्ग पर प्राइवेट बस स्टैण्ड बहजोई से एक फर्लांग पश्चिम पक्की सड़क पर सुरेश पाल सिंह पुत्र राजपालसिंह राजपूत एवं रामऔतार पुत्र मंगली हरिजन, निवासीगण ग्राम बेहटा जयसिंह, थाना बहजोई, जनपद मुरादाबाद गाली-गलौज करते लड़ते झगड़ते हुए मिले जिसके कारण थानाध्यक्ष ने इन दोनों अभियुक्तों को धारा 151 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत बन्दी बनाया और थाना बहजोई के हवालात में दिनांक 10-2-88 को समय 20:20 बजे दाखिल किया ।

दिनांक 11-2-88 को प्रातः 8:45 बजे अभियुक्त सुरेशपाल सिंह द्वारा अपने सीने में दर्द होने की शिकायत करने पर उसे तत्काल सरकारी जीप से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बहजोई पर दाखिल कराया गया जहां चिकित्सा अधिकारी ने उसे कोरामाइन का इंजेक्शन दिया, परन्तु प्रयास के बावजूद उसे बचाया न जा सका और उसकी मृत्यु हो गई ।

अभियुक्त सुरेश पाल सिंह की मृत्यु की सूचना पाकर क्षेत्राधिकारी चंदौसी, परगना अधिकारी सम्भल एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मुरादाबाद, थाना बहजोई गये । चूंकि अभियुक्त सुरेशपाल सिंह की मृत्यु पुलिस हिरासत में हुई थी, अतः उसके शव का पंचायतनामा परगना मजिस्ट्रेट सम्भल द्वारा भरा गया और शव को मुरादाबाद भेजकर पोस्ट

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मार्टम कराया गया । पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं हो सका जिसके कारण मृतक का विसरा सुरक्षित रखा गया । थाना बहजोई एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बहजोई के अभिमेखों एवं पंचायतनामा के अनुसार मृतक के शरीर पर मृत्यु से पूर्व को किसी प्रकार की जाहिरा चोट का उल्लेख नहीं है ।

अभियुक्त सुरेशपाल सिंह की मृत्यु की सूचना पाकर उसके परिवारजन तथा अन्य लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बहजोई पर एकत्र हो गये तथा उनकी यह शिकायत थी कि थानाध्यक्ष बहजोई व अन्य पुलिसकर्मी सुरेश पाल सिंह को बिना किसी अपराध के [अकारण] जबरदस्ती थाना बहजोई पकड़कर ले गये और उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी । इस सम्बन्ध में मृतक के भाई श्री कृष्णपाल सिंह, नि0 ग्राम बेहटा जयसिंह, था0 बपजोई जि0 मुरादाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर थाना बहजोई पर बिजेन्द्र पाल सिंह पर थानाध्यक्ष बहजोई, उपनिरीक्षक हरफूल सिंह सैनी, उ0 नि0 गोविन्द राम, कां0 राजबीर, कां0 घनश्याम, कां0 ओम प्रकाश व कां0 रामदास के विरुध मु0 अ0 सं0 43/88 अन्तर्गत धारा 302 भा0 दं0 वि0 दिनांक 12-2-88 पंजीकृत किया गया ।

चूंकि यह अभियोग थानाध्यक्ष बहजोई एवं अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था, अतः विवेचना क्षेत्राधिकारी सम्भल श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, जिनके क्षेत्र में थाना बहजोई नही आता है, को सुपुर्द कर दी गई और निष्पक्ष विवेचना हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद ने दिनांक 12-2-88 को ही श्री बिजेन्द्र पाल सिंह थानाध्यक्ष बहजोई, उ0 नि0 हरफूल सिंह सैनी एवं कां0 रामदास को थाना बहजोई से पुलिस लाइन स्थानान्तरित कर दिया ।

यह सही नहीं है कि पुलिस द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बहजोई के डाक्टर पर सुरेश पाल सिंह की मृत्यु दिल के दौरे से होना अंकित करने के लिए दबाव डाला गया । मामले की विधिवत विवेचना क्षेत्राधिकारी सम्भल द्वारा की जा रही है इस घटना के मृतक के परिवारजनों द्वारा थाने का घिराव नहीं किया गया तथा न ही इस घटना को लेकर जनता में किसी प्रकार का रोष व्याप्त है ।]

श्री उपाध्यक्ष—

अब शफीकुर्रहमान वर्क ।

(शफीकुर्रहमान जी के सदन में उपस्थित न रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

शफीकुर्रहमान उपस्थित नहीं हैं । अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 8 बजे अगले दिनांक 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
10 मार्च, 1988

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उदय प्रदेश विद्यालय समूह

नत्थी "क"

(देखिये अल्पसूचित ता0 प्र0 सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 3 पर)

श्रेणी (ए) जनपद	श्रेणी (बी) जनपद	श्रेणी (सी) जनपद
1 बांदा	1 आजमगढ़	1 आगरा
2 जालौन	2 बहराइच	2 अलीगढ़
3 हमीरपुर	3 बलिया	3 इलाहाबाद
4 जौनपुर	4 बाराबंकी	4 बरेली
5 फतेहपुर	5 बस्ती	5 बिजनौर
6 पौड़ी गढ़वाल	6 बदायूं	6 गाजियाबाद (दादरी तहसील को छोड़कर)
7 टेहरी गढ़वाल	7 बुलन्दशहर	7 गोरखपुर
8 चमोली	8 देवरिया	8 कानपुर (नगर)
9 उत्तरकाशी	9 एटा	9 लखीमपुर खीरी
10 सुल्तानपुर	10 इटावा	10 लखनऊ
11 कानपुर (देहात)	11 फैजाबाद	11 मेरठ
12 अल्मोड़ा	12 फर्रूखाबाद	12 मिर्जापुर
13 पिथौरागढ़	13 गाजीपुर	13 मुजफ्फरपुर
14 नैनीताल	14 गोंडा	14 सहारनपुर
15 देहरादून	15 हरदोई	15 वाराणसी
	16 झांसी	
	17 ललितपुर	
	18 मैनपुरी	
	19 मथुरा	
	20 मुरादाबाद	
	21 पीलीभीत	
	22 प्रतापगढ़	
	23 रायबरेली	
	24 रामपुर	
	25 शाहजहांपुर	
	26 सीतापुर	
	27 उन्नाव तथा जनपद गाजियाबाद की दादरी तहसील ।	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के वर्ष 1986–87 में प्राप्त अनुदान के विरुद्ध व्यय एवं अवशेष का विवरण

क्रम–सं0	प्राप्तियों का स्रोत	वर्ष 1986–87 में प्राप्त अनुदान	वर्ष 1986–87 में व्यय	व्ययाधिक्य/अवशेष (—)	(+)	विवरण
1	2	3	4	5		6
		रु0	रु0	रु0		
1—राज्य सरकार—						
	(क) आयोजनागत योजनाएं	3,08,00,000	3,28,17,752	(—) 20,17,752		अतिरिक्त व्यय विश्वविद्यालय की अपनी प्राप्तियों से वहन किया गया।
	(ख) आयोजनेत्तर योजनाएं	42,28,000	40,20,092	(+) 2,07,908		
2—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्—						
	(क) आयोजनागत योजनाएं	34,07,000	17,69,533	(+) 16,37,467		
	(ख) शोध योजनाएं	91,63,503	90,76,470	(+) 87,033		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 67 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर।)

सूची

1—श्री अजय कुमार सिंह
2—श्री समीर बोस
3—श्री प्रमोद नारायन पाण्डेय
4—श्री सत्येन्द्र नारायन मिश्रा
5—कु0 चन्द्र कान्ती
6—श्री मैथिलीशरण शुक्ला
7—श्री दिनेश चन्द्र दीक्षित
8—श्री मो0 इसरायल
9—श्री चन्द्रपाल यादव
10—श्री सुरेश सिंह यादव
11—श्री नफीस हुसैन
12—श्री प्रदीप कुमार शर्मा
13—श्रीमती मंजू शुक्ला
14—श्री संजय कुमार
15—श्री सुरेश चन्द्र
16—कु0 मेहरूना निशा सिद्दीकी
17—श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव
18—कु0 मधुबाला श्रीवास्तव
19—श्री शीतला प्रसाद त्रिपाठी
20—श्री राम अवध सिंह यादव
21—श्री गोविन्द सिंह विष्ठ
22—श्री सूरज प्रसाद
23—श्री संदीप खरे
24—श्री उमेश चन्द्र मिश्रा
25—कु0 निरजा श्रीवास्तव
26—श्री हरी शंकर तिवारी
27—श्री ओम प्रकाश जायसवा
28—श्री लल्लन जी
29—श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 115 का उत्तर पीछे पृष्ठ 79 पर)।

कार्यालय नगर महापालिका, बरेली

सूची सफाई कर्मचारी जिनकी नियुक्ति वर्ष 1985-86 में हुयी

क्रम-संख्या	नाम/कर्मचारी	नियुक्ति की तिथि
1	श्री प्रदीप पुत्र श्री सीता राम	3-4-85
2	श्रीमती द्रोपदी पत्नी राज बहादुर	8-4-85
3	श्री बच्चन पुत्र श्री किशन	10-4-85
4	श्रीमती अनीता पत्नी श्री सतीश	1-5-85
5	श्री राजू पुत्र श्री खिन्नू	18-5-85
6	श्री चन्द्रपाल पुत्र श्री बल्देव	26-5-85
7	श्रीमती शान्ति पत्नी नत्थू	19-6-85
8	श्री कमला पुत्र रोशन	25-6-85
9	श्री सच्चन पुत्र श्री किशन	30-6-85
10	श्रीमती आशा पत्नी राम प्रकाश	1-8-85
11	श्रीमती शकुन्तला पत्नी लक्ष्मन	1-8-85
12	श्री अनिल पुत्र श्री अनोखे	1-8-85
13	श्रीमती आशा पत्नी नरेश	1-8-85
14	श्री अशोक पुत्र श्री रोहन	1-8-85
15	श्री राकेश पुत्र राम चन्द्र	1-8-85
16	श्रीमती छट्टी पत्नी श्री उत्तम	1-9-85
17	श्री इन्द्र प्रकाश	1-11-85
18	श्री कैलाश पुत्र श्री मुकरी	1-11-85
19	श्रीमती मीरा पत्नी जैसिंह	30-11-85
20	श्री बलबीर पुत्र मल्लन	1-12-85
21	श्री नीरज पुत्र श्री जगदीश	1-12-85
22	श्रीमती शकुन्तला पत्नी धर्म प्रकाश	1-1-86
23	श्री कल्लू पुत्र गोबिन्द	1-1-86
24	श्री दिलीप पुत्र श्री मनोहर	18-1-86
25	श्रीमती कमला पत्नी राधे लाल	28-1-86
26	श्रीमती सुमित्रा पत्नी श्री राधे लाल	1-3-86
27	श्री शंकर पुत्र राम स्वरूप	1-3-86

विधान सभा

कार्यालय नगर महापालिका, बरेली

सूची सफाई कर्मचारी जिनकी नियुक्ति वर्ष 1986-87 में हुयी

क्रम-संख्या	नाम कर्मचारी	नियुक्ति की तिथि
1	श्री सतीश पुत्र राम स्वरूप	7-5-86
2	श्रीमती सुमित्री पत्नी सोहन लाल	15-5-86
3	श्री बृज किशोर पुत्र श्री सुक्खी	1-6-86
4	श्रीमती राम बेटी पत्नी श्री राज पाल	1-6-86
5	श्री सुशील पुत्र राम प्रसाद	1-6-86
6	श्री जगदीश पुत्र श्री प्यारे	1-6-86
7	श्री सत्य प्रकाश पुत्र श्री पूरन	15-6-86
8	श्री मूल चन्द्र पुत्र श्री हजारी	21-7-86
9	श्री राम राज पुत्र श्री रेखा दास	21-7-86
10	श्री राकेश पुत्र श्री भोले	3-9-86
11	श्रीमती राम देवी पत्नी श्री प्रेम	15-9-86
12	श्रीमती सत्यवती पत्नी श्री दाताराम	10-10-86
13	श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री किशन लाल	10-10-86
14	श्रीमती माया पत्नी कैलाश	10-10-86
15	श्रीमती सुनीता पत्नी श्री अशोक	13-10-86
16	श्रीमती रानी पत्नी रमेश	1-11-86
17	श्री धर्म प्रकाश पुत्र श्री मुकुन्दी	20-1-87
18	श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री रामासरे	20-1-87
19	श्री पुत्तन पुत्र श्री राधे	23-1-87
20	श्री फूल सिंह पुत्र श्री लशकरी	1-2-87
21	श्रीमती माया पत्नी राजा राम	1-2-87
22	श्रीमती रानी पत्नी श्री राम चरन	9-3-87

पी० एस० यू० पी०--1 वि० सभा--13-7-1988--813 (पी० डी०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा